



भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

राज्य सरकार के वित्त
31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



उत्तर प्रदेश सरकार
प्रतिवेदन संख्या 4 – वर्ष 2016

अनुक्रमणिका

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन	-	v
कार्यकारी सार	-	vii
अध्याय 1 राज्य सरकार के वित्त		
उत्तर प्रदेश राज्य का परिदृश्य	-	1
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	-	1
प्रस्तावना	1.1	2
राज्य के संसाधन	1.2	8
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	10
पूँजीगत प्राप्तियाँ	1.4	18
लोक लेखे (निवल)	1.5	21
संसाधनों के अनुप्रयोग	1.6	22
व्ययों की गुणवत्ता	1.7	27
शासकीय व्ययों एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	31
परिसम्पत्तियाँ एवं देयतायें	1.9	35
ऋण प्रबन्धन	1.10	41
राजकोषीय असन्तुलन	1.11	43
अनुवर्ती कार्यवाही	1.12	47
निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ	1.13	47
अध्याय 2 वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियन्त्रण		
प्रस्तावना	2.1	51
विनियोग लेखे का संक्षिप्त विवरण	2.2	51
वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन	2.3	52
चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	2.4	61
निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ	2.5	72

अध्याय 3 वित्तीय रिपोर्टिंग		
उपभोग प्रमाण—पत्रों को प्रस्तुत न किया जाना	3.1	73
विस्तृत आकस्मिक बिल	3.2	74
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम	3.3	74
लम्बित प्रकरणों की रिपोर्टिंग	3.4	75
राज्य सरकार द्वारा बजट में नये उपशीर्ष व विस्तृत शीर्षों का खोला जाना	3.5	76
लघु लेखा शीर्ष—‘800’ का परिचालन	3.6	76
उपकर का अन्तिम उपयोग	3.7	77
धनराशियों को केन्द्रीय सङ्क निधि में हस्तांतरण न किया जाना	3.8	79
नकद अवशेष में भिन्नता	3.9	80
वैयक्तिक जमा खाते में निधियों का अन्तरण	3.10	80
लेखाओं पर टिप्पणी	3.11	81
निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ	3.12	84

परिशिष्टियाँ		
परिशिष्ट 1.1	राज्य का परिदृश्य	87
परिशिष्ट 1.2	शासकीय लेखे का रूप एवं संरचना तथा वित्त लेखे का प्रारूप	89
परिशिष्ट 1.3	वर्ष 2015–16 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	91
परिशिष्ट 1.4	वर्ष 2015–16 के लिए वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय की बजट अनुमान से तुलना	95
परिशिष्ट 1.5	राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध ऑकड़े	97
परिशिष्ट 1.6	(अ) वर्ष 2011–16 की अवधि में स्वयं का कर राजस्व (ब) वर्ष 2011–16 की अवधि में करेतर राजस्व	100
परिशिष्ट 1.7	31 मार्च 2016 को सरकार की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त सार	101
परिशिष्ट 1.8	आरक्षित निधियों का विवरण	103
परिशिष्ट 2.1	अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जहाँ प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत व्यय ₹ दस करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था	106
परिशिष्ट 2.2	अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जहाँ प्रत्येक अनुदान/विनियोग में बचत ₹ दस करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था	107
परिशिष्ट 2.3	₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचत वाले अनुदानों/विनियोगों का विवरण	109

परिशिष्ट 2.4	प्रकरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	111
परिशिष्ट 2.5	निधियों का अधिक / अनावश्यक / अपर्याप्त पुनर्विनियोग	113
परिशिष्ट 2.6	वर्ष 2015–16 में अत्यधिक धनराशियों का अभ्यर्पण	119
परिशिष्ट 2.7	वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण (₹ 50 लाख या अधिक)	133
परिशिष्ट 2.8	अनुदानों / विनियोगों का विवरण, जिनमें बचत हुई परन्तु उसका कोई भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया	134
परिशिष्ट 2.9	अभ्यर्पित न की गयी ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचतों का विवरण	136
परिशिष्ट 2.10	व्यय का अतिरेक	139
परिशिष्ट 3.1	विभागीय वाणिज्यिक एवं अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं का अंतिमीकरण और निवेशों का विवरण	142
परिशिष्ट 3.2	विभागवार / अवधिवार लम्बित प्रकरणों का विवरण (जिनमें अंतिम कार्यवाही मार्च 2016 तक लम्बित थी)	143
परिशिष्ट 3.3	चोरी, दुर्विनियोग, शासकीय सामग्रियों की हानि एवं गबन के कारण राज्य सरकार को हुई क्षति के प्रकरणों का विभागवार / श्रेणीवार विवरण	144
परिशिष्ट 3.4	वर्ष 2015–16 में विभागवार निस्तारित / अपलेखित किए गए प्रकरणों का विवरण	145
परिशिष्ट 3.5	वर्ष 2015–16 के दौरान खोले गये नये शीर्षों की सूची	146
परिशिष्ट 3.6	लघु शीर्ष ‘800–अन्य प्राप्तियाँ’ के अन्तर्गत पुस्तांकित मुख्य शीर्षवार प्राप्तियों का विवरण	150
परिशिष्ट 3.7	लघु शीर्ष ‘800–अन्य व्यय’ के अन्तर्गत पुस्तांकित मुख्य शीर्षवार व्यय का विवरण	151
परिशिष्ट 3.8	उपकर, जो सावधि जमा के रूप में बैंक खातों में रखे गये	152
परिशिष्ट 4	शब्दावली (अतिरिक्त आँकड़े)	
	गणना का आधार	154
	पदों की व्याख्या	155
	प्रथमाक्षरी	157

प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।
2. इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 तथा 2 में 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे और विनियोग लेखे की जाँच से उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से भी, जहाँ पर आवश्यक था, सूचनाएँ प्राप्त की गयी हैं।
3. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आधारित अध्याय 3 वर्तमान वर्ष में विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों का सरकार द्वारा अनुपालन की स्थिति एवं उसका विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।
4. विभिन्न विभागों के लेन-देनों की लेखापरीक्षा तथा निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों तथा सांविधिक नियमों, सरकारी कम्पनियों एवं परिषदों की लेखापरीक्षा तथा राजस्व प्राप्तियों पर अनुमानों को सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए गये हैं।

कार्यकारी सार

उत्तर प्रदेश शासन के वित्त पर आधारित यह प्रतिवेदन वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन का निष्पक्षता से आकलन करता है एवं वित्तीय आंकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण के आधार पर उचित इनपुट्स को राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करता है। इस समीक्षा को एक उचित परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने के लिए उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम 2016, चौदहवाँ वित्त आयोग प्रतिवेदन एवं वर्ष 2015–16 का बजट अनुमान के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष वृहद् तुलनात्मक समीक्षा का प्रयास किया गया है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में है।

अध्याय 1 वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति की समीक्षा करता है। यह व्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, सम्बिडी, ऋणों के भुगतान एवं उधार पर व्यय की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालती है।

अध्याय 2 विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है और इसमें अनुदानवार विनियोगों तथा सेवादायी विभागों द्वारा किस प्रकार से आवंटित संसाधनों का प्रबन्धन किया गया है, का विवरण है।

अध्याय 3 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन का लेखा—जोखा है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय 1: राज्य सरकार के वित्त

राजकोषीय स्थिति

- बजट अनुमान में राजस्व आधिक्य हेतु निर्धारित लक्ष्य ₹ 34,124 करोड़ के सापेक्ष राज्य सरकार के पास ₹ 14,340 करोड़ का राजस्व आधिक्य था। इसका प्रमुख कारण वर्ष 2014–15 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में केवल 17 प्रतिशत की वृद्धि थी, जबकि राजस्व व्यय में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- राजकोषीय घाटे में (चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित) अधिकतम सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत के लक्ष्य से 2.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं वर्ष 2015–16 के दौरान (राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम द्वारा निर्धारित) अधिकतम सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.96 प्रतिशत के लक्ष्य से 2.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- वर्ष 2015–16 के अन्त में कुल बकाया ऋण, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 31.83 प्रतिशत था जो बजट अनुमान एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के लक्ष्य (27.50 प्रतिशत) से अधिक (4.33 प्रतिशत) था। यह चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य (31 प्रतिशत) के सापेक्ष अधिक (0.83 प्रतिशत) था।

(प्रस्तर 1.1.2)

संसाधनों का संग्रहण

- राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,27,076 करोड़) में वर्ष 2014–15 के सापेक्ष ₹ 33,654 करोड़ (17 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह ₹ 2,49,880 करोड़ के बजट अनुमान¹ से ₹ 22,804 करोड़ कम थी।
(प्रस्तर 1.1.1)
- राजस्व व्यय में वर्ष 2014–15 के सापेक्ष ₹ 41,709 करोड़ (24 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यद्यपि, यह बजट अनुमान से ₹ 3,020 करोड़ कम था।
(प्रस्तर 1.1.1)

व्यय में दक्षता

- पूंजीगत व्यय वर्ष 2014–15 के ₹ 53,297 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 64,423 करोड़ हो गई। विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2015–16 के दौरान, सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत कुल व्यय में पूंजीगत व्यय के अंश में 5.32 प्रतिशत तथा आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत 7.80 प्रतिशत की कमी हुई।
(प्रस्तर 1.7.2)
- कुल व्यय में वेतन एवं मजदूरी के अंश में वर्ष 2014–15 की तुलना में वर्ष 2015–16 में ₹ 11,048 करोड़ की वृद्धि हुई।
(प्रस्तर 1.7.2)

निवेश एवं प्रतिफल

- 31 मार्च 2015 तक सरकार ने ₹ 58,606 करोड़ का निवेश किया था जिस पर वर्ष 2014–15 में प्रतिफल ₹ 8.08 करोड़ (0.01 प्रतिशत) था। 31 मार्च 2016 तक सरकार ने ₹ 84,357 करोड़ का निवेश किया जिसके सापेक्ष प्रतिफल ₹ 42.66 करोड़ (0.05 प्रतिशत) था।
(प्रस्तर 1.8.3)

राजकोषीय देयतायें

- राज्य सरकार की कुल राजकोषीय देयतायें वर्ष 2011–12 के ₹ 2,43,229 करोड़ से 51 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 3,67,252 करोड़ हो गयी। वर्ष 2014–15 के 9.28 प्रतिशत की वृद्धि दर के सापेक्ष वर्ष 2015–16 में वृद्धि दर 19.29 प्रतिशत रही।
(प्रस्तर 1.9.2)

वित्तीय स्थिति पर उदय योजना का प्रभाव

- वर्ष 2015–16 में राजस्व आधिक्य ₹ 14,340 करोड़ रहा जो ₹ 12,166 करोड़ न्यून दर्शित है क्योंकि इतनी ही धनराशि सहायता अनुदान के रूप में यू.पी.पी.सी.एल. को अन्तरित की गयी। दूसरी ओर, राजकोषीय घाटे में ₹ 24,332 करोड़ की अतिशयता हुई। ‘उदय’ योजना की शर्तों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राजकोषीय देयताओं में भी ₹ 24,332 करोड़ की वृद्धि हुई।
(प्रस्तर 1.4.2)

¹ मध्यकालिक राजकोषीय पुर्णसंरचना नीति, 2015 को प्रस्तुत करता है।

अध्याय 2: वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियन्त्रण

अनुचित बजट के कारण अत्यधिक बचत

- ₹ 44,393.67 करोड़ की कुल बचत, ₹ 47,067.01 करोड़ की बचत के परिणामस्वरूप ₹ 2,673.34 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसन्तुलित हुई।

(प्रस्तर 2.2)

प्रावधानों से अधिक हुये व्ययों के विनियमितीकरण की आवश्यकता

- वर्ष 2005–15 की अवधि के व्ययाधिक्य ₹ 22,577.49 करोड़ का विनियमितीकरण किया जाना शेष था।

(प्रस्तर 2.3.2)

अनवरत बचत

- विगत पांच वर्षों के दौरान लेखे के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत अनवरत बचत (₹ 100 करोड़ एवं अधिक) हुई।
- पूंजीगत दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत, बचत वर्ष 2014–15 के ₹ 2,672.21 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 2,809.25 करोड़ हो गयी।

(प्रस्तर 2.3.5)

अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधानों एवं निधियों का अत्यधिक, अनावश्यक पुनर्विनियोग

- धनराशियों के अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान एवं अत्यधिक, अनावश्यक पुनर्विनियोग के प्रकरण पाये गये। अनुमानित बचतों को समर्पित न किये जाने के प्रकरण भी प्रकाश में आये। वर्ष के अन्त में व्यय का अतिरेक भी वित्तीय प्रबन्धन की एक गम्भीर समस्या है।

(प्रस्तर 2.3.6, 2.3.7, 2.3.10 एवं 2.3.14)

अनुपयोगी धनराशि

- सरकार ने वर्ष 2015–16 को 'किसान वर्ष' घोषित किया था, फिर भी राज्य सरकार द्वारा कृषि शीर्ष के अन्तर्गत अनेक परियोजनाओं को आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

(प्रस्तर 2.4)

अध्याय 3: वित्तीय रिपोर्टिंग

लंबित उपभोग प्रमाण–पत्र एवं लम्बित संक्षिप्त आकस्मिक बिल

- 31 मार्च 2016 को, अनुदान प्राप्तकर्ताओं से अत्यधिक धनराशि (₹ 1,46,301.58 करोड़) के उपभोग प्रमाण–पत्र अप्राप्त थे एवं ₹ 301.13 करोड़ के 5113 संक्षिप्त आकस्मिक बिलों के विस्तृत आकस्मिक बिल प्रतीक्षित थे।

(प्रस्तर 3.1 एवं 3.2)

चोरी, हानि, दुर्विनियोग एवं गबन के प्रकरण

- वर्ष 2015–16 के अन्त तक चोरी, हानि, दुर्विनियोग एवं गबन के कुल 135 प्रकरण थे, जिनमें कुल ₹ 882.57 लाख की धनराशि सन्निहित थी।

(प्रस्तर 3.4)

श्रम उपकर के अन्तिम उपयोग

- श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा आरम्भ से ही अपने लेखे तैयार नहीं किये गये हैं। अतः आय एवं व्यय के आंकड़े प्रमाणित नहीं हैं। प्रमाणित लेखे के अभाव में लेखापरीक्षा के दौरान व्यय की प्रामाणिकता एवं इसकी विश्वसनीयता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। मार्च 2016 को कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 2,259.48 करोड़ सावधि जमा एवं बचत बैंक खाते में रखी गयी है।

(प्रस्तर 3.7)

अध्याय – 1

राज्य सरकार के वित्त

उत्तर प्रदेश राज्य का परिदृश्य

उत्तर प्रदेश राज्य भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है एवं 2.41 लाख वर्ग कि.मी. के भौगोलिक क्षेत्रफल के साथ यह भारत का पांचवां बड़ा राज्य एवं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश की जनसंख्या वर्ष 2011 में 19.98 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015 में 21.67 करोड़ हो गई (अनुमानित)। राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों का प्रतिशत वर्ष 2011–12 में अखिल भारतीय औसत 30 प्रतिशत के सापेक्ष लगभग 39.80 प्रतिशत था। वर्ष 2015–16 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर ₹ 11,53,795 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 56.27 प्रतिशत (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 67.68 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) हो गई। वर्ष 2015–16 के अन्त में, राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 48,520 (अग्रिम) थी।

उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित सामान्य आँकड़े, उदाहरणार्थ जनसंख्या घनत्व, शिशु मृत्यु दर एवं जीवन प्रत्याशा आदि **परिचय 1.1** में दिये गये हैं।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद दिये गये समयावधि में राज्य में उत्पादित सभी आधिकारिक रूप से स्वीकृत अन्तिम सामग्रियों एवं सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेतक है क्योंकि यह राज्य की जनसंख्या के जीवन स्तर को सूचित करता है। वर्तमान मूल्य (आधार वर्ष: 2011–12) पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियाँ **सारणी 1.1** में दी गयी हैं।

सारणी 1.1: वर्तमान मूल्य (आधार वर्ष 2011–12) पर देश के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	87,36,039	99,51,344	1,12,72,764	1,24,88,205	1,35,76,086
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	उपलब्ध नहीं*	13.91	13.28	10.78	8.71
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	7,24,049	8,22,903	9,44,146	10,43,371	11,53,795
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	उपलब्ध नहीं*	13.65	14.73	10.51	10.58

(स्रोत: सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आँकड़े दिनांक 29.07.2016 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये)

*वर्ष 2011-12 से सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की नई श्रृंखला जारी की गयी।

सारणी से प्रदर्शित है कि राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2012–13 के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में वृद्धि हुई। यद्यपि, यह वर्ष 2015–16 में कम होकर 10.58 प्रतिशत हो गई।

1.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार ने 24 फरवरी 2015 को वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए बजट प्रस्तुत किया। बजट भाषण के अनुसार, राज्य सरकार ने नई योजनाएँ शुरू कीं जिसके लिए ₹ 9,389 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। राज्य सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान हेतु ₹ 9,977 करोड़ एवं मिड डे मील योजना हेतु ₹ 1,696 करोड़; ऊर्जा क्षेत्र के परियोजनाओं हेतु ₹ 25,764 करोड़; परिवार कल्याण सुविधाओं हेतु ₹ 5,840 करोड़ तथा त्वरित आर्थिक विकास कार्यक्रमों हेतु ₹ 1,000 करोड़ का बजट प्रावधान किया।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 को “किसान वर्ष” घोषित किया गया एवं शिक्षित युवकों को कृषि एवं इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने हेतु “एग्री जंक्शन” नामक नई योजना का आरम्भ किया गया।

यह अध्याय राज्य सरकार के वर्ष 2015–16 के वित्त का लेखापरीक्षित परिदृश्य प्रस्तुत करता है एवं विगत पाँच वर्षों की अवधि के समग्र संघटकों को ध्यान में रखते हुए मुख्य राजकोषीय समूहों का वर्ष 2014–15 की तुलना में समीक्षात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह विश्लेषण राज्य सरकार के वित्त लेखे एवं उसमें निहित सूचनाओं के आधार पर किया गया है।

राज्य सरकार के लेखे की संरचना **परिशिष्ट 1.2** के भाग—अ और वित्त लेखे का प्रारूप भाग—ब में दर्शाया गया है।

1.1.1 वर्ष 2015–16 में राजकोषीय लेन–देनों का सारांश

सारणी 1.2 में राज्य सरकार के वर्ष 2014–15 के सापेक्ष वर्ष 2015–16 के राजकोषीय लेन–देनों का सारांश प्रदर्शित है। **परिशिष्ट 1.3** में वर्ष 2015–16 की प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ–साथ समग्र राजकोषीय स्थिति प्रदर्शित है।

सारणी 1.2: वर्ष 2015–16 में राजकोषीय लेन–देनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण				
	2014-15	2015-16		2014-15	2015-16		
भाग—अ: राजस्व					आयोजनेत्तर	आयोजनागत	योग
राजस्व प्राप्तियाँ	1,93,421.60	2,27,075.94	राजस्व व्यय	1,71,027.32	1,69,484.63	43,251.32	2,12,735.95
कर राजस्व	74,172.42	81,106.26	सामान्य सेवायें	64,305.73	72,205.73	22.19	72,227.92
करेतर राजस्व	19,934.80	23,134.65	सामाजिक सेवायें	60,905.78	46,437.20	36,049.26	82,486.46
संघीय करों / शुल्कों का अंश	66,622.91	90,973.69	आर्थिक सेवायें	34,885.24	40,701.42	7,179.87	47,881.29
भारत सरकार से अनुदान	32,691.47	31,861.34	सहायता अनुदान एवं अंशदान	10,930.57	10,140.28	0.00	10,140.28
भाग—ब: पूँजीगत एवं अन्य							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	-	पूँजीगत व्यय	53,297.28	15,377.83	49,044.89	64,422.72
ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	262.48	725.63	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	1,872.64	9,117.91	-	9,117.91
लोक ऋण प्राप्तियाँ	35,520.28	74,513.58	लोक ऋणों की अदायगी	9,411.21	17,672.76	-	17,672.76
आकस्मिकता निधि	0.55	201.28	आकस्मिकता निधि	203.15	44.07	-	44.07
लोक लेखा प्राप्तियाँ	2,30,199.19	2,65,971.96	लोक लेखा संवितरण	2,28,014.45	2,64,293.87	-	2,64,293.87
प्रारम्भिक रोकड़ अवशेष	4,020.63	(-) 401.32	अन्तिम रोकड़ अवशेष	(-) 401.32	(-) 200.21	-	(-) 200.21
योग	4,63,424.73	5,68,087.07	योग	4,63,424.73	4,75,790.86	92,296.21	5,68,087.07

(चोत: वित्त लेखे वर्ष 2014–15 एवं 2015–16)

वर्ष 2014–15 के सापेक्ष वर्ष 2015–16 के राजकोषीय लेन देनों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए:

- **राजस्व प्राप्तियों** में वर्ष 2014–15 के सापेक्ष ₹ 33,654 करोड़ (17 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इस वृद्धि में मुख्यतः केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (₹ 24,351 करोड़; 37 प्रतिशत), करेतर राजस्व (₹ 3,200 करोड़; 16 प्रतिशत) एवं कर राजस्व (₹ 6,934 करोड़; नौ प्रतिशत) का योगदान था। ₹ 2,27,076 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 2,49,880 करोड़ के बजट अनुमान¹ से कम (₹ 22,804 करोड़) थीं।
- **कर राजस्व** में वर्ष 2014–15 के सापेक्ष ₹ 6,934 करोड़ (नौ प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इस वृद्धि में मुख्यतः बिक्री, व्यापार आदि पर करों (₹ 4,758 करोड़; 11 प्रतिशत) एवं वाहनों पर कर (₹ 613 करोड़; 16 प्रतिशत) का विगत वर्ष के सापेक्ष हुई वृद्धियों में योगदान था। स्वयं के कर राजस्व, ₹ 81,106 करोड़ बजट अनुमान के ₹ 91,915 करोड़ एवं चौदहवें वित्त आयोग के मानकीय आकलन (₹ 91,806 करोड़) से कम था।
- **करेतर राजस्व** में वर्ष 2014–15 के सापेक्ष ₹ 3,200 करोड़ (16 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा यह बजट अनुमान से ₹ 1,499 करोड़ अधिक था। यह चौदहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानकीय अनुमान के आकलन (₹ 23,036 करोड़) से अधिक था।
- **भारत सरकार से सहायता अनुदान** में वर्ष 2014–15 (₹ 32,691 करोड़) के सापेक्ष वर्ष 2015–16 (₹ 31,861 करोड़) में ₹ 830 करोड़ (तीन प्रतिशत) की कमी हुई।
- **केन्द्रीय करों और शुल्कों** में राज्य के अंश में वर्ष 2014–15 के सापेक्ष ₹ 24,351 करोड़ (37 प्रतिशत) की वृद्धि हुई एवं यह बजट अनुमान (₹ 86,729 करोड़) से अधिक (₹ 4,245 करोड़) थी।
- **राजस्व व्यय** में वर्ष 2014–15 के सापेक्ष ₹ 41,709 करोड़ (24 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यद्यपि, यह (₹ 2,12,736 करोड़) बजट अनुमान (₹ 2,15,756 करोड़) से कम (₹ 3,020 करोड़) था। राजस्व व्यय के अन्तर्गत आयोजनेत्तर व्यय में वर्ष 2014–15 के सापेक्ष ₹ 31,720 करोड़ (33 प्रतिशत) एवं आयोजनागत व्यय में ₹ 9,989 करोड़ (30 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- **पूंजीगत व्यय** (₹ 64,423 करोड़) में वर्ष 2014–15 (₹ 53,297 करोड़) के सापेक्ष ₹ 11,126 करोड़ (21 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत सङ्कें एवं सेतु, सहकारिता एवं वृहद सिंचाई में हुई। यह बजट अनुमान (₹ 63,154 करोड़) से अधिक (₹ 1,269 करोड़) था।
- **ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली** (₹ 726 करोड़) में वर्ष 2014–15 (₹ 262 करोड़) के सापेक्ष ₹ 464 करोड़ (177 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह बजट अनुमान (₹ 263 करोड़) से भी अधिक (₹ 463 करोड़; 176 प्रतिशत) थी। ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण (₹ 9,118 करोड़) भी बजट अनुमान (₹ 2,793 करोड़) से ₹ 6,325 करोड़ (226 प्रतिशत) अधिक था।

¹मध्यकालिक राजकोषीय पुर्णसंरचना नीति, 2015 को प्रस्तुत करता है।

- लोक ऋण प्राप्तियों (₹ 74,514 करोड़) में वर्ष 2014–15 (₹ 35,520 करोड़) के सापेक्ष ₹ 38,994 करोड़ (110 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। लोक ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत वृद्धि मुख्यतः अन्य संस्थाओं से ऋण (₹ 24,493 करोड़), बाजार कर्ज (₹ 12,500 करोड़) एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थोपाय अग्रिम (₹ 2,767 करोड़) के अन्तर्गत हुई।
- वर्ष 2015–16 के दौरान लोक लेखे की प्राप्तियों (₹ 2,65,972 करोड़) में वर्ष 2014–15 (₹ 2,30,199 करोड़) के सापेक्ष ₹ 35,773 करोड़ (16 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि वर्ष 2014–15 (₹ 9,992 करोड़) के सापेक्ष 2015–16 के दौरान मुख्यतः आरक्षित निधियों के अन्तर्गत प्राप्तियों (₹ 15,599 करोड़) में ₹ 5,607 करोड़ (56 प्रतिशत) एवं वर्ष 2014–15 (₹ 9,988 करोड़) के सापेक्ष वर्ष 2015–16 में लघु बचत एवं भविष्य निधियों आदि के अन्तर्गत प्राप्तियों (₹ 10,303 करोड़) में ₹ 315 करोड़ (तीन प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई।
- लोक लेखे संवितरण में वर्ष 2014–15 के सापेक्ष ₹ 36,280 करोड़ (16 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गयी।
- वर्ष 2015–16 में आकस्मिकता निधि से ₹ 44 करोड़ के आहरण की प्रतिपूर्ति शेष थी।
- नकद अवशेषों में मार्च 2015 के ₹ 401 करोड़ के डेबिट अवशेष से, मार्च 2016 के ₹ 200 करोड़ (डेबिट), कुल ₹ 201 करोड़ (50 प्रतिशत) की कमी हुयी।
- 2015–16 के अन्त में राजस्व आधिक्य एवं प्राथमिक घाटे में वर्ष 2014–15 के सापेक्ष कमी हुई जबकि राजकोषीय घाटे में वर्ष 2014–15 के सापेक्ष वृद्धि हुई। वर्ष 2015–16 के अन्त में राजस्व आधिक्य (₹ 14,340 करोड़) में ₹ 8,054 करोड़ (36 प्रतिशत) की कमी हुई, राजकोषीय घाटे (₹ 58,475 करोड़) में ₹ 25,962 करोड़ (80 प्रतिशत) की वृद्धि हुई एवं प्राथमिक घाटे (₹ 37,027 करोड़) में ₹ 23,379 करोड़ (171 प्रतिशत) की कमी हुई। विस्तृत विवरण प्रस्तर 1.11.1 में दिया गया है।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004 पारित किया गया (फरवरी 2004), जिसमें अर्थव्यवस्था के विकास एवं स्थिरता के लिए दीर्घकालीन लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था। अधिनियम में प्रावधानित राजकोषीय सिद्धान्त को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सरकार के लिए निम्नलिखित वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए गये:

- 1 अप्रैल 2004 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले 14 वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर सुनिश्चित करना कि अन्तिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल दायित्व उस वर्ष के लिए आकलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत से अधिक न हो।
- तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसानुरूप राज्य सरकार ने अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004 में संशोधन किया (सितम्बर 2011) तथा स्वयं के लिए वर्ष 2011–15 की अवधि के लिए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पथ विकसित किया जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्व घाटे को समाप्त

करना एवं धीरे-धीरे वर्ष 2015–16 तक राजकोषीय एवं ऋण के स्तरों में कमी लाना था।

चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसानुरूप राज्य सरकार ने अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004 में संशोधन करके (मार्च 2016 में) राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2016 विधायिका द्वारा पारित कराया एवं स्वयं के लिए वर्ष 2015–20 की अवधि के लिए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पथ विकसित किया। सारणी 1.3 में विस्तृत विवरण दिया गया है।

सारणी 1.3: राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पथ

वर्ष	राजकोषीय घाटा	कुल देयता (जी.एस.डी.पी.के प्रतिशत में)
2015-16	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं	31.00
2016-17	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं	31.00
2017-18	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं	30.50
2018-19	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं	30.50
2019-20	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं	30.00

(स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार की राजपत्रित अधिसूचना, मार्च 2016)

वर्ष 2015–16 में राज्य का निष्पादन, बजट में उपबंधित मुख्य परिवर्ती कारकों के अधीन, तेरहवें वित्त आयोग के अन्तिम वर्ष एवं चौदहवें वित्त आयोग के प्रथम वर्ष की अनुशंसा एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम द्वारा निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य पर आधारित है, जिसे सारणी 1.4 में दर्शाया गया है।

सारणी 1.4: वर्ष 2015–16 में राज्य का निष्पादन

मुख्य राजकोषीय संकेतक	तेरहवें वित्त आयोग के अन्तिम वर्ष हेतु निर्धारित लक्ष्य	चौदहवें वित्त आयोग के प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित लक्ष्य	बजट अनुमान में निर्धारित लक्ष्य	पंचवर्षीय वित्तीय योजना में प्रक्षेप/ एम.टी.एफ.पी.	वास्तविक ऑकड़े
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+) (₹ करोड़ में)	शून्य घाटा	शून्य घाटा	34,124	34,124	14,340
राजकोषीय घाटा (-)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं	2.96	2.96	5.07
कुल बकाया ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 41.90 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 31 प्रतिशत	27.5	27.5	31.83

(स्रोत: तेरहवें वित्त आयोग एवं चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट एवं उत्तर प्रदेश सरकार की राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 22 मार्च 2016)

सारणी से यह प्रदर्शित है कि बजट अनुमान में राजस्व आधिक्य हेतु निर्धारित लक्ष्य ₹ 34,124 करोड़, के सापेक्ष राज्य सरकार के पास ₹ 14,340 करोड़ का राजस्व आधिक्य था। इसका प्रमुख कारण वर्ष 2014–15 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में केवल 17 प्रतिशत की वृद्धि थी जबकि राजस्व व्यय में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय घाटे में (चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित) अधिकतम सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत के लक्ष्य से 2.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं

(राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम 2015–16 द्वारा निर्धारित) अधिकतम सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.96 प्रतिशत के लक्ष्य से 2.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि, वर्ष 2015–16 के अन्त में, कुल बकाया ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 31.83 प्रतिशत था जो बजट अनुमान एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के लक्ष्य (27.50 प्रतिशत) से अधिक (4.33 प्रतिशत) था। यह चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य (31 प्रतिशत) के सापेक्ष अधिक (0.83 प्रतिशत) था।

1.1.3 बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े


बजट अनुमान

प्राप्तियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार का उद्देश्य राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना था जिसमें मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्त होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों (₹ 86,729 करोड़) में राज्य के अंश में वृद्धि लाना था तथा व्ययों में सामाजिक सेवाओं (राजस्व व्यय: ₹ 84,970 करोड़; पूँजीगत व्यय: ₹ 15,278 करोड़) तथा सामान्य सेवाओं (राजस्व व्यय: ₹ 80,923 करोड़; पूँजीगत व्यय: ₹ 5,511 करोड़) की ओर केन्द्रित करना था। राज्य सरकार ने राजकोषीय स्थिति के अन्तर्गत राजस्व आधिक्य (₹ 34,124 करोड़), राजकोषीय घाटे (₹ 31,560 करोड़) एवं प्राथमिक घाटे (₹ 10,443 करोड़) का आकलन किया (परिशिष्ट 1.4)।

बजट अनुमान के सापेक्ष वास्तविक आंकड़े

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट एक वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व प्राप्तियों और व्यय के अनुमानों का विवरण है। राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय के अनुमानों में शुद्धता के महत्व को व्यापक रूप से समग्र आर्थिक प्रबन्धन हेतु राजकोषीय नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के सन्दर्भ में स्वीकार किया जाता है। बजट अनुमानों से किसी प्रकार का विचलन या तो ऐसी घटनाओं के घटित होने जिसका पूर्व में अनुमान न किया जा सका हो अथवा बजट की तैयारियों के स्तर पर ही व्ययों या राजस्व प्राप्तियों का कम/अधिक अनुमान वांछित राजकोषीय उद्देश्यों को पूरा न कर पाने की ओर संकेत करते हैं।

वर्ष 2015–16 में बजट अनुमान के चुने हुये राजकोषीय प्राचलों के सापेक्ष वास्तविक आंकड़े चार्ट 1.1 और परिशिष्ट 1.4 में दिए गये हैं।



(स्रोत: बजट एवं वित्त लेखे वर्ष 2015-16)

ऊपर दिए गए चार्ट द्वारा यह प्रदर्शित हो रहा है कि:

- बजट अनुमान ($\text{₹ } 2,49,880$ करोड़) की तुलना में वास्तविक राजस्व प्राप्तियों ($\text{₹ } 2,27,076$ करोड़) में $\text{₹ } 22,804$ करोड़ की कमी हुई। राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत, स्वयं के कर राजस्व का वास्तविक संग्रह $\text{₹ } 10,809$ करोड़ कम रहा जबकि करेतर राजस्व बजट अनुमान की तुलना में $\text{₹ } 1,498$ करोड़ अधिक रहा। स्वयं के कर राजस्व के अन्तर्गत कमी मुख्यतः बिक्री, व्यापार आदि पर कर ($\text{₹ } 4,981$ करोड़), साथ ही साथ राज्य आबकारी ($\text{₹ } 3,416$ करोड़), स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क ($\text{₹ } 2,432$ करोड़) के कारण हुई। करेतर राजस्व ($\text{₹ } 1,498$ करोड़) में वृद्धि मुख्यतः सामान्य सेवाओं ($\text{₹ } 175$ करोड़) तथा अन्य करेतर राजस्व ($\text{₹ } 1,968$ करोड़) के कारण हुई।
- राजस्व व्यय ($\text{₹ } 2,12,736$ करोड़) बजट अनुमान ($\text{₹ } 2,15,756$ करोड़) से कम ($\text{₹ } 3,020$ करोड़) था। यह कमी मुख्यतः सामान्य सेवाओं एवं सामाजिक सेवाओं में पायी गयी जबकि आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत व्यय में बजट अनुमान की तुलना में वृद्धि पायी गयी। सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत व्यय में बजट अनुमान की तुलना में कमी $\text{₹ } 8,695$ करोड़, सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत व्यय में बजट अनुमान की तुलना में कमी $\text{₹ } 2,483$ करोड़ हुई। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत व्यय में बजट अनुमान की तुलना में $\text{₹ } 8,195$ करोड़ की वृद्धि हुई। सामान्य सेवाओं में कमी मुख्यतः चुनाव (43 प्रतिशत) के अन्तर्गत हुई। सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत कमी मुख्यतः श्रम रोजगार (50 प्रतिशत) में हुई जबकि आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत बजट अनुमान की तुलना में वृद्धि मुख्यतः ऊर्जा (132 प्रतिशत), उद्योग एवं खनिज (52 प्रतिशत) एवं परिवहन (आठ प्रतिशत) में हुई जो विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कम व्यय (99 प्रतिशत) एवं सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण में कम व्यय (25 प्रतिशत) के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई। ब्याज के भुगतान पर हुआ व्यय ($\text{₹ } 21,448$ करोड़) वर्ष 2015–16 के दौरान बजट अनुमान ($\text{₹ } 21,117$ करोड़) से $\text{₹ } 331$ करोड़ अधिक था। पूंजीगत व्यय में बजट अनुमान के सापेक्ष $\text{₹ } 1,268$ करोड़ की वृद्धि हुई। पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत वृद्धि मुख्यतः आर्थिक सेवाओं ($\text{₹ } 5,092$ करोड़) में हुई।
- राजस्व आधिक्य ($\text{₹ } 14,340$ करोड़) बजट अनुमान ($\text{₹ } 34,124$ करोड़) के सापेक्ष कम ($\text{₹ } 19,784$ करोड़) था तथा राजकोषीय घाटे ($\text{₹ } 58,475$ करोड़) में बजट अनुमान ($\text{₹ } 31,560$ करोड़) के सापेक्ष वृद्धि ($\text{₹ } 26,915$ करोड़) हुई। वर्ष 2015–16 के दौरान प्राथमिक घाटा ($\text{₹ } 38,479$ करोड़) बजट अनुमान ($\text{₹ } 10,443$ करोड़) से $\text{₹ } 28,036$ करोड़ (268 प्रतिशत) अधिक था।

प्राप्तियों एवं व्ययों का स्वरूप, वर्ष 2015–16 में तैयार किये गये मूल बजट के स्तर से भिन्न था जो अनुचित बजट अनुमान को प्रदर्शित करता है।

1.1.4 राज्य सरकार की राजकोषीय नीति संबंधी विवरण

राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार ने अपने बजट भाषण में स्वयं के कर राजस्व में 13.5 प्रतिशत (वर्ष 2014–15 की तुलना में) वृद्धि की घोषणा की।

वर्ष 2014–15 के सापेक्ष वर्ष 2015–16 में राज्य सरकार के स्वयं के कर राजस्व में हुई वृद्धि को सारणी 1.5 में दर्शाया गया है।

सारणी 1.5: स्वयं के कर राजस्व

विवरण	धनराशि
वर्ष 2014–15 के स्वयं के कर राजस्व के वास्तविक आंकड़े (₹ करोड़ में)	74,172
वर्ष 2015–16 के स्वयं के कर राजस्व के वास्तविक आंकड़े (₹ करोड़ में)	81,106
वर्ष 2015–16 के स्वयं के कर राजस्व के वास्तविक आंकड़ों में वृद्धि (₹ करोड़ में)	6,934
वर्ष 2015–16 के स्वयं के कर राजस्व के वास्तविक आंकड़ों में वृद्धि (प्रतिशत में)	9.35

सारणी यह इंगित करती है कि वर्ष 2015–16 के दौरान, वर्ष 2014–15 की तुलना में, स्वयं के कर राजस्व में बजट भाषण में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा के सापेक्ष 9.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई।


1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन


राज्य सरकार के संसाधनों के अन्तर्गत दो स्रोत राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ हैं। राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत कर राजस्व, करेतर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्क में राज्यांश तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित होते हैं। पूँजीगत प्राप्तियों के अन्तर्गत प्रकीर्ण पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेशों से प्राप्तियाँ, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से ऋण प्राप्तियाँ एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों के साथ-साथ लोक लेखे से उपार्जित प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

सारणी 1.2 राज्य सरकार के वर्ष 2015–16 के दौरान वार्षिक वित्त लेखे में अंकित प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है। चार्ट 1.2 कुल प्राप्तियों का संघटन, चार्ट 1.3 वर्ष 2011–16 की अवधि में प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति तथा चार्ट 1.4 वर्ष 2015–16 में संसाधनों के संघटन को प्रदर्शित करता है।

चार्ट 1.2: वर्ष 2015–16 के दौरान कुल प्राप्तियों के संघटन




चार्ट 1.3: राज्य की आकस्मिकता निधि से प्राप्ति को छोड़कर प्राप्तियों की प्रवृत्ति (₹ करोड़ में)



(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

उपरोक्त चार्ट से यह प्रदर्शित होता है कि वर्ष 2015–16 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 3,04,195 करोड़ थी। इसमें से राजस्व प्राप्तियाँ: ₹ 2,27,076 करोड़, पूँजीगत प्राप्तियाँ: ₹ 75,240 करोड़, आकस्मिकता निधि से प्राप्तियाँ: ₹ 201 करोड़ और लोक लेखे प्राप्तियाँ: ₹ 1,678 करोड़ (निवल)² थीं। पुनः, कुल प्राप्तियाँ वर्ष 2011–12 के ₹ 1,30,869 करोड़ के स्तर से ₹ 1,46,023 करोड़ (92 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 3,04,195 करोड़ हो गईं।

चार्ट 1.4: वर्ष 2015–16 के दौरान कुल प्राप्तियों के संघटन



(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2015–16)

चार्ट 1.4 यह दर्शाता है कि कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 75 प्रतिशत, पूँजीगत प्राप्तियाँ 24 प्रतिशत एवं लोक लेखे प्राप्तियाँ एक प्रतिशत थीं।


²लोक लेखे प्राप्तियाँ: ₹ 2,65,972 करोड़. (-) लोक लेखे संवितरण: ₹ 2,64,294 करोड़

1.2.2 भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को हस्तान्तरित धनराशियाँ

31 मार्च 2014 तक, विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन एजेन्सी/गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को सीधे प्रचुर मात्रा में निधियों का अन्तरण किया था। महालेखा नियन्त्रक के पी.एफ.एस. (पब्लिक फार्मनेन्सियल मैनेजमेण्ट सिस्टम) पोर्टल के अनुसार वर्ष 2014–15 के दौरान भारत सरकार ने कोई भी राशि सीधे क्रियान्वयन एजेंसीज को अन्तरित नहीं किया है। भारत सरकार ने निर्णय लिया कि राज्य सरकार को सीधे केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना/अन्य केन्द्रीय सहायतित योजना के लिए सभी सहायता सीधे राज्य सरकारों को निर्गत किया जायेगा, न कि क्रियान्वयन एजेन्सी को।


1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे के विवरण 14 में राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों को विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर एवं करेतर राजस्व, केन्द्रीय करों में राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित होते हैं। वर्ष 2011–16 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संघटन परिशिष्ट 1.5 में प्रस्तुत की गयी हैं एवं क्रमशः चार्ट 1.5 एवं 1.6 में भी प्रदर्शित किया गया है।



(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.5 यह दर्शाता है कि वर्ष 2015–16 के दौरान राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,27,076 करोड़) में, वर्ष 2014–15 के सापेक्ष, ₹ 33,654 करोड़ (17 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2011–16 के दौरान यह ₹ 1,30,869 करोड़ से स्थिर गति से बढ़कर ₹ 2,27,076 करोड़ हो गया।



(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.6 यह दर्शाता है कि वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 2,27,076 करोड़ के कुल राजस्व प्राप्तियों में से ₹ 1,04,241 करोड़ स्वयं के स्रोतों, स्वयं के कर राजस्व (₹ 81,106 करोड़) एवं करेतर राजस्व (₹ 23,135 करोड़), से प्राप्त हुए तथा शेष ₹ 1,22,835 करोड़ भारत सरकार के संधीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (₹ 90,974 करोड़) एवं सहायता अनुदान (₹ 31,861 करोड़) से प्राप्त हुए।

वर्ष 2015–16 के दौरान राजस्व प्राप्तियों (₹ 33,654 करोड़; 17 प्रतिशत) में वृद्धि का मुख्य कारण, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को निवल प्राप्तियों का अधिक आवंटन, बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत अधिक करों का संग्रहण, देशी मदिरा, बीयर, राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अन्तर्गत करों के अधिक संग्रहण तथा विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर अधिक कर संग्रहण था जो सार्वजनिक क्षेत्र एवं उपक्रमों से कम व्याज प्राप्ति, पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत कम प्राप्ति, भू-राजस्व एवं परती भूमि के बिक्री आगम से कम प्राप्ति तथा भूमिकर के उन्मोचन के द्वारा प्रतिसंतुलित हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ सारणी 1.6 में प्रस्तुत की गई हैं।

सारणी 1.6: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	1,30,869	1,45,904	1,68,214	1,93,422	2,27,076
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	17.70	11.49	15.29	14.99	17.40
राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	18.07	17.73	17.82	18.54	19.68
उत्प्लावनता अनुपात³					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावनता	उपलब्ध नहीं	0.842	1.038	1.426	1.645
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर की उत्प्लावनता	उपलब्ध नहीं	0.764	0.991	1.085	0.884
राज्य के स्वयं के कर के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावनता	0.633	1.100	1.047	1.315	1.861
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	7,24,049	8,22,903	9,44,146	10,43,371	11,53,795
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	उपलब्ध नहीं	13.65	14.73	10.51	10.58

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

³ उत्प्लावनता अनुपात राजकोषीय चर की, आधार चर में दिये गये परिवर्तन के सापेक्ष प्रतिक्रियाशीलता/लचीलापन की मात्रा को इंगित करता है। उदाहरणार्थ वर्ष 2012–13 के लिए राजस्व उत्प्लावनता का मान 0.8 का अर्थ है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत की वृद्धि होने पर राजस्व प्राप्ति में 0.8 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

सारणी से प्रदर्शित है कि:

- वर्ष 2014–15 के सापेक्ष वर्ष 2015–16 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्पादनता में 0.219 की वृद्धि हुई।
- वर्ष 2013–16 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में समानता थी।
- राज्य के स्वयं के कर की उत्पादनता सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हुये 0.764 (2012–13) से बढ़कर 1.085 (2014–15) हो गयी, यद्यपि यह वर्ष 2015–16 के दौरान घट गई।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

केन्द्रीय कर एवं सहायता अनुदान में राज्यांश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है, इसलिए संसाधन के संग्रह में राज्य का निष्पादन उसके स्वयं के कर राजस्व एवं करेतर राजस्व के रूप में निर्धारित किया जाता है।

वर्ष 2011–16 की अवधि में कर राजस्व तथा करेतर राजस्व की प्राप्तियों का सकल संग्रह **परिशिष्ट 1.6** में दिया गया है। यह वर्ष 2011–12 के ₹ 62,758 करोड़ से बढ़कर (66 प्रतिशत) वर्ष 2015–16 में ₹ 1,04,241 करोड़ हो गया।

सारणी 1.7 में वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व एवं करेतर राजस्व की तुलना तेरहवें वित्त आयोग एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये आकलन एवं राज्य सरकार के बजट अनुमानों से की गयी है।

सारणी 1.7: तेरहवें वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग और बजट अनुमान के सापेक्ष वर्ष 2015–16 के वास्तविक कर एवं करेतर प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	तेरहवें वित्त आयोग का आकलन (2014–15)	चौदहवें वित्त आयोग का आकलन (2015–16)	बजट अनुमान	वास्तविक आँकड़े
स्वयं का कर राजस्व	59,619	91,806	91,915	81,106
करेतर राजस्व	12,115	23,036	21,636	23,135
योग	71,734	1,14,842	1,13,551	1,04,241

(प्रोत्तोः तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएँ, राज्य बजट एवं वित्त लेखे वर्ष 2015–16)

तेरहवें वित्त आयोग के अन्तिम वर्ष के मानकीय अनुमान (₹ 59,619 करोड़) के सापेक्ष वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में ₹ 21,487 करोड़ (36 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यद्यपि, यह वर्ष 2015–16 के दौरान चौदहवें वित्त आयोग के प्रथम वर्ष के मानकीय अनुमान (₹ 91,806 करोड़) के सापेक्ष ₹ 10,700 करोड़ (12 प्रतिशत) एवं बजट अनुमान (₹ 91,915 करोड़) की तुलना में भी ₹ 10,809 करोड़ (12 प्रतिशत) कम थी।

वर्ष 2015–16 के दौरान करेतर राजस्व में तेरहवें वित्त आयोग के अन्तिम वर्ष के मानकीय अनुमान (₹ 12,115 करोड़) की तुलना में ₹ 11,020 करोड़ (91 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इसमें वर्ष 2015–16 के दौरान चौदहवें वित्त आयोग के प्रथम वर्ष के मानकीय अनुमान (₹ 23,036 करोड़) के सापेक्ष ₹ 99 करोड़ एवं बजट अनुमान (₹ 21,636 करोड़) की तुलना में भी ₹ 1,499 करोड़ की वृद्धि हुई।

1.3.1.1 कर राजस्व

कर राजस्व के अन्तर्गत बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर, राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क आदि आते हैं। वर्ष 2011–16 की अवधि के कर राजस्व के घटक सारणी 1.8 एवं चार्ट 1.7 में दिये गये हैं।


सारणी 1.8: कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व के घटक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	वर्ष 2014-15 के सापेक्ष वर्ष 2015-16 में वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	33,107	34,870	39,645	42,934	47,692	11.08
राज्य आबकारी	8,139	9,782	11,644	13,483	14,084	4.46
वाहनों पर कर	2,376	2,993	3,441	3,797	4,410	16.14
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	7,694	8,742	9,521	11,803	12,404	5.09
भू-राजस्व	491	805	772	527	505	(-) 4.17
सामान एवं यात्रियों पर कर	5	1	1	1	1	00
अन्य कर	801	905	1,558	1,627	2,010	23.54
योग	52,613	58,098	66,582	74,172	81,106	9.35

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.7: वर्ष 2015-16 में स्वयं कर राजस्व के घटक (₹ करोड़ में)



(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2015-16)

सारणी यह इंगित करती है कि वर्ष 2014-15 के सापेक्ष वर्ष 2015-16 के दौरान कर राजस्व में ₹ 6,934 करोड़ (नौ प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहन कर तथा स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क की वसूली में वृद्धि के कारण हुई। राज्य आबकारी में वृद्धि देशी मदिरा एवं बीयर पर राजस्व की अधिक वसूली के कारण हुई। वाहन कर में वृद्धि वाहनों की बिक्री पर करों की वसूली एवं राज्य मोटर वाहन कराधन अधिनियम के अन्तर्गत अधिक कर संग्रहण के कारण हुई।

यद्यपि, भू-राजस्व के अन्तर्गत कर संग्रहण में कमी आई जो भू-राजस्व एवं बंजर भूमि के विक्रय से आय एवं भूमिकर के उन्मोचन से कम प्राप्ति के कारण हुई।

1.3.1.2 करेतर राजस्व

करेतर राजस्व मुख्यतः शिक्षा, ऊर्जा, व्याज, वानिकी एवं वन्य जीवन, उद्योग, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्रियाकलापों से प्राप्त होती है। वर्ष 2015–16 के दौरान करेतर राजस्व की प्राप्तियाँ सारणी 1.9 में दी गयी हैं।

सारणी 1.9: करेतर राजस्व

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	वर्ष 2014-15 के सापेक्ष वर्ष 2015-16 में वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
व्याज प्राप्तियाँ	789	1,186	1,619	2,303	633	(-) 72.51
लाभांश एवं लाभ	38	63	5	8	43	437.50
अन्य करेतर प्राप्तियाँ	9,318	11,721	14,826	17,624	22,459	27.43
योग	10,145	12,970	16,450	19,935	23,135	16.05

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी यह इंगित करती है कि करेतर राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2014-15 के सापेक्ष वर्ष 2015-16 के दौरान कुल 16 प्रतिशत की वृद्धि (₹ 3,200 करोड़) हुई। यह वृद्धि मुख्यतः सामान्य एवं आर्थिक सेवाओं तथा अन्य करेतर राजस्व के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण थी।

अन्य करेतर राजस्व में वर्ष 2014-15 के सापेक्ष वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 4,835 करोड़ (27 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। अन्य करेतर राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, सहकारिता, श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत हुई। यद्यपि, व्याज प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में कमी (73 प्रतिशत) प्रदर्शित हुई।

1.3.2 संग्रह की लागत

वर्ष 2015-16 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत सकल संग्रह हेतु किया गया व्यय एवं व्ययों की सकल संग्रह से प्रतिशतता सारणी 1.10 में दी गई है।

सारणी 1.10: संग्रह की लागत

विवरण	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	संग्रह पर किये गये व्यय की सकल संग्रह के साथ प्रतिशतता	विगत वर्ष में अखिल भारतीय स्तर पर औसत
	(₹ करोड़ में)			
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	47,692	541	1.13	0.91
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	12,404	247	1.99	3.59
राज्य आबकारी	14,084	148	1.05	2.09
वाहनों पर कर	4,411	136	3.08	6.08

(स्रोत: सम्बन्धित विभाग)

सारणी से यह स्पष्ट है कि 2015–16 के दौरान राज्य आबकारी, वाहनों पर कर एवं स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क पर कर संग्रह की लागत विगत वर्ष के अखिल भारतीय औसत से कम था जबकि बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर के संग्रह की लागत विगत वर्ष के अखिल भारतीय औसत से अधिक था। राज्य सरकार को कारणों का विश्लेषण करना चाहिये।

1.3.3 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

राज्य सरकार भारत सरकार से आयोजनेत्तर अनुदान, राज्य आयोजनागत योजना, केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं आदि के रूप में सहायता अनुदान प्राप्त करती है। वर्ष 2011–16 की अवधि में प्राप्त सहायता अनुदान की धनराशि सारणी 1.11 में दी गई है।

सारणी 1.11 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
आयोजनेत्तर अनुदान	4,396.73	4,341.00	7,933.79	6,808.88	8,273. 90
राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	6,813.40	5,518.39	6,595.22	6,576.02	1,933.17
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	212.45	12.31	225.90	17.37	16.30
केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	6,337.44	7,466.09	7,650.26	19,289.20	21,637.97
कुल अनुदान	17,760.02	17,337.79	22,405.17	32,691.47	31,861.34
विगत वर्ष से वृद्धि / कमी की प्रतिशतता	15.07	(-)2.38	29.22	45.91	(-) 2.54
राजस्व प्राप्तियाँ	1,30,869	1,45,904	1,68,214	1,93,422	2,27,076
राजस्व प्राप्तियों में कुल अनुदान की प्रतिशतता	13.57	11.88	13.32	16.90	14.03

(चोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में ₹ 830 करोड़ (तीन प्रतिशत) की कमी हुई जो वर्ष 2014–15 के ₹ 32,691 करोड़ से घटकर वर्ष 2015–16 में ₹ 31,861 करोड़ हो गई। सहायता अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान मुख्यतः राज्य आयोजनागत योजनाओं में कमी (₹ 4,643 करोड़) हुई। वर्ष 2014–15 के सापेक्ष मुख्य वृद्धि आयोजनेत्तर अनुदानों (₹ 1,465 करोड़) एवं केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं (₹ 2,349 करोड़) में हुई।

1.3.4 केन्द्रीय कर हस्तांतरण

भारत सरकार संघीय करों एवं शुल्कों जैसे आयकर, सेवाकर, संघीय उत्पाद शुल्क आदि में राज्य का अंश हस्तांतरित करती है। वर्ष 2011–16 की अवधि में केन्द्रीय कर हस्तांतरण की प्रवृत्तियाँ सारणी 1.12 एवं चार्ट 1.8 में दी गई हैं।


सारणी 1.12: केन्द्रीय कर हस्तांतरण की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
कुल केन्द्रीय कर हस्तांतरण	50,351	57,498	62,777	66,623	90,974
सेवा कर	6,010	8,396	10,227	9,822	15,682
निगम कर से भिन्न आय पर कर	10,067	12,365	13,902	16,614	19,815
संधीय उत्पाद शुल्क	5,649	6,493	7,234	6,084	12,206
निगम कर	19,819	20,654	21,113	23,265	28,603
सम्पत्ति पर कर	76	35	58	63	08
सीमा शुल्क	8,730	9,555	10,243	10,775	14,587
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	0	0	0	0	73

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.8: वर्ष 2015–16 में केन्द्रीय कर हस्तांतरण के घटक (₹ करोड़ में)



(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2015–16)

केन्द्रीय कर हस्तांतरण में ₹ 24,351 करोड़ (37 प्रतिशत) की विशेष वृद्धि संज्ञान में आयी जो ₹ 66,623 करोड़ (2014–15) से बढ़कर ₹ 90,974 करोड़ (2015–16) हो गई।

1.3.5 चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियाँ

चौदहवें वित्त आयोग द्वारा सभी कारकों पर विचार करने के बाद, तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों की तुलना में कर हस्तांतरण की हिस्सेदारी बढ़ाकर 42 प्रतिशत की गयी जो विभाज्यपूल की 32 प्रतिशत थी। यह वृद्धि राज्यों को बिना शर्त स्थानान्तरण के प्रवाह में वृद्धि एवं राज्यों के विशिष्ट उद्देश्य में स्थानान्तरण को कार्यान्वित करने के लिए संघ को उचित राजकोषीय विस्तार प्रदान करने के दोहरे उद्देश्य के लिए की गयी। सहायता अनुदान एवं केन्द्रीय कर स्थानान्तरण की स्थिति सारणी 1.13 में दी गयी है।

सारणी 1.12: केन्द्रीय कर हस्तांतरण एवं सहायता अनुदान की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सहायता अनुदान	केन्द्रीय कर हस्तांतरण	योग
2014-15	32,691	66,623	99,314
2015-16	31,861	90,974	1,22,835

(चोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी से इंगित है कि 2014-15 की अपेक्षा कुल स्थानान्तरण में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो चौदहवें वित्त आयोग (विभाज्यपूल का 42 प्रतिशत) की संस्तुतियों के अनुसार थी।

1.3.6 राजस्व बकाया

कुछ प्रमुख राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 27,626.04 करोड़ का राजस्व बकाया था जिसमें से ₹ 11,864.37 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया था, जिसका विवरण सारणी 1.14 में दिया गया है।

सारणी 1.14: राजस्व बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2016 को कुल बकाया धनराशि	31 मार्च 2016 को पाँच वर्ष से अधिक अवधि से बकाया धनराशि	टिप्पणी
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	27,188.58	11,804.32	बकाया राजस्व ₹ 27,188.58 करोड़ में से ₹ 4,270.19 करोड़ भू राजस्व के बकाया की वसूली के रूप में मांग हेतु प्रमाणित किया गया था; अन्य राज्यों का ₹ 1,195.28 करोड़ के वसूली प्रमाण पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं; माननीय न्यायालय/अपीलीय प्राधिकरण एवं शासन द्वारा ₹ 4,122.26 करोड़ की वसूली पर रोक लगा दी गई; सरकारी/अद्वे सरकारी विभागों से ₹ 587.59 करोड़ की वसूली लम्बित थी; ₹ 1,514.74 करोड़ की वसूली को बटटे खाते में डाले जाने की संभावना थी एवं ₹ 41.37 करोड़ ट्रांसपोर्टरों से बकाया थे। शेष ₹ 15,457.15 करोड़ के संबंध में विशेष कार्यवाही विभाग में लम्बित थी।
2	स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	243.76	उपलब्ध नहीं	विभाग के पास पाँच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया धनराशि का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं था। विभाग द्वारा जिन स्तरों पर वसूली लम्बित थी, उनका विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।
3	वाहनों पर कर	118.11	उपलब्ध नहीं	बकाया राजस्व ₹ 118.11 करोड़ में से माननीय न्यायालय एवं शासन द्वारा ₹ 13.98 करोड़ की वसूली पर रोक लगा दी गई; विभाग के पास पाँच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया धनराशि का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं था। विभाग द्वारा जिन स्तरों पर वसूली लम्बित थी, उनका विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

4	राज्य आबकारी	52.72	52.25	कुल ₹ 52.72 करोड़ भू राजस्व के बकाया की वसूली के रूप में मांग हेतु प्रमाणित किया गया था। ₹ 52.72 करोड़ में से अन्य राज्यों को ₹ 0.06 करोड़ के वसूली प्रमाण पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं, ₹ 16.81 करोड़ की वसूली पर माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गयी एवं ₹ 5.72 करोड़ बट्टेखाते में डाले जाने की संभावना थी।
5	मनोरंजन कर	22.87	7.80	बकाया राजस्व ₹ 22.87 करोड़ में से, ₹ 10.36 करोड़ की वसूली पर माननीय न्यायालय/अपीलीय प्राधिकरण द्वारा रोक लगा दी गयी एवं ₹ 12.51 करोड़ भू राजस्व के बकाया की वसूली के रूप में मांग हेतु प्रमाणित किया गया था।
योग		27,626.04	11,864.37	

(चोत: सम्बन्धित विभाग)

उपरोक्त सारणी यह इंगित करती है कि ₹ 11,864.37 करोड़ के राजस्व की वसूली पाँच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया थी।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियाँ

पूंजीगत प्राप्तियों के अन्तर्गत लोक ऋण प्राप्तियाँ तथा ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली सम्मिलित है। वर्ष 2011–16 की अवधि में पूंजीगत प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ सारणी 1.15 में दी गई हैं।

सारणी 1.15 पूंजीगत प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य की पूंजीगत प्राप्तियों के स्रोत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
पूंजीगत प्राप्तियाँ	19,785	16,239	15,489	35,782	75,240
ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	133	419	589	262	726
लोक ऋण प्राप्तियाँ	19,652	15,820	14,900	35,520	74,514
लोक ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-)8	(-)19	(-)6	138	109.78
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-)73	215	41	(-)56	177.10
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	उपलब्ध नहीं	13.65	14.73	10.51	10.58
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-)10	(-)18	(-)5	131	110.27

(चोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

यद्यपि, वर्ष 2011–14 की अवधि में पूंजीगत प्राप्तियों में घटने की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है तथापि, यह वर्ष 2013–14 के ₹ 15,489 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 75,240 करोड़ हो गई। पूंजीगत प्राप्तियों के अन्तर्गत लोक ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर वर्ष 2011–12 के ऋणात्मक आठ प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ऋणात्मक छ: प्रतिशत हो गयी। यद्यपि यह, वर्ष 2013–14 के ₹ 14,900 करोड़ से बढ़कर (138 प्रतिशत) वर्ष 2014–15 में ₹ 35,520 करोड़ से बढ़कर (110 प्रतिशत) वर्ष 2015–16 में ₹ 74,514 करोड़ हो गयी। ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली वर्ष 2014–15 के ₹ 262 करोड़ से बढ़कर (177 प्रतिशत) वर्ष 2015–16 में ₹ 726 करोड़ हो गई।

1.4.1 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ

ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ और संवितरण के सापेक्ष हुई वसूलियाँ की प्रतिशतता को सारणी 1.16 में दर्शाया गया है।

सारणी 1.16: ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण/वसूलियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
संवितरण	976	1,003	1,473	1,873	9,118
वसूलियाँ	133	419	589	262	726
संवितरण के सापेक्ष वसूलियाँ की प्रतिशतता	14	42	40	14	08

(चोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी से यह प्रदर्शित होता है कि ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ, जो वर्ष 2012-13 में 42 प्रतिशत थी, वर्ष 2015-16 के दौरान घटकर आठ प्रतिशत हो गई, जो यह इंगित करता है कि ऋणों एवं संवितरित अग्रिमों की वसूली की क्रियाविधि अप्रभावी थी।

1.4.2 आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त ऋणों के अन्तर्गत बाजार ऋण एवं वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण सम्मिलित होते हैं। वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 तक की अवधि में आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त ऋणों की धनराशि सारणी 1.17 में दर्शायी गई है।

सारणी 1.17: आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
बाजार ऋण	15,830	9,500	8,000	17,500	30,000
वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण	1,277	1,421	1,494	7,176	31,669

(चोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी से यह प्रदर्शित है कि बाजार ऋण वर्ष 2014-15 के ₹ 17,500 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 30,000 करोड़ हो गयी जो आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त ऋणों पर निर्भरता में वृद्धि की ओर संकेत करता है। वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण में वर्ष 2014-15 के ₹ 7,176 करोड़ से वर्ष 2015-16 में ₹ 31,669 करोड़ की अत्यधिक वृद्धि (341 प्रतिशत) हुई।

उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)

भारत सरकार ने 05 नवम्बर 2015 को उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना या उदय को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना का लक्ष्य राज्य की बिजली वितरण कम्पनियों, डिस्कॉम्स, की स्थिति में सुधार और परिचालन क्षमता एवं वित्तीय प्रभावकारिता को बढ़ाना है। सभी के लिए 24x7 संस्थानी एवं सुलभ विद्युत की उपलब्धता हेतु, प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता के रूप में, 'उदय' एक अग्रणी सुधार है। देश में डिस्कॉम्स लगभग ₹ 3.8 लाख करोड़ के कुल घाटे में हैं और उन पर लगभग ₹ 4.3 लाख करोड़ का बकाया ऋण (मार्च 2015 तक) है।

योजना के प्रावधान

उदय के महत्वपूर्ण प्रावधानों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. राज्य द्वारा, 30 सितम्बर 2015 तक डिस्कॉम ऋण का 75 प्रतिशत अगले दो वर्षों में वहन किया जाएगा। ऋण का 50 प्रतिशत वर्ष 2015–16 में एवं 25 प्रतिशत वर्ष 2016–17 में वहन किया जायेगा।
2. राज्य द्वारा गैर-एस.एल.आर. सहित स्टेट डेवलपमेंट लोन (एस.डी.एल.) बांड बाजार में निर्गत किए जाएंगे। इन निर्गत बांडों द्वारा अर्जित धनराशि को राज्य सरकार द्वारा डिस्कॉम को दिया जाएगा जिससे वो बैंक/वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋण को चुका सकें।
3. राज्य के दस वर्षीय बांड की मूल्य का निर्धारण दस वर्षों के विस्तार के साथ दस वर्षीय जी-सेक में 0.5 प्रतिशत जोड़ने के उपरान्त किया जायेगा तथा गैर-एस.एल.आर. की स्थिति में अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर अथवा बाजार द्वारा निर्धारित दर में 0.25 प्रतिशत जोड़ा जाएगा।
4. बैंक/वित्तीय संस्थाएं पूर्वभुगतान प्रभार नहीं लगाएंगी और किसी प्रकार का बकाया अतिदेय ब्याज और दंडात्मक ब्याज को माफ नहीं करेंगी।
5. राज्य के द्वारा डिस्कॉम को दी जाने वाली राशि अनुदान के रूप में होगी। यदि राज्य अनुदान के पूर्ण ब्याज के भार का वहन तुरन्त करने में सक्षम नहीं है तो ऊर्जा मंत्रालय के परामर्श से तीन वर्ष (दो वर्ष के लिए और ढील दी जा सकती है) के लिए बढ़ाया जा सकता है।
6. अपवाद स्वरूप, जहाँ डिस्कॉम को इकिवटी सहायता की आवश्यकता है, वहाँ इस अनुदान का 25 प्रतिशत से अधिक इकिवटी के रूप में नहीं दिया जा सकता है।
7. डिस्कॉम के ऋण का 50 प्रतिशत ऋण या बांड के रूप में माना जाएगा जिसकी ब्याज दर बैंक के आधार दर और 0.1 प्रतिशत (बैस रेट + 0.1 प्रतिशत) से अधिक नहीं होगी। राज्य द्वारा मूलधन तथा ब्याज के पूर्वभुगतान की गारन्टी दी जाएगी।
8. वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में सम्बन्धित राज्यों के राजकोषीय घाटे की गणना में उदय योजना के तहत राज्यों द्वारा अधिग्रहीत ऋण शामिल नहीं किया जाएगा। यद्यपि, ब्याज का भुगतान एफ.आर.बी.एम. की सीमा के अन्दर ही होगा।
9. बैंक/वित्तीय संस्थाएं डिस्कॉम को छोटी अवधि के ऋण, हानि की प्रतिपूर्ति हेतु नहीं देंगे।
10. कार्यकारी पूँजी हेतु बैंक/वित्तीय संस्थाएं डिस्कॉम को उनकी पिछले वर्ष के वार्षिक राजस्व का 25 प्रतिशत तक उधार देंगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 'उदय' के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर और डिस्कॉम के ऋण को वहन करने पर सहमत होकर डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति सुधारने की दिशा में कदम उठाया है। राज्य सरकार डिस्कॉम के ऋण का ₹ 39,900 करोड़ वहन करेगी, जो इस योजना में परिकल्पित डिस्कॉम्स के 30 सितम्बर 2015 तक के कुल ऋण, ₹ 53,200 करोड़, का 75 प्रतिशत है। योजना में ₹ 13,300 करोड़ के संतुलन ऋण का प्रावधान भी है। राज्य की गारन्टी वाले डिस्कॉम बांड के रूप में मौजूदा ब्याज दरों की तुलना में करीब तीन प्रतिशत कम कूपन दरों पर इसकी कीमत फिर से तय अथवा निर्धारित की जानी है। शेष ऋण के ब्याज दरों में और राज्य द्वारा

ऋण वहन किए जाने के कारण डिस्कॉम्स को ब्याज लागत में लगभग ₹ 1,600 करोड़ वार्षिक की बचत होगी।

वर्ष 2015–16 में डिस्कॉम ऋण के ₹ 39,900 करोड़ में से ₹ 26,600 करोड़ राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था। यद्यपि, राज्य सरकार ने कुल ₹ 24,332 करोड़ ही वहन किया जिसमें से ₹ 12,166 करोड़ सहायता अनुदान (सरकारी प्रतिभूति के रूप में प्राप्त), ₹ 6,083 करोड़ यू.पी.पी.सी.एल. को सरकारी प्रतिभूति ऋण के रूप में अन्तरण और ₹ 6,083 करोड़ उदय योजना के अन्तर्गत यू.पी.इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड को अंश पूँजी निवेश के रूप में दिया गया। इस योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप, राजकोषीय स्थिति के संकेतकों पर जैसे राजस्व आधिक्य, राजकोषीय घाटे और लम्बित दायित्व पर विपरीत प्रभाव पड़ा, जिसका विश्लेषण अगले प्रस्तर में किया गया है।

वर्ष 2015–16 में राजस्व आधिक्य ₹ 14,340 करोड़ रहा जो ₹ 12,166 करोड़ न्यून दर्शित है क्योंकि इतनी ही धनराशि सहायता अनुदान के रूप में यू.पी.पी.सी.एल. को अन्तरित की गयी। दूसरी ओर, राजकोषीय घाटे में ₹ 24,332 करोड़ की अतिशयता हुई, जैसा राज्य के वर्ष 2015–16 के वित्त लेखे में दर्शाया गया है, राजस्व व्यय (₹ 12,166 करोड़ यू.पी.पी.सी.एल. को सहायता अनुदान के रूप में), पूँजीगत व्यय (₹ 6,083 करोड़ यू.पी.इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड को अंश पूँजी निवेश के रूप में) तथा ऋण एवं अग्रिम (₹ 6,083 करोड़ यू.पी.पी.सी.एल. को सरकारी प्रतिभूति उधार के रूप में) जो कि राजकोषीय घाटे के संघटक होते हैं। इसके कारण राजकोषीय घाटे की वृद्धि दर में 80 प्रतिशत (वर्ष 2014–15 में ₹ 32,513 करोड़ से बढ़कर 2015–16 में ₹ 58,475 करोड़) की वृद्धि हुई। उदय योजना की शर्तों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राजकोषीय देयता में भी ₹ 24,332 करोड़ की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, राजकोषीय देयताएं वर्ष 2014–15 के ₹ 3,07,859 करोड़ से ₹ 59,363 करोड़ बढ़कर (19 प्रतिशत) वर्ष 2015–16 में ₹ 3,67,252 करोड़ हो गई।

1.4.3 भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम

राज्य सरकार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम प्राप्त करती है। वर्ष 2011–16 की अवधि में भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण सारणी 1.18 में दिया गया है।

सारणी 1.18: भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	(₹ करोड़ में)
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	316	296	390	486	594	
वृद्धि / कमी की प्रतिशतता	(-13)	(-6)	32	25	22	

(प्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी से यह प्रदर्शित है कि वर्ष 2011–14 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों की प्रतिशतता में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है। यद्यपि, इसमें वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में कमी की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है।

1.5 लोक लेखे (निवल)

कुछ लेन देनों जैसे अल्प बचत, भविष्य निधि और आरक्षित निधि आदि जो समेकित निधि के अंग हैं, से सम्बन्धित प्राप्तियाँ एवं संवितरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अन्तर्गत स्थापित लोक लेखे में रखे जाते हैं। ये विधायिका के मत पर आधारित नहीं होती है। इनके संबंध में शासन बैंकर का काम करता है एवं संवितरण

के बाद अवशेष निधि उपयोग हेतु उपलब्ध रहती है। लोक लेखे (निवल) की स्थिति सारणी 1.19 में दी गई है।

सारणी 1.19: लोक लेखे (निवल) की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत संसाधन	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
लोक लेखे (निवल)	7,478	14,006	5,619	2,185	1,678
क. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	3,630	3,341	2,363	1,686	1,534
ख. आरक्षित निधि	5,487	4,386	7,954	(-) 2,694	2,561
ग. निक्षेप एवं अग्रिम	(-) 2,038	1,753	5,037	1,050	(-) 1,543
घ. उचन्त एवं विविध	607	3,540	(-) 9,637	535	(-) 677
ड. प्रेषण	(-) 208	986	(-) 98	1,608	(-) 197
वित्तीय आंकड़े लोक लेखे के अन्तर्गत प्राप्तियों एवं संवितरण के निवल आंकड़े हैं। वर्ष 2011-13 के आंकड़े विगत वर्षों से भिन्न हो सकते हैं।					

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी से यह प्रदर्शित है कि लोक लेखे (निवल) की प्रवृत्तियाँ दोलायमान हैं। यह वर्ष 2011-12 के ₹ 7,478 करोड़ से घटकर वर्ष 2015-16 की समाप्ति पर ₹ 1,678 करोड़ हो गई। लोक लेखे में प्राप्तियों एवं संवितरण की स्थिति परिशिष्ट 1.3 में दर्शायी गई है।

1.6 संसाधनों के अनुप्रयोग


राज्य सरकार के स्तर पर व्ययों के आवंटन का विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यय करने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकार का है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के अन्तर्गत लोक व्ययों को घाटे द्वारा अथवा उधार लेकर पोषित करने में बजट की समस्या आती है। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य के स्तर पर वर्तमान में किये जा रहे राजकोषीय समेकन पथ, व्यय की कीमत पर, विशेषकर सामाजिक क्षेत्रों के विकास हेतु किए जा रहे व्यय पर, नहीं है।

1.6.1 व्यय के संघटन एवं उनमें वृद्धि


कुल व्ययों में राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित होते हैं। राजस्व व्यय, सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और विगत वर्षों के दायित्वों के भुगतान हेतु किया जाता है। अतः इसमें राज्य की अवस्थापना एवं दी जा रही सेवाओं में कोई वृद्धि नहीं होती है। दूसरी ओर, पूंजीगत व्ययों द्वारा राज्य की अवस्थापना एवं उसके द्वारा दी जा रही सेवाओं (मूर्त परिसम्पत्तियाँ) में वृद्धि होती है।

कुल व्यय में स्थिर गति से वृद्धि (₹ 1,39,742 करोड़; 95 प्रतिशत) हुई जो वर्ष 2011-12 के ₹ 1,46,435 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 2,86,277 करोड़ हो गई।

वर्ष 2011-16 की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्तियों एवं संघटन को चार्ट 1.9 तथा कार्यकलाप-वार कुल व्यय को चार्ट 1.10 में प्रस्तुत किया गया है।



चार्ट 1.9 वर्ष 2011–16 की अवधि में कुल व्यय, में इसके संघटकों सहित, बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है।



(चोंत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.10 वर्ष 2011–16 की अवधि में कार्यकलापवार व्यय में मामूली परिवर्तन प्रदर्शित करता है। वर्ष 2015–16 के दौरान कुल व्यय में से सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत व्यय का अंश 33 प्रतिशत एवं सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत 27 प्रतिशत है। शेष सात प्रतिशत में से सहायता अनुदान (चार प्रतिशत) तथा ऋण एवं अग्रिम (तीन प्रतिशत) के मध्य विभाजित हैं।

राजस्व व्यय में कुल वृद्धि (कभी द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) ₹ 41,709 करोड़ (24 प्रतिशत) थी जो वर्ष 2014–15 के ₹ 1,71,027 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 2,12,736 करोड़ हो गयी। वर्ष 2014–15 की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान वृद्धि मुख्यतः प्राकृतिक आपदा के कारण राहत (983 प्रतिशत) के अन्तर्गत प्राकृतिक

विपत्ति/आपदा पर अधिक व्यय के कारण, जलापूर्ति तथा सफाई (316 प्रतिशत) के अन्तर्गत शहरी जलापूर्ति योजना, सीवरेज सिस्टम पर स्थानीय निकायों को इस उद्देश्य के लिए दी गई सहायता के कारण, उद्योग (281 प्रतिशत) के अन्तर्गत चीनी मिलों को चीनी मूल्यों के भुगतान, उद्योगों की स्थापना, अनुरक्षण एवं आधुनिकीकरण के कारण एवं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण (156 प्रतिशत) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान एवं शिक्षा पर व्यय के कारण हुई।

वर्ष 2015–16 में कमी का मुख्य कारण ग्राम्य रोजगार (100 प्रतिशत) के अन्तर्गत ग्रामीण विकास योजनाओं जैसे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, सम्पूर्ण रोजगार योजना आदि पर व्यय न होने के कारण एवं अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (97 प्रतिशत) के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को उनकी योजनाओं को सहायता न देने के कारण है।

इसी प्रकार, पूंजीगत व्यय में वृद्धि (कमी द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) ₹ 11,126 करोड़ (21 प्रतिशत) की थी जो वर्ष 2014–15 के ₹ 53,297 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 64,423 करोड़ हो गयी। यह वृद्धि मुख्यतः सहकारिता (5150 प्रतिशत) के अन्तर्गत नॉन-लाइसेन्स सहकारी बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से बैंकिंग स्कीम के अन्तर्गत बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु अंश पूंजी विनियोजन के कारण, अन्य प्रशासनिक सेवाओं (245 प्रतिशत) के अन्तर्गत उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी के निर्माण पर व्यय, इलाहाबाद के संगम क्षेत्र में एलीवेटेड एप्रोच रोड एवं फ्लाई ओवर तथा राज्य में जेलों के निर्माण के कारण और शहरी विकास (53 प्रतिशत) के अन्तर्गत लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन में शेयर पूंजी विनियोजन के कारण हुई।

कमी मुख्यतः अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों (49 प्रतिशत) के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में समेकित कार्य योजना जैसे सोनभद्र, मिर्जापुर, चन्दौली, बुन्देलखण्ड में विशेष क्षेत्र कार्यक्रम एवं पूर्वांचल चालू कार्य इत्यादि पर कम व्यय तथा खाद्य भण्डारण एवं भण्डागार (42 प्रतिशत) के अन्तर्गत चीनी खाण्डसारी योजना एवं स्टेट बैंक व अन्य बैंकों के कर्ज, जो खाद्यान्न क्रय हेतु लिये गये थे, के कम ब्याज भुगतान के कारण हुई।

1.6.2 राजस्व व्यय

वर्ष 2011–16 की अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व व्यय की प्रवृत्तियाँ सारणी 1.20 में प्रस्तुत की गयी हैं।

सारणी 1.20: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व व्यय की प्रवृत्तियाँ

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	1,23,885	1,40,724	1,58,147	1,71,027	2,12,736
राजस्व आधिक्य (₹ करोड़ में)	(+)6,984	(+)5,180	(+)10,067	(+)22,394	(+)14,340
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	7,24,049	8,22,903	9,44,146	10,43,371	11,53,795
राजस्व व्यय की वृद्धि दर	15.05	13.59	12.38	8.14	24.39
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	17.11	17.10	16.75	16.39	18.44
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	उपलब्ध नहीं	13.65	14.73	10.51	10.58

(चोट: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी इंगित करती है कि वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से कम थी। यद्यपि, यह वर्ष 2015-16 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक थी। यह इंगित करता है कि राजस्व व्यय की वृद्धि दर वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुरूप रही। यद्यपि, यह वर्ष 2015-16 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुरूप नहीं थी।

1.6.3 वचनबद्ध व्यय

राज्य सरकार के राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान ($\text{₹ } 21,448$ करोड़), वेतन एवं मजदूरी पर व्यय ($\text{₹ } 74,439$ करोड़), पेंशन ($\text{₹ } 24,150$ करोड़) तथा सभिसडी ($\text{₹ } 7,691$ करोड़) सम्मिलित है। वचनबद्ध व्यय ($\text{₹ } 1,27,728$ करोड़) राजस्व व्यय का मुख्य घटक है तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय ($\text{₹ } 1,69,485$ करोड़) का 75 प्रतिशत इसमें उपभोग किया गया।

वर्ष 2011-16 की अवधि के वचनबद्ध व्यय की प्रवृत्तियाँ सारणी 1.21 और चार्ट 1.11 में प्रस्तुत की गयी हैं।

सारणी 1.21: वचनबद्ध व्ययों के घटकों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)


वचनबद्ध व्ययों के घटक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
					बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
वेतन* एवं मजदूरी जिसमें	47,521(36)	52,755 (36)	54,892 (33)	62,147 (32)	81,333	74,439 (33)
आयोजनेत्तर शीर्ष	42,244	46,007	47,654	51,195		58,537
आयोजनागत शीर्ष**	5,277	6,748	7,238	10,952		15,902
ब्याज भुगतान	15,481(12)	16,921(12)	17,412 (10)	18,865(10)	21,117	21,448 (9)
पेंशन पर व्यय	14,127(11)	17,921(12)	19,521 (12)	22,305(11)	28,805	24,150 (11)
सभिसडी	5,601(4)	5,964(4)	6,608 (4)	7,661(4)	8,240	7,691 (3)
वचनबद्ध व्यय का योग	82,730(63)	93,561(64)	98,433 (59)	1,10,978(57)	1,39,495	1,27,728(56)

इस मद में राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत कोष्ठक में अकित किये गये हैं।

*सहायता अनुदान से भुगतानित वेतन भी सम्मिलित है।

**आयोजनागत शीर्ष के अन्तर्गत वह वेतन एवं मजदूरी भी सम्मिलित है जिसका भुगतान केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं से किया गया था।

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे एवं वी.एल.सी. आंकड़े)



(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे एवं वी.एल.सी. आंकड़े)

वचनबद्ध व्ययों के विश्लेषण से यह इंगित होता है कि इसके सभी मदों में वर्ष 2011–16 की अवधि में वृद्धि की प्रवृत्ति रही। यह वर्ष 2011–12 के ₹ 82,730 करोड़ से 54 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 1,27,728 करोड़ हो गया। यह वृद्धि मुख्यतः वेतन एवं मजदूरी तथा पेंशन मदों के अन्तर्गत थी। वचनबद्ध व्ययों के अन्तर्गत विभिन्न घटकों में वृद्धि/कमी की विवेचना आगामी प्रस्तरों में की गयी है।

वेतन एवं मजदूरी

सारणी 1.21 के विश्लेषण से इंगित है कि वर्ष 2014–15 के सापेक्ष वर्ष 2015–16 के दौरान वेतन एवं मजदूरी (₹ 74,439 करोड़) पर हुए व्यय में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह बजट अनुमान (₹ 81,333 करोड़) से ₹ 6,894 करोड़ कम था। पुनः आयोजनेत्तर तथा आयोजनागत शीर्षों में वर्ष 2011–16 की अवधि में वृद्धि की प्रवृत्ति रही। आयोजनेत्तर शीर्षों के अन्तर्गत व्यय वर्ष 2011–12 के ₹ 42,244 करोड़ से बढ़कर (39 प्रतिशत) वर्ष 2015–16 में ₹ 58,537 करोड़ हो गया। आयोजनागत शीर्ष के अन्तर्गत वेतन एवं मजदूरी पर व्यय वर्ष 2011–12 के ₹ 5,277 करोड़ से बढ़कर (201 प्रतिशत) वर्ष 2015–16 में ₹ 15,902 करोड़ हो गया।

पेंशन भुगतान

वर्ष 2011–16 की अवधि में पेंशन पर व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति रही। यह वर्ष 2011–12 के ₹ 14,127 करोड़ से बढ़कर (71 प्रतिशत) वर्ष 2015–16 में ₹ 24,150 करोड़ हो गयी। वर्ष 2014–15 की तुलना में इसमें ₹ 1,845 करोड़ (आठ प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 24,150 करोड़ का व्यय बजट प्रावधान (₹ 28,805 करोड़) से कम (₹ 4,655 करोड़) था। पेंशन देयताओं के प्रभाव को कम करने के लिए 01 अप्रैल 2005 से या उसके बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अंशदायी पेंशन योजना प्रारम्भ की गयी।

ब्याज भुगतान

राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान वर्ष 2011–12 के 12 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015–16 में नौ प्रतिशत हो गया। वास्तविक ब्याज भुगतान (₹ 21,448 करोड़) बजट अनुमान (₹ 21,117 करोड़) से अधिक (₹ 331 करोड़) थी।

सब्सिडी

वित्त लेखे (**परिशिष्ट II**) दर्शाते हैं कि सरकार ने वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 7,691 करोड़ के प्रत्यक्ष सब्सिडी का भुगतान किया जो राजस्व प्राप्तियों का तीन प्रतिशत थी। कुल भुगतानित सब्सिडी में ₹ 5,708 करोड़ (74 प्रतिशत) आयोजनेत्तर मद, ₹ 1,084 करोड़ (14 प्रतिशत) आयोजनागत मद एवं ₹ 899 करोड़ (12 प्रतिशत) केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं⁴ के अन्तर्गत संवितरित की गयी। सब्सिडी दिये गये प्रमुख कार्यकलापों में ऊर्जा कार्यकलाप: ₹ 5,200 करोड़ (68 प्रतिशत); कृषि एवं अन्य सम्बद्ध कार्यकलाप: ₹ 1,880 करोड़ (24 प्रतिशत); उद्योग: ₹ 289 करोड़ (चार प्रतिशत) तथा समाज कल्याण: ₹ 178 करोड़ (तीन प्रतिशत) थे। कार्यकलापवार विस्तृत विवरण उत्तरवर्ती प्रस्तरों में दिए गए हैं।

⁴राज्य बजट के माध्यम से प्राप्त निधियाँ

वर्ष 2014–15 की तुलना में, वर्ष 2015–16 के दौरान **ऊर्जा क्षेत्र** के अन्तर्गत सब्सिडी भुगतान पर किये गये व्यय में ₹ 97 करोड़ (दो प्रतिशत) की कमी हुई। वर्ष 2015–16 में सब्सिडी का अधिकतम भुगतान आयोजनेत्तर शीर्ष के अन्तर्गत उ0प्र0 विद्युत निगम लिमिटेड को ₹ 4,200 करोड़ क्षतिपूरक अनुदान स्वरूप एवं ₹ 1,000 करोड़ भुगतानित विद्युत कर के सापेक्ष राजस्व क्षतिपूरक अनुदान स्वरूप किया गया।

वर्ष 2014–15 की तुलना में, वर्ष 2015–16 के दौरान **कृषि क्षेत्र** के अन्तर्गत सब्सिडी भुगतान पर किये गये व्यय में ₹ 43 करोड़ (दो प्रतिशत) की कमी हुई। सब्सिडी की अधिकतम धनराशि ₹ 240 करोड़ आयोजनेत्तर शीर्ष के अन्तर्गत कृषि उत्पादों में सुधार के लिए निजी नलकूप कृषकों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए उ0प्र0 विद्युत निगम को भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, सहकारी कृषि सम्बन्धी ऋण समितियों द्वारा किसानों को निम्न ब्याज दर पर ऋण (₹ 150 करोड़), सौर फोटो वोल्टिक सिंचाई पम्प की अवस्थापना (₹ 126 करोड़), एकीकृत वाटर शेड प्रबन्धन (₹ 105 करोड़) एवं राम गंगा तथा शारदा सहायक की क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं (₹ 105 करोड़) हेतु सब्सिडी का भुगतान किया गया।

वर्ष 2014–15 की तुलना में, वर्ष 2015–16 के दौरान **समाज कल्याण क्षेत्र** के अन्तर्गत सब्सिडी में ₹ 110 करोड़ (38 प्रतिशत) की कमी हुई। सब्सिडी की अधिकतम धनराशि का भुगतान (₹ 35 करोड़) कृषि उत्पादन के लिए छोटे एवं सीमान्त कृषकों को (निःशुल्क बोरिंग) सहायता हेतु, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु ₹ 28 करोड़ एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हेतु ₹ 25 करोड़ का किया गया।

वर्ष 2015–16 के दौरान के कुछ अप्रत्यक्ष सब्सिडी के विस्तृत विवरण सारणी 1.22 में दिये गये हैं।

सारणी 1.22: वर्ष 2015–16 की कुछ अप्रत्यक्ष सब्सिडी का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	योजनाये/ सब्सिडी	विभाग का नाम	धनराशि
1	सामान्य श्रेणी के लड़कों को मुफ्त पुस्तकों का वितरण	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	24.90
2	सामान्य श्रेणी के कक्षा 6 से 8 तक के लड़कों को मुफ्त पुस्तकों का वितरण	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	25.84
3	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त यूनीफार्म	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	38.56
4	कन्या विद्याधन योजना	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	235.46
5	12वीं पास लड़के/लड़कियों को मुफ्त लैपटाप	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	79.00
योग			403.76

(स्रोत: विनियोग लेखे वर्ष 2015-16)

अतः, वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹ 403.76 करोड़ का भुगतान अप्रत्यक्ष सब्सिडी के लिये किया गया।

1.7 व्ययों की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अवस्थापना की उपलब्धता सामान्यतः राज्य सरकार के व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के अन्तर्गत मुख्यतः तीन पक्ष निहित होते हैं, नामतः व्यय की पर्याप्तता (उदाहरणार्थः सार्वजनिक सेवायें उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रबन्ध); व्यय के उपयोग की दक्षता एवं प्रभावकारिता (सेवाओं के परिव्यय-परिणाम सम्बन्धों का आकलन)।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्रों एवं आर्थिक अवस्थापना से सम्बन्धित व्यय का दायित्व राज्य सरकारों को निर्दिष्ट है। मानव विकास के स्तर में वृद्धि हेतु राज्यों को मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य इत्यादि पर अपने व्यय को बढ़ाना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र विशेष में राजकोषीय प्राथमिकता (किसी क्षेत्र विशेष में व्यय का सकल व्यय से अनुपात) संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम है तो उस क्षेत्र में राजकोषीय प्राथमिकता कम होगी। वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में विकास व्यय, सामाजिक सेवाओं पर व्यय तथा पूंजीगत व्यय का विश्लेषण सारणी 1.23 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 1.23: वर्ष 2012–13 और 2015–16 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)							
राजकोषीय प्राथमिकता (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता)	ए.ई./ जी.एस.डी.पी.	डी.ई. [#] / ए.ई.	एस.एस.ई. /ए.ई.	ई.एस.ई. /ए.ई.	सी.ई./ ए.ई.	एजूकेशन/ ए.ई.	हेल्थ/ ए.ई.
सामान्य श्रेणी राज्यों* का औसत (अनुपात) 2012–13	20.12	70.03	38.47	29.70	13.70	17.72	4.72
उत्तर प्रदेश का औसत (अनुपात) 2012–13	21.51	59.13	36.93	22.20	14.39	18.17	5.22
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2015–16	16.05 [#]	70.63	36.29	34.34	14.89	15.63	4.45
उत्तर प्रदेश का औसत (अनुपात) 2015–16	24.81	69.32	33.16	36.17	22.50	16.14	4.69

* जम्मू-कश्मीर एवं मणिपुर को छोड़कर
ए.ई.: कुल व्यय, डी.ई.: विकास व्यय, एस.एस.ई.: सामाजिक क्षेत्र व्यय, ई.एस.ई.: आर्थिक क्षेत्र व्यय, सी.ई.: पूंजीगत व्यय।
#विकास व्यय में राजस्व विकास व्यय, पूंजीगत विकास व्यय, और ऋण एवं अग्रिम संवितरण सम्मिलित हैं।

विश्लेषण से ज्ञात हुआ:

- सामान्य श्रेणी के राज्यों (जी.सी.एस.) की तुलना में राज्य के कुल व्यय का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2015–16 में अधिक था।
- राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2015–16 में विकास व्यय हेतु पर्याप्त राजकोषीय प्राथमिकता प्रदान नहीं की गयी क्योंकि इसका कुल व्यय से अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों से कम था।
- वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2015–16 में सामाजिक सेवाओं पर किये गये व्यय का कुल व्यय से अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों से थोड़ा कम था।
- आर्थिक सेवाओं पर किये गये व्यय का कुल व्यय से अनुपात वर्ष 2012–13 में सामान्य श्रेणी के राज्यों से कम लेकिन वर्ष 2015–16 में सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में थोड़ा अधिक था।
- वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2015–16 में पूंजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों से अधिक था।
- उत्तर प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र पर किए गए व्यय का कुल व्यय से अनुपात वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2015–16 में सामान्य श्रेणी के राज्यों से थोड़ा अधिक था।

- राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र पर किए गए व्यय का कुल व्यय से अनुपात वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2015–16 में सामान्य श्रेणी के राज्यों से थोड़ा अधिक था।

राज्य सरकार को विकास व्यय एवं सामाजिक सेवाओं पर किये गये व्यय, विशेष रूप से शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पर और अधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

1.7.1.1 विकास एवं विकासेत्तर व्यय

राजस्व शीर्ष के व्यय, पूँजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बन्धित सभी व्यय सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं एवं सामान्य सेवाओं की श्रेणी में आते हैं। सामान्यतः सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किये गये व्यय विकास व्यय में सम्मिलित किए जाते हैं जबकि सामान्य सेवाओं पर किया गया व्यय विकासेत्तर व्यय माना जाता है।

वर्ष 2011–16 की अवधि में सरकार द्वारा किये गये विकास एवं विकासेत्तर व्यय की वृद्धि दर **सारणी 1.24** में दी गयी है।

सारणी 1.24: विकास एवं विकासेत्तर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व व्यय	1,23,885	1,40,724	1,58,147	1,71,027	2,12,736
पूँजीगत व्यय	21,574	23,834	32,863	53,297	64,423
ऋण एवं अग्रिम	976	1,003	1,473	1,873	9,118
कुल व्यय	1,46,435	1,65,561	1,92,483	2,26,197	2,86,277
विकास व्यय	86,897	97,904	1,17,209	1,46,705	1,98,456
विकास व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	16	13	20	25	35
विकासेत्तर व्यय	59,538	67,657	75,274	79,492	87,821
विकासेत्तर व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10	14	11	6	10

(चोट: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी से इंगित होता है कि विकासेत्तर व्यय की वृद्धि दर वर्ष 2011–12 के 10 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 14 प्रतिशत हो गयी एवं पुनः वर्ष 2015–16 में घटकर 10 प्रतिशत हो गयी। विकास व्यय की वृद्धि दर में विकासेत्तर व्यय की वृद्धि दर की तुलना में वर्ष 2015–16 में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। यद्यपि, वर्ष 2015–16 में विकास व्यय में ₹ 51,751 करोड़ की वृद्धि, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) में निहित स्थितियों को पूरा करने हेतु आर्थिक सेवाओं को आवंटित ₹ 24,332 करोड़ के कारण थी, जो विकास कार्यकलापों में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाती है।

1.7.1.2 आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय

राज्य के कुल व्यय, राजस्व व्यय (आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर व्ययों सहित), पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम, कुल व्यय की वृद्धि दर, आयोजनेत्तर राजस्व व्यय की वृद्धि दर एवं आयोजनागत व्यय की वृद्धि दर का विवरण **सारणी 1.25** में दिया गया है।

सारणी 1.25: आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
कुल व्यय	1,46,435	1,65,561	1,92,483	2,26,197	2,86,277
राजस्व व्यय	1,23,885	1,40,724	1,58,147	171,027	2,12,736
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय	1,01,269	1,14,846	1,26,490	1,37,765	1,69,485
आयोजनागत व्यय	22,616	25,878	31,657	33,262	43,251
पूँजीगत व्यय	21,574	23,834	32,863	53,297	64,423
ऋण एवं अग्रिम	976	1,003	1,473	1,873	9,118
कुल व्यय की वृद्धि दर	14	13	16	18	27
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय की वृद्धि दर	17	13	10	9	23
आयोजनागत व्यय की वृद्धि दर	7	14	22	5	30

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी से इंगित होता है कि वर्ष 2011–16 की अवधि में कुल व्यय की वृद्धि दर 13 प्रतिशत एवं 27 प्रतिशत के मध्य दोलायमान रही एवं आयोजनागत व्यय की वृद्धि दर भी पांच प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत के मध्य दोलायमान रही। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय की वृद्धि दर में निरन्तर कमी हुई जो 17 प्रतिशत (वर्ष 2011–12) से घटकर वर्ष 2014–15 में नौ प्रतिशत हो गई। वर्ष 2015–16 में यह बढ़कर 23 प्रतिशत हो गई।

1.7.2 व्यय में दक्षता

चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किए गये पूँजीगत व्यय एवं अनुरक्षण पर किये गये राजस्व व्यय का विवरण सारणी 1.26 में दिया गया है। वर्ष 2014–15 के सापेक्ष वर्ष 2015–16 के दौरान पूँजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात में 5.44 प्रतिशत की कमी हुयी।

सारणी 1.26: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किये गये व्यय की दक्षता

सामाजिक / आर्थिक अवसंरचना	2014-15		2015-16	
	पूँजीगत व्यय का कुल व्यय में अनुपात	राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	पूँजीगत व्यय का कुल व्यय में अनुपात	राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)
योग (सामाजिक सेवायें)	17.14	36,883	271	11.82
योग (आर्थिक सेवायें)	50.52	8,856	3,637	42.72
योग (सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें)	33.60	45,739	3,908	28.16
सामाजिक सेवाओं के मुख्य घटक				
सामाज्य शिक्षा	3.97	29,603	11	2.47
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	15.87	5,794	106	16.77
जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवासीय तथा नगरीय विकास	75.33	96	131	45.66
आर्थिक सेवाओं के मुख्य घटक				
कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	19.78	2,396	41	28.04
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	43.35	2,491	1,541	48.74
शक्ति एवं ऊर्जा	47.04	22	00	38.35
परिवहन	81.88	04	2,023	81.35
			99	2,389

(स्रोत: वित्त लेखे तथा वी.एल.सी. ऑकड़े, वर्ष 2014–15, 2015–16)

विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2015–16 के दौरान, सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत कुल व्यय में पूँजीगत व्यय के अंश में 5.32 प्रतिशत की तथा आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत 7.80 प्रतिशत की कमी हुई। सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2015–16 के दौरान कुल व्यय में पूँजीगत व्यय के अनुपात में कमी (29.67 प्रतिशत) जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवासीय तथा नगरीय विकास और सामान्य शिक्षा में हुई। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत शक्ति एवं ऊर्जा क्षेत्र में 8.69 प्रतिशत की कमी आयी।

कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप में 8.26 प्रतिशत तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण में 5.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

कुल व्यय में वेतन एवं मजदूरी के अंश में वर्ष 2014–15 (₹ 45,739 करोड़) की तुलना में वर्ष 2015–16 में ₹ 11,048 करोड़ की वृद्धि हुई। वेतन एवं मजदूरी के अन्तर्गत सामाजिक सेवाओं में 30 प्रतिशत तथा आर्थिक सेवाओं में एक प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि सामाजिक सेवाओं (₹ 10,983 करोड़) एवं आर्थिक सेवाओं (₹ 65 करोड़) के मध्य विभाजित थी, यद्यपि वर्ष 2014–15 की तुलना में कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप में ₹ 86 करोड़ की कमी हुई।

वर्ष 2014–15 (₹ 271 करोड़) की तुलना में वर्ष 2015–16 में सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत राजस्व व्यय में परिचालन एवं अनुरक्षण पर हुए व्यय के अंश में ₹ 76 करोड़ की वृद्धि हुई। इसी प्रकार, वर्ष 2014–15 की तुलना में वर्ष 2015–16 में आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत राजस्व व्यय में परिचालन एवं अनुरक्षण पर हुए व्यय के कुल अंश में ₹ 51 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2014–15 की तुलना में सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण में ₹ 318 करोड़ (21 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण कमी हुई।

1.8 शासकीय व्ययों एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के पासित होने के उपरान्त राज्य सरकार से यह अपेक्षित है कि वह अपने राजकोषीय घाटे (एवं उधार) को न केवल कम स्तर पर खें बल्कि पूँजीगत व्ययों/निवेशों (अग्रिमों एवं ऋणों को सम्मिलित करते हुए) की आवश्यकताओं को पूरा करें। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को अप्रत्यक्ष सम्बिंदी के रूप में अपने बजट एवं वित्तीय संचालन में पारदर्शिता लाने हेतु आवश्यक कदम उठाने के स्थान पर बाजार-आधारित संसाधनों पर पूर्ण रूप से निर्भर होने के संक्रमण काल में अपने निवेशों पर यथोष्ट लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने एवं उधार ली गयी धनराशियों का मूल्य वसूलने की आवश्यकता है। इस अनुच्छेद में विगत वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष में राज्य सरकार के निवेशों एवं अन्य पूँजीगत व्ययों के वित्तीय विश्लेषण को प्रस्तुत किया गया है।

1.8.1 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

सिंचाई परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यवहारिकता को सुनिश्चित करने के लिए तेरहवें/चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुरक्षण व्यय के सापेक्ष लागत वसूली की दर निर्धारित की गई है।

वर्ष 2015–16 के दौरान वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं से प्राप्तियाँ (₹ 651 करोड़) उनके परिचालन एवं अनुरक्षण पर किये गये ₹ 4,891 करोड़ के व्यय का 13 प्रतिशत थीं, जो वर्ष 2015–16 के लिए चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लागत वसूली अनुमान, 35 प्रतिशत, से बहुत कम थी, जो यह दर्शाता है कि परियोजनायें व्यवसायिक रूप से अव्यवहारिक थीं।

सारणी 1.27 में तेरहवें / चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानक के सन्दर्भ में लागत वसूली दर एवं अनुरक्षण व्यय दिया गया है।

सारणी 1.27: तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानक के सन्दर्भ में लागत वसूली दर एवं अनुरक्षण व्यय

वर्ष	राजस्व व्यय	राजस्व प्राप्तियाँ	राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	तेरहवें (2010–15)/चौदहवें (2015–20) वित्त आयोग द्वारा लागत वसूली का मूल्यांकन	लागत वसूली में अन्तर
	₹ करोड़ में	प्रतिशत में			
2011-12	3,736	232	6	35	29
2012-13	4,323	258	6	45	39
2013-14	4,472	550	12	60	48
2014-15	5,009	397	8	75	67
2015-16	4,891	651	13	35	22

(चोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे एवं तेरहवें तथा चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट)

सारणी से यह स्पष्ट है कि वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई कार्यों के सम्बन्ध में तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानक के सन्दर्भ में लागत वसूली दर तथा अनुरक्षण व्यय राज्य सरकार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, तेरहवें वित्त आयोग की अवधि में लागत वसूली का अन्तर निरन्तर 29 प्रतिशत (2011-12) से 67 प्रतिशत (2014-15) के मध्य बढ़ रहा था। चौदहवें वित्त आयोग के प्रथम वर्ष (2015-16) में यह अन्तर 22 प्रतिशत था।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएं

अपूर्ण परियोजनाओं पर धनराशियों का अवरोधन, व्यय की गुणवत्ता को दुष्प्रभावित करता है। अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति सारणी 1.28 में दी गई है।

सारणी 1.28: 31 मार्च 2016 को विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजटीय लागत	परियोजनाओं की पुनरीक्षित लागत	संचयी वास्तविक व्यय (मार्च 2016)	(₹ करोड़ में)
लोक निर्माण (सड़कें एवं सेतु)	891	11,524	उपलब्ध नहीं	4,321	
सिंचाई	33	3,219	16,634	10,086	
योग	924	14,743	16,634	14,407	

(चोत: वित्त लेखे वर्ष 2015-16)

अपूर्ण 924 परियोजनाओं पर किये गये ₹ 14,407 करोड़ (मार्च 2016) के व्यय से वांछित लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

1.8.3 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2016 तक शासन ने सांविधिक निगमों (₹ 755 करोड़), शासकीय कम्पनियों (₹ 81,337 करोड़), सहकारी संस्थाओं (₹ 2,204 करोड़) और बैंकों (₹ 61 करोड़) सहित कुल ₹ 84,357 करोड़ का निवेश किया था। वर्ष 2011-16 की अवधि में निवेशों पर प्रतिफल की स्थिति सारणी 1.29 में दी गयी है।

सारणी 1.29: निवेशों पर प्रतिफल

निवेश ⁵ / प्रतिफल / लिये गये उधार की लागत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
वर्ष के अन्त तक निवेश (₹ करोड़ में)	42,607.07	46,227.91	52,466.73	58,606.06	84,356.79
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	38.17	62.70	5.23	8.08	42.66
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.09	0.14	0.01	0.01	0.05
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	6.62	6.73	6.43	6.40	6.35
ब्याज दर एवं प्रतिफलों में अन्तर (प्रतिशत)	6.53	6.59	6.42	6.39	6.30

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी से ज्ञात हुआ कि:

- सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान मुख्य रूप से ऐसे निगमों के अंश पूँजी में निवेश किया गया था, जो विद्युत उत्पादन, विद्युत संचार एवं वितरण आदि में लगे हुये थे।
- 31 मार्च 2015 तक सरकार ने ₹ 58,606 करोड़ का निवेश किया था जिसपर वर्ष 2014–15 में प्रतिफल ₹ 8.08 करोड़ (0.01 प्रतिशत) था। तथापि, 31 मार्च 2016 तक सरकार ने ₹ 84,357 करोड़ का निवेश किया जिसके सापेक्ष प्रतिफल ₹ 42.66 करोड़ (0.05 प्रतिशत) था। इन निवेशों का प्रतिफल मात्र 0.05 प्रतिशत था जबकि सरकार ने वर्ष 2015–16 के दौरान लिये गये उधार पर 6.35 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया, जो सरकार द्वारा लिये गये उधार पर लागत के सापेक्ष बहुत कम था।

1.8.4 सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाएं

सार्वजनिक निजी साझेदारी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक तरफ सरकार/सांविधिक इकाई/शासकीय स्वामित्व वाली इकाई है और दूसरी तरफ निजी क्षेत्र की इकाई। इस व्यवस्था में सार्वजनिक सम्पत्ति तथा/अथवा सार्वजनिक सेवाओं के लिये प्रावधान होता है तथा निवेश एवं प्रबन्धन निजी क्षेत्र की इकाई द्वारा किया जाता है। यह प्रबन्धन एक निश्चित समयावधि के लिये होता है। इस व्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं शासकीय इकाई के मध्य जोखिम की शर्त पूर्ण रूप से परिभाषित होती है। इस व्यवस्था में निजी क्षेत्र को भुगतान, कार्य निष्पादन (या बैंचमार्क) के आधार पर किया जाता है जिसका मानक पूर्व निर्धारित न्यूनतम मानदंड के अनुरूप होता है। निजी क्षेत्र द्वारा निष्पादित कार्यों का आकलन शासकीय इकाई अथवा इसके प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को 64 सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाएं, जिनमें ₹ 1,32,786.43 करोड़ की धनराशि निहित है एवं डेवलपर का चुनाव किया जा चुका है, का विवरण उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रबन्धन के अन्तर्गत इसके वित्तीय उत्तरदायित्व को सुचित नहीं किया।

⁵ वर्ष 2015–16 तक के निवेशों के आंकड़े वित्त लेखे वर्ष 2015–16 के विवरण संख्या–19 के भाग–1 एवं भाग–2 के मुख्य एवं लघु शीर्षकों निवेश, एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान विवरण के भाग–1 में (₹ 71,706.85 करोड़) एवं भाग–2 में (₹ 84,356.79 करोड़) दर्शायी गयी निवेश की राशि में अन्तर ₹ 12,649.93 करोड़ का मिलान किया जा रहा है।

1.8.5 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी संस्थाओं, निगमों एवं कम्पनियों में किए गए निवेश के अतिरिक्त, सरकार इन संस्थानों/संगठनों को कई ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान करती है। सारणी 1.30 लम्बित ऋणों एवं अग्रिमों की 31 मार्च 2016 तक की स्थिति और विगत तीन वर्षों में ब्याज भुगतान के सापेक्ष ब्याज प्राप्ति की स्थिति प्रदर्शित करती है।

सारणी 1.30: राज्य सरकार द्वारा ऋणों और अग्रिमों पर औसत ब्याज प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16
प्रारंभिक अवशेष	11,572	12,456	14,067
वर्ष के दौरान अग्रिम धनराशि	1,473	1,873	9,118
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतानित धनराशि	589	262	726
अन्तिम अवशेष	12,456	14,067	22,459
अवशेष धनराशि जिसके लिये नियम एवं शर्तें निर्धारित की गयीं			
निवल वृद्धि	(+) 884	(+) 1,611	(+) 8,392
ब्याज प्राप्तियाँ	19	14	26
बकाया ऋणों एवं अग्रिमों के सापेक्ष ब्याज प्राप्तियों की प्रतिशतता	0.15	0.10	0.12
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयतायें	2,81,709	3,07,859	3,67,252
राज्य सरकार की राजकोषीय देयताओं के सापेक्ष ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	6.18	6.13	5.84
ब्याज भुगतान और ब्याज प्राप्तियों के मध्य अन्तर (प्रतिशत में)	6.03	6.03	5.72

(चोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

बकाया ऋणों में ₹ 8,392 करोड़ की वृद्धि हुई जो वर्ष 2014-15 के ₹ 14,067 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 22,459 करोड़ हो गई। वर्ष 2015-16 के दौरान ऋण का मुख्य अंश ऊर्जा (₹ 6,083 करोड़), उपभोक्ता उद्योग तथा जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (₹ 721 करोड़) को दिए गए।

1.8.6 नकद अवशेष एवं नकद अवशेषों के निवेश

वर्ष 2015-16 के दौरान सरकार को नकद अवशेषों के निवेश पर ₹ 113.87 करोड़ के ब्याज प्राप्त हुए। वर्ष 2015-16 के दौरान नकद अवशेष एवं राज्य सरकार द्वारा नकद अवशेषों के निवेश को सारणी 1.31 में दर्शाया गया है।

सारणी 1.31: नकद अवशेष एवं नकद अवशेषों के निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2015 को प्रारंभिक अवशेष	31 मार्च 2016 को अन्तिम अवशेष
(अ) सामान्य रोकड़ अवशेष		
कोषागारों में नकद	00.00	00.00
रिजर्व बैंक के पास निक्षेप	(-) 1,009.27	(-) 1,409.33
मार्गस्थ प्रेषण	00.00	00.00
योग	(-) 1,009.27	(-) 1,409.33
रोकड़ अवशेष निवेश लेखा में रखे गये निवेश	595.35	1,196.44
योग (अ)	(-) 413.92	(-) 212.89

(ब) अन्य रोकड़ अवशेष एवं निवेश			
विभागीय अधिकारियों के पास नकद अर्थात् लोक निर्माण के विभागीय अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, जिलाधिकारी		12.17	12.21
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम		0.43	0.47
उदिदष्ट निधियों के निवेश		45.20	45.20
योग (ब)		57.80	57.88
महायोग (अ)+ (ब)		(-) 356.12	(-) 155.01

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2015–16)

वर्ष 2015–16 की समाप्ति, पर उदिदष्ट निधियों के निवेश पर ₹ 45.20 करोड़ (₹ 200.21 करोड़ – ₹ 45.20 करोड़ = ₹ 155.01 करोड़ डेबिट शेष) की कटौती के बाद शासन के पास ₹ 200.21 करोड़ (डेबिट) नकद अवशेष थे। नकद अवशेष में मार्च 2015 (₹ 401.32 करोड़ डेबिट) की तुलना में मार्च 2016 के अन्त में ₹ 201.11 करोड़ की कमी हुई।



1.9 परिस्मृतियाँ एवं देयताएँ

1.9.1 परिस्मृतियों एवं देयताओं में वृद्धि एवं संघटन

राज्य सरकार की वर्तमान लेखा प्रणाली के अन्तर्गत, राज्य सरकार की भूमि, भवनों इत्यादि जैसी अचल परिस्मृतियों को समग्र रूप से लेखाबद्ध नहीं किया जाता है। यद्यपि, राज्य सरकार के लेखे राज्य सरकार की वित्तीय देयताओं तथा व्यय द्वारा सृजित की गयी परिस्मृतियों को समाहित करते हैं। परिशिष्ट 1.7 में 31 मार्च 2015 की स्थिति के सापेक्ष 31 मार्च 2016 को राज्य सरकार की ऐसी ही देयताओं एवं परिस्मृतियों का सार दिया गया है। यद्यपि, परिशिष्ट 1.7 में अंकित देयताओं के अन्तर्गत मुख्य रूप से आन्तरिक उधार, भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखे एवं रक्षित निधियों से प्राप्तियां दर्शायी गयी हैं जबकि परिस्मृतियों के अन्तर्गत मुख्य रूप से पूंजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों तथा रोकड़ अवशेषों का विवरण दिया गया है।

1.9.2 राजकोषीय देयताएँ

राज्य की अवशेष राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति परिशिष्ट 1.7 में प्रस्तुत की गयी है एवं वर्ष 2014–15 के सापेक्ष वर्ष 2015–16 के दौरान राजकोषीय देयताओं के संघटन को चार्ट 1.12 एवं 1.13 में प्रस्तुत किया गया है।



(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2014–15 एवं 2015–16)

चार्ट 1.12 एवं **1.13** इंगित करते हैं कि वर्ष 2014–15 की तुलना में वर्ष 2015–16 की समाप्ति पर सरकार की राजकोषीय देयताओं⁶ के घटकों में थोड़ा परिवर्तन हुआ।

राज्य सरकार की राजकोषीय देयताओं में वृद्धि दर, इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात, राजस्व प्राप्तियों से अनुपात तथा राज्य के स्वयं के संसाधनों से अनुपात एवं इन प्राचलों के सन्दर्भ में राजकोषीय देयताओं से उत्प्लावनता सारणी 1.32 में दी गयी है।

सारणी 1.32: राजकोषीय देयताएं—मूल प्राचल

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजकोषीय देयताएं (₹ करोड़ में)	2,43,229	2,59,621	2,81,709	3,07,859	3,67,252
वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.21	6.74	8.51	9.28	19.29
राजकोषीय देयताओं का अनुपात:					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	35.59	31.55	29.84	29.51	31.83
राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	185.86	177.94	167.47	159.16	161.73
स्वयं के संसाधन (प्रतिशत)	387.56	365.31	339.28	327.14	352.31
राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावनता:					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	उपलब्ध नहीं	0.494	0.578	0.883	1.823
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	0.464	0.587	0.557	0.619	1.109
स्वयं के संसाधन (अनुपात)	0.410	0.509	0.506	0.696	1.791

(ज्ञात: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी से यह विदित होता है कि राज्य सरकार की कुल राजकोषीय देयतायें वर्ष 2011–12 के ₹ 2,43,229 करोड़ से 51 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 3,67,252 करोड़ हो गईं। वर्ष 2014–15 के 9.28 प्रतिशत की वृद्धि दर के सापेक्ष वर्ष 2015–16 में वृद्धि दर 19.29 प्रतिशत रही। यद्यपि, राजकोषीय देयताओं से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में वर्ष 2011–15 की अवधि में कमी की प्रवृत्ति रही तथापि वर्ष 2015–16 के दौरान 2.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावनता में वर्ष 2012–13 के 0.494 से वर्ष 2015–16 में 1.823 तक वृद्धि की प्रवृत्ति रही।

1.9.3 आरक्षित निधियों के अन्तर्गत लेनदेन

राज्य सरकार के लेखे में अनेक आरक्षित निधियां निहित हैं, जो विशिष्ट एवं सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिये बनायी गयी हैं एवं राज्य या बाहरी अभिकरणों के संचित निधि के अनुदानों के अंशदान द्वारा रखी जाती हैं। वर्ष 2013–16 के लिये ऐसी निधियों जैसे निधियों के नाम, प्रारम्भिक एवं अन्तिम अवशेष के साथ–साथ प्राप्तियों एवं संवितरण का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 1.8 में दिया गया है एवं सारणी 1.33 में सारांशीकृत किया गया है।

⁶

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2016 को
आन्तरिक ऋण	1,83,191	2,40,836
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	14,462	13,658
लोक लेखे देयताएं	1,10,206	1,12,758
लंबित राजकोषीय देयताएं	3,07,859	3,67,252

सारणी 1.33: वर्ष 2013–16 की अवधि में आरक्षित निधियों की स्थिति

(₹ लाख में)

क्र0 सं०	लेखा शीर्ष	आरक्षित निधियों की संख्या		1 अप्रैल 2013 को प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्तियाँ 2013–16	संवितरण 2013–16	31 मार्च 2016 को अन्तिम अवशेष
		परिचालित	अपरिचालित				
ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ							
1	8115-मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियाँ	01	01	1,848.54	00	6,290.11	-4,441.57
2	8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	01	01	126.69	00	126.69	शून्य
ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ							
1	8222- स्किंग फण्ड	01	शून्य	34,83,444.33	19,83,102.80	11,63,282.60	43,03,264.53
2	8223- अकाल राहत निधियाँ	01	01	853.50	00	931.51	-78.01
3	8225- सड़के एवं सेतु निधियाँ	01	शून्य	5,744.65	7,40,000.00	7,77,891.14	-32,146.49
4	8226- मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियाँ	01	शून्य	4,920.77	3,011.00	8,730.80	-799.03
5	8229- विकास एवं कल्याण निधियाँ	06	शून्य	53,905.26	6,00,634.93	5,86,933.01	67,607.18
6	8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	04	02	41,618.80	5,29,844.56	5,30,357.38	41,105.98
योग		16	05	35,92,462.54	38,56,593.29	30,74,543.24	43,74,512.59
अथवा ₹ 43,745.13 करोड़							

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी से यह स्पष्ट है वर्ष 2013–16 की अवधि में 21 (₹ 43,745.13 करोड़ के अन्तिम अवशेष के साथ) में से पाँच आरक्षित निधियाँ परिचालित नहीं हुयी। मार्च 2016 के अन्त में पाँच आरक्षित निधियों में ₹ 0.68 करोड़ का अन्तिम अवशेष (तीन निधियों में क्रेडिट शेष) एवं ₹ 45.20 करोड़ (दो निधियों में डेबिट शेष) था।

1.9.3.1 निष्केप निधि

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकार को बकाया दायित्वों के परिहार हेतु समेकित निष्केप निधि की व्यवस्था करनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, जो इनके संचालन के लिए उत्तरदायी है, पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त में बकाया दायित्वों के 0.5 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक अंशदान किया जाना चाहिए था। यहाँ बकाया दायित्वों का अभिप्राय राज्य सरकार के लोक ऋण तथा लोक लेखे के दायित्वों से है। समेकित निष्केप निधि के मार्गनिर्देशों के प्रस्तर 5 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 में इस निधि में ₹ 1,539.30 करोड़ की राशि (दिनांक 31.3.2015 को बकाया दायित्व ₹ 3,07,859.13 करोड़ का 0.5 प्रतिशत) का अंशदान किया जाना चाहिए था।

परन्तु राज्य सरकार ने पूर्व में बनाये गये निक्षेप निधि को, इन दिशा—निर्देशों के अनुरूप, समेकित निक्षेप निधि के रूप में संशोधित नहीं किया। सरकार ने राज्य स्तरीय निक्षेप निधि के सृजन के लिए अबतक कोई विज्ञाप्ति/विधान उपलब्ध नहीं कराया है।

वर्ष (2015–16) के दौरान वर्तमान निधि में ₹ 6,966.78 करोड़ का अंशदान किया। चूंकि यह अंशदान पुस्तक समायोजन के द्वारा किया गया था, अतः न ही कोई राशि निवेश हेतु उपलब्ध हो सकी थी और न ही भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संचालित हुई। वर्ष के दौरान, निधि से ₹ 4,699.04 करोड़ का व्यय प्रदर्शित हुआ जो पुस्तक समायोजन के द्वारा ही समायोजित किया गया था। इस लेखे में अवशेष राशि का समायोजन राजस्व प्राप्ति के रूप में लेखा शीर्ष 0075—विविध सामान्य सेवाएं को क्रेडिट करके, निक्षेप निधि से बिना किसी नकद प्रवाह के, किया जाता है।

यह राज्य सरकार के राजस्व आधिक्य को उस राशि से अतिशयता प्रदान करता है जो राशि (जैसे इस वर्ष के लिए ₹ 4,699.04 करोड़) राजस्व लेखे (लेखा शीर्ष 0075—विविध सामान्य सेवाएं) को इस प्रकार अन्तरित की गई।

1.9.3.2 दुर्घटना राहत निधि

उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान (यू.पी.एम.वी.टी.) अधिनियम, 1997 के भाग 8 (1) के प्रावधानों के अनुसार, जो वर्ष 2009 में संशोधित हुआ, यात्रियों या उनके उत्तराधिकारियों या अन्य व्यक्तियों, जो किसी ऐसी दुर्घटना में हताहत हुए हों, जिनमें लोक सेवा वाहन सम्मिलित हों, को राहत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार एक निधि स्थापित करेगी जो उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (यू.पी.आर.टी.ए.आर.एफ.) के नाम से जानी जायेगी। धारा 4 के अन्तर्गत लगाये गये कर का दो प्रतिशत और धारा 6 के अन्तर्गत लगाये गये दो प्रतिशत अतिरिक्त कर के समतुल्य धनराशि सम्बन्धित निधि में जमा किया जायेगा।

परिवहन आयुक्त के कार्यालय के राजस्व प्राप्तियों के मासिक विवरण की जांच के दौरान पाया गया कि अप्रैल 2012 और मार्च 2016 की अवधि में विभाग द्वारा कुल ₹ 5,453.04 करोड़ कर और सामानों एवं यात्री वाहनों से अतिरिक्त कर वसूल किया गया। इस धनराशि का दो प्रतिशत, जो ₹ 109.06 करोड़ था, यू.पी.आर.टी.ए.आर.एफ. में जमा किया जाना था परन्तु विभाग द्वारा निधि में जमा नहीं किया जा सका क्योंकि इस प्रकार की कोई निधि स्थापित ही नहीं की गयी थी। पुनः संज्ञान में आया कि वर्ष 2012–13 से 2015–16 के दौरान लोक सेवा वाहनों से हुए दुर्घटना के 334 प्रकरणों में यात्रियों या ऐसे यात्रियों के उत्तराधिकारियों को मुआवजे की धनराशि ₹ 49.02 लाख का भुगतान बजट के मुख्य लेखाशीर्ष “2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण” से किया गया। निधि के सृजन की असफलता से अधिनियम के प्रावधान के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई और मुआवजे का भुगतान राज्य के राजस्व बजट के द्वारा किया गया।

समापन बैठक के दौरान सरकार/विभाग द्वारा हमारी टिप्पणी को स्वीकार किया गया और बताया गया कि यू.पी.आर.टी.ए.आर.एफ. के सृजन हेतु नियमों के संशोधन की प्रक्रिया प्रगति में थी।

1.9.4 आकस्मिक देयताएं—प्रत्याभूतियों की स्थिति

प्रत्याभूतियाँ, राज्य के समेकित निधि पर आकस्मिक देयतायें हैं, जो उधार लेने वाले, जिनके लिए प्रत्याभूति दी गयी थी, द्वारा उधार की अदायगी न करने पर की जाती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार किसी नियम अथवा विधि के अन्तर्गत निर्धारित धनराशि से अधिक धनराशि की प्रत्याभूति नहीं देगी।

यद्यपि, राज्य सरकार ने ऐसी कोई विधि या नियम नहीं बनाये थे जो राज्य सरकार की संचित निधि के आधार पर राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रत्याभूतियों की सीमा निर्धारित करती हो। बारहवें एवं बाद के वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा आकस्मिक देयताओं, जो प्रत्याभूतियों के भुगतान करने पर उत्पन्न हों, की प्रतिपूर्ति हेतु कोई निधि भी स्थापित नहीं की गई थी।

फलस्वरूप, राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति हेतु लिए गये शुल्कों को निर्दिष्ट निधि में, जिसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों के मांग की परिस्थिति में किया जाना था, जमा करने के स्थान पर राजस्व प्राप्तियों के मद में जमा किया गया।

वित्त लेखे के **विवरण-9** के अनुसार सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि एवं विगत तीन वर्षों से बकाया का विवरण सारणी 1.34 में दिया गया है।

सारणी 1.34: सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16
प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि	69,752	78,023	78,826
अवशेष प्रत्याभूतियों की राशि (ब्याज सहित)	62,822	70,740	57,618
कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि की प्रतिशतता	41.47 (1,68,214)	40.34 (1,93,422)	34.71 (2,27,076)

(चोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे: कोष्ठक में राजस्व प्राप्तियों दर्शायी गई है)

प्रत्याभूतियों की अधिकतम धनराशि वर्ष 2013–14 के ₹ 69,752 करोड़ के स्तर से बढ़कर (13 प्रतिशत) वर्ष 2015–16 में ₹ 78,826 करोड़ हो गई। यद्यपि, प्रत्याभूतियों की अवशेष धनराशियाँ (ब्याज सहित) भी ₹ 62,822 करोड़ (2013–14) के स्तर से बढ़कर ₹ 70,740 करोड़ (2014–15) हो गयी, तथापि यह वर्ष 2015–16 में घटकर ₹ 57,618 करोड़ हो गई। प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि ऊर्जा क्षेत्र के तीन संस्थानों (₹ 72,214.23 करोड़), अन्य क्षेत्रों के 11 संस्थानों (₹ 2,730.52 करोड़), सहकारी क्षेत्र के दो बैंकों (₹ 2,670.42 करोड़) एवं राज्य वित्त निगम के एक संस्थान (₹ 1,210.47 करोड़) हेतु दी गई। कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि की प्रतिशतता में कमी की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई। वर्ष 2013–14 के 41.47 प्रतिशत के स्तर से घटकर वर्ष 2015–16 में 34.71 प्रतिशत हो गई। 31 मार्च 2016 तक ब्याज सहित अवशेष प्रत्याभूतियों की धनराशि राज्य वित्त निगम (₹ 27.46 करोड़ - एक संस्थान), ऊर्जा क्षेत्र (₹ 54,428.82 करोड़-तीन संस्थानों), सहकारी संस्थाओं (₹ 1,895.04 करोड़-दो संस्थानों) एवं अन्य संस्थानों (₹ 1,267.03 करोड़-11 संस्थानों) के सापेक्ष बकाया थी।

1.9.5 त्रुटिपूर्ण पुस्तांकन/लेखांकन के कारण राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

शासकीय लेखे में राजस्व एवं व्यय के त्रुटिपूर्ण लेखांकन के प्रकरण थे। विवरण सारणी 1.35 में दिया गया है।

**सारणी 1.35: लेखों में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण/लेखांकन का राजस्व आधिक्य
एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव**

राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (₹ करोड़ में)		राजस्व आधिक्य पर प्रभाव (₹ करोड़ में)		विवरण
अतिशयता	न्यूनता	अतिशयता	न्यूनता	
-	-	93.71	-	शासकीय लेखांकन नियमों के अन्तर्गत, 'लघु निर्माण कार्यों' एवं सहायता अनुदान पर व्यय को राजस्व अनुभाग में लेखांकित किया जाना चाहिए। वर्ष 2015–16 के दौरान, राज्य सरकार ने लघु निर्माण कार्यों हेतु प्रावधान राजस्व शीर्ष में न करके पूँजीगत शीर्ष में किया गया एवं धनराशि ₹ 60.17 करोड़ को पुस्तांकित किया गया। अनुदानों पर व्यय राशि ₹ 33.54 करोड़ पूँजीगत प्रभाग के अन्तर्गत किया गया है, जबकि इसे राजस्व व्यय के रूप में प्रविष्ट होना चाहिए। जिसकी वजह से राजस्व आधिक्य में इतनी ही धनराशि की अतिशयता रही।
-	33.72	33.72	-	दिनांक 31 मार्च 2005 को अथवा उससे पूर्व नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के "पेशन एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ" पर वर्ष के दौरान व्यय ₹ 23,546.79 करोड़ (अवकाश नकदीकरण की राशि ₹ 1,345.60 करोड़ को सम्मिलित करते हुए) जो सकल राजस्व व्यय (₹ 2,12,735.95 करोड़) का 11.07 प्रतिशत था, हुआ। 1 अप्रैल 2005 अथवा बाद में नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी, नई पेशन योजना जो निर्धारित अंशदायी पेशन योजना है, के अन्तर्गत आच्छादित हैं। योजना के शर्तों के अनुसार कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महङ्गाई भत्ते का 10 प्रतिशत का अंशदान करता है तथा समतुल्य धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की जाती है। समस्त धनराशि राष्ट्रीय प्रत्याभूति जमा लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ नियामक बैंक के माध्यम से निर्धारित निधि प्रबन्धक को अन्तरित कर दी जाती है। वर्ष के दौरान कर्मचारियों के अंशदान की राशि ₹ 636.51 करोड़ के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा केवल ₹ 602.79 करोड़ का ही अंशदान किया गया तथा समस्त राशि ₹ 1,239.30 करोड़ को लेखा शीर्ष 8342–117–सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित पेशन अंशदायी योजना के अन्तर्गत जमा किया गया। इसमें से ₹ 1,213.03 करोड़ की राशि को एन.एस.डी.एल./ नियामक बैंक में अन्तरित किया गया। दिनांक 31 मार्च 2016 को इस योजना के अन्तर्गत ₹ 580.11 करोड़ का अवशेष था। राज्य सरकार द्वारा ₹ 33.72 करोड़ (₹ 636.51 करोड़–₹ 602.79 करोड़) का कम अंशदान नई पेशनर लाभदायी योजना के अन्तर्गत किये जाने के कारण राजस्व आधिक्य में इतनी ही धनराशि की अतिशयता एवं राजकोषीय घाटे में इतनी ही धनराशि की न्यूनता हुई।
-	4,699.04	4,699.04	-	पुनर्भुगतानित धनराशि के समतुल्य राशि पुस्तक समायोजन के द्वारा लोक लेखे में सिंकिंग फण्ड के नामे तथा राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत 0075–विविध सामान्य सेवाएं सिंकिंग फण्ड से प्राप्ति को क्रेडिट (फॉन्ट्रा डेबिट), सिंकिंग फण्ड से बिना किसी नकद प्रवाह के, किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान राजस्व आधिक्य में ₹ 4,699.04 करोड़ की अतिशयता एवं राजकोषीय घाटे में इतनी ही धनराशि की न्यूनता हुई।
-	351.41	351.41	-	बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकार को प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन करना था। परन्तु राज्य सरकार ने कोई भी प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन नहीं किया है। राज्य सरकार द्वारा गारन्टी की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मार्गनिर्वेशों के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा धनराशि ₹ 351.41 करोड़ (वर्ष 2015–16 के प्रारम्भ में बकाया प्रतिभूति ₹ 70,281.15 करोड़ का 0.5 प्रतिशत) का न्यूतम वार्षिक अंशदान करना अपेक्षित था, जो नहीं किया गया। अतः राजस्व आधिक्य में इतनी ही धनराशि की अतिशयता एवं राजकोषीय घाटे में इतनी ही धनराशि की न्यूनता हुई।

-	13.92	13.92	-	वर्ष 2015–16 के प्रारम्भ में एस.डी.आर.एफ. के अन्तर्गत ₹ 185.56 करोड़ का अवशेष था। एस.डी.आर.एफ. के मार्गनिर्देशों के प्रस्तर 4 के अनुसार, अनिवेशित अवशेष की राशि पर अर्थोपाय अग्रिम पर देय औसत ब्याज की दर से ब्याज की गणना की जानी थी। राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए ₹ 13.92 करोड़ ब्याज की राशि (वर्ष 2015–16 के लिए अर्थोपाय अग्रिम की औसत ब्याज दर 7.5 प्रतिशत पर) का भुगतान नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2015–16 में राजस्व आधिक्य में ₹ 13.92 करोड़ की अतिशयता हुई। निवेश न किये जाने एवं निधि को गैर ब्याज के रूप में रखे जाने के तथ्य राज्य सरकार के कार्पस् को प्रभावित करता है।
-	5,098.09	5,191.80	-	योग
	₹ 5,098.09 करोड़	₹ 5,191.80 करोड़		

(स्रोत: वित्त लेखे 2015–16)

व्यय एवं प्राप्ति शीर्षों के त्रुटिपूर्ण पुस्तांकन एवं बजटीय प्रावधान के कारण राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभावस्वरूप राजस्व आधिक्य में ₹ 5,191.80 करोड़ की अतिशयता एवं राजकोषीय घाटे में ₹ 5,098.09 करोड़ की न्यूनता हुई।

1.10 ऋण प्रबन्धन

राज्य सरकार के ऋणों की मात्रा के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि उन विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण किया जाये जो राज्य की ऋण संवहनीयता का निर्धारण करते हैं। प्रतिवदेन का यह प्रभाग ऋणों में स्थिरता, ऋण एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात, ऋण अदायगी एवं ऋण प्राप्ति का अनुपात, उधार ली गई धनराशियों की निवल उपलब्धता, ब्याज भुगतान का भार (राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान के अनुपात की माप) और राज्य सरकार की प्रत्याभूतियों की परिपक्वता अनुपात के संदर्भ में सरकार के ऋणों की संवहनीयता का आकलन करता है।

पाँच वर्षों की अवधि, वर्ष 2011–16, के लिये ऋण संवहनीयता सूचकांक सारणी 1.36 से प्रदर्शित होता है।

सारणी 1.36: ऋण संवहनीयता—संकेतक और प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण संवहनीयता के संकेतक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	3,051	(-)463	4,741	7,352	38,011
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान / राजस्व प्राप्तियों का अनुपात)	12	12	10	10	9
राजस्व प्राप्तियों	1,30,869	1,45,904	1,68,214	1,93,422	2,27,076
बकाया ऋण	2,43,229	2,59,621	2,81,709	3,07,859	3,67,252
बकाया ऋण की वृद्धि दर	8	7	9	9	19
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	7,24,049	8,22,903	9,44,146	10,43,371	11,53,795
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	उपलब्ध नहीं	13.65	14.73	10.51	10.58
बकाया ऋण (राजकोषीय देयतायें) / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	34	32	30	30	32
ब्याज भुगतान	15,481	16,921	17,412	18,865	21,448
बकाया ऋण की औसत ब्याज दर	10	10	10	10	9
ऋण भुगतान / ऋण प्राप्ति	49	60	60	63	48

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2011–13 के दौरान ब्याज भुगतान और राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 12 प्रतिशत था जो 2013–15 के दौरान घटकर 10 प्रतिशत हो गया। यह 2015–16 के दौरान पुनः घटकर नौ प्रतिशत हो गया। यह राज्य सरकार के ऋणों की संवहनीयता के स्तर को दर्शाता है। यद्यपि, वर्ष 2011–16 के दौरान ब्याज भुगतान लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाता है। यह वर्ष 2014–15 की तुलना में वर्ष 2015–16 में ₹ 2,583 करोड़ (14 प्रतिशत) बढ़ा परन्तु वर्ष 2011–16 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों में लगातार वृद्धि ने ब्याज भुगतान में वृद्धि को प्रतिसंतुलित किया।

ऋण संवहनीयता के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात में स्थिरता हो। ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात का उच्च स्तर यह दर्शाता है कि लोक ऋण का स्तर असंवहनीय है जबकि ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात का निम्न स्तर यह दर्शाता है कि लोक ऋण का स्तर संवहनीय है। बाकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात वर्ष 2011–12 में 34 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में 30 प्रतिशत हो गया जो लोक ऋण के संवहनीय स्तर को दर्शाता है, यद्यपि यह वर्ष 2015–16 के दौरान बढ़कर 32 प्रतिशत हो गया। ऋण भुगतान का ऋण प्राप्तियों से अनुपात वर्ष 2014–15 (63 प्रतिशत) से पर्याप्त कम होकर वर्ष 2015–16 (48 प्रतिशत) हो गया। यद्यपि, बाजार ऋण वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हुए वर्ष 2014–15 के ₹ 17,500 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 30,000 करोड़ हो गया। वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण भी वर्ष 2014–15 में ₹ 7,176 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 31,669 करोड़ हो गया।

1.10.1 लिये गये उधार की निवल उपलब्धता

वर्ष 2011–16 की अवधि में ब्याज एवं ऋणों के पुनर्भुगतान के पश्चात आन्तरिक ऋणों एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों तथा अन्य दायित्वों से धनराशियों की शुद्ध उपलब्धता ऋणात्मक 1.05 प्रतिशत एवं 33.43 प्रतिशत के मध्य रही।

सारणी 1.37 में उधार लिये गये निधियों की प्राप्ति, पुनर्भुगतान एवं निवल उपलब्धता को दर्शाया गया है।

सारणी 1.37: लिये गये उधार की निवल उपलब्धता

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	(₹ करोड़ में)
लोक ऋणों एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	49,849	44,039	55,057	71,455	1,13,502	
लोक ऋणों एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत भुगतान (मूलधन एवं ब्याज)	46,797	44,502	50,316	64,103	75,557	
उपलब्ध निवल निधियाँ	3,051	(-)463	4,741	7,352	37,945	
उपलब्ध निवल निधियाँ (प्राप्तियों के प्रतिशत में)	6.12	(-)1.05	8.61	10.29	33.43	

(प्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2015–16 के दौरान प्राप्तियाँ, राज्य सरकार द्वारा किये गये भुगतानों, आन्तरिक ऋण (₹ 16,275 करोड़), भारत सरकार के ऋण (₹ 1,397 करोड़) तथा ब्याज (₹ 21,448 करोड़) सहित अन्य दायित्वों के भुगतान


(₹ 36,437 करोड) से अधिक थी, परिणामस्वरूप लिये गये उधार की निधियों की उपलब्धता वर्ष 2014–15 के 10.29 प्रतिशत से बढ़कर 2015–16 के अन्त तक 33.43 प्रतिशत हो गयी।

1.10.2 बाजार कर्ज की परिपक्वता प्रोफाइल

राज्य के बकाया ऋणों का 53.75 प्रतिशत सात वर्ष के कम की परिपक्वता अवधि एवं 45.75 प्रतिशत सात वर्ष अथवा अधिक की परिपक्वता अवधि से सम्बन्धित है। सारणी 1.38 एवं चार्ट 1.14 में राज्य के ऋणों की परिपक्वता प्रोफाइल दी गयी है।

सारणी 1.38: राज्य के ऋणों की परिपक्वता प्रोफाइल

परिपक्वता प्रोफाइल	आन्तरिक ऋण	केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया ऋण एवं आग्रह	योग	(₹ करोड में) प्रतिशत
0 – 1 वर्ष	10,141.76	1,364.02	11,505.78	4.52
1 – 3 वर्ष	29,529.43	2,812.41	32,341.84	12.71
3 – 5 वर्ष	44,415.32	2,897.89	47,313.21	18.59
5 – 7 वर्ष	42,713.70	2,914.61	45,628.31	17.93
7 वर्ष और अधिक	1,12,763.64	3,669.28	1,16,432.92	45.75
राज्य सरकार से मिलान के अधीन	1,271.94	00	1,271.94	0.50
योग	2,40,835.79	13,658.21	2,54,494.00	100.00



(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2015–16)

चार्ट 1.14 से यह प्रदर्शित होता है कि एक वर्ष के पश्चात् एवं सात वर्षों और अधिक के ऋणों के पुनर्भुगतान एकत्र होकर पुनर्भुगतान के भार को विकट बनाता है।



1.11 राजकोषीय असन्तुलन

तीन मुख्य राजकोषीय प्राचलों—राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे—से राज्य के वित्त में एक निश्चित अवधि में सकल राजकोषीय असन्तुलन की सीमा प्रदर्शित होती है। राज्य सरकार के लेखे में प्राप्तियों और व्ययों में अन्तर घाटे को प्रदर्शित करता है। घाटे की प्रकृति राज्य सरकार के विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबन्धन का सूचक है।

पुनः, जिस तरह से घाटे का वित्त-पोषण किया जाता है तथा जिस तरह से सुजित संसाधनों का उपयोग किया जाता है, वह राजकोषीय प्रबन्धन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। प्रतिवेदन का यह प्रभाग घाटे की प्रवृत्ति, प्रकृति, मात्रा और वित्त-पोषण करने के तरीकों को प्रस्तुत करता है एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004 / वित्तीय वर्ष 2015–16 के नियमों के लिए निश्चित लक्ष्यों के सापेक्ष राजस्व एवं राजकोषीय घाटे की वास्तविक स्थिति का आकलन प्रस्तुत करता है।

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.15 और 1.16 में वर्ष 2011–16 में घाटे की अवधि में घाटे की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है।



(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, वर्ष 2011 एवं 2016 में संशोधित किया गया जिसके अनुसार वर्ष 2015–16 के दौरान राजस्व घाटा शून्य पर बनाये रखने तथा राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

राज्य सरकार ने राजस्व घाटे को घटाकर शून्य करने का लक्ष्य वर्ष 2006–07 में प्राप्त कर लिया था तथा वर्ष 2015–16 तक सतत राजस्व आधिक्य था। वर्ष 2015–16 के अन्त तक राज्य के पास ₹ 14,340 करोड़ का राजस्व आधिक्य है। राजकोषीय घाटा वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हुये वर्ष 2011–12 के ₹ 15,433 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 58,475 करोड़ हो गया। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि ‘उदय’ को लागू किये जाने की स्थितियों को पूरा करने के कारण राजकोषीय घाटे में ₹ 24,332 करोड़ की अतिशयता हुयी। वित्तीय वर्ष 2015–16 की समाप्ति पर राज्य का प्राथमिक घाटा ₹ 37,027 करोड़ था। यह वर्ष 2014–15 की तुलना में राजकोषीय घाटे में ₹ 25,962 करोड़ की वृद्धि के कारण था (चार्ट 1.15)।

1.11.2 राजकोषीय घाटे का संघटन एवं इसकी वित्तीय प्रवृत्ति

राजस्व एवं गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों पर राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय, ऋणों एवं अग्रिमों सहित, की अधिकता के कारण राज्य सरकार के कुल उधार लेने की आवश्यकता राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटे के विभिन्न घटकों के विश्लेषण से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय का राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों पर आधिक्य को पूरा करने हेतु किस सीमा तक उधार लिया गया था। राजकोषीय घाटे के वित्तीय प्रवृत्ति को सारणी 1.39 में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 1.39: राजकोषीय घाटा एवं इसके वित्तीय प्रवृत्ति के घटक

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (₹ करोड़ में)
राजकोषीय घाटे का विघटन					
राजकोषीय घाटा (1 से 3 तक) एवं कोष्ठक में दी गयी संख्या सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत है।	15,433 (2.13)	19,238 (2.34)	23,680 (2.51)	32,513 (3.12)	58,475 (5.07)
1 राजस्व घाटा(+)/आधिक्य(-)	(-) 6,984	(-) 5,180	(-) 10,067	(-) 22,394	(-) 14,340
2 निवल पूँजीगत व्यय	21,574	23,834	32,863	53,297	64,423
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	843	584	884	1,610	8,392
राजकोषीय घाटे की वित्तीय प्रवृत्ति*					
1 बाजार कर्ज	12,834	6,263	5,054	13,513	25,301
2 भारत सरकार से ऋण	(-) 999	(-) 1,099	(-) 1,075	(-) 875	(-) 803
3 एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	395	2,429	2,768	6,325	4,339
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	(-) 865	(-) 681	(-) 12	7,146	28,005
5 लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	3,630	3,342	2,363	1,686	1,534
6 निक्षेप एवं अग्रिम	(-) 2,038	1,753	5,037	1,050	(-) 1,543
7 उचन्त एवं विविध	608	3,540	(-) 9,637	535	(-) 677
8 प्रेषण	(-) 209	986	(-) 98	1,608	(-) 197
9 अन्य (जैसे आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत लेन-देन, आरक्षित निधि, नकद अवशेष एवं निवेश)	2,077	2,705	19,280	1,525	(-) 2,516
राजकोषीय घाटा	15,433	19,238	23,680	32,513	58,475

*ये सभी आंकड़े वर्ष के अन्तर्गत वितरण/व्यय का निवल हैं।

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

राजकोषीय घाटा वर्ष 2011–16 की अवधि में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हुए ₹ 15,433 करोड़ (2011-12) एवं ₹ 58,475 करोड़ (2015-16) के मध्य रहा। राजकोषीय घाटा, विगत वर्ष की तुलना में, वर्ष 2014–15 के ₹ 32,513 करोड़ से बढ़कर (80 प्रतिशत) वर्ष 2015-16 में ₹ 58,475 करोड़ हो गया।

1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात, प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे में विघटन एवं पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों को सम्मिलित करते हुए), राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता प्रदर्शित करते हैं। राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि किस सीमा तक उधार की राशियों का उपयोग किया गया। अग्रेतर, राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे के अनुपात का लगातार उच्च स्तर पर बने रहना यह इंगित करता है कि राज्य की परिसम्पत्तियों का आधार लगातार कम हो रहा है एवं कुछ सीमा तक उधार (राजकोषीय देयताएं) राज्य की परिसम्पत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है। प्राथमिक घाटे (**सारणी 1.40**) का विभाजन उस सीमा की ओर इंगित करता है जिस सीमा तक पूंजीगत व्यय बढ़ जाने के कारण प्राथमिक घाटा हुआ जो राज्य की उत्पादक क्षमता में सुधार हेतु वांछित हो सकती है।

सारणी 1.40: प्राथमिक घाटा/आधिक्य—घटकों का विभाजन

₹ करोड़ में							
वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व आधिक्य(+)	प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य(+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2011-12	1,31,002	1,08,404	21,574	976	1,30,954	(+) 22,598	(+) 48
2012-13	1,46,323	1,23,803	23,834	1,003	1,48,640	(+) 22,520	(-) 2,317
2013-14	1,68,803	1,40,735	32,863	1,473	1,75,071	(+) 28,068	(-) 6,268
2014-15	1,93,684	1,52,162	53,297	1,873	2,07,332	(+) 41,522	(-) 13,648
2015-16	2,27,802	1,91,288	64,423	9,118	2,64,829	(+) 35,514	(-) 37,027

(चोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

- वर्ष 2011–16 की अवधि में, गैर-ऋण प्राप्तियाँ वर्ष 2011–12 के ₹ 1,31,002 करोड़ से बढ़कर (74 प्रतिशत) वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 2,27,802 करोड़ हो गयी।
- सरकार का प्राथमिक घाटा ₹ 2,317 करोड़ (वर्ष 2012–13) से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 37,027 करोड़ हो गया क्योंकि गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा ऋणों एवं अग्रिमों की एक साथ पूर्ति करने हेतु पर्याप्त नहीं थीं।

1.11.4 राज्य की वित्तीय स्थिति

विभिन्न प्राचल जैसे राजकोषीय घाटा एवं राजकोषीय देयताएं राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को निश्चित करने के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। वर्ष 2011–16 के दौरान इन प्राचलों के साथ-साथ इनकी वृद्धि दर की स्थिति सारणी 1.41 में दी गयी है।

सारणी 1.41: राज्य की वित्तीय स्थिति

₹ करोड़ में

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	7,24,049	8,22,903	9,44,146	10,43,371	11,53,795
राजस्व प्राप्तियाँ	1,30,869	1,45,904	1,68,214	1,93,422	2,27,076
राजकोषीय घाटा (-)	(-) 15,433	(-) 19,238	(-) 23,680	(-) 32,513	(-) 58,475
राजकोषीय घाटा / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 2.13	(-) 2.34	(-) 2.51	(-) 3.12	(-) 5.07
राजकोषीय घाटा की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13 (1,23,885)	25 (1,40,724)	23 (1,58,147)	37 (1,71,027)	80 (2,12,736)
राजकोषीय देयताएँ	2,43,229	2,59,621	2,81,709	3,07,859	3,67,252
राजकोषीय देयताएँ / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	34	32	30	30	32
राजकोषीय देयताओं की वृद्धि दर (प्रतिशत)	8	7	9	9	19
राजकोषीय देयताएँ/ राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	186	178	167	159	162

(चोट: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे: कोष्ठक में राजस्व प्राप्तियाँ दर्शायी गयी हैं)

वर्ष 2015-16 के दौरान राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.07 प्रतिशत रहा जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के तीन प्रतिशत लक्ष्य से 2.07 प्रतिशत अधिक था। राजकोषीय घाटे के वृद्धि दर में वर्ष 2011-12 के केवल 13 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2015-16 में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो राजकोषीय असंतुलन को प्रदर्शित करती है। राजकोषीय घाटे का उच्चतर स्तर, राजस्व व्यय एवं आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत अधिक आवंटन विशेषतः उदय योजना के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के कारण है। ₹ 58,475 करोड़ का राजकोषीय घाटा अधिक बाजार ऋण एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण इत्यादि के द्वारा वित्त पोषित था। वर्ष 2011-15 की अवधि में राजकोषीय देयताओं का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात कमी की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हुये 186 प्रतिशत (2011-12) से 159 प्रतिशत (2014-15) तक रहा। यद्यपि, यह वर्ष 2015-16 में थोड़ा सा बढ़कर 162 प्रतिशत हो गया, जो उच्चतर राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में ऋण संवहनीयता के स्तर में सुधार को प्रदर्शित करता है।

1.12 अनुवर्ती कार्यवाही

वर्ष 2008-09 से राज्य के वित्त पर आधारित प्रतिवेदन पृथक से तैयार किया जा रहा है एवं राज्य विधायिका को प्रस्तुत किया जा रहा है। लोक लेखा समिति द्वारा इस प्रतिवेदन पर अभी चर्चा की जानी है।

1.13 निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

निष्कर्ष

- राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

उत्तर प्रदेश सरकार का राजस्व आधिक्य वर्ष 2014-15 के स्तर से वर्ष 2015-16 में ₹ 8,054 करोड़ कम हो गया जिसका प्रमुख कारण वर्ष 2014-15 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में केवल 17 प्रतिशत की वृद्धि थी जबकि राजस्व व्यय में 24 प्रतिशत की वृद्धि

हुई। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय घाटे में चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अधिकतम सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत के लक्ष्य से 2.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम 2015–16 द्वारा निर्धारित अधिकतम सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.96 प्रतिशत के लक्ष्य से 2.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि, वर्ष 2015–16 के अन्त में कुल बकाया ऋण, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 31.83 प्रतिशत था जो बजट अनुमान एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के लक्ष्य (27.50 प्रतिशत) से अधिक (4.33 प्रतिशत) था। यह चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य (31 प्रतिशत) के सापेक्ष अधिक (0.83 प्रतिशत) था।

- **बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े**

वर्ष 2015–16 में प्राप्तियों और व्यय का स्वरूप तैयार किये गये मूल बजट के स्तर से भिन्न था जो अनुचित बजट अनुमान को दर्शाता है। ₹ 2,27,076 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ और ₹ 2,12,736 करोड़ का राजस्व व्यय, बजट अनुमान के राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,49,880 करोड़) और राजस्व व्यय (₹ 2,45,756 करोड़) से कम था।

- **राजस्व प्राप्तियाँ**

राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2013–14 के सापेक्ष ₹ 33,654 करोड़ (17 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इस वृद्धि में मुख्यतः केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (₹ 24,351 करोड़; 37 प्रतिशत), करेतर राजस्व (₹ 3,200 करोड़; 16 प्रतिशत) एवं कर राजस्व (₹ 6,934 करोड़; नौ प्रतिशत) का योगदान था। राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत (वर्ष 2014–15 की तुलना में) स्वयं के कर राजस्व में बजट भाषण में की गई 13.5 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा के सापेक्ष नौ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- **राजस्व व्यय**

वर्ष 2015–16 के दौरान, 2014–15 के सापेक्ष राजस्व व्यय (₹ 2,12,736 करोड़) में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई और आयोजनागत व्यय तथा आयोजनेत्तर व्यय में क्रमशः 30 प्रतिशत और 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयोजनागत व्यय के अन्तर्गत वृद्धि राज्य के सेवाओं एवं अवस्थापना सुविधाओं में वृद्धि को दर्शाता है।

- **पूँजीगत व्यय**

वर्ष 2014–15 के सापेक्ष, वर्ष 2015–16 के दौरान पूँजीगत व्यय में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत सङ्केतों एवं सेतु, सहकारिता एवं वृहद सिंचाई में हुई।

- **लोक व्यय की पर्याप्तता**

वर्ष 2015–16 में, राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सेवाओं पर व्यय को पर्याप्त राजकोषीय प्राथमिकता नहीं दी गयी विशेषतः शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में, क्योंकि इसका कुल व्यय से अनुपात अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों से थोड़ा ही अधिक था।

- अपूर्ण परियोजनायें

अपूर्ण 924 परियोजनाओं पर किये गये ₹ 14,407 करोड़ (मार्च 2016), के व्यय से वाँछित लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

- राज्य की वित्तीय स्थिति

राजकोषीय घाटे की वृद्धि दर वर्ष 2014–15 के 37 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 80 प्रतिशत हो गयी, जो बढ़ते राजकोषीय असंतुलन को दर्शाती है। यद्यपि, राजस्व प्राप्ति के अनुपात में राजकोषीय देयताओं के घटने की प्रवृत्ति राज्य में ऋण संवहनीयता की स्थिति में सुधार को दर्शाता है तथापि यह वर्ष 2015–16 में थोड़ा–सा बढ़ गया।

- राजस्व आधिक्य, राजकोषीय घाटे एवं बकाया देयताओं पर उदय योजना का प्रभाव

वर्ष 2015–16 में राजस्व आधिक्य ₹ 14,340 करोड़ रहा जो ₹ 12,166 करोड़ न्यून दर्शित है क्योंकि इतनी ही धनराशि सहायता अनुदान के रूप में यू.पी.पी.सी.एल. को अन्तरित की गई। दूसरी ओर राजकोषीय घाटे में ₹ 24,332 करोड़ की अतिशयता हुई क्योंकि राजस्व व्यय (₹ 12,166 करोड़ यू.पी.पी.सी.एल. को सहायता अनुदान के रूप में), पूँजीगत व्यय (₹ 6,083 करोड़ यू.पी.इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन लिमिटेड को अंश पूँजी निवेश के रूप में) तथा ऋण एवं अग्रिम (₹ 6,083 करोड़ यू.पी.पी.सी.एल. को सरकारी प्रतिभूति उधार के रूप में) राजकोषीय घाटे के संघटक होते हैं। उदय योजना की शर्तों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राजकोषीय देयता में भी ₹ 24,332 करोड़ की वृद्धि हुई।

संस्तुतियाँ

- बजट आंकलन की प्रक्रिया ज्यादा यथार्थवादी होनी चाहिए एवं व्यय पर नियन्त्रण की प्रणाली को मुख्य नियन्त्रण अधिकारी द्वारा और अधिक सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।
- राज्य सरकार द्वारा धन को शासकीय लेखे से बाहर रखे जाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए।
- राज्य सरकार द्वारा परियोजनाओं की स्वीकृति को प्राथमिकता देना चाहिए एवं वार्षिक कार्य योजना बनाया जाना चाहिए जिससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निधियों की पर्याप्तता सुनिश्चित की जा सके।
- कार्यों के क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे कार्यदायी संस्थाओं (निजी ठेकेदारों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) द्वारा कार्यान्वयन में कमी/गिरावट को कम से कम किया जा सके।
- राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्थाओं पर हो और उनसे अनुबन्ध/समझौते के नियमों के अनुसार दण्ड की वसूली की जानी चाहिए।

अध्याय 2

वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियन्त्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखे सरकार द्वारा प्रतिवर्ष किये गये दत्तमत एवं भारित व्ययों का लेखा—जोखा हैं, जिनकी तुलना विनियोग अधिनियम, 2015 के साथ संलग्न की गयी सूचियों में विभिन्न प्रयोजनों हेतु निर्धारित अनुदानों एवं विनियोगों से की जाती है। इन लेखों में उक्त अधिनियम द्वारा प्राधिकृत बजट के भारित एवं दत्तमत मदों की धनराशियों के सापेक्ष मूल बजट अनुमानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोगों की धनराशियों एवं विशिष्ट सेवाओं पर हुए वास्तविक पूँजीगत एवं राजस्व व्यय का विवरण दिया जाता है। इस प्रकार, विनियोग लेखे वित्त प्रबंधन एवं बजट के प्रावधानों के अनुश्रवण को सुसाध्य बनाने के लिये एक नियन्त्रण अभिलेख हैं और इस कारण यह वित्त लेखे के पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियन्त्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित किया जाता है कि विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत व्यय की गई धनराशियाँ विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकृत थीं एवं संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत भारित होने वाला व्यय उस पर भारित था। लेखापरीक्षा में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि विधि सम्मत नियमों, विनियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुए धनराशियाँ व्यय की गयी हैं।

2.2 विनियोग लेखे का संक्षिप्त विवरण

बजट मैनुअल के प्रस्तर 141 के अनुसार, वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी धनराशि, जो अन्तिम विवरण में बचत दर्शायी गयी है, नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपयोग में नहीं लायी जायेगी। सभी अंतिम बचतों को 25 मार्च तक वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिये।

वर्ष 2015–16 के दौरान 93 अनुदानों/विनियोगों के सापेक्ष किये गये वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति सारणी 2.1 में दी गयी है।

**सारणी 2.1: मूल/अनुपूरक प्रावधानों के सापेक्ष किये गये वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति
(₹ करोड़ में)**

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित धनराशि	31 मार्च को अभ्यर्पित धनराशि	31 मार्च को अभ्यर्पित बचत की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	का. 7/का.6
दत्तमत	I राजस्व	1,88,270.49	28,822.93	2,17,093.42	1,85,502.85	31,590.57	17,242.98	17,242.98 55
	II पूंजीगत	74,082.90	10,711.05	84,793.95	77,312.13	7,481.82	7,066.59	7,066.59 94
	III ऋण तथा अग्रिम	2,792.99	7,088.64	9,881.63	9,117.91	763.72	738.22	738.22 97
	योग दत्तमत	2,65,146.38	46,622.62	3,11,769.00	2,71,932.89	39,836.11	25,047.79	25,047.79 63
भारित	IV राजस्व	29,055.56	547.70	29,603.26	28,777.49	825.77	26.84	26.84 3
	V पूंजीगत	36.11	11.00	47.11	29.09	18.02	3.08	3.08 17
	VI लोकऋण—पुनर्भुगतान	20,983.89	402.64	21,386.53	17,672.76	3,713.77	3,771.19	3,771.19 102
	योग भारित	50,075.56	961.34	51,036.90	46,479.34	4,557.56	3,801.11	3,801.11 83
	महायोग	3,15,221.94	47,583.96	3,62,805.90	3,18,412.23	44,393.67	28,848.90	28,848.90 65

नोट: वास्तविक व्यय के आंकड़ों में जिसमें दत्तमत राजस्व व्यय (₹ 1,544.39 करोड़) एवं दत्तमत पूंजीगत व्यय (₹ 12,918.50 करोड़) के अन्तर्गत वसूलियों को व्यय में से घटाकर समायोजित करते हुए सम्मिलित किया गया है।

(स्रोत: विनियोग लेखे, वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज वर्ष 2015–16)

सारणी दर्शाती है कि ₹ 44,393.67 करोड़ की कुल बचत, कुल अनुदान/विनियोग (₹ 3,62,805.90 करोड़) का 12 प्रतिशत थी। कुल बचत (₹ 44,393.67 करोड़) में से ₹ 28,848.90 करोड़ अभ्यर्पित किया गया, जो कुल बचत का 65 प्रतिशत थी।

दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत बचतें (₹ 39,836.11 करोड़), कुल अनुदानों (₹ 3,11,769 करोड़) का 13 प्रतिशत थीं। इसमें से ₹ 25,047.79 करोड़ की धनराशि 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित की गयी, जो बचत का 63 प्रतिशत थी।

भारित अनुभाग के अन्तर्गत कुल बचतें, ₹ 4,557.56 करोड़, कुल विनियोग (₹ 51,036.90 करोड़) का नौ प्रतिशत थीं। कुल बचतों में से ₹ 3,801.11 करोड़ 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित किया गया, जो बचतों का 83 प्रतिशत थीं।

राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के 123 प्रकरणों तथा ऋण सहित (लोक ऋण—पुनर्भुगतान) पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के 79 प्रकरणों में, ₹ 47,067.01 करोड़ की बचतों के परिणामस्वरूप ₹ 44,393.67 करोड़ की कुल बचतें हुईं जो राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के आठ प्रकरणों तथा पूंजीगत अनुभाग के चार प्रकरणों में ₹ 2,673.34 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसन्तुलित हुईं।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन

2.3.1 व्याधिक्य

व्यय की धनराशि, ₹ 16,665.84 करोड़, अनुमोदित प्रावधान से ₹ 2,673.33 करोड़ अधिक थी जहाँ व्यय चार अनुदानों के सात प्रकरणों में 10 करोड़ या अधिक; तथा पाँच

अनुदानों के पाँच प्रकरणों में कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था। इसका विवरण **परिशिष्ट 2.1** में दिया गया है।

सारणी 2.2 के विवरणानुसार निम्नलिखित दो अनुदानों में लगातार विगत पाँच वर्षों से 2015-16 के अंत तक व्याधिक्य पाया गया।

सारणी 2.2: अनवरत अधिक व्यय से सम्बन्धित अनुदानों का विवरण

क्र० सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	व्याधिक्य की धनराशि					(₹ करोड़ में)
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
राजस्व – दत्तमत							
1	55-लोक निर्माण विभाग (भवन)	2.48	2.36	4.78	7.71	8.35	
2	58- लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	106.77	166.12	204.95	310.73	281.23	
पूंजीगत – दत्तमत							
3	55-लोक निर्माण विभाग (भवन)	54.55	71.97	70.68	47.23	29.19	
4	58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	1,068.66	2,152.37	3,131.34	2,430.21	2,211.02	

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे)

वर्ष 2011-16 की अवधि में, राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत अनुदान संख्या 55-लोक निर्माण विभाग (भवन) एवं अनुदान संख्या 58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें) एवं पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत अनुदान संख्या 55-लोक निर्माण विभाग (भवन) एवं अनुदान संख्या 58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें) में अनवरत व्यय का आधिक्य बजट निर्माण के समय माँगों का कम आकलन प्रदर्शित करता है।

अनुदान संख्या 58 के छः योजनाओं¹ की समीक्षा के दौरान यह संज्ञान में आया कि ₹ 1,075 करोड़ बजट प्रावधान तथा ₹ 63.19 करोड़ पुनर्विनियोग द्वारा उपलब्ध कराया गया। कुल प्रावधान ₹ 1,138.19 करोड़ के सापेक्ष विभाग द्वारा ₹ 1,244.32 करोड़ का व्यय किया गया तथा ₹ 106.13 करोड़ का व्याधिक्य हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग द्वारा बताया गया कि प्रोराटा समायोजन के कारण अनुदान संख्या 54 के अन्तर्गत अधिष्ठान व्यय के साथ व्याधिक्य का समायोजन हुआ।

2.3.2 विगत वर्षों के अनुदानों/विनियोगों से अधिक हुए व्ययों के विनियमितीकरण की आवश्यकता

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह दिये गये अनुदानों/विनियोगों से अधिक व्यय को राज्य विधायिका द्वारा विनियमित कराये। यद्यपि, वर्ष 2005-15 की अवधि के व्याधिक्य ₹ 22,577.49 करोड़ का विनियमितीकरण किया जाना शेष था। 91 अनुदानों एवं 34 विनियोगों के अन्तर्गत

¹ राज्य राजमार्ग का निर्माण, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में छोटे पुलों के निर्माण के चालू कार्य, एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिये बाईपास का निर्माण, आर.आई.डी.एफ. योजना के अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों के मुख्य/अन्य जनपदीय सड़कों का सुदृढ़ीकरण/चोड़ीकरण, डा. राममनोहर लोहिया एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत चयनित असम्बद्ध बस्तियों को जोड़ने वाले लिंक रोड का निर्माण एवं श्री राम सरन दास ग्राम्य सड़क योजना के अन्तर्गत चयनित 500 से अधिक जनसंख्या वाले सम्बद्ध बस्तियों को जोड़ने वाले लिंक रोड का निर्माण।

हुए वर्षावार व्याधिक्य, जो विनियमितीकरण हेतु प्रतीक्षित थे, का विवरण सारणी 2.3 में दिया गया है।

सारणी 2.3: विगत वर्षों के अनुदानों/विनियोगों से अधिक हुए व्ययों के विनियमितीकरण की आवश्यकता

वर्ष	अनुदानों/विनियोगों की संख्या	अनुदानों/विनियोगों का विवरण	आधिक्य धनराशि (₹ करोड़ में)
2005-06	25—अनुदान 4—विनियोग	राजस्व दत्तमत— 8,12,19,53,55,57,58,72; पूंजीगत दत्तमत— 15,16,18,23,24,33, 34,37,38,40, 55, 56, 57,58,73,75,96; राजस्व भारित— 1,52; पूंजीगत भारित— 52,55;	1,026.78
2006-07	18—अनुदान 6—विनियोग	राजस्व दत्तमत— 9,13,55,58,61,62,73,91,95; पूंजीगत दत्तमत— 3,16,31, 37, 55,57,58,89,96; राजस्व भारित— 2,3,10,52,62,89;	2,484.47
2007-08	12—अनुदान 2—विनियोग	राजस्व दत्तमत— 51,55,57,58,62; पूंजीगत दत्तमत— 13,16,55,58,63,83,96; राजस्व भारित— 51,66	3,610.65
2008-09	5—अनुदान 1— विनियोग	राजस्व दत्तमत— 62,96; पूंजीगत दत्तमत— 55,58,96; राजस्व भारित— 52;	3,399.42
2009-10	6—अनुदान 6— विनियोग	राजस्व दत्तमत— 58; पूंजीगत दत्तमत— 1,16,55,58,59; राजस्व भारित— 3,10,16,48,52,66;	1,250.16
2010-11	6—अनुदान 4— विनियोग	राजस्व दत्तमत— 30,51,91; पूंजीगत दत्तमत— 10,55,58; राजस्व भारित— 10,23,61,82;	1,702.62
2011-12	6—अनुदान 6— विनियोग	राजस्व दत्तमत— 21,62,91; पूंजीगत दत्तमत— 1,55,58; राजस्व भारित— 13,18,23,61,62,82;	1,889.66
2012-13	4—अनुदान 3— विनियोग	राजस्व दत्तमत— 51,57; पूंजीगत दत्तमत— 55,58; राजस्व भारित— 55,62,89;	2,380.23
2013-14	2—अनुदान 1—विनियोग	पूंजीगत दत्तमत— 55, 58; पूंजीगत भारित— 52;	2,608.18
2014-15	7- अनुदान 1- विनियोग	राजस्व दत्तमत— 57,91; पूंजीगत दत्तमत— 1,40,55,57,58; राजस्व भारित— 13;	2,225.32
योग			22,577.49

(चोत: सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे)

2.3.3 वर्ष 2015–16 में अनुदानों/विनियोगों से अधिक हुए व्यय के विनियमितीकरण की आवश्यकता

वर्ष 2015–16 में अनुदानों/विनियोगों के आठ प्रकरणों में राज्य की संचित निधि से प्राधिकृत धनराशि से अधिक किया गया कुल व्याधिक्य ₹ 1,566.71 करोड़² का सार सारणी 2.4 में दिया गया है।

²विभिन्न अनुदानों में प्रोटाटा/उच्चत समायोजन होने के कारण अवशेष आधिक्य धनराशि (₹ 2,673.34 करोड़ - ₹ 1,566.71 करोड़) के अलग से विनियमितीकरण की आवश्यकता नहीं है।

सारणी 2.4: वर्ष 2015–16 के दौरान प्रावधान से अधिक व्यय के विनियमितीकरण की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	व्याधिक्य	वर्ष के दौरान निधियों का समायोजन	व्याधिक्य के विनियमितीकरण की आवश्यकता
1	2	3	4	5	6	7
पूँजीगत – दत्तमत						
1	55- लोक निर्माण विभाग (भवन)	81.31	110.50	29.19	7.87	21.32
2	57- लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	1,380.56	1,519.15	138.59	138.11	0.48
3	58- लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	8,358.88	10,569.90	2,211.02	668.22	1,542.80
4	87- सैनिक कल्याण विभाग	2.37	2.38	0.01	0.00	0.01
योग		9,823.12	12,201.93	2,378.81	814.20	1,566.71
राजस्व – भारित						
5	2- आवास विभाग	1.67	1.68	0.01	0.00	0.01
6	23- गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	0.02	0.06	0.04	0.00	0.04
7	52- राजस्व विभाग (राजस्व परिषद एवं अन्य व्यय)	0.19	1.03	0.84	0.00	0.84
8	62- वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	31.51	32.72	1.21	0.00	1.21
योग		33.39	35.49	2.10	0.00	2.10
महायोग		9,856.51	12,237.42	2,380.91	814.20	1,566.71

(स्रोत: विनियोग लेखे वर्ष 2015–16)

सारणी से यह स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत मार्च 2016 तक ₹ 1,566.71 करोड़ का विनियमितीकरण होना प्रतीक्षित था।

2.3.4 बचतें

विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 46 प्रकरणों में प्रत्येक में बचतें ₹ 10 करोड़ एवं कुल प्रावधानों के 20 प्रतिशत से अधिक थीं (परिशिष्ट 2.2)।

₹ 47,067.01 करोड़ की कुल बचतों के सापेक्ष 34 अनुदानों/विनियोगों से सम्बन्धित 48 प्रकरणों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक) में ₹ 44,890.95 करोड़ (95 प्रतिशत) की बचत पायी गयी, जिनका विवरण परिशिष्ट 2.3 में दिया गया है।

यह संज्ञान में आया कि ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें लेखे के राजस्व दत्तमत शीर्ष के अन्तर्गत 17 अनुदानों, अनुदान संख्या 9-ऊर्जा विभाग, 14-कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), 26-गृह विभाग (पुलिस), 32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी), 35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), 37-नगर विकास विभाग, 48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, 49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग, 51-राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत), 54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), 62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन), 71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), 72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), 80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण), 83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के

लिए विशेष घटक योजना), 94—सिंचाई विभाग (निर्माण) एवं 95—सिंचाई विभाग (अधिकारी) में हुई।

पूँजीगत दत्तमत शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें लेखे के आठ अनुदानों, अनुदान संख्या 9—उर्जा विभाग, 11—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि), 13—कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), 40—नियोजन विभाग, 48—अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, 71—शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), 72—शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) एवं 83—समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) में हुई।

इसी प्रकार, ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें राजस्व भारित के साथ—साथ पूँजीगत भारित के अन्तर्गत अनुदान संख्या 61—वित्त विभाग (ऋण सेवायें एवं अन्य व्यय) में भी रही।

वर्ष 2015–16 के दौरान 21 अनुदानों/विनियोगों में हुई बचतें (₹ 500 करोड़ से अधिक) की तुलना विगत वर्ष की बचतों से की गई और यह संज्ञान में आया कि इन 21 अनुदानों/विनियोगों में से 16 अनुदानों/विनियोगों के 19 प्रकरण ऐसे थे, जिनमें वर्ष 2014–15 के दौरान भी बचत (₹ 500 करोड़ से अधिक) हुई जिसका विवरण सारणी 2.5 में दिया गया है।

सारणी 2.5: बचत दर्शाने वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	वर्ष के दौरान हुई बचतें (₹ 500 करोड़ और अधिक)	
			2014-15	2015-16
1	09	ऊर्जा विभाग - पूँजीगत दत्तमत	1,615.00	2,493.80
2	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) – पूँजीगत दत्तमत	2,017.90	1,669.11
3	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) – राजस्व दत्तमत	2,368.27	3,117.69
4	26	गृह विभाग (पुलिस) - राजस्व दत्तमत	994.09	1,346.41
5	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)- राजस्व दत्तमत	672.14	938.53
6	37	नगर विकास विभाग – राजस्व दत्तमत	2,762.12	1,390.72
7	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग – राजस्व दत्तमत	815.40	852.81
8	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग – पूँजीगत दत्तमत	640.44	635.44
9	54	लोक निर्माण विभाग (अधिकारी) - राजस्व दत्तमत	1,265.68	1,384.03
10	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय) - राजस्व भारित	3,211.79	796.83
11	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय) - पूँजीगत भारित	9,971.46	3,711.90
12	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन) – राजस्व दत्तमत	3,829.53	4,666.51
13	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)- राजस्व दत्तमत	4,390.54	3,229.85
14	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) - राजस्व दत्तमत	787.75	918.15
15	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) - राजस्व दत्तमत	1,612.85	667.45
16	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) - राजस्व दत्तमत	2,509.94	2,306.78
17	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) - पूँजीगत दत्तमत	1,634.76	1,357.70
18	94	सिंचाई विभाग (निर्माण) – राजस्व दत्तमत	745.95	766.33
19	95	सिंचाई विभाग (अधिकारी) – राजस्व दत्तमत	739.30	933.97

(स्रोत: विनियोग लेखे वर्ष 2014–15 एवं 2015–16)

वर्ष 2015–16 एवं विगत वर्षों के दौरान भी प्रावधानित अनुदानों/विनियोगों में से अत्यधिक धनराशियों की बचत (₹ 500 करोड़ से अधिक) अपेक्षित निधियों का अनुचित आकलन दर्शाता है।

2.3.5 अनवरत बचत

यह संज्ञान में आया कि 16 अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत 18 प्रकरणों में विगत पाँच वर्षों से अनवरत बचत (₹ 100 करोड़ और अधिक), ₹ 208.61 करोड़ एवं ₹ 3,711.90 करोड़ के मध्य, हो रही थी। इसका विवरण **सारणी 2.6** में दिया गया है।

सारणी 2.6: अनवरत बचतों वाले अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	बचत की धनराशि				
			2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व—दत्तमत							
1	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	766.37	644.92	596.10	425.39	438.74
2	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	134.31	103.79	201.09	399.75	208.61
3	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	211.63	907.53	462.21	2,368.27	3,117.69
4	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	145.70	403.79	471.31	672.14	938.53
5	37	नगर विकास विभाग	625.51	238.51	654.69	2,762.12	1,390.72
6	42	न्याय विभाग	172.36	178.52	223.31	330.65	329.12
7	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	636.11	372.97	271.58	370.04	1,058.88
8	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	238.54	681.45	1,041.27	1,265.68	1,384.03
9	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	888.00	1,865.81	2,567.23	4,390.54	3,229.85
10	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	582.87	1,276.77	874.11	787.75	918.15
11	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	745.76	816.09	348.28	422.39	278.80
12	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	792.46	1,762.10	1,315.74	2,509.94	2,306.78
13	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	504.35	198.79	738.76	745.95	766.33
योग			6,443.97	9,451.04	9,765.68	17,450.61	16,366.23
पूंजीगत—दत्तमत							
14	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	100.86	177.73	470.53	286.17	533.67
15	26	गृह विभाग (पुलिस)	488.36	363.24	126.51	110.84	282.44
16	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	373.36	164.73	148.22	640.44	635.44
17	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	415.46	588.84	524.04	1,634.76	1,357.70
योग			1,378.04	1,294.54	1,269.30	2,672.21	2,809.25
पूंजीगत—भारित							
18	61	वित्त विभाग (ऋण सेवाएं एवं अन्य व्यय)	9,999.25	9,934.16	9,840.02	9,971.46	3,711.90
योग			9,999.25	9,934.16	9,840.02	9,971.46	3,711.90

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे)

अनुदानों की पर्याप्त संख्या में वर्ष भर अनवरत बचतें, धन की आवश्यकता एवं व्यय के प्रवाह की बिना उचित जाँच के राज्य सरकार द्वारा लगातार निधि की आवश्यकताओं का अनुचित आकलन दर्शाता है।

2.3.6 अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष 2015–16 में 52 प्रकरणों में ₹ 8,120.51 करोड़ का अनुपूरक अनुदान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) प्राप्त किया गया जो अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल प्रावधान की ही धनराशि व्यय नहीं की जा सकी थी जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.4** में दिया गया है। अनावश्यक एवं अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान दर्शाता है कि अनुपूरक बजट में किया गया प्रावधान वास्तविक आवश्यकताओं के आकलन पर आधारित नहीं था।

2.3.7 अधिक/अनावश्यक निधियों का पुनर्विनियोग

किसी अनुदान के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ पर बचत पूर्वानुमानित हो, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो, में हस्तान्तरण की प्रक्रिया पुनर्विनियोग है³।

अनौचित्यपूर्ण पुनर्विनियोग या तो अधिक या अपर्याप्त सिद्ध हुआ और परिणामस्वरूप, 46 अनुदानों के 135 उपशीर्षों में ₹ 3,053.82 करोड़ की बचत तथा 31 अनुदानों के 63 उपशीर्षों में ₹ 1,004.36 करोड़ का व्याधिक्य हुआ, जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.5** में दिया गया है।

2.3.8 अत्यधिक धनराशियों का अभ्यर्पण

227 उपशीर्षों से सम्बन्धित अत्यधिक धनराशियों, ₹ 9,245.82 करोड़ (92 प्रतिशत) का अभ्यर्पण (कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत या अधिक) किया गया, इनमें से वर्ष 2015–16 में कुल प्रावधानित ₹ 10,076.37 करोड़ थी, जिसमें 95 योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु प्रावधानित (₹ 4,941.22 करोड़) का शत—प्रतिशत अभ्यर्पण सम्मिलित है। इस प्रकार के प्रकरणों का विस्तृत विवरण अनुदानों के नाम, लेखाशीर्षों, अभ्यर्पित धनराशि, अभ्यर्पण के कारणों, जैसा कि शासन द्वारा सूचित किया गया, के साथ **परिशिष्ट 2.6** में दिया गया है। अत्यधिक धनराशियों का अभ्यर्पण यह दर्शाता है कि बजट हेतु समुचित सावधानी नहीं रखी गयी।

2.3.9 वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

वर्ष 2015–16 में 12 अनुदानों/विनियोगों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) में ₹ 5,740.03 करोड़ की बचत के सापेक्ष ₹ 5,938.18 करोड़ धनराशि का अभ्यर्पण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 198.15 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण हुआ जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.7** में दिया गया है। वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा मासिक व्यय विवरण के माध्यम से व्यय के प्रवाह की निगरानी पर पर्याप्त बजटीय नियन्त्रण नहीं रखा गया।

³बजट मैनुअल भाग-II

2.3.10 अभ्यर्पित न की गई पूर्वानुमानित बचतें

बजट मैनुअल के प्रस्तर 139 के अनुसार, व्यय करने वाले विभागों को ऐसे अनुदान /विनियोग या उनके अंश को, जैसे ही बचत प्रत्याशित हो, वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिए। यह संज्ञान में आया कि वर्ष 2015–16 के अन्त में अनुदानों /विनियोगों के 47 प्रकरणों में बचत होने के बाद भी उसका कोई भाग सम्बन्धित विभागों द्वारा अभ्यर्पित नहीं किया गया। इनमें ₹ 12,631.61 करोड़ की धनराशि निहित थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.8** में दिया गया है।

इसी प्रकार, 83 प्रकरणों (₹ एक करोड़ एवं अधिक की बचत वाले) में बचत की धनराशि ₹ 34,191.65 करोड़ में से ₹ 18,583.12 करोड़ (54 प्रतिशत) अभ्यर्पित नहीं की गयी, जो कुल बचत ₹ 47,067.01 करोड़ का 39 प्रतिशत थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.9** में दिया गया है। यह इस तथ्य का घोतक है कि वित्तीय नियन्त्रण अपर्याप्त था जिसके परिणामस्वरूप निधियाँ अवरुद्ध रहीं तथा इनका उपयोग विकास के वैकल्पिक उद्देश्यों हेतु नहीं किया जा सका।

2.3.11 राजस्व और पूंजी लेखे के अन्तर्गत व्ययों का गलत वर्गीकरण

राजस्व व्यय स्वभावतः आवर्ती होता है और राजस्व प्राप्तियों से होना माना जाता है। भारत सरकार लेखा मानक-2 (आई.जी.ए.एस-2) के अनुसार सहायता अनुदान पर किया गया व्यय स्वीकृतिकर्ता के लेखे में राजस्व व्यय के रूप में एवं प्राप्तकर्ता के लेखे में राजस्व प्राप्तियों के रूप में अभिलिखित किया जाता है। स्थायी प्रकृति के मूर्त परिसम्पत्तियों को बढ़ाये जाने से अथवा आवर्ती दायित्वों को कम करने के उद्देश्य से किये गये व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है।

वर्ष 2015–16 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा लघु निर्माण कार्यों हेतु प्रावधान राजस्व शीर्ष में न करके पूंजीगत शीर्ष में किया गया एवं धनराशि ₹ 60.17 करोड़ को पुस्तांकित किया गया। अनुदानों पर व्यय धनराशि ₹ 33.54 करोड़ पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत किया गया है, जबकि इसे राजस्व व्यय के रूप में प्रदर्शित होना चाहिए।

2.3.12 राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम

संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने आकस्मिकता निधि का गठन किया है। 1 अप्रैल 2015 को इसका कार्पस् (कोष) ₹ 600 करोड़ था। इसे एक अध्यादेश (संख्या-3 दिनांक 1 मई 2015) द्वारा राज्य की संचित निधि से आहरण हेतु बढ़ाकर ₹ 4,400 करोड़ किया गया। वर्ष 2015–16 में इससे ₹ 3,214.44 करोड़ का अग्रिम लिया गया।

आकस्मिकता निधि से सम्बन्धित लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, आकस्मिकता निधि को अंतरण हेतु संचित निधि से निकाली गई धनराशि मुख्य लेखा शीर्ष '7999—आकस्मिकता निधि को विनियोजन' को डेबिट तथा मुख्य लेखा शीर्ष '8000—201—संचित निधि से विनियोजन' को क्रेडिट की जाएगी। तथापि, यह संज्ञान में आया है कि लेखा प्रक्रिया, जो इस सम्बन्ध में निर्धारित है, को ध्यान में न रखते हुए (यथा, संचित निधि से विनियोग किये बिना मुख्य लेखा शीर्ष '7999' को डेबिट किया गया) धनराशि आहरित की गयी।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने बताया (जून 2016) कि मई 2015 में एक अध्यादेश के द्वारा इसकी सीमा को बढ़ाया गया था। यह स्थाई नहीं था, इसलिए विधान सभा में कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अनुपूरक बजट में धनराशि के अन्तरण के लिये कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया।

2.3.13 आकस्मिकता निधि से अग्रिम – प्रतिपूर्ति नहीं की गयी

आकस्मिकता निधि से सम्बन्धित लेन–देन वित्त लेखे के विवरण संख्या–21 में मुख्य शीर्ष 8000–आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत दर्शाये जाते हैं। वर्ष 2015–16 में यह संज्ञान में आया कि आकस्मिकता निधि से ₹ 44.07 करोड़ आहरित किया गया, जिसकी प्रतिपूर्ति उसी वर्ष आकस्मिकता निधि में, मार्च 2016 के अन्त तक, नहीं की जा सकी।

निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि आकस्मिकता निधि से ₹ 37.77 करोड़ स्वीकृत हुआ था और विभाग द्वारा राज्य में ग्राम पंचायत चुनाव 2015–16 में पिछड़ी जातियों की जनसंख्या की गणना (रैपिड सर्वे) के उद्देश्य हेतु धनराशि का आहरण किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा इगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि राज्य में पिछड़ी जातियों की जनसंख्या की गणना हेतु धनराशि आहरित की गयी क्योंकि वर्ष 2011 की जनगणना में पिछड़ी जाति की जनसंख्या का आंकड़ा उपलब्ध नहीं था, जो पंचायत चुनाव 2015–16 कराये जाने हेतु आवश्यक था।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ये अप्रत्याशित प्रकृति का व्यय नहीं था और इसका बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए था।

2.3.14 व्यय का अतिरेक

वर्ष 2015–16 के दौरान, कुल राजस्व व्यय का 27.43 प्रतिशत एवं कुल पूँजीगत व्यय का 35.12 प्रतिशत माह मार्च 2016 में ही व्यय किया गया। ऐसे व्यय विभागों के वर्ष के सम्पूर्ण बजट का महत्वपूर्ण भाग दर्शाते हैं। ऐसे प्रकरण, जिसमें मार्च माह में 10 प्रतिशत से अधिक व्यय किया गया, का विवरण परिशिष्ट 2.10 में दिया गया है।

2.3.15 बजटीय प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण

उत्तर प्रदेश वैयक्तिक लेजर खाता नियमावली, 1998 के नियम–4 भाग–2 के अनुसार, वैयक्तिक लेजर खाता महालेखाकार द्वारा निर्गत प्राधिकार के अन्तर्गत कार्यालयाध्यक्ष के नाम से खोला जायेगा। वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड–V, भाग–1 का नियम–162 कोषागार से धनराशि के आहरण का निषेध करता है जब तक कि इसकी त्वरित संवितरण के लिए आवश्यकता न हो।

यद्यपि, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, चिकित्सा विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के स्वीकृति आदेश के नमूना जांच में पाया गया कि ₹ 91.99 करोड़ की धनराशि कोषागार से आहरित की गई एवं प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने के लिए नियमों के विरुद्ध वैयक्तिक लेजर खाते में जमा की गई, जिसका विवरण सारणी 2.7 में दिया गया है।

सारणी 2.7: बजटीय प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण

क्र० सं०	अनुदान संख्या, नाम, विभाग का नाम तथा मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान (₹ करोड़ में)	वैयक्तिक लेजर खाते में जमा की गई धनराशि (₹ करोड़ में)	वित्तीय प्रभावों पर लेखा परीक्षा निष्कर्ष
1	अनुदान संख्या 31 – चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) मुख्य लेखा शीर्ष 4210	0.50 8.41	0.50 0.20	<ul style="list-style-type: none"> ● उपकरण क्रय करने हेतु ₹ 0.50 करोड़ स्वीकृत (मार्च 2016) किया गया जिसे आहरित कर किंग जार्ज मेडिकल कालेज (के.जी.एम.यू.), लखनऊ के वैयक्तिक लेजर खाते में जमा (मार्च 2016) किया गया। ● उपकरण क्रय करने हेतु ₹ 8.41 करोड़ स्वीकृत (मार्च 2016) किया गया जिसमें से ₹ 8.21 करोड़ विभाग को अभ्यर्पित कर दिया गया तथा शेष ₹ 0.20 करोड़ किंग जार्ज मेडिकल कालेज (के.जी.एम.यू.), लखनऊ के वैयक्तिक लेजर खाते में जमा (मार्च 2016) किया गया।
2	अनुदान संख्या 32 – चिकित्सा विभाग (एलोपैथी) मुख्य लेखा शीर्ष 4210	0.87	0.87	<ul style="list-style-type: none"> ● पाँच जनपदों में 10 बेड के पीडियाट्रिक आई.सी.यू. पाँच वेन्टीलेटर सहित, की स्थापना हेतु (₹ 17.32 लाख प्रति) कुल ₹ 0.87 करोड़ स्वीकृत किया गया (जनवरी 2016) जो आहरित करके वैयक्तिक लेजर खाते में जमा (मार्च 2016) किया गया।
3	अनुदान संख्या 48 – अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मुख्य लेखा शीर्ष 4235	200.00	84.14	<ul style="list-style-type: none"> ● अल्पसंख्यकों के कविस्तान/अन्त्येष्टि स्थल के सीमाओं के निर्माण हेतु ₹ 200 करोड़ स्वीकृत किया गया (अक्टूबर 2015), जिसमें से ₹ 115.86 करोड़ व्यय हुआ, शेष ₹ 84.14 करोड़ डी.आर.डी.ए., लखनऊ के वैयक्तिक लेजर खाते में जमा (मार्च 2016) किया गया।
4	अनुदान संख्या 83 – समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) मुख्य लेखा शीर्ष 4210	10.00	6.28	<ul style="list-style-type: none"> ● उपकरण क्रय करने हेतु ₹ 10 करोड़ स्वीकृत (फरवरी 2016) किया गया जिसमें से ₹ 3.72 करोड़ विभाग को अभ्यर्पित कर दिया गया तथा शेष ₹ 6.28 करोड़ किंग जार्ज मेडिकल कालेज (के.जी.एम.यू.), लखनऊ के वैयक्तिक लेजर खाते में जमा (मार्च 2016) किया गया।
योग		219.78	91.99	

(स्रोत: सम्बन्धित विभाग)

2.4 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

विधान सभा में समस्त अनुदानों की माँगों पर मतदान पूर्ण होने के पश्चात् राज्य की संचित निधि से (अ) विधान सभा द्वारा पारित अनुदानों की माँगों और (ख) संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए, अपेक्षित धनराशियों के विनियोग हेतु विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात्, विधेयक पर राज्यपाल महोदय की सहमति प्राप्त की जाती है जिसके उपरान्त अधिनियम एवं संलग्न अनुसूचियों में दर्शायी गयी धनराशियाँ विभिन्न माँगों के अन्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृत अनुदान होती हैं।

विनियोग अधिनियम, 2015 के कुल 93 अनुदानों में से सात अनुदानों⁴ की माह सितम्बर 2016 में समीक्षा की गयी। वर्ष 2015–16 में, अनुदानों के बजट प्रावधानों, व्ययों तथा बचतों का विवरण एवं समीक्षा के परिणाम की चर्चा नीचे की गई है।

अनुदान संख्या 11— कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) से सम्बन्धित अनुदान संख्या 11 की संक्षिप्त स्थिति सारणी 2.8 में दी गयी है।

सारणी 2.8: अनुदान संख्या 11— कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

₹ करोड़ में					
विवरण	धनराशि	योग	वास्तविक व्यय	बचत/आधिक्य	बचत प्रतिशत में
राजस्व – दत्तमत					
मूल	3,043.74		3,048.90	2,610.16	(-) 438.74
अनुपूरक	5.16				14.39
राजस्व – भारित					
मूल	0.15		0.15	1.13	0.98
अनुपूरक	-				-
पूंजीगत – दत्तमत					
मूल	890.29		902.29	368.62	(-) 533.67
अनुपूरक	12.00				59.15
महायोग	3,951.34	3,951.34	2,979.91	(-) 971.43	24.58
अभ्यर्पित धनराशि	राजस्व – दत्तमत		418.64		
	पूंजीगत – दत्तमत		534.51		

(स्रोत: विनियोग लेखे 2015–16)

उपर्युक्त अनुदान की समीक्षा दर्शाती है कि:

- अनुदान संख्या 11— कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत कुल ₹ 3,951.34 करोड़ का प्रावधान था। प्रावधान के सापेक्ष ₹ 2,979.91 करोड़ व्यय किया गया तथा ₹ 971.43 करोड़ (25 प्रतिशत) की बचत हुई। राजस्व दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत ₹ 3,048.90 करोड़ का प्रावधान किया गया। प्रावधान के सापेक्ष ₹ 2,610.16 करोड़ व्यय किया गया, बचत ₹ 438.74 करोड़ (14 प्रतिशत) की हुई एवं पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 902.29 करोड़ का प्रावधान किया गया। प्रावधान के सापेक्ष ₹ 368.62 करोड़ व्यय किया गया तथा ₹ 533.67 करोड़ (59 प्रतिशत) की बचत हुई।
- राजस्व दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत ₹ 5.16 करोड़ एवं पूंजीगत दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत ₹ 12 करोड़ के अनुपूरक अनुदान का आवंटन किया गया जो अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल प्रावधान की धनराशि ही व्यय नहीं की जा सकी थी।

⁴ अनुदान संख्या 11— कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि), अनुदान संख्या 14—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), अनुदान संख्या 35—विकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), अनुदान संख्या 36—विकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य), अनुदान संख्या 48—अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 80—समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण तथा अनुसूचित जातियों का कल्याण) एवं अनुदान संख्या 83—समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)।

योजनावार बचतों की चर्चा नीचे की गयी है:

- “नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एण्ड पाम ऑयल” योजना के लिये ₹ 15.96 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था। सरकार द्वारा ₹ 15.77 करोड़ निर्गत किया गया लेकिन विभाग द्वारा केवल ₹ 12.42 करोड़ का उपयोग किया गया तथा शेष धनराशि, ₹ 3.36 करोड़, अभ्यर्पित की गई। इसके उत्तर में, विभाग द्वारा बताया गया कि ₹ 3.40 करोड़ 17 मार्च 2016 को निर्गत किया गया था तथा समयाभाव के कारण राशि का उपयोग नहीं किया जा सका।
- “राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन” योजना पर ₹ 229.51 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था। सरकार द्वारा ₹ 188.07 करोड़ निर्गत किया गया लेकिन विभाग द्वारा केवल ₹ 166.07 करोड़ का उपयोग किया गया तथा शेष धनराशि, ₹ 59.83 करोड़, अभ्यर्पित कर दी गयी।
- “प्रमाणित बीज पर अनुदान” योजना के लिये ₹ 81.44 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था। सरकार द्वारा ₹ 61.44 करोड़ निर्गत किया गया लेकिन विभाग द्वारा केवल ₹ 39.33 करोड़ का उपयोग किया गया तथा शेष धनराशि, ₹ 20.11 करोड़, अभ्यर्पित की गई। इसके उत्तर में विभाग द्वारा बताया गया कि खरीफ की फसल में सूखा तथा उन्नत प्रजाति के बीजों की कमी के कारण धान के बीज का वितरण नहीं हो पाया। विभाग के उत्तर से यह स्वतः प्रमाणित होता है कि बीज वितरण का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।
- “नेशनल मिशन ऑन एप्रीकल्वर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नॉलॉजी” के लिए ₹ 240.67 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था। सरकार द्वारा ₹ 138.60 करोड़ निर्गत किया गया लेकिन विभाग द्वारा केवल ₹ 108.37 करोड़ का उपयोग किया गया तथा शेष धनराशि, ₹ 79.43 करोड़, अभ्यर्पित की गई।
- “कृषि विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग” योजना के लिए ₹ 28.67 करोड़ प्रदान किया गया था। विभाग द्वारा केवल ₹ 16.43 करोड़ का उपयोग किया गया तथा शेष धनराशि, ₹ 12.17 करोड़, अभ्यर्पित की गई। इसके उत्तर में विभाग द्वारा बताया गया कि योजना के लिये संविदा की स्वीकृति न होने के कारण धनराशि अभ्यर्पित की गई।
- “राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” के अन्तर्गत ₹ 373 करोड़ का आवंटन किया गया था, जिसमें से केवल ₹ 21.35 करोड़ का उपयोग किया गया। शेष ₹ 351.65 करोड़ अनुपयोगी रहा। विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परियोजनाओं की स्वीकृति न होने के कारण धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका।
- जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये ₹ 0.50 करोड़ की धनराशि का आवंटन किया गया था, जो सम्पूर्ण धनराशि अभ्यर्पित कर दी गयी। विभाग द्वारा बताया गया कि निविदा प्रक्रिया का अनुपालन न होने के कारण धनराशि का अभ्यर्पण किया गया।

बजट मैनुअल के प्रस्तर 25 में कहा गया है कि बजट तैयार किये जाने का मुख्य उद्देश्य जहाँ तक सम्भव हो वास्तविक व्यय/प्राप्तियों का सही अनुमान किया जाना है। उक्त अवलोकन ये दर्शाता है कि विभाग द्वारा आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका, जिस कारण से अत्यधिक धनराशि का अभ्यर्पण किया गया।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि यद्यपि सरकार ने वर्ष 2015–16 को ‘किसान वर्ष’ घोषित किया था, तथापि अत्यधिक धनराशि का अभ्यर्पण किया गया।

अनुदान संख्या 14— कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) से सम्बंधित अनुदान संख्या 14 की संक्षिप्त स्थिति सारणी 2.9 में दी गयी है।

सारणी 2.9: अनुदान संख्या 14— कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

(₹ करोड़ में)					
विवरण	धनराशि	योग	वास्तविक व्यय	बचत/आधिक्य	बचत प्रतिशत में
राजस्व – दत्तमत					
मूल	7,052.96				
अनुपूरक	1,103.86	8,156.82	5,039.13	(-) 3,117.69	38.22
पूंजीगत – दत्तमत					
मूल	621.38				
अनुपूरक	-	621.38	482.17	(-) 139.21	22.40
महायोग	8,778.20	8,778.20	5,521.30	(-) 3,256.90	37.10
अभ्यर्पित	राजस्व – दत्तमत			3,112.12	
धनराशि	पूंजीगत – दत्तमत			138.95	

(स्रोत: विनियोग लेखे 2015–16)

उपर्युक्त अनुदान की समीक्षा दर्शाती है कि:

- अनुदान संख्या 14 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत कुल ₹ 8,778.20 करोड़ का प्रावधान था। प्रावधान के सापेक्ष, ₹ 5,521.30 करोड़ व्यय किया गया तथा ₹ 3,256.90 करोड़ (37 प्रतिशत) की बचत हुई। राजस्व दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत ₹ 8,156.82 करोड़ व्यय किया गया। प्रावधान के सापेक्ष ₹ 5,039.13 करोड़ व्यय किया गया, ₹ 3,117.69 करोड़ (38 प्रतिशत) की बचत हुई एवं पूंजीगत दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत ₹ 621.38 करोड़ का प्रावधान किया गया। प्रावधान के सापेक्ष ₹ 482.17 करोड़ व्यय किया गया तथा ₹ 138.95 करोड़ (22 प्रतिशत) की बचत हुई।
- राजस्व दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत ₹ 1,103.86 करोड़ अनुपूरक अनुदान का आवंटन किया गया जो अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल प्रावधान की ही धनराशि व्यय नहीं की जा सकी थी।
- उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 174(10) के अनुसार, यह एक प्रकार की वित्तीय अनियमितता है कि कोषागार से धनराशि का आहरण उसके तुरन्त उपयोग की आवश्यकता न होने पर कर लिया जाये।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ई-जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अधिकारी को लैपटाप/टैबलेट/स्मार्टफोन उपलब्ध कराये जाने हेतु निःशुल्क लैपटाप/टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण योजना चलायी गयी। योजना के अन्तर्गत ₹ 5.30 करोड़ का आवंटन ग्राम पंचायत अधिकारियों को स्मार्टफोन वितरण हेतु किया गया और कड़ाई से आदेशित किया गया कि सन्दर्भित योजना हेतु धनराशि का आहरण एवं वितरण किया जाय। निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ कार्यालय के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विभाग ने दिनांक 31.03.2016 को बजटीय धनराशि जिला पंचायत के खाते में स्थानांतरण हेतु आदेश दिया था।

विभाग ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर धनराशि अभ्यर्पित न कर आवंटित धनराशि को जिला पंचायत (जिला निधि) के खाते में स्थानांतरित कर दिया। यह विभाग की अनियमितता दर्शाता है क्योंकि कोषागार से धनराशि का आहरण बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिये बिना किसी आवश्यकता हेतु किया गया जो शासन के आदेश और उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के विरुद्ध है।

अनुदान संख्या 35— चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) तथा अनुदान संख्या 36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) से सम्बन्धित अनुदान संख्या 35 की संक्षिप्त स्थिति सारणी 2.10 तथा चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) से सम्बन्धित अनुदान संख्या 36 की संक्षिप्त स्थिति सारणी 2.11 में दी गयी है।

सारणी 2.10: अनुदान संख्या 35— चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

विवरण	धनराशि	योग	वास्तविक व्यय	बचत/आधिक्य	बचत प्रतिशत में
राजस्व — दत्तमत					
मूल	4,946.59		4,946.59	3,542.48	(-) 1,404.11
अनुपूरक	-				28.39
राजस्व — भारित					
मूल	0.26		0.26	0.07	(-) 0.19
अनुपूरक	-				73.08
पूंजीगत — दत्तमत					
मूल	10.74		10.74	0.06	(-) 10.68
अनुपूरक	-				99.44
महायोग	4,957.59	4,957.59	3,542.61	(-) 1,414.98	28.54
अभ्यर्पित धनराशि	राजस्व — दत्तमत		1,394.31		
	राजस्व — भारित		0.19		
	पूंजीगत — दत्तमत		10.68		

(स्रोत: विनियोग लेखे 2015–16)

सारणी 2.11: अनुदान संख्या 36— चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

विवरण	धनराशि	योग	वास्तविक व्यय	बचत/आधिक्य	बचत प्रतिशत में
राजस्व — दत्तमत					
मूल	611.24		620.24	375.74	(-) 244.50
अनुपूरक	9.00				39.42
राजस्व — भारित					
मूल	0.02		0.02	-	(-) 0.02
अनुपूरक	-				100
पूंजीगत — दत्तमत					
मूल	8.15		15.15	9.21	(-) 5.94
अनुपूरक	7.00				39.21
महायोग	635.41	635.41	384.95	(-) 250.46	39.42
अभ्यर्पित धनराशि	राजस्व — दत्तमत		शून्य		
	पूंजीगत — दत्तमत		शून्य		

(स्रोत: विनियोग लेखे 2015–16)

उपर्युक्त अनुदानों की समीक्षा दर्शाती है कि:

राज्य सरकार ने अनुदान संख्या 35 के अन्तर्गत ₹ 4,957.59 करोड़ तथा अनुदान संख्या 36 के अन्तर्गत ₹ 635.41 करोड़ का आवंटन कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के अन्तर्गत व्यय, चिकित्सालय भवन के निर्माण, उपकरणों की खरीद इत्यादि के लिए किया। आहरण एवं संवितरण अधिकारी को वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रावधानों, बजट मैनुअल एवं सरकारी आदेशों में निहित निर्देशों के अनुपालन में आवंटित निधि में से व्यय करने की आवश्यकता है।

उक्त सारणी में दर्शायी गयी स्थिति से यह स्पष्ट है कि अनुदान संख्या 35 के अन्तर्गत कुल प्रावधान, ₹ 4,957.59 करोड़, के सापेक्ष ₹ 3,542.61 करोड़ का उपयोग हुआ तथा अनुदान संख्या 36 के अन्तर्गत कुल प्रावधान, ₹ 635.41 करोड़ के सापेक्ष ₹ 384.95 करोड़ का व्यय हुआ। आवंटन के सापेक्ष अनुदान संख्या 35 के अन्तर्गत ₹ 1,414.98 करोड़ (29 प्रतिशत) तथा अनुदान संख्या 36 के अन्तर्गत ₹ 250.46 करोड़ (39 प्रतिशत) की बचत हुई।

- उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल (यू.पी.बी.एम.) के प्रस्तर संख्या 32 में परिकल्पित है कि अवकाश वेतन सहित वेतन एवं भत्तों के लिए बजट अनुमान स्वीकृत संख्या के आधार के स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों की वास्तविक संख्या के आधार पर करना चाहिए। यू.पी.बी.एम. के प्रावधानों का अनुपालन न होने के परिणामस्वरूप अनुदान संख्या 35 के विभिन्न शीर्षों⁵ के अन्तर्गत अवकाश वेतन सहित वेतन एवं भत्तों के लिये ₹ 282.99 करोड़ का अधिक आवंटन हुआ, जो पद रिक्त होने के कारण बाद में अभ्यर्पित कर दिया गया।

इसी प्रकार, उपरोक्त प्रावधान का उल्लंघन करते हुये अनुदान संख्या 36 के विभिन्न शीर्षों⁶ के अन्तर्गत वेतन एवं अवकाश वेतन के लिये भी बजट अनुमान स्वीकृत पदों के आधार पर किया गया। परिणामस्वरूप, ₹ 228.10 करोड़ की धनराशि का अभ्यर्पण रिक्त पदों के कारण किया गया।

- यू.पी.बी.एम. के प्रस्तर संख्या 141 में परिकल्पित है कि कुल अन्तिम बचतें 25 मार्च तक वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देनी चाहिए जिससे इसे वित्त विभाग द्वारा व्यय शीर्ष के अन्तर्गत, जहाँ इसकी आवश्यकता हो, पुनर्विनियोग या अनुपूरक अनुदान द्वारा पुर्नआवंटित किया जा सके। अभिलेखों की जाँच में लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुदान संख्या 35 के दो शीर्षों⁷ में ₹ 10.74 करोड़ की राशि का आवंटन स्वारूप उपकेन्द्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के भवनों के निर्माण के लिये किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹ 10.68 करोड़ की राशि का अभ्यर्पण 31 मार्च को हुआ जो महानिदेशक, परिवार कल्याण द्वारा जनपदों को व्यय के लिये जारी नहीं किया जा सका। इसके परिणाम स्वरूप, स्वारूप उपकेन्द्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण कार्य निधि की कमी के कारण नहीं किया जा सका तथा आवंटित निधि का अभ्यर्पण कर दिया

⁵ 2211-001 (निर्देशन एवं प्रशासन) अभ्यर्पित धनराशि: ₹ 15.35 करोड़; 2211-003 (प्रशिक्षण) अभ्यर्पित धनराशि: अभ्यर्पित धनराशि: ₹ 10.45 करोड़; 2211-101 (ग्राम्य परिवार कल्याण सेवा) अभ्यर्पित धनराशि: ₹ 135.63 करोड़; 2211-102 (शहरी परिवार कल्याण सेवा) अभ्यर्पित धनराशि: ₹ 11.53 करोड़; 2211-200 (अन्य सेवाएं तथा आपूर्ति) अभ्यर्पित धनराशि: ₹ 27.68 करोड़; 2211-103 (मातृ एवं शिशु स्वारूप्य) अभ्यर्पित धनराशि: ₹ 82.35 करोड़

⁶ 2210-001 (अधिकार व्यय) अभ्यर्पित धनराशि: ₹ 4.53 करोड़; 2210-003 (प्रशिक्षण) अभ्यर्पित धनराशि: ₹ 1.32 करोड़; 2210-101 (बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण) अभ्यर्पित धनराशि: ₹ 220.44 करोड़; 2210-800 (अन्य व्यय) अभ्यर्पित धनराशि: ₹ 1.81 करोड़

⁷ 4210-101 (स्वास्थ्य उपकेन्द्र) ₹ 0.68 करोड़; 4210-101 (प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना) ₹ 10.00 करोड़

गया। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि निधि का अभ्यर्पण 25 मार्च के बाद किया गया अतः यह वित्त विभाग को व्यय शीर्ष में पुनः आवंटित करने के लिये उपलब्ध नहीं था जहाँ इसकी आवश्यकता थी तथा इसलिये यह उस उद्देश्य के लिये अप्रयुक्त रहा जिसके लिये राज्य विधायिका द्वारा इसका आवंटन बजट में किया गया था।

इसी प्रकार, अनुदान संख्या 36 के दो शीर्ष⁸ के अन्तर्गत ₹ 22.40 करोड़ की धनराशि, जिसमें शीर्ष 4210-04-107-03 के अन्तर्गत सरकारी सार्वजनिक विश्लेषक प्रयोगशालाओं के उच्चीकरण के लिये उपकरण की खरीद हेतु ₹ 5.58 करोड़ भी सम्मिलित है, को भी 25 मार्च के स्थान पर 31 मार्च को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अभ्यर्पित किया गया। वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त प्रयोगशालाओं के कुल प्रावधानित निधि के अभ्यर्पण का मुख्य कारण उपकरण की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया का पूर्ण न होना था। इस प्रकार, ₹ 5.58 करोड़ का उपयोग सरकारी सार्वजनिक विश्लेषक प्रयोगशालाओं के लिए नहीं किया जा सका।

अनुदान संख्या 48— अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से सम्बन्धित अनुदान संख्या 48 की संक्षिप्त स्थिति सारणी 2.12 में दी गयी है।

सारणी 2.12 : अनुदान संख्या 48— अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

(₹ करोड़ में)

विवरण	धनराशि	योग	वास्तविक व्यय	बचत/आधिक्य	बचत प्रतिशत में
राजस्व – दत्तमत					
मूल	1,768.24				
अनुपूरक	53.50	1,821.74	968.93	(-) 852.81	46.81
राजस्व – भारित					
मूल	0.02				
अनुपूरक	-	0.02	0.02	0.00	0.00
पूंजीगत – दत्तमत					
मूल	1,007.33				
अनुपूरक	-	1,007.33	371.89	(-) 635.44	63.08
महायोग	2,829.09	2,829.09	1,340.84	(-) 1,488.25	52.61
अभ्यर्पित धनराशि	राजस्व – दत्तमत			829.93	
	पूंजीगत – दत्तमत			633.85	

(स्रोत: विनियोग लेखे 2015-16)

उपर्युक्त अनुदान की समीक्षा दर्शाती है कि:

- अनुदान संख्या 48— अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत कुल बजट प्रावधान ₹ 2,829.09 करोड़ का था। प्रावधान के सापेक्ष ₹ 1,340.84 करोड़ व्यय किया गया तथा ₹ 1,488.25 करोड़ (53 प्रतिशत) की बचत हुई। राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,821.74 करोड़ का प्रावधान किया गया। प्रावधान के सापेक्ष ₹ 968.93 करोड़ व्यय किया गया, बचत ₹ 852.81 करोड़ (47 प्रतिशत) की हुई एवं पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,007.33 करोड़ का प्रावधान किया गया। प्रावधान के सापेक्ष ₹ 371.89 करोड़ व्यय किया गया तथा ₹ 635.44 करोड़ (63 प्रतिशत) की बचत हुई।

⁸ 2210-001 (अधिष्ठान व्यय) ₹ 16.82 करोड़; 4210-107 (प्रयोगशाला का उच्चीकरण) ₹ 5.58 करोड़

- राजस्व दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत आवंटित ₹ 53.50 करोड़ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल प्रावधान की धनराशि ही व्यय नहीं की जा सकी थी।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय की सम्पूर्ण प्रगति और विद्यार्थियों को शिक्षित करने हेतु पूर्व-दशम छात्रवृत्ति योजना प्रांरभ की गयी।

योजनान्तर्गत, अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी (छात्र/छात्रायें), जो 9 या 10 में पढ़ते हों और जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹ 60 प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए योग्य होंगे। इसके अतिरिक्त, दशमोत्तर योजना के अन्तर्गत कक्षा 11 एवं 12 के छात्र ₹ 3,595 प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकेंगे। विभाग द्वारा योजना के लक्ष्य एवं कार्यान्वयन का विवरण सारणी 2.13 में दिया गया है।

सारणी 2.13: योजना का लक्ष्य एवं कार्यान्वयन

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	अनुमानित लाभार्थी	बजट (मूल + अनुपूरक)	निर्गत धनराशि	लाभान्वित लाभार्थी	व्यय	अभ्यर्पण
1	पूर्व-दशम छात्रवृत्ति योजना (आयोजनेत्तर)	418333	30.12	19.64	0	0.00	19.64 (100)*
2	पूर्व-दशम छात्रवृत्ति योजना (जिला योजना)	146250	10.53	10.53	39268	2.76	7.77 (74)*
	योग	564583	40.65	30.17	39268	2.76	27.41
1	दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना	513839	214.73	163.89	313774	106.76	57.13 (35)*

(स्रोत: विनियोग लेखे 2015–16)

*अभ्यर्पित धनराशि की प्रतिशतता कोष्ठक में दर्शायी गयी है।

निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा पूर्व-दशम छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्रदान करने हेतु 564583 छात्रों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया एवं ₹ 40.65 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया जिसके सापेक्ष ₹ 30.17 करोड़ निर्गत किया गया। अभिलेखों द्वारा संज्ञान में आया कि केवल 39268 (सात प्रतिशत) लाभार्थियों को योजना का लाभ प्राप्त हुआ और ₹ 27.41 करोड़ (91 प्रतिशत) अभ्यर्पित किया गया।

इसी प्रकार, विभाग द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 513839 छात्रों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया और ₹ 214.73 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया जिसके सापेक्ष ₹ 163.89 करोड़ निर्गत किया गया। जैसा कि अभिलेखों में पाया गया कि केवल 313774 (61 प्रतिशत) लाभार्थी योजना से लाभान्वित हुए एवं ₹ 57.13 करोड़ (35 प्रतिशत) अभ्यर्पित किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि आवश्यकता न होने के कारण धनराशि अभ्यर्पित की गयी। यह भी बताया गया कि ₹ 30.12 करोड़ का आवंटन लगातार वर्ष 2014–15 से, पूर्व-दशम छात्रवृत्ति योजना हेतु किया जा रहा है।

विभाग का उत्तर स्वयं में सिद्ध करता है कि योजना हेतु बजट का उपयुक्त आकलन नहीं किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनावश्यक बजट का आवंटन किया गया जिसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक धनराशि का अभ्यर्पण किया गया।

अनुदान संख्या 80— समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) एवं अनुदान संख्या 83— समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)

समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) से सम्बन्धित अनुदान संख्या 80 की संक्षिप्त स्थिति सारणी 2.14 में तथा समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) से सम्बन्धित अनुदान संख्या 83 की संक्षिप्त स्थिति सारणी 2.15 में दी गयी है।

**सारणी 2.14: अनुदान संख्या 80—समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)**

(₹ करोड़ में)

विवरण	धनराशि	योग	वास्तविक व्यय	बचत/आधिक्य	बचत प्रतिशत में
राजस्व – दत्तमत					
मूल	5,275.05		5,329.05	4,661.60	(-) 667.45
अनुपूरक	54.00				12.52
महायोग	5,329.05	5,329.05	4,661.60	(-) 667.45	12.52
अभ्यर्पित धनराशि		राजस्व – दत्तमत			शून्य

(स्रोत: विनियोग लेखे 2015–16)

**सारणी 2.15: अनुदान संख्या 83—समाज कल्याण विभाग
(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)**

(₹ करोड़ में)

विवरण	धनराशि	योग	वास्तविक व्यय	बचत/आधिक्य	बचत प्रतिशत में
राजस्व – दत्तमत					
मूल	11,612.85		13,511.74	11,204.96	(-) 2,306.78
अनुपूरक	1,898.89				17.07
पूंजीगत – दत्तमत					
मूल	7,493.56		7,639.60	6,281.90	(-) 1,357.70
अनुपूरक	146.04				17.77
महायोग	21,151.34	21,151.34	17,486.86	(-) 3,664.48	17.33
अभ्यर्पित धनराशि		राजस्व – दत्तमत		899.24	
		पूंजीगत – दत्तमत		613.56	

(स्रोत: विनियोग लेखे 2015–16)

उपर्युक्त अनुदानों की समीक्षा दर्शाती है कि:

- उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 25 के अनुसार बजट तैयार किये जाने का मुख्य उद्देश्य जहाँ तक सम्भव हो वास्तविक व्यय/प्राप्तियों का सही अनुमान किया जाना है। अनुदान संख्या 80 के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) में कुल प्रावधान ₹ 5,329.05 करोड़ का था। प्रावधान के सापेक्ष ₹ 4,661.60 करोड़ का व्यय किया गया और कुल ₹ 667.45 करोड़ (13 प्रतिशत) की बचत हुई।
- अनुदान संख्या 80 के अन्तर्गत राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 54 करोड़ का अनुपूरक अनुदान आवंटित किया गया जो अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि विभाग द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान मूल बजट का ही उपयोग नहीं किया जा सका।

- अनुदान संख्या 83—समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत कुल प्रावधान ₹ 21,151.34 करोड़ का था। प्रावधान के सापेक्ष ₹ 17,486.86 करोड़ का व्यय किया गया और कुल ₹ 3,664.48 करोड़ (17 प्रतिशत) की बचत हुई। राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 13,511.74 करोड़ का प्रावधान किया गया। प्रावधान के सापेक्ष ₹ 11,204.96 करोड़ व्यय किया गया और ₹ 2,306.78 करोड़ (17 प्रतिशत) की बचत हुई। पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 7,639.60 करोड़ का प्रावधान किया गया। प्रावधान के सापेक्ष ₹ 6,281.90 करोड़ व्यय किया गया तथा ₹ 1,357.70 करोड़ (18 प्रतिशत) की कुल बचत हुई।
- अनुदान संख्या 83 के अन्तर्गत राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,898.89 करोड़ का एवं पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 146.04 करोड़ के अनुपूरक अनुदान का आवंटन किया गया। अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि विभाग द्वारा 2015–16 के दौरान मूल बजट का उपयोग ही नहीं किया जा सका।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा “समाजवादी पेंशन योजना”, वर्ष 2014–15 में चयनित गरीब परिवारों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति के उच्चीकरण हेतु, आरम्भ की गयी। योजना के अनुसार, परिवार के मुखिया को प्रतिमाह ₹ 500 का पेंशन दिया जाना था। वर्ष 2015–16 के दौरान, सरकार ने 45 लाख परिवारों को पेंशन देने हेतु इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य निश्चित किया और इस योजना हेतु ₹ 2,716 करोड़ का बजट आवंटन किया।

अनुदान संख्या 80 एवं अनुदान संख्या 83 के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि सरकार द्वारा लाभार्थियों को पेंशन योजना का लाभ देने हेतु जो लक्ष्य निश्चित किया गया था उसे बजट की उपलब्धता के बाद भी प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 142.11 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया। योजना का विवरण **सारणी 2.16** में दिया गया है।

सारणी 2.16: पेंशन योजना का लक्ष्य एवं कार्यान्वयन

अनुदान संख्या	लक्षित लाभार्थी	लाभान्वित लाभार्थी	निर्धारित लक्ष्य में कमी	बजट की आवश्यकता	बजट आवंटन	व्यय	अभ्यर्पण	(₹ करोड़ में)
80	3150000	2920927	229073	1,890.00	1,908.90	1,785.03	123.87	
83	1350000	1316203	33797	810.00	807.10	788.86	18.24	
योग	4500000	4237130	262870	2,700.00	2,716.00	2,573.89	142.11	

(स्रोत: सम्बन्धित विभाग)

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि लाभार्थियों की वास्तविक संख्या के आधार पर भुगतान किया गया, जो यह दर्शता है कि या तो लाभार्थियों का अनुमान करने में उचित मापदंड नहीं अपनाया गया अथवा विभाग आवश्यक संख्या में लाभार्थियों को पेंशन प्रदान करने में असफल रहा।

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान संख्या 83 के अन्तर्गत ‘विशेष घटक योजना’ (मुख्य लेखाशीर्ष 2235–02–789–07 छात्र/छात्राओं को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण) के लिए ₹ एक करोड़ का बजट आवंटन वर्ष 2015–16 के दौरान निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने हेतु किया गया। योजनान्तर्गत, इलाहाबाद और लखनऊ के 12 संस्थानों का चयन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिये किया गया। आवंटित धनराशि की प्रथम किश्त

₹ 0.50 करोड़ दिनांक 12.05.2015 को निर्गत की गयी और शेष आवंटित धनराशि की द्वितीय किश्त दिनांक 31.03.2016 को निर्गत की गयी।

अनुदान संख्या 83 की लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आया कि योजना के अन्तर्गत 2000 विद्यार्थियों ने 12 संस्थानों से कोचिंग प्राप्त किया। जिला कल्याण अधिकारी, इलाहाबाद और लखनऊ द्वारा लाभार्थियों की सूची निदेशक, समाज कल्याण को संस्थानों के ₹ 0.99 करोड़ (छात्रवृत्ति धनराशि ₹ 0.43 करोड़ और निःशुल्क कोचिंग धनराशि ₹ 0.56 करोड़) के भुगतान हेतु दिनांक 17.03.2016 को उपलब्ध करायी गयी। निदेशक, समाज कल्याण द्वारा दिनांक 31.03.2016 को संस्थानों को भुगतान हेतु आदेश निर्गत किया गया। भुगतान आदेश विलम्ब से निर्गत होने के कारण दिनांक 31.03.2016 को ₹ एक करोड़ की आवंटित धनराशि व्यपगत हो गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि भुगतान आदेश में विलम्ब होने के कारण आवंटित धनराशि व्यपगत हो गयी। विभाग के उत्तर से स्वयं सिद्ध होता है कि विभाग की तरफ से उदासीनता अपनाने के कारण और भुगतान आदेश विलम्ब से निर्गत करने के कारण वर्ष 2015–16 के अन्त में ₹ एक करोड़ की धनराशि व्यपगत हो गयी जिसके परिणामस्वरूप विभाग पर अदेय देयता अगले वित्तीय वर्ष के लिए सुजित हो गई।

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिये अत्यधिक धनराशि का आवंटन किया गया जिसका विवरण सारणी 2.17 में दिया गया है।

सारणी 2.17: कल्याण योजनाएं एवं उनका बजट प्रावधान

क्र० सं०	योजना का नाम और लेखाशीर्ष	बजट आवंटन	अभ्यर्पित धनराशि	(₹ करोड़ में)
अनुदान संख्या 83— समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)				
1	केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनायें; 2204–789–01	8.80	8.80	
2	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना का कार्यान्वयन; 2217–05–789–03	25.00	25.00	
3	अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता (जिला योजना); 2225–01–789–06	1.00	1.00	
4	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की बीमारी के इलाज और पुत्रियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता (जिला योजना); 2225–01–789–07	1.00	1.00	
5	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अल्पकालिक व्यावसायिक प्रशिक्षण; 2230–03–789–05	1.13	1.13	
6	छात्र/ छात्राओं को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण; 2235–02–789–07	1.00	1.00	
7	बी0पी0एल0 परिवारों की महिलाओं हेतु साड़ी; 2235–02–789–09	1.00	1.00	
8	बी0पी0एल0 परिवार के वृद्ध जनों को कम्बल; 2235–02–789–10	1.00	1.00	
9	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना; 2401–789–02	50.00	50.00	
10	समाजवादी शुद्ध पेयजल योजना के अन्तर्गत वाटर ए0टी0एम0; 2515–789–08	5.00	5.00	
11	केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनायें; 2810–01–789–01	0.59	0.59	
12	निजी क्षेत्र के सहयोग से एक्सप्रेस वे परियोजनायें; 2852–80–789–04	0.64	0.64	
13	मैनपुरी जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना; 4202–02–789–08	2.50	2.50	
14	केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनायें; 4415–789–01	10.94	10.94	
15	जल निकास की योजनायें; 4711–03–789–03	1.34	1.34	
16	केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनायें; 4801–06–789–01	300.00	300.00	
योग				410.94
(स्रोत: विनियोग लेखे 2015–16)				

सारणी दर्शाती है कि अनुदान संख्या 83 के अन्तर्गत 16 योजनाओं के लिये कुल ₹ 410.94 करोड़ का बजट आवंटन किया गया परन्तु वर्ष 2015–16 के अन्त में, आवंटित धनराशि को शत-प्रतिशत अभ्यर्पित कर दिया गया, जो यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा आवंटित बजट को उपयोग में लाने के लिए प्रयास नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, ऊपर दर्शायी गयी योजनाओं पर बिना व्यय किये सम्पूर्ण धनराशि अभ्यर्पित कर दी गयी।

2.5 निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

निष्कर्ष

- **वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन**

₹ 44,393.67 करोड़ की कुल बचत, ₹ 47,067.01 करोड़ की बचत का परिणाम थी जो ₹ 2,673.34 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित हुई। इसके अतिरिक्त अनावश्यक, अपर्याप्त, आधिक्य व बचत और अनुपूरक प्रावधानों के प्रकरण थे।

- **व्याधिक्य**

वर्ष 2005 से 2015 की अवधि में 91 अनुदानों एवं 34 विनियोगों के अन्तर्गत किए गये व्याधिक्य ₹ 22,577.49 करोड़ एवं वर्ष 2015–16 में किये गये ₹ 1,566.71 करोड़ के व्याधिक्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किए जाने की आवश्यकता है।

संस्तुतियाँ

- सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि बजटीय नियंत्रण प्रणाली समस्त विभागों में सुदृढ़ हो जिससे प्रावधान अनुपयोगी न रहे। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अत्यधिक, अनावश्यक, अविवेकपूर्ण अनुपूरक प्रावधान से बचा जाये।
- सरकार को व्याधिक्य के विनियमितीकरण के लिये त्वरित कदम उठाना चाहिए।

अध्याय ३

वित्तीय रिपोर्टिंग

सुसंगत एवं विश्वसनीय सूचनाओं के साथ एक मजबूत आन्तरिक वित्तीय रिपोर्टिंग राज्य सरकार द्वारा दक्ष एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ इनकी अनुपालन स्थिति पर समयबद्ध एवं गुणात्मक प्रतिवेदन, इस प्रकार अच्छे प्रशासन की विशिष्टियों में से एक है। अनुपालन एवं नियन्त्रण पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी एवं परिचालित है, तो यह राज्य सरकार को अपनी आधारभूत प्रबन्धन उत्तरदायित्वों सहित नीतिगत योजनाओं एवं निर्णय-प्रबन्धन के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है। यह अध्याय वर्तमान वर्ष में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

3.1 उपभोग प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत न किया जाना

3.1.1 राज्य सरकार के नियमों (वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 भाग 1 का प्रस्तर 369-एच) में वर्णित है कि जहाँ विशिष्ट उद्देश्यों के लिये सहायता अनुदान स्वीकृत किये जाते हैं, सम्बन्धित विभागीय अधिकारी द्वारा अनुदान प्राप्तकर्ताओं से उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सत्यापन के पश्चात् महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अग्रेषित किया जाना चाहिये। उपभोग प्रमाण-पत्रों के अप्रस्तुतीकरण के कारण जारी किये गये सहायता अनुदानों का उनके विशिष्ट उद्देश्यों पर उपभोग सुनिश्चित किया जाना कठिन होता है। 31 मार्च 2016 तक अप्राप्त उपभोग प्रमाण-पत्रों की स्थिति सारणी 3.1 में दी गई है।

सारणी 3.1: अप्राप्त उपभोग प्रमाण-पत्रों की स्थिति

अवधि	अप्राप्त उपभोग प्रमाण-पत्रों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
2013-14 तक	361489	1,00,539.80
2014-15	18440	19,914.15
2015-16	19630	25,847.63
योग	399559	1,46,301.58

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2015-16)

सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2015-16 के अंत तक अत्यधिक संख्या में पर्याप्त धनराशि के उपभोग प्रमाण-पत्र लम्बित थे।

उपभोग प्रमाण-पत्रों के अप्रस्तुतीकरण के मुख्य प्रकरण समाज कल्याण विभाग (49349 प्रकरण - ₹ 22,104 करोड़), प्राथमिक शिक्षा विभाग (45107 प्रकरण - ₹ 19,818 करोड़), पंचायती राज (10937 प्रकरण - ₹ 18,287 करोड़), ऊर्जा विभाग (186 प्रकरण - ₹ 18,065 करोड़) एवं समाज कल्याण तथा अनुसूचित जातियों का कल्याण विभाग (29767 प्रकरण - ₹ 14,181 करोड़) से सम्बन्धित थे। इतने अधिक लम्बित उपभोग प्रमाण पत्रों की धनराशि, कुल लम्बित उपभोग प्रमाण पत्रों की कुल धनराशि के 63 प्रतिशत थे।

अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान कृषि एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा उत्तर दिया गया (सितम्बर 2016) कि उपभोग प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने की प्रक्रिया की जा रही है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा उपभोग प्रमाणपत्रों को निर्धारित अवधि में प्राप्त करके कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

3.2 विस्तृत आकस्मिक बिल

उत्तर प्रदेश ट्रेजरी मैनुअल के प्रस्तर 62 के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी सेवा शीर्षों को डेबिट करते हुए संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) देयक द्वारा धनराशि आहरित करने के लिए प्राधिकृत हैं। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा आहरित धनराशि के उपभोग के पश्चात् विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) देयक समर्थित अभिलेखों सहित महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दीर्घकाल तक समर्थित विस्तृत आकस्मिक देयकों का अप्रस्तुतीकरण संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के अन्तर्गत व्यय को अपारदर्शी बनाता है।

31 मार्च 2016 को ₹ 301.13 करोड़ की धनराशि के 5113 संक्षिप्त आकस्मिक देयक विस्तृत आकस्मिक देयकों के अभाव में लम्बित थे। वर्षावार विवरण सारणी 3.2 में दी गई है।

सारणी 3.2: असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक देयक

अवधि	अनिस्तारित डी.सी. बिलों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
2013-14 तक	4453	64.53
2014-15	319	131.81
2015-16	341	104.79
योग	5113	301.13

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2015-16)

वर्ष 2015-16 के दौरान, ₹ 104.79 करोड़ धनराशि के आहरित 341 एओसी० बिलों के सापेक्ष 46 संक्षिप्त आकस्मिक देयक, जिनकी धनराशि ₹ 24.94 करोड़ थी, मार्च 2016 में आहरित किये गये। इनमें 13 संक्षिप्त आकस्मिक देयक, जिनकी धनराशि ₹ 9.80 करोड़ थी, सम्मिलित थे। ये देयक दिनांक 29 और 31 मार्च 2016 के मध्य आहरित किये गये। मार्च माह में तथा विशेष रूप से मार्च माह के अन्तिम सप्ताह में संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के माध्यम से महत्वपूर्ण व्यय करना, प्राथमिक रूप से बजट का पूर्ण उपभोग करने का उद्देश्य और बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण दर्शाता है।

3.3 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा निर्धारित प्रारूप में वित्तीय परिचालन एवं व्यवसाय में दक्षता सम्बन्धी कार्यकारी परिणाम दर्शाते हुए प्रतिवर्ष निर्धारित प्रारूप में प्रोफॉर्मा लेखे बनाये जाते हैं। इन लेखों को लेखा-बन्दी के माह से तीन माह के अन्दर लेखापरीक्षा हेतु महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

राज्य में मार्च 2016 तक इस प्रकार के नौ उपक्रम थे। इनमें से तीन उपक्रमों ने प्रोफॉर्मा लेखे मार्च 2016 तक तैयार नहीं किये थे। विभागवार लेखों के बकाये का विवरण परिशिष्ट 3.1 में दिया गया है।

स्टेट फार्मसी ऑफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन (बिना किसी निवेश के) द्वारा वर्ष 1991-92 से वर्ष 2015-16 तक अपने लेखे तैयार नहीं किये गये थे। राज्य पशुधन सह कृषि फार्म, जिसमें ₹ 24.85 करोड़ का निवेश किया गया था, के वर्ष 2011-12 से

2015–16 की अवधि के प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किये गये थे। इसी प्रकार, खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें ₹ 2,617.93 करोड़ का निवेश किया गया था, के वर्ष 2012–13 से 2015–16 की अवधि के प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किये गये थे।

फलस्वरूप, विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में निवेशित धनराशि लेखापरीक्षा/राज्य विधायिका की जांच से परे थी।

3.4 लम्बित प्रकरणों की स्थिरीटिंग

वित्तीय नियमों के प्रस्तर 82 के अनुसार, हानि एवं गबन के प्रकरणों को, उन प्रकरणों सहित जिसमें उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा क्षतिपूर्ति कर दी गयी हो, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जी. एण्ड एस.एस.), उ.प्र., इलाहाबाद को अविलम्ब प्रेषित किया जाना चाहिए।

वर्ष 2015–16 की अवधि तक, इस प्रकार के 135 प्रकरण निस्तारण हेतु लम्बित थे, जिनमें ₹ 8.83 करोड़ (₹ 882.57 लाख) की धनराशि निहित थी। विभागवार लम्बित प्रकरणों का विवरण एवं उनका अवधिवार विश्लेषण **परिशिष्ट 3.2** में दिया गया है। ऐसे प्रकरणों की प्रकृति का विवरण भी **परिशिष्ट 3.3** में दिया गया है। परिशिष्टियों में दिये गये अवधिवार लम्बित प्रकरणों को सारणी 3.3 में सारांशीकृत किया गया है।

सारणी 3.3: लम्बित प्रकरणों की स्थिरीटिंग

अवधिवार लम्बित प्रकरण			लम्बित प्रकरणों की प्रकृति		
अवधि (वर्षों में)	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित धनराशि (₹लाख में)	प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों की प्रकृति	सम्मिलित धनराशि (₹लाख में)
0 – 5	8	66.85	चोरी	63	40.99
5 – 10	17	308.07			
10 – 15	18	44.17	दुर्विनियोग	08	58.73
15 – 20	17	63.57			
20 – 25	32	16.06	हानि	23	171.27
25 और इससे अधिक	43	383.85	गबन	41	611.58
योग	135	882.57	योग	135	882.57

(स्रोत: सम्बन्धित विभागों के अभिलेख)

अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि ₹ 884.60 लाख के 139 प्रकरणों (31 मार्च 2015 तक) में से ₹ 2.03 लाख के चार प्रकरण वर्ष 2015–16 में निस्तारित किये गये/बहुत खाते में डाल दिये गये थे (**परिशिष्ट 3.4**) एवं शेष 135 प्रकरण, जिसमें ₹ 882.57 लाख की धनराशि निहित थी, मार्च 2016 तक **सारणी 3.4** में दिये गये विभिन्न कारणों से लम्बित थे।

सारणी 3.4: लम्बित प्रकरणों के कारण

विलम्ब/अवशेष प्रकरणों का कारण		प्रकरणों की संख्या	धनराशि (₹ लाख में)
क	विभागीय एवं आपराधिक जाँच प्रतीक्षित है	27	189.67
ख	विभागीय जाँच प्रारम्भ की गयी परन्तु अन्तिम रूप नहीं दिया गया	74	541.63
ग	आपराधिक कार्यवाही पूरी की गयी परन्तु धनराशि की वसूली की प्रक्रिया के प्रकरण लम्बित हैं	1	4.14
घ	वसूली या अपलेखन के आदेश अपेक्षित हैं	9	6.40
ड	माननीय न्यायालयों में लम्बित	24	140.73
योग	135	882.57	

(स्रोत: सम्बन्धित विभागों के अभिलेख)

3.5 राज्य सरकार द्वारा बजट में नये उपशीर्ष व विस्तृत शीर्षों का खोला जाना

नये उपशीर्ष एवं विस्तृत शीर्ष जो किसी योजना/उपयोजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा खोले जाते हैं, उन्हें खोलने के पूर्व विधितः राज्य के महालेखाकार से इस सम्बन्ध में सलाह लेना चाहिए, परन्तु राज्य सरकार ने महालेखाकार की सहमति लिए बिना ही अपने बजट में ऐसे नये शीर्षों को खोला है। विवरण परिशिष्ट 3.5 में दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा यह कहा गया (जून 2016) कि भविष्य में बजट में ऐसे नए उपशीर्ष एवं विस्तृत शीर्ष खोलने पर उसकी सूची महालेखाकार के पास अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी।

3.6 लघु लेखा शीर्ष-‘800’ का परिचालन

लघु शीर्ष 800—अन्य प्राप्तियाँ/अन्य व्यय का केवल तभी परिचालन किया जाना उचित है जब समुचित लघुशीर्षों की लेखे में उपलब्धता न हो। लघु शीर्ष 800 का नियमित परिचालन हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखों की पारदर्शिता को कम करता है।

यद्यपि, वर्ष 2015–16 के दौरान लघु शीर्ष 800—अन्य व्यय के अन्तर्गत, सम्बन्धित विभिन्न मुख्य शीर्षों (राजस्व एवं पूँजीगत) के अन्तर्गत, ₹ 43,328.60 करोड़ के व्यय अभिलेखित किये गये, जो राजस्व एवं पूँजीगत शीर्षों के समस्त व्यय ₹ 2,77,158.67 करोड़ का लगभग 15.63 प्रतिशत थे। इसी प्रकार, विभिन्न मुख्य शीर्षों के प्राप्ति पक्ष में ₹ 37,594.34 करोड़ लघु शीर्ष 800—अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत अभिलेखित किये गये, जो कुल राजस्व प्राप्तियों, ₹ 2,27,075.94 करोड़, का लगभग 16.56 प्रतिशत था। ऐसे उदाहरण जहाँ प्राप्तियों एवं व्यय के महत्वपूर्ण भाग (मुख्य लेखाशीर्ष के अन्तर्गत कुल प्राप्तियों/व्यय का 50 प्रतिशत या अधिक) लघु शीर्ष 800—अन्य प्राप्तियों/व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये थे, का विवरण परिशिष्ट 3.6 एवं 3.7 में दिया गया है एवं सारणी 3.5 में सारांशीकृत किया गया है।

सारणी 3.5: लघु लेखा शीर्ष-800 के अन्तर्गत ‘अन्य प्राप्तियाँ’ एवं ‘अन्य व्यय’ का दर्शाया जाना

विवरण	प्राप्तियाँ		व्यय	
	धनराशि (₹ करोड़ में)	लेखाशीर्ष	धनराशि (₹ करोड़ में)	लेखाशीर्ष
100 प्रतिशत एवं अधिक	1,432.53	0217, 0801, 0023, 0506, 0852, 1456, 0810, 1053, 0220, 0415, 0875, 0215, 0575, 0047	22,986.82	2801, 2040, 5053, 2705, 4859, 2407, 2885, 4853, 5425, 2041, 4047
75 प्रतिशत एवं 99 प्रतिशत के मध्य	30,881.90	0235, 0406, 0851, 0075, 0425, 0230, 0071, 0029, 1055, 0211, 0056, 1452, 1054, 1601	1,346.70	3475, 4070
50 प्रतिशत एवं 74 प्रतिशत के मध्य	871.49	0403, 0401, 0059, 0700, 0853, 0515	2,208.81	4575, 4235, 2405, 2575, 3452, 4401, 4202, 4217
योग	33,185.92		26,542.33	

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2015–16)

परिणामस्वरूप, शासन के विभिन्न कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के अन्तर्गत प्राप्तियां/व्यय जो लघु शीर्ष '800—अन्य प्राप्तियां/अन्य व्यय' के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये थे, वित्त लेखे 2015–16 में उचित लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अलग से दर्शाये नहीं जा सके।

राज्य सरकार द्वारा यह बताया गया (जून 2016) कि लघु शीर्ष 800—अन्य प्राप्तियां/व्यय का उपयोग बजट बनाते समय उन मामलों में किया जाता है जहाँ योजना से सम्बन्धित प्राप्तियां/व्यय के उपबन्धों के लिए विशिष्ट लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं होते हैं। तथापि, राज्य सरकार कई वर्षों से प्राप्तियां एवं व्यय के एक महत्वपूर्ण भाग को बहुप्रयोज्य लघुशीर्ष 800 के तहत पुस्तांकित करती रही है।

3.7 उपकर का अन्तिम उपयोग

विशिष्ट कार्यों पर होने वाले व्ययों के निर्वहन हेतु राज्य सरकार उपकर लगाती है। राज्य सरकार द्वारा लगाये गये श्रम उपकर की नमूना जाँच यह देखने के लिए की गई कि निधि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है, जिसके लिये यह एकत्र की गयी थी।

3.7.1 श्रम उपकर का अन्तिम उपयोग

भारत सरकार भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम 27) और भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम 28), असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के सेवा शर्तों, विशेष रूप से स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को विनियमित करने तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों को उपकर का लाभ देने के लिए अधिनियमित करती है। भारत सरकार के अधिनियम के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2009 बनाया।

अधिनियम (1996 का अधिनियम 27) के नियम 1 (4) के अनुसार प्रत्येक अधिष्ठान, जो किसी भी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन 10 या अधिक निर्माण श्रमिकों को नियोजित किया हो या ऐसे निजी आवासीय भवन स्वामी, जिसके निर्माण की लागत ₹ 10 लाख या उससे अधिक हो, पर लागू होगा। यह परिकल्पित है कि उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत आने वाले सभी अधिष्ठानों से कुल निर्माण लागत के एक प्रतिशत की दर से उपकर की कटौती की जायेगी।

सन्निर्माण श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिये योजना को तैयार एवं लागू किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, श्रम विभाग के सम्पूर्ण नियंत्रण में भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बी.ओ.सी.डब्ल्यू.) का गठन (नवम्बर 2009) किया गया। एकत्र किये गये उपकर का उपयोग, लेखे का रख-रखाव एवं बजट तथा वार्षिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी बी.ओ.सी.डब्ल्यू. की थी।

3.7.2 श्रम उपकर आरोपित एवं एकत्र करने सम्बन्धी प्रावधान

उपकर अधिनियम के धारा 3 के अनुसार एक उपकर लगाया जायेगा जो निर्माण लागत के एक प्रतिशत से कम न हो। इसके अतिरिक्त, ₹ 50 का पंजीकरण शुल्क तथा ₹ 50 वार्षिक सदस्यता शुल्क उप श्रमायुक्त द्वारा श्रमिकों से लिया जाना था एवं समस्त एकत्रित धनराशि को उप श्रमायुक्त द्वारा बी.ओ.सी.डब्ल्यू. को प्रेषित किया जाना था।

3.7.3 कल्याण बोर्ड के कार्य

भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (नियोजन एवं शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 22 के अनुसार, बोर्ड का मुख्य कार्य लाभार्थियों को दुर्घटना पेंशन भुगतान, ऋण एवं अग्रिम की स्वीकृतियों, सामूहिक बीमा योजना के प्रीमियम का भुगतान, बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता, गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु सहायता, महिला लाभार्थियों को मातृत्व लाभ के भुगतान में सहायता प्रदान करना है।

3.7.4 वित्तीय स्थिति

भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 27 के अनुसार, बोर्ड द्वारा सम्बन्धित अभिलेखों का रख रखाव एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. के लेखों का वार्षिक विवरण तैयार किया जाना चाहिये। लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आया कि बोर्ड ने आरम्भ से ही अपने लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया था। तथापि, लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार 2011–16 की अवधि के दौरान उपकर की वर्षावार प्राप्ति एवं उपयोग का विवरण **सारणी 3.6** में दिया गया है।

सारणी 3.6 पंजीकरण शुल्क, उपकर एवं उपयोग की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं०	वर्ष	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्तियाँ			कुल उपलब्ध निधि	व्यय	अन्तिम शेष
			पंजीकरण शुल्क	श्रम उपकर	जमा धनराशि पर ब्याज			
1	2011-12	104.53	1.33	266.63	11.71	384.20	2.29	381.91
2	2012-13	381.91	13.87	311.79	27.43	735.00	4.89	730.11
3	2013-14	730.11	17.84	458.46	49.58	1,255.99	98.12	1,157.87
4	2014-15	1,157.87	28.59	500.44	72.87	1,759.77	127.63	1,632.14
5	2015-16	1,632.14	14.55	686.81	128.39	2,461.89	202.41	2,259.48
योग			76.18	2,224.13	289.98		435.34	

(स्रोत: सचिव, बी.ओ.सी.डब्ल्यू.) (अनन्तिम आंकड़े)

सारणी में दिये गये विवरणों के आधार पर निम्नांकित टिप्पणियाँ दर्शाया जाना उचित है:

- बोर्ड द्वारा आरम्भ से ही अपने लेखे तैयार नहीं किये गये हैं। इसलिए आय एवं व्यय के आंकड़े प्रमाणित नहीं हैं। प्रमाणित लेखे के अभाव में लेखापरीक्षा के दौरान व्यय की प्रामाणिकता एवं इसकी विश्वसनीयता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।
- मार्च 2016 को कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 2,259.48 करोड़ (**परिशेष्ट 3.8**) सावधि जमा एवं बचत बैंक खाते में रखी गयी है। बोर्ड द्वारा उपलब्ध धनराशि के निवेश एवं ब्याज प्राप्ति हेतु प्रतियोगी दर पद्धति नहीं अपनायी गयी।
- प्राप्त की गई निधियों से सृजित की गई परिसम्पत्तियों का विवरण स्थाई परिसम्पत्तियों के रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया गया है। स्थाई परिसम्पत्ति रजिस्टर एवं डेड स्टॉक रजिस्टर के अभाव में परिसम्पत्तियों की वास्तविक स्थिति का सत्यापन नहीं किया जा सका।

3.7.5 उपकर का उपयोग

उत्तर प्रदेश सरकार ने बोर्ड की स्थापना के समय योजनाओं के रूप में 11 गतिविधियों (फरवरी 2009) को अधिसूचित किया था, जिसमें मातृत्व हितलाभ, पेंशन, आवास निर्माण एवं क्रय हेतु अग्रिम, अक्षमता पेंशन, अन्त्येष्टि सहायता, मृत्यु हितलाभ, मेधावी छात्रों को नकद पुरस्कार, चिकित्सा सहायता, लाभार्थियों के बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता तथा परिवार पेंशन सम्मिलित है।

बोर्ड द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन के स्तर पर 20 योजनाओं का चयन किया गया था एवं योजनाओं के प्रचार के लिए बाद में प्रचार-प्रसार योजना के रूप में एक अतिरिक्त योजना शुरू की गयी थी। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि कुल चयनित 20 योजनाओं में से दो योजनाओं को रद्द कर दिया गया (अगस्त 2014 एवं मार्च 2015), एक योजना को बन्द कर दिया गया (फरवरी 2016), एक योजना को स्थगित कर दिया गया (फरवरी 2014) एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त न होने के कारण एक योजना अब तक शुरू नहीं हुई है (मई 2016)। उपलब्ध धनराशि से वर्ष 2011–16 की अवधि में योजनाओं पर हुये व्यय का विवरण सारणी 3.7 में दर्शाया गया है।

सारणी 3.7: निधि की उपलब्धता के सापेक्ष योजनाओं पर व्यय का विवरण

वर्ष	उपलब्ध निधि (₹ करोड़ में)	संचालित योजनायें		योजनाओं पर वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत श्रमिक	आच्छादित श्रमिक	प्रतिशत	
		संख्या	आवंटन (₹ करोड़ में)				आच्छादित श्रमिक	आंवटन के सापेक्ष निधि का उपयोग
2011-12	384.20	8	64.00	1.41	161687	3837	2.37	2.20
2012-13	735.00	14	197.50	3.95	270871	9610	3.55	2.00
2013-14	1,255.99	16	301.83	93.39	1090192	95295	8.74	30.94
2014-15	1,759.77	19	453.40	105.96	1958544	214121	10.93	23.37
2015-16	2,461.89	19	603.60	141.82	2741452	277909	10.14	23.50
योग			1,620.33	346.53				

(स्रोत: सविव, बी.ओ.सी.डब्ल्यू.) (अनन्तिम आंकड़े)

सारणी से स्पष्ट है कि बोर्ड द्वारा निधि की उपलब्धता के सापेक्ष योजनाओं पर मात्र दो प्रतिशत से लेकर 30.94 प्रतिशत तक ही व्यय किया गया, जो यह दर्शाता है कि एकत्र किये गये उपकर के सापेक्ष योजनाओं पर किया गया व्यय उस स्तर के अनुरूप नहीं किया गया, जिस स्तर पर किया जाना आवश्यक था। जिस उद्देश्य हेतु उपकर का संग्रह किया गया था, राज्य सरकार उस का लाभ लाभार्थियों को पहुंचाने में असफल रही।

3.8 धनराशियों को केन्द्रीय सङ्केत निधि में हस्तान्तरण न किया जाना

वर्ष 2015–16 में केन्द्रीय सङ्केत निधि से अनुदान के लिए ₹ 300 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया था। इसके सापेक्ष, वर्ष 2015–16 के दौरान, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को केन्द्रीय सङ्केत निधि से ₹ 225.39 करोड़ निर्गत किया गया।

संविधान के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत, भारत के नियन्त्रक—महालेखा परीक्षक के सलाह पर महालेखा नियन्त्रक के द्वारा निर्गत किये गये संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची में, केन्द्रीय सङ्केत निधि से सम्बन्धित लेखा प्रक्रिया स्पष्ट रूप

में वर्णित है। इसके अनुसार, केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त की गई राशि मुख्य शीर्ष '1601—केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान' में जमा की जाती है। इन राशियों में से निर्दिष्ट उद्देश्यों हेतु आवंटन की राशि मुख्य शीर्ष "3054 सड़क तथा सेतु" या सम्बन्धित अन्य लेखा शीर्ष में कॉन्ट्रा डेबिट करके मुख्य शीर्ष "8449—अन्य जमा—केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान" में क्रेडिट की जाती है। इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत किये गये ऐसे व्यय, जिसे उक्त आवंटित राशि में से पूरा किया जाना है, का समायोजन उपयुक्त जमा शीर्ष से समतुल्य राशि का अन्तरण करके किया जाता है।

केन्द्र सरकार के द्वारा निर्दिष्ट उक्त वर्णित प्रक्रिया के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा यह बताया गया (जून 2016) कि केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त धनराशि से सड़कों बनती हैं जो राज्य सरकार की सम्पत्ति हैं। अतः इसके लिए पूंजीगत पक्ष में प्रावधान किया जाता है।

इस प्रकार, उक्त वर्णित प्रक्रिया के अनुसार जमा शीर्ष में इन आवंटनों के अन्तरण के लिए मुख्य शीर्ष 3054 या किसी अन्य उपयुक्त शीर्ष के अन्तर्गत बजट प्रावधानों की अनुपलब्धता के कारण लोक लेखे में 'मुख्य शीर्ष 8449—103 केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान' में कोई राशि अन्तरित नहीं की गई। वर्ष 2015—16 में लोक लेखे में लेखा शीर्ष 8449—103 के अन्तर्गत सड़क एवं सेतु पर व्यय की कोई राशि लेखांकित नहीं की गई, इसलिए केन्द्रीय सड़क निधि सम्बन्धी कार्यों के लिए निर्गत राशि ₹ 225.39 करोड़ की उपयोगिता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। ऐसा इसलिए है क्योंकि निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया का अनुपालन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है।

3.9 नकद अवशेष में भिन्नता

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा आगणित एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किये गये (31.03.2016 को) राज्य सरकार के रोकड़ शेष में ₹ 66.56 करोड़ (निवल डेबिट) के अन्तर का मुख्य कारण एजेन्सी बैंकों द्वारा ऑकड़ों का मिलान न किया जाना है। इसका मिलान किया जा रहा है।

3.10 वैयक्तिक जमा खाते में निधियों का अन्तरण

उत्तर प्रदेश वैयक्तिक लेजर खाता नियमावली 1998 के प्रस्तर 4 के अनुसार, राज्य सरकार महालेखाकार की सलाह पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिये वैयक्तिक जमा खाता खोलने हेतु प्राधिकृत है। निर्दिष्ट प्रशासकों को इन वैयक्तिक जमा खातों में निधियों, को अन्तरित कर परिचालन हेतु अधिकृत किया जाता है, जो राज्य के संचित निधि (सेवा मुख्य शीर्षों) के सापेक्ष व्यय के रूप में अंकित किया जाता है। इन वैयक्तिक जमा खातों को आगामी वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिथि को बन्द किया जाना एवं अवशेष धनराशि को सरकारी लेखे में वापस किया जाना आवश्यक है। तथापि, राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया। विवरण सारणी 3.8 में दिया गया है।

सारणी 3.8: वैयक्तिक जमा खातों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्रारम्भिक अवशेष (01.04.2015)		वर्ष 2015—16 में खोले गये खातों की संख्या		वर्ष 2015—16 में बंद किये गये खातों की संख्या		अन्तिम अवशेष (31.03.2016)	
खातों की संख्या	सम्मिलित धनराशि	खातों की संख्या	सम्मिलित धनराशि	खातों की संख्या	सम्मिलित धनराशि	खातों की संख्या	सम्मिलित धनराशि
1459	5,868.25	शून्य	2,300.93	03	शून्य	1456	8,169.18

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2015—16)

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1456 वैयक्तिक जमा खातों में से 1093 परिचालित और 363 अपरिचालित हैं। अवशेष धनराशि ₹ 98.45 करोड़ के अपरिचालित खाते बन्द किये जाने अपेक्षित हैं। राज्य सरकार के द्वारा कहा गया है कि अपरिचालित खातों को बन्द किये जाने की प्रक्रिया को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

पुनः, राज्य के 79 कोषागारों में से 25 ने महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को सूचित किया है कि वर्ष 2015–16 के दौरान उनके द्वारा रख-रखाव किये गये 151 वैयक्तिक जमा खातों का मिलान किया गया है। शेष 54 कोषागारों के द्वारा मिलान की स्थिति उपलब्ध नहीं कराई गयी।

3.11 लेखाओं पर टिप्पणी

3.11.1 प्राप्तियों का अनियमित प्रतिधारण

राज्य सरकार द्वारा सभी शासकीय कार्यालयों/सरकारी उपक्रमों एवं निगमों द्वारा शासकीय धनराशि को बैंक में जमा करने के सम्बन्ध में आदेश¹ निर्गत किया गया, जिसमें यह निर्देशित किया गया कि शासकीय धनराशि पर अर्जित ब्याज की राशि सम्बन्धित विभागों की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और उनके द्वारा अर्जित समस्त ब्याज की राशि को कोषागार में जमा किया जाना चाहिए। विभिन्न इकाईयों की लेखापरीक्षा के दौरान ये संज्ञान में आया कि कुछ आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा उपरोक्त नियमों का पालन नहीं किया गया। कुछ प्रकरण, जिसमें आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा अर्जित ब्याज कोषागार में जमा नहीं किया गया था, का विवरण सारणी 3.9 में दिया गया है:

**सारणी 3.9: आहरण एवं वितरण अधिकारियों की सूची,
जिनके द्वारा कोषागार में ब्याज की राशि जमा नहीं की गयी**

क्र० सं०	स्थानीय निकाय का नाम	ब्याज प्राप्त किया परन्तु कोषागार में जमा नहीं किया गया (₹ लाख में)
1	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत (लरा), कानपुर देहात	5.42
2	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत (बीकापुर), फैजाबाद	12.16
3	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, हमीरपुर	39.26
4	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, रामपुर	122.04
	योग	178.88

(चोत: सम्बन्धित विभाग)

सारणी से प्रदर्शित है कि स्थानीय निकायों द्वारा शासकीय धनराशि पर अर्जित ब्याज (₹ 178.88 लाख) को, शासन के निर्देशानुसार, शासकीय खाते में जमा नहीं किया गया।

3.11.2 लेखाओं में पारदर्शिता

विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषदों को निधियों का अन्तरण

वर्ष 2015–16 में राज्य सरकार द्वारा मुख्य लेखा शीर्ष 3475–800–03 के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषदों को दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के रूप में प्राप्त की गई निधियों के अन्तरण के लिए ₹ 541 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया एवं वर्ष के दौरान ₹ 541 करोड़ का व्यय किया गया। विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी

¹ शासनादेश संख्या-बी-1-564/10-7/97 दिनांक-02-03-1998 एवं शासनादेश संख्या-ए-1-122/10-2012-10(33)2010 दिनांक-21-03-2012

एकत्र की गयी। इस निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए, राज्य सरकार ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया जो राज्य के अन्य विकास प्राधिकरणों के लिए धन आहरित व वितरित करेगा। तदनुसार, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने वर्ष के दौरान ₹ 541 करोड़ आहरित किया एवं उपरोक्त लेखाशीर्ष के अन्तर्गत व्यय को पुस्तांकित किया।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उक्तरूपेण राशि का आहरण एवं राज्य के अन्य विकास प्राधिकरणों को वितरण, राज्य सरकार द्वारा विकास प्राधिकरणों को दिये गए सहायता अनुदान के समतुल्य है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा इसे अपने बजट प्रस्तावों में एवं व्यय के लेखा शीर्ष '3604—पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन' के अन्तर्गत प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है।

3.11.3 लेखे की शुद्धता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक

सरकार के लेखे नकदी आधार पर रखे जाते हैं। शासकीय लेखे के कुछ लेन-देन जिसकी प्रकृति, सूचना की कमी के कारण या किसी अन्य कारणों से प्राप्ति और भुगतान के अन्तिम शीर्ष में तुरन्त पुस्तांकित नहीं किया जा सकता, उसे प्राप्ति या व्यय के अन्तिम शीर्ष में ले जाने के लिये अस्थायी रूप से उचन्त शीर्ष के अन्तर्गत पुस्तांकित कर दिया जाता है। सम्बन्धित विवरण/सूचना प्राप्त होने पर इस शीर्ष को समायोजित कर दिया जाता है। इस प्रकार के लेन देनों के लिए ऋण, जमा और प्रेषण (डी.डी.आर.) शीर्ष लेखे होते हैं जहां सरकार लोक लेखे के संरक्षक के रूप में इस प्रकार की धनराशि को प्राप्त और धारण करती है।

उक्त लेखे के अन्तर्गत अत्यधिक संख्या में लेन-देन, अन्तिम वर्गीकरण हेतु प्रतीक्षित होने के कारण, वर्ष 2015–16 के वित्त लेखे की शुद्धता मानकों द्वारा प्रतिकूल प्रभावित हुई है।

मुख्य उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत बकाया अवशेष

प्राप्तियों और भुगतानों के लेन-देनों, जिनको उनकी प्रकृति अथवा दूसरे कारणों से सूचना की कमी के कारण लेखे के अन्तिम शीर्ष में पुस्तांकित नहीं किया जा सकता है, का प्रदर्शित करने हेतु सरकारी लेखे में कुछ मध्यस्थ/समायोज्य लेखा शीर्षों को, जिन्हें उचन्त शीर्ष कहा जाता है, संचालित किया जाता है। इस प्रकार के लेखा शीर्षों को तब अन्तिम रूप से माइनस डेबिट या माइनस क्रेडिट के रूप में समायोजित कर दिया जाता है, जब धनराशियों को सम्बन्धित अन्तिम लेखाशीर्षों में पुस्तांकित कर दिया जाता है। यदि ये धनराशियाँ असमायोजित रहती हैं तो उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत शेषों का संचय होगा और सरकार की प्राप्तियों और व्यय के लेखाओं की शुद्धता परिलक्षित नहीं होगी। मुख्य उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत अवशेष, जो राज्य के वित्त लेखे में परिलक्षित है, सारणी 3.10 में दर्शाया गया है।

सारणी 3.10: उचन्त शीर्षों के अवशेषों की स्थिति (8658)

लघुशीर्ष	2013-14		2014-15		2015-16		(₹ करोड़ में)
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	
101- वेतन और लेखा कार्यालय—उचन्त	(-) 8.75	1.41	3.49	0.24	30.39	12.00	
निवल	क्रे. 10.16		डे. 3.25		डे. 18.39		
102-उचन्त लेखे (सिविल)	24,072.87	24,083.53	(-)6.50	(-) 17.46	50.03	31.53	
निवल	क्रे. 10.66		डे. 10.96		डे. 18.50		
110- रिजर्व बैंक उचन्त—केन्द्रीय लेखा कार्यालय	(-) 56.77	(-) 417.63	(-) 0.10	(-) 0.01	14.27	0.00	
निवल	डे. 360.86		क्रे. 0.09		डे. 14.27		

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2015–16)

वित्त लेखे में उचन्त शीर्षों में निवल अवशेषों को प्रदर्शित किया जाता है। कुल बकाया अवशेषों का बकाया डेबिट और क्रेडिट द्वारा अलग से आगणन किया जाता है। अवशेषों के निहितार्थ इन शीर्षों की नीचे चर्चा की गयी है:

- **वेतन एवं लेखा कार्यालय (पी.एओ.) उचन्त**

ये लघु शीर्ष उन अन्त्विभागीय और अन्त्वशासकीय लेन देन के समायोजन के लिए संचालित किये जाते हैं जो महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) और पी.एओ. की पुस्तकों में प्रदर्शित होते हैं। इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत लेन देन या तो प्रभावी वसूलियों को प्रदर्शित करते हैं अथवा एक लेखा अधिकारी द्वारा दूसरे लेखा अधिकारी की ओर से किया गया भुगतान, जिसके सापेक्ष लघु शीर्ष 'पी.एओ. उचन्त' संचालित हैं। जिस लेखा अधिकारी के लेखाओं में प्रारम्भिक वसूली लेखांकित की जाती है उनके द्वारा चेक निर्गत किये जाने के पश्चात इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रेडिट को माइनस क्रेडिट द्वारा समायोजित किया जाता है। जिस लेखा अधिकारी के पक्ष में भुगतान किया जाता है उसके चेक की प्राप्ति और पुष्टिकरण होने पर पी.एओ. उचन्त के अन्तर्गत डेबिट अवशेष को माइनस डेबिट द्वारा समायोजित किया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लम्बित डेबिट अवशेष का तात्पर्य है कि पी.एओ. की ओर से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा भुगतान किया जा चुका है, जिसे अभी वसूल किया जाना था। बकाया क्रेडिट अवशेष का तात्पर्य है कि पी.एओ. की ओर से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा भुगतान प्राप्त किया जा चुका है जिसे अभी प्रदत्त किया जाना था। इस शीर्ष के अन्तर्गत निवल डेबिट अवशेष ($\text{₹ } 18.39$ करोड़) दर्शाता है कि इसके समायोजन/निस्तारण पर राज्य सरकार का नकद अवशेष बढ़ जायेगा।

- **उचन्त लेखे (सिविल)**

ये अस्थायी लघु शीर्ष ऐसे लेखाओं के लेन देन के लिए संचालित किये जाते हैं जिन्हें कुछ सूचना/अभिलेख जैसे वाउचर, चालान आदि वांछित होने के कारण व्यय या प्राप्ति के अन्तिम शीर्ष में लेखांकित नहीं किया जा सकता। ये लघु शीर्ष प्राप्ति दर्ज किये जाने पर क्रेडिट किये जाते हैं और व्यय किये जाने पर डेबिट किये जाते हैं। वांछित सूचना/अभिलेख आदि के प्राप्त होने पर लेखाओं से सम्बन्धित मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघुशीर्षों के पर-कॉन्ट्रा डेबिट या क्रेडिट करके लघु शीर्ष को माइनस डेबिट या माइनस क्रेडिट द्वारा समायोजित किया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लम्बित डेबिट अवशेष का तात्पर्य है कि वाउचर आदि की अपेक्षा में भुगतान को अन्तिम व्यय शीर्ष में डेबिट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार, लम्बित क्रेडिट अवशेष का तात्पर्य है कि विवरण आदि की अपेक्षा में प्राप्तियों को अन्तिम प्राप्ति शीर्ष में क्रेडिट नहीं किया जा सकता। वर्ष के दौरान इस शीर्ष के अन्तर्गत निवल डेबिट अवशेष ($\text{₹ } 18.50$ करोड़) में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इस मद के समायोजन का रोकड़ अवशेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

- **रिजर्व बैंक उचन्त-केन्द्रीय लेखा कार्यालय**

ये लघुशीर्ष राज्य सरकार के लेखाओं में केन्द्रीय ऋणों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान और व्याज के भुगतान हेतु संचालित किये जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान व व्याज के भुगतान किये जाने पर इस शीर्ष को डेबिट कर ऋण/व्याज शीर्ष को क्रेडिट किया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत विगत वर्ष का क्रेडिट अवशेष ($\text{₹ } 0.09$ करोड़) कम हो कर डेबिट अवशेष ($\text{₹ } 14.27$ करोड़) हो गया, जो यह दर्शाता है कि उपरोक्त धनराशि के लिये सम्बन्धित वेतन और लेखा अधिकारी कार्यालयों द्वारा उचित समायोजन नहीं किया गया। इस मद के समायोजन से रोकड़ अवशेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

3.12 निष्कर्ष एवं संस्कृतियाँ

निष्कर्ष

- **लम्बित उपभोग प्रमाण-पत्र**

वर्ष 2015–16 के अन्त तक बड़ी संख्या (399559) में उपभोग प्रमाण-पत्र अनुदान प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त होने शेष थे।

- **विस्तृत आकस्मिक बिल**

कुल मिलाकर 5113 ए.सी. बिल, जिसकी धनराशि $\text{₹ } 301.13$ करोड़ थी, 31 मार्च 2016 तक असमायोजित थे।

- **चोरी, हानि एवं दुर्विनियोग के प्रकरण**

चोरी, हानि एवं दुर्विनियोग, के कुल 135 प्रकरण थे, जिनमें $\text{₹ } 882.57$ लाख की धनराशि सन्निहित थी।

- **बहुप्रयोज्य लघु शीर्ष '800' का परिचालन**

लघुशीर्ष '800—अन्य प्राप्तियाँ/व्यय' के अन्तर्गत लेखांकित अत्यधिक धनराशियों का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग का पूर्ण स्वरूप प्रस्तुत नहीं करता है।

- **मुख्य उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत बकाया अवशेष**

संचित निधि के कुछ लेखाओं के अन्तर्गत प्रतिकूल अवशेष हैं जिनके समायोजन की उचित कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

- **उपकर के अन्तिम उपयोग**

बी.ओ.सी.डब्ल्यू. ने आरम्भ से ही अपने लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया है। इसलिए आय एवं व्यय के आंकड़े प्रमाणित नहीं हैं। प्रमाणित लेखे के अभाव में लेखापरीक्षा के दौरान व्यय की प्रामाणिकता एवं इसकी वास्तविकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

संस्कृतियाँ

- अनुदान प्राप्तकर्ताओं से उपभोग प्रमाण—पत्र प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए।
- सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में संक्षिप्त आकस्मिक देयकों का समायोजन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- सरकार द्वारा दुर्विनियोग, चोरी इत्यादि के प्रकरणों की जाँच में शीघ्रता लायी जानी चाहिए तथा ऐसे प्रकरणों को पुनर्धर्मित होने से रोकने के लिए आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए।
- सरकार द्वारा लघुशीर्ष—800 के नियमित परिचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखों को अपारदर्शी बनाता है।
- लेखा वर्ष के अन्दर ही लेन—देनों को अन्तिम लेखाशीर्ष में पुस्तांकित किये जाने हेतु उचन्त शीर्षों की समीक्षा की जानी चाहिये।
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा अपने लेखे का रख—रखाव किया जाना चाहिये एवं बोर्ड की यथार्थ एवं स्पष्ट वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करने के लिये वार्षिक लेखे तैयार किये जाने चाहिये।

(पी० के० कटारिया)

इलाहाबाद
दिनांक

प्रधान महालेखाकार (जी० एण्ड एस०एस०ए०)
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)

नई दिल्ली
दिनांक

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट 1.1	राज्य का परिदृश्य (संदर्भ: राज्य का परिदृश्य; पृष्ठ 1)
-------------------------------	--

अ. सामान्य आँकड़े		
क्र0 सं0	विवरण	आँकड़े
1	क्षेत्रफल	2,40,928 वर्ग किमी0
2	जनसंख्या	21.67
	अ. 2001 की जनगणना के अनुसार	16.62 करोड़
	ब. 2014-15 (अनुमानित)	21.67 करोड़
3	अ. जनसंख्या घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अधिकल भारतीय घनत्व=325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0)	690 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0
	ब. जनसंख्या घनत्व ¹ (2011 की जनगणना के अनुसार) (अधिकल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0)	829 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0
4	गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या 2011-12 ² (बी0पी0एल0) (अधिकल भारतीय औसत = 30.00 प्रतिशत)	39.80 प्रतिशत
5	अ. साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अधिकल भारतीय औसत=64.80 प्रतिशत)	56.27 प्रतिशत
	ब. साक्षरता ³ (2011 की जनगणना के अनुसार) (अधिकल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत)	67.68 प्रतिशत
6	शिशु मृत्युदर 2013 ⁴ (प्रति 1000 जन्म पर) (अधिकल भारतीय औसत=40 प्रति 1000 जन्म पर)	50 प्रति 1000 जन्म पर
7	जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा ⁴ 2009-13 (अधिकल भारतीय औसत =67.50 वर्ष)	63.80 वर्ष
8	गिनी गुणांक ⁵	
	अ. ग्रामीण (अधिकल भारतीय=0.29)	0.36
	ब. शहरी (अधिकल भारतीय=0.38)	0.33
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) वर्तमान मूल्यों पर	₹ 11,53,795 करोड़
10	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (2006-07 से 2015-16)	उत्तर प्रदेश 12.70 सामान्य श्रेणी राज्य 14.27
11	सकल राज्य घरेलू उत्पाद मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (2006-07 से 2015-16)	उत्तर प्रदेश 14.68 सामान्य श्रेणी राज्य 15.75
12	जनसंख्या वृद्धि ⁶ (2006-07 से 2015-16)	उत्तर प्रदेश 16.93 सामान्य श्रेणी राज्य 12.24

¹ अंतिम जनसंख्या भारतीय जनगणना सूचना 2011।

² मेथोडोलॉजी फॉर मेजरमेंट ऑफ पावर्टी की समीक्षा हेतु रिपोर्ट आफ एक्सपर्ट ग्रुप (रंगाराजन), नियोजन विभाग (जून 2014), पृष्ठ 66 (वर्ष 2011-12 के लिये उपलब्ध अद्यतन आँकड़ों का समावेश किया गया है)।

³ मेथोडोलॉजी फॉर मेजरमेंट ऑफ पावर्टी की समीक्षा हेतु रिपोर्ट आफ एक्सपर्ट ग्रुप (रंगाराजन), नियोजन विभाग (जून 2014), पृष्ठ 66 (एस.आर.एस. बुलेटिन, सितम्बर 2014)।

⁴ इकोनोमिक सर्वे वर्ष 2014-15, सारणी 9.1, पृष्ठ अ 129।

⁵ गिनी गुणांक, जनता की आय में परस्पर असमानता का मापक है। शून्य से एक के पैमाने पर, शून्य के समीप होने पर असमानता कम तथा एक के समीप होने पर असमानता अधिक होगी। वर्ष 2009-10 के लिये उपलब्ध अद्यतन आँकड़ों का समावेश किया गया है।

⁶ जनगणना विभाग द्वारा अनुमानित कुल जनसंख्या 2001-26।

ब. वित्तीय आंकड़े						
क्र० सं०	विवरण		आंकड़े (प्रतिशत में)			
13	मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर		2006-07 से 2014-15		2014-15 से 2015-16	
			सामान्य श्रेणी राज्य	उत्तर प्रदेश	सामान्य श्रेणी राज्य	उत्तर प्रदेश
	क.	राजस्व प्राप्तियाँ	14.74	15.61	15.00	17.40
	ख.	स्वयं का कर राजस्व	15.08	15.76	13.28	9.45
	ग.	करेतर राजस्व	10.20	14.96	6.00	16.05
	घ.	कुल व्यय	16.71	15.67	16.42	26.56
	ड.	पूँजीगत व्यय	13.21	18.20	25.80	20.88
	च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय	17.08	16.07	12.17	32.78
	छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	18.70	17.25	13.44	11.11
	ज.	वेतन एवं मजदूरी [®]	15.49	16.80	9.95	19.78
	झ.	पेंशन [®]	18.59	21.01	11.79	8.27

(स्रोत: वित्तीय आंकड़े वित्त लेखे वर्ष 2015–16 पर आधारित हैं)

@ दिल्ली को छोड़कर

परिशिष्ट 1.2	शासकीय लेखे का रूप एवं संरचना तथा वित्त लेखे का प्रारूप <i>(संदर्भः प्रस्तर 1.1; पुष्ट 2)</i>
-------------------------	---

भाग—अः शासकीय लेखे का रूप एवं संरचना	
<p>शासकीय लेखे की संरचना: राज्य सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा गया है (i) संचित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखे।</p> <p>भाग-1 संचित निधि: राज्य सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां, ट्रेजरी बिलों के जरिये उगाहे गये समस्त ऋण, आन्तरिक एवं वाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के भुगतान हेतु प्राप्त समस्त धनराशि एक संचित निधि का गठन करता है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अन्तर्गत गठित 'राज्य की संचित निधि' नाम से जाना जाता है।</p> <p>भाग-2 आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि का गठन होता है जो एक प्रकार का अग्रदाय है जिसमें से अति आवश्यक अनपेक्षित व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम लिया जाता है जो राज्यपाल के अधिकार में है। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा बाद में इसी के बराबर की धनराशि के संचित निधि से आहरण हेतु विधायिका की संस्तुति प्राप्त की जाती है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है।</p> <p>भाग-3 लोक लेखे: प्राप्तियों एवं वितरणों से सम्बन्धित कुछ लेनदेनों यथा लघु बचत, भविष्य निधि, संचित निधि, निक्षेप, उच्चन्ता, प्रेषण इत्यादि जो संचित निधि के भाग नहीं होते, को संविधान की धारा 266(2) के अन्तर्गत लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं वे राज्य विधायिका के द्वारा मतदान का विषय नहीं होते हैं।</p>	
भाग—बः वित्त लेखे का प्रारूप	
विवरण सं०	प्रारूप
<p>वित्त लेखे दो भागों में विभाजित हैं। भाग एक सरकार के वित्तीय विवरण के सारांशीकृत रूप में और भाग दो में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाता है। भाग एक में भारत के नियन्त्रक—महालेखापरीक्षक के प्रमाण—पत्र, 13 सारांश विवरण और लेखे की योजना पर टिप्पणी को सम्मिलित किया जाता है जैसा कि नीचे दिया गया है।</p>	
खण्ड—I	
1	वित्तीय स्थिति का विवरण
2	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण, अनुलग्नक—अ, रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश सहित
3	प्राप्तियों का विवरण (संचित निधि)
4	व्यय का विवरण (संचित निधि)
5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण
6	उधारों और अन्य दायित्वों का विवरण
7	सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण
8	सरकार के निवेशों का विवरण
9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण
10	सरकार द्वारा दिए गये सहायता अनुदानों का विवरण
11	दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण
12	राजस्व लेखे से भिन्न व्ययों के लिए निधियों के स्रोत एवं प्रयोग का विवरण
13	संचित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अन्तर्गत शेष राशियों का सारांश

खण्ड-II	
भाग-I	
14	राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
15	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
16	पूंजीगत व्यय का लघु शीर्षवार तथा उप शीर्षवार विस्तृत विवरण
17	उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण
18	राज्य सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों का विस्तृत विवरण
19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण
20	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण
21	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे के लेन-देनों का विस्तृत विवरण
22	उद्दिष्ट शेषों के निवेश का विस्तृत विवरण
भाग-II (परिशिष्ट)	
परिशिष्ट-I	वेतन पर तुलनात्मक व्यय
परिशिष्ट-II	सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय
परिशिष्ट-III	राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता (संस्थानवार और योजनावार)
परिशिष्ट-IV	वाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण
परिशिष्ट-V	आयोजनागत योजना व्यय अ. केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय पुरोनिधारित योजनाएं एवं केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) ब. राज्य आयोजनागत योजनाएं
परिशिष्ट-VI	राज्य में कियान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का सीधा अन्तरण (राज्य बजट के बाहर से प्राप्त निधियाँ) (असंप्रेक्षित ऑकड़े)
परिशिष्ट-VII	शेषों की स्वीकृति एवं मिलान (जैसा विवरण संख्या 18 एवं 21 में दर्शाया गया है)
परिशिष्ट-VIII	सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम
परिशिष्ट-IX	सरकार की वचनबद्धता – अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की सूची
परिशिष्ट-X	वेतन एवं गैर वेतन भाग में विभक्त अनुरक्षण व्यय
परिशिष्ट-XI	वर्ष के दौरान सरकार के प्रमुख नीतिगत निर्णय अथवा बजट में प्रस्तावित नई योजनाएं
परिशिष्ट-XII	सरकार की वचनबद्ध देयताएं
परिशिष्ट-XIII	मदें, जिनके लिये राज्यों के मध्य शेषों का विभाजन राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप अन्तिम रूप से नहीं हुआ है

परिशिष्ट 1.3	वर्ष 2015–16 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार (संदर्भ: प्रस्तर 1.1.1 एवं 1.5; पृष्ठ 2 एवं 22)
-------------------------------	--

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण						
2014-15		2015-16	2014-15			आयोजनेत्तर	आयोजनागत	2015-16	
भाग 'अ'									
1,93,421.60	I	राजस्व प्राप्तियाँ	2,27,075.94	1,71,027.32	I	राजस्व व्यय	169484.63	43251.32	212735.95
74,172.42		-कर राजस्व	81,106.26	64,305.73		सामान्य सेवाएं	72205.73	22.19	72227.92
				60,905.78		सामाजिक सेवाएं	46437.20	36049.26	82486.46
1,99,34.80		- करेतर राजस्व	23,134.65	33,949.05		-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	29749.89	15327.46	45077.35
				10,075.73		-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6046.64	5148.57	11195.21
66,622.91		- संघीय करों में राज्यांश	90,973.69	2,048.32		-जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	1692.71	2231.63	3924.34
				74.05		-सूचना एवं प्रसारण	188.91	1.44	190.35
6,808.88		-आयोजनेत्तर अनुदान	8,273.90	1,765.01		-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1117.87	3392.91	4510.78
6,576.02		-राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	1,933.17	1,032.31		-श्रम तथा श्रमिक कल्याण	387.10	127.00	514.10
				11,890.64		-समाज कल्याण तथा पोषण	7174.98	9820.10	16995.08
19,306.57		-केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं हेतु अनुदान	21,654.27	70.67		-अन्य	79.10	0.15	79.25
0.00		वाह्य अनुदान सहायता	0.00	34,885.24		आर्थिक सेवाएं	40701.42	7179.87	47881.29
				5,626.58		-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध सेवाएं	2945.37	2152.46	5097.83
				6,292.02		-ग्राम्य विकास	4131.56	3582.60	7714.16
				373.27		-विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.00	11.68	11.68
				5,348.60		-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	4494.18	727.75	5221.93

			12,340.18	-ऊर्जा	21938.68	282.32	22225.00	
			1,001.39	-उद्योग एवं खनिज	2733.68	348.50	3082.18	
			3,173.23	-परिवहन	3544.90	27.70	3572.60	
			37.79	-विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	18.63	19.14	37.77	
			692.18	-सामान्य आर्थिक सेवाएं	894.42	23.72	918.14	
			10,930.57	सहायता अनुदान एवं अंशदान	10140.28	0.00	10140.28	
1,93,421.60		योग	2,27,075.94	1,71,027.32	योग	1,69,484.63	43,251.32	2,12,735.95
शून्य	II	राजस्व घाटा भाग 'ब' को अग्रेषित	शून्य	22,394.28	II राजस्व आधिक्य भाग 'ब' को अग्रेषित	-	-	14,339.99
1,93,421.60		योग	2,27,075.94	1,93,421.60	योग			2,27,075.94
भाग 'ब'								
4,020.63	III	प्रारम्भिक रोकड़ शेष, स्थाई अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित	(-)401.32	-	III भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारम्भिक ओवरड्राफ्ट	-	-	-
-	IV	विविध पूँजीगत प्राप्तियां	-	53,297.28	IV पूँजीगत परिव्यय	15,377.84	49,044.89	64,422.73
				4,008.68	सामान्य सेवाएं	2,049.22	3,209.86	5,259.08
				12,754.72	सामाजिक सेवाएं	71.07	11,635.69	11,706.76
				1,385.18	-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1.72	1,128.72	1,130.44
				1,900.71	-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	16.09	2,239.92	2,256.01
				8,483.47	-जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	51.54	7,234.94	7,286.48
				62.32	-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0.00	117.31	117.31
				601.46	-समाज कल्याण तथा पोषण	0.28	661.89	662.17
				321.58	-अन्य	1.44	252.91	254.35
				36,533.88	आर्थिक सेवाएं	13,257.55	34,199.34	47,456.89
				1,406.46	-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्रियाकलाप	1,793.86	477.92	2,271.78

			4,442.94		-ग्राम्य विकास	(-)0.05	4,756.93	4,756.88
			1,081.99		-विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.00	554.42	554.42
			4,093.03		-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1.00	5,050.88	5,051.88
			10,959.96		-ऊर्जा	11,398.13	7,410.97	18,809.10
			54.75		-उद्योग एवं खनिज	7.17	84.68	91.85
			14,337.73		-परिवहन	57.44	15,658.01	15,715.45
			147.02		-सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.00	203.53	203.53
			10.00		-विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	0.00	2.00	2.00
262.48	V	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	725.63	1,872.64	V संवितरित ऋण तथा अग्रिम	9,117.91		9,117.91
109.71		-विद्युत परियोजनाओं से		-	-विद्युत परियोजनाओं हेतु	6,083.12		6,083.12
96.61		-सरकारी कर्मचारियों से		102.74	-सरकारी कर्मचारियों को	106.79		106.79
56.16		-अन्य से		1,769.90	-अन्य को	2,928.00		2,928.00
22,394.28	VI	अधोनीत राजस्व अधिशेष	14339.99	-	VI अधोनीत राजस्व घाटा			
35,520.28	VII	लोक ऋण प्राप्तियां	74513.58	9,411.21	VII लोक ऋण का पुनर्भुगतान	17,672.76		17,672.76
33,302.35		-अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आन्तरिक ऋण	69,421.17	8,050.64	-अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आन्तरिक ऋण	10,044.95		10,044.95
1,731.95		-अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेन देन	4,498.55	00	-अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेनदेन	6,230.51		6,230.51
00		-ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन देन		00	-ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेनदेन			0.00
485.98		-केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	593.86	1,360.57	-केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान	1,397.30		1,397.30
-	VIII	आकस्मिकता निधि से विनियोग		-	VIII आकस्मिकता निधि को विनियोग			-
0.55	IX	आकस्मिकता निधि को स्थानान्तरित धनराशि	201.28	203.15	IX आकस्मिकता निधि से व्यय	44.07		44.07

2,30,199.19	X	लोक लेखा प्राप्तियां	2,65,971.96	2,28,014.45	X	लोक लेखा संवितरण	-	-	2,64,293.87
9,987.94		-अल्प बचतें एवं भविष्य निधियां	10,302.77	8,301.56		-अल्प बचतें एवं भविष्य निधियां	-	-	8,768.41
9,991.69		-आरक्षित निधियां	15598.88	12,685.93		-आरक्षित निधियां	-	-	13,038.35
1,66,335.90		-उचन्त एवं विविध	1,98,734.45	1,65,800.48		-उचन्त एवं विविध	-	-	1,99,411.79
27,698.35		-प्रेषण	27,976.77	26,090.77		-प्रेषण	-	-	28,173.38
16,185.31		-जमा तथा अग्रिम	13,359.09	15,135.71		-जमा तथा अग्रिम	-	-	14,901.94
-	XI	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्रॉफ्ट का अंतिम अवशेष		(-) 401.32	XI	अंतिम रोकड़ शेष	-	-	(-) 200.21
				00		-कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	-	-	00
				(-) 1,009.27		भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	-	-	(-) 1,409.33
				12.60		-स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	-	-	12.68
				595.35		-रोकड़ शेष निवेश लेखा	-	-	1,196.44
4,85,819.01		योग	5,68,087.07	4,85,819.01		योग			5,68,087.07

(#) ₹ एक लाख से कम धनराशि

परिशिष्ट 1.4	वर्ष 2015–16 के लिए वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय की बजट अनुमान से तुलना <small>(संदर्भ: प्रस्तर 1.1.3; पृष्ठ 6)</small>
-------------------------------	--

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	वृद्धि(+)/ कमी (-)	वृद्धि(+)/ कमी (-) प्रतिशत में
1	2	3	4 (3-2)	5
राजस्व प्राप्तियाँ जिसमें	2,49,880.23	2,27,075.94	-22,804.29	-9.13
कर राजस्व	91,915.00	81,106.26	-10,808.74	-11.76
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	52,673.00	47,692.40	-4,980.60	-9.46
राज्य आबकारी	17,500.00	14,083.54	-3416.46	-19.52
वाहनों पर कर	4,658.00	4,409.34	-248.66	-5.34
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	14,836.00	12,403.72	-2432.28	-16.39
सामान एवं यात्रियों पर कर	00	0.79	0.79	0
भू—राजस्व	600.00	505.31	-94.69	-15.78
अन्य कर	1,648.00	2,010.76	362.76	22.01
करेतर राजस्व	21,636.32	23,134.65	1,498.33	6.93
ब्याज प्राप्तियाँ	1,000.00	632.78	-367.22	-36.72
विविध सामान्य सेवाएँ	4,774.00	4,949.22	175.22	3.67
अलौह खनन एवं धातुकर्म उच्चोग	1,500.00	1,222.17	-277.83	-18.52
अन्य करेतर राजस्व	15,847.32	16,330.48	483.16	3.05
केन्द्रीय करों एवं शुल्कों का अंश	86,729.11	90,973.69	4,244.58	4.89
भारत सरकार से सहायता अनुदान	49,599.80	31,861.34	-17,738.46	-35.76
राजस्व व्यय जिसमें	2,15,756.18	2,12,735.95	-3,020.23	-1.40
सामान्य सेवाएँ	80,923.25	72,227.92	-8,695.33	-10.75
प्रशासनिक सेवाएँ	17,683.95	14,657.60	-3,026.35	-17.11
पेन्शन एवं विविध सामान्य सेवाएँ	28,845.11	24,184.45	-4,660.66	-16.16
ब्याज का भुगतान तथा ऋण सेवा	28,685.22	24,414.65	-4,270.57	-14.89
राजकोषीय सेवाएँ	3,478.27	2,993.34	-484.93	-13.94
राज्य के अंग	2,230.70	1,977.89	-252.81	-11.33
सामाजिक सेवाएँ	84,969.91	82,486.46	-2,483.45	-2.92
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	46,700.52	45,077.35	-1,623.17	-3.48
समाज कल्याण एवं पोषण	13,809.24	16,995.08	3,185.84	23.07
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	4,927.19	4,510.78	- 416.41	- 8.45
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	13,808.93	11,195.21	-2,613.72	-18.93
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	4,128.45	3,924.34	-204.11	-4.94
सूचना एवं प्रसारण	177.09	190.35	13.26	7.49
श्रम एवं श्रमिक कल्याण	1,323.13	514.10	- 809.03	-61.15

अन्य	95.36	79.25	-16.11	-16.89
आर्थिक सेवाएं	39,686.37	47,881.29	8,194.92	20.65
कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएँ	6,136.88	5,097.83	- 1,039.05	- 16.93
ग्राम्य विकास	9,836.85	7,714.16	-2,122.69	-21.58
विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	873.38	11.68	-861.70	-98.66
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	6,957.52	5,221.93	-1,735.59	-24.95
ऊर्जा	9,579.78	22,225.00	12,645.22	132.00
उद्योग एवं खनिज	2,025.17	3,082.18	1,057.01	52.19
परिवहन	3,298.57	3,572.60	274.03	8.31
विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	50.78	37.77	-13.01	-25.62
सामान्य आर्थिक सेवाएं	927.44	918.14	-9.3	-1.00
सहायता अनुदान एवं अंशदान	10,176.65	10,140.28	-36.37	-0.36
पूँजीगत व्यय जिसमें	63,154.26	64,422.72	1,268.46	2.01
सामान्य सेवाएं	5,511.06	5,259.08	-251.98	-4.57
सामाजिक सेवाएं	15,278.18	11,706.76	3,571.42	-23.38
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	2,886.73	1,130.44	-1,756.29	-60.84
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,150.23	2,256.01	105.78	4.92
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	8,458.70	7,286.48	-1,172.22	-13.86
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	158.97	117.31	-41.66	-26.21
समाज कल्याण एवं पोषण	1,328.13	662.17	-665.96	-50.14
अन्य सामाजिक सेवाएं	295.42	254.35	-41.07	-13.90
आर्थिक सेवाएं	42,365.02	47,456.89	5,091.87	12.02
कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएं	1,386.22	2,271.78	885.56	63.88
ग्राम्य विकास	4,835.02	4,756.88	-78.14	-1.62
विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	1,170.00	554.42	-615.58	-52.61
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	5,336.51	5,051.88	-284.63	-5.33
ऊर्जा	14,171.51	18,809.10	4,637.59	32.72
उद्योग एवं खनिज	87.22	91.85	4.63	5.31
परिवहन	15,196.49	15,715.45	518.96	3.41
विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	4.00	2.00	-2	-50.00
सामान्य आर्थिक सेवाएं	178.05	203.53	25.48	14.31
राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-)	(+) 34,124.05	(+) 14,339.99	-19,784.06	-57.98
राजकोषीय घाटा (-)	(-) 31,559.80	(-) 58,475.01	-26,915.21	85.28
प्राथमिक आधिक्य (+)/घाटा (-)	(-) 10,442.83	(-) 37,027.14	-26,584.31	254.57

परिशिष्ट 1.5	राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध ऑकड़े (संदर्भ: प्रस्तर 1.3; पृष्ठ 10)
-------------------------	---

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
भाग अ. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	1,30,869	1,45,904	1,68,214	1,93,422	2,27,076
(i) स्वयं के कर राजस्व	52,613 (40)	58,098(40)	66,582(40)	74,172(38)	81,106(36)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	33,107 (63)	34,870 (60)	39,645(60)	42,934(58)	47,692(59)
राज्य आबकारी	8,139 (15)	9,782 (17)	11,644(18)	13,483(18)	14,084(17)
वाहनों पर कर	2,376 (4)	2,993 (5)	3,441(5)	3,797(5)	4,410(5)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	7,694 (15)	8,742 (15)	9,521(14)	11,803(16)	12,404(15)
भू—राजस्व	491 (1)	805 (1)	772(1)	527(1)	505(1)
सामान तथा यात्रियों पर कर	5 (0)	1 (0)	1(0)	1(0)	1(0)
अन्य कर	801 (2)	905 (2)	1,558(2)	1,627(2)	2,010(3)
(ii) करेतर राजस्व	10,145 (8)	12,970 (9)	16,450(10)	19,935(10)	23,135(10)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	50,351 (38)	57,498 (39)	62,777(37)	66,623(35)	90,974(40)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	17,760 (14)	17,338 (12)	22,405(13)	32,692(17)	31,861(14)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	133	419	589	262	726
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	1,31,002	1,46,323	1,68,803	1,93,684	2,27,802
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	19,652	15,820	14,900	35,520	74,514
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	19,336 (98)	15,493 (98)	14,502(97)	33,302(94)	69,421(93)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन—देन	-	31 (0)	8(0)	1,732(5)	4,499(6)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	316 (2)	296 (2)	390(3)	486(1)	594(1)
6. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	1,50,654	1,62,143	1,83,703	2,29,204	3,02,316
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	40	310	262	1	201
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,38,449	1,43,478	2,26,078	2,30,199	2,65,972
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	2,89,143	3,05,931	4,10,043	4,59,404	5,68,489
भाग ब. व्यय / संवितरण					
10. राजस्व व्यय	1,23,885 (84)	1,40,724 (85)	1,58,147(82)	1,71,027(76)	2,12,736(74)
आयोजनागत	22,616 (18)	25,878 (18)	31,657(20)	33,262(19)	43,251(20)
आयोजनेत्तर	1,01,269 (82)	1,14,846 (82)	1,26,490(80)	1,37,765(81)	1,69,485(80)
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	52,947 (43)	59,907 (43)	61,983(39)	64,305(38)	72,228(34)
सामाजिक सेवाएं	47,391 (38)	53,300 (38)	60,756(39)	60,906(36)	82,487(39)
आर्थिक सेवाएं	18,292 (15)	21,338 (15)	25,711(16)	34,885(20)	47,881(22)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	5,255 (4)	6,179 (4)	9,696(6)	10,931(6)	10,140(5)
11. पूँजीगत व्यय	21,574 (15)	23,834 (14)	32,863(17)	53,297(23)	64,423(23)
आयोजनागत	20,735 (96)	22,608 (95)	30,608(93)	44,416(83)	49,045(76)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
आयोजनेत्तर	839 (4)	1,226 (5)	2,255(7)	8,881(17)	15,378(24)
सामान्य सेवाएं	1,144 (5)	1,405 (6)	3,463(10)	4,009(7)	5,259(8)
सामाजिक सेवाएं	5,187 (24)	7,594 (32)	6,760(21)	12,755(24)	11,707(18)
आर्थिक सेवाएं	15,243 (71)	14,835 (62)	22,640(69)	36,534(69)	47,457(74)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	976 (1)	1,003 (1)	1,473(1)	1,873(1)	9,118(3)
13. कुल व्यय (10+11+12)	1,46,435	1,65,561	1,92,483	2,26,197	2,86,277
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	8,288	8,909	8,167	9,411	17,673
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	6,973 (84)	7,514 (84)	6,694(82)	8,051(86)	10,045(57)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	8(0)	-	6,231(35)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,315 (16)	1,395 (16)	1,465(18)	1,360(14)	1,397(8)
15. आकस्मिकता निधि को विनियोग	-	-	-	-	-
16. संचित निधि से कुल संवितरण (कुल व्यय) (13+14+15)	1,54,723	1,74,470	2,00,650	2,35,608	3,03,950
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	310	262	87	203	44
18. लोक लेखा संवितरण	1,30,971	1,29,472	2,20,459	2,28,014	2,64,294
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	2,86,004	3,04,204	4,21,196	4,63,825	5,68,288
भाग स. घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+) (1-10)	(+)6,984	(+)5,180	(+)10,067	(+) 22,394	(+) 14,340
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय आधिक्य (+) (4-13)	(-) 15,433	(-)19,238	(-)23,680	(-) 32,513	(-) 58,475
22. प्राथमिक घाटा (-)/प्राथमिक आधिक्य(+) (21+23)	(+) 48	(-)2,317	(-)6,268	(-) 13,648	(-) 37,027
भाग द. अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	15,481	16,921	17,412	18,865	21,448
24. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता, इत्यादि	39,214	43,212	45,576	52,241	77,069
25. अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट का लाभ (दिनों में)	-	-	-	-	14
अर्थोपाय अग्रिम का उपभोग (दिनों में)	-	-	-	-	-
ओवरड्राफ्ट का उपभोग (दिनों में)	-	-	-	-	-
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	-	-	-	-	-
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)⁷	7,24,049	8,22,903	9,44,146	10,43,371	11,53,795
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्षान्त)	2,43,229	2,59,621	2,81,709	3,07,859	3,67,252
29. बकाया प्रत्याभूतियाँ (वर्षान्त) ब्याज सहित	21,752	43,337	62,822	70,740	57,618
30. अधिकतम प्रत्याभूत धनराशियाँ (वर्षान्त)	29,629	50,459	69,752	78,023	78,826
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	183	383	412	545	924
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	2,453	3,393	3,032	7,714	14,407

⁷वर्ष 2011-12 से सकल राज्य घरेलू उत्पाद की नई श्रृंखला जारी की गयी।

भाग य. राजकोषीय स्थिति के संकेतक					
I. संसाधनों का संग्रहण					
स्वयं का कर राजस्व / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	7.27	7.06	7.05	7.11	7.03
करेतर राजस्व / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.40	1.58	1.74	1.91	2.01
केन्द्रीय स्थानान्तरण / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	6.95	6.99	6.65	6.39	7.88
II. व्यय प्रबन्धन					
कुल व्यय / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	20.22	20.12	20.39	21.68	24.81
कुल व्यय / राजस्व प्राप्तियाँ	111.89	113.47	114.43	116.94	126.07
राजस्व व्यय / कुल व्यय	84.60	85.00	82.16	75.61	74.31
सामाजिक सेवाओं पर व्यय / कुल व्यय	36	37	35	33	33
आर्थिक सेवाओं पर व्यय / कुल व्यय	23	22	25	32	33
पूँजीगत व्यय / कुल व्यय	15	14	17	24	23
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर कुल पूँजीगत व्यय / कुल व्यय	14	14	15	22	21
III. राजकोषीय असन्तुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा (आधिक्य) / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(+)0.96	(+)0.63	(+)1.07	(+)2.15	(+)1.24
राजकोषीय घाटा / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-)2.13	(-)2.34	(-)2.51	(-)3.12	(-)5.07
प्राथमिक घाटा (आधिक्य) / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(+)0.007	(-)0.28	(-)0.66	(-)1.31	(-)3.21
राजस्व घाटा / राजकोषीय घाटा	-	-	-	-	-
प्राथमिक राजस्व शेष / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 1.17	(-)1.43	(-)0.78	(+)0.34	(-)0.62
IV. राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन					
राजकोषीय देयताएं / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	34	32	30	30	32
राजकोषीय देयताएं / राजस्व प्राप्तियाँ	186	178	167	159	162
V. अन्य राजकोषीय स्थिति के संकेतक					
निवेश पर प्रतिफल	38.17	62.70	5.23	8.08	42.66
चालू राजस्व से अवशेष	24,864	26,323	35,617	32,275	27,037
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ / देयताएं	0.81	0.85	0.89	0.97	1.02

कोष्ठक में दिए गये अंक प्रत्येक उपशीर्षों का कुल योग से प्रतिशत (पूर्णांक) प्रदर्शित करता है।

परिशिष्ट 1.6	(अ) वर्ष 2011-16 की अवधि में स्वयं का कर राजस्व (ब) वर्ष 2011-16 की अवधि में करेतर राजस्व (सन्दर्भः प्रस्तर 1.3.1; पृष्ठ 12)
-------------------------	---

(अ) वर्ष 2011-16 की अवधि में स्वयं का कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
					बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	33,107	34,870	39,645	42,934	52,673	47,692
राज्य आबकारी	8,139	9,782	11,644	13,483	17,500	14,084
वाहनों पर कर	2,376	2,993	3,441	3,797	4,658	4,410
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	7,694	8,742	9,521	11,803	14,836	12,404
भू-राजस्व	491	805	772	527	600	505
सामान एवं यात्रियों पर कर	5	1	1	1	00	1
अन्य कर	801	905	1,558	1,627	1,648	2,010
योग (अ)	52,613	58,098	66,582	74,172	91,915	81,106

(ब) वर्ष 2011-16 की अवधि में करेतर राजस्व

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
					बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ	827	1,249	1,624	2,310	1,008	676
सामान्य सेवायें	4,907	5,069	3,907	7,122	5,716	6,114
सामाजिक सेवायें	2,662	4,670	7,159	6,514	8,621	11,264
आर्थिक सेवायें	1,749	1,982	3,760	3,988	6,291	5,081
योग (ब)	10,145	12,970	16,450	19,935	21,636	23,135
कुल योग (अ+ब)	62,758	71,068	83,032	94,107	1,13,551	1,04,241

परिशिष्ट 1.7	31 मार्च 2016 को सरकार की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त सार (संदर्भः प्रस्तर 1.9.1 एवं 1.9.2; पृष्ठ 35)
-------------------------------	---

		(₹ करोड़ में)
31.03.2015 को	देयताएं	31.03.2016 को
1,83,191.54	आन्तरिक ऋण	2,40,835.79
1,02,667.36	ब्याज सहित बाजार ऋण	1,27,968.32
2.77	ब्याज रहित बाजार ऋण	2.65
6.43	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	4.15
78,783.03	अन्य संस्थानों से ऋण	1,12,860.67
1,731.95	अर्थोपाय अग्रिम	00
00	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट	00
14,461.65	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	13,658.21
9.94	1984-85 से पहले का ऋण	9.94
79.41	आयोजनेतर ऋण	72.42
14,360.68	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	13,564.23
00	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	00
10.19	केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	10.19
1.43	अर्थोपाय अग्रिम	1.43
600.00	आकस्मिकता निधि (कॉर्पस)	600.00
45,120.93	अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	46,655.29
23,855.22	निक्षेप	22,312.18
41,229.79	आरक्षित निधियां	43,790.33
2,929.37	प्रेषण शेष	2,732.76
-	सरकारी लेखों में आधिक्य	6,401.55
	(i) वर्ष के प्रारम्भ में संचयी घटा	7,938.45
	(ii) घटाना: वर्तमान वर्ष में राजस्व आधिक्य	14,339.99
3,11,388.50	योग	3,76,986.11
परिसम्पत्तियां		
2,88,433.56	अचल सम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	3,52,856.28
58,606.06	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	84,356.79
2,29,827.50	अन्य पूँजीगत परिव्यय	2,68,499.49
289.29	आकस्मिकता निधि (असमायोजित)	132.08
14,066.37	ऋण एवं अग्रिम	22,458.65

1,930.43	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	8,013.55	
11,916.89	अन्य विकास ऋण	14,219.52	
219.05	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं विविध ऋण	225.57	
45.20	आरक्षित निधियों में निवेश		45.20
8.94	अग्रिम		8.75
1,008.01	उचन्त एवं विविध शेष		1,685.36
(-) 401.32	रोकड़		(-) 200.21
00	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	00	
(-) 1,009.27	भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	(-) 1,409.33	
12.17	विभागीय रोकड़ शेष	12.21	
0.43	स्थाई अग्रिम	0.47	
595.35	रोकड़ शेष निवेश	1,196.44	
7,938.45	सरकारी लेखों में घाटा		-
30,332.73	(i) वर्ष के प्रारम्भ में संचयी घाटा		
22,394.28	(ii) घटाना: वर्तमान वर्ष में राजस्व आधिकाय		
3,11,388.50		योग	3,76,986.11

परिशिष्ट 1.3 एवं 1.7 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

पूर्ववर्ती विवरणों में संक्षिप्त लेखे को वित्त लेखे में दिए गये विवरणों एवं टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाय। सरकारी लेखे मुख्यतया रोकड़ आधारित होते हैं, सरकारी लेखे में घाटे, जैसा कि परिशिष्ट 1.7 में प्रदर्शित है, नकदी आधार पर प्रदर्शित है, सम्पूति आधारित वाणिज्यिक लेखाओं से भिन्न है। फलस्वरूप, देय या प्राप्य मद का छास अथवा भंडार लेखा में विचलन इत्यादि मद लेखे में अंकित नहीं है। उचन्त एवं विविध अवशेष में ऐसे निर्गत चेक जिनका भुगतान नहीं किया गया, राज्य की ओर से किए गये भुगतान एवं अन्य लम्बित समाधान समिलित है। “रिजर्व बैंक में निक्षेप” के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित एवं लेखे में प्रदर्शित आंकड़ों के बीच ₹ 66.56 करोड़ (निवल डेविट) का अन्तर था।

परिशिष्ट 1.8	आरक्षित निधियों का विवरण <i>(संदर्भ : प्रस्तर 1.9.3; पृष्ठ 36)</i>
-------------------------------	--

(₹ लाख में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	संवितरण	अंतिम शेष
2013-14				
आरक्षित निधियाँ				
ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ				
8115-मूल्यहास /नवीकरण आरक्षित निधि	1,848.54	00	00	1,848.54
103—मूल्यहास / आरक्षित निधि—सरकारी वाणिज्यिक विभाग तथा उपक्रम	6,290.11	00	00	6,290.11
105—मूल्यहास आरक्षित निधि—निवेश खाता	-4,441.57	00	00	-4,441.57
8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	126.69	00	00	126.69
102—कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि	120.50	00	00	120.50
111—आकर्षित निधि—विद्युत	6.19	00	00	6.19
योग	1,975.23	00	00	1,975.23
ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ				
8222- सिंकिंग फण्ड	34,83,444.33	836424.60	294598.00	40,25,270.93
01—ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन	34,83,444.33	836424.60	294598.00	40,25,270.93
101—सिंकिंग फण्ड				
8223- अकाल राहत निधि	853.50	00	00	853.50
101—अकाल राहत निधि	931.51	00	00	931.51
102—अकाल राहत निधि—निवेश लेखा	-78.01	00	00	-78.01
8225- सङ्करे एवं सेतु निधि	5,744.65	2,10,000.00	00	2,15,744.65
101—राज्य सङ्करे तथा सेतु निधि	5,744.65	2,10,000.00	00	2,15,744.65
8226- मूल्यहास /नवीकरण आरक्षित निधि	4,920.77	1,011.00	00	5,931.77
102—सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि	4,920.77	1,011.00	00	5,931.77
8229- विकास एवं कल्याण निधि	53,905.26	2,00,066.31	1,44,609.62	1,09,361.95
101—शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि	4,326.07	40.60	39.29	4,327.38
102—विकास तथा लोक स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिये विकास निधि	1,088.84	00	00	1,088.84
105—चीनी विकास निधि	1,000.00	00	00	1,000.00
106—औद्योगिक विकास निधि	3,022.38	00	00	3,022.38
109—सहकारी विकास निधि	4.77	00	00	4.77
200—अन्य विकास तथा कल्याण निधि	44,463.20	2,00,025.71	1,44,570.33	99,918.58
8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	41,618.80	50,034.47	62,907.36	28,745.91
101—सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियाँ	488.50	10.04	00	498.54
102—जर्मीनी उन्मूलन निधि	707.78	00	00	707.78
103—धार्मिक तथा पूर्ति न्यास निधि	33.79	00	00	33.79
105—सामान्य बीमा निधि	27.78	00	00	27.78
111—राज्य आपवा अनुक्रिया निधि	33,224.17	48,772.63	62,907.36	19,089.44
200—अन्य निधियाँ	7,136.78	1,251.80	00	8,388.58
योग	35,90,487.31	12,97,536.38	5,02,114.98	43,85,908.71
महायोग	35,92,462.54	12,97,536.38	5,02,114.98	43,87,883.94

2014-15				
आरक्षित निधियाँ				
ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ				
8115-मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधि	1,848.54	00	6,290.11	-4,441.57
103—मूल्यहास / आरक्षित निधि—सरकारी वाणिज्यिक विभाग तथा उपक्रम	6,290.11	00	6,290.11	00
105—मूल्यहास आरक्षित निधि—निवेश खाता	-4,441.57	00	00	-4,441.57
8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	126.69	00	126.69	0.00
102—कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि	120.50	00	126.69	-6.19
111—आकर्षिकता आरक्षित निधि—विद्युत	6.19	00	00	6.19
योग	1,975.23	00	6,416.80	-4,441.57
ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ				
8222- सिंकिंग फण्ड	40,25,270.93	4,50,000.00	3,98,780.60	4,076,490.33
01—ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन	40,25,270.93	4,50,000.00	3,98,780.60	4,076,490.33
101—सिंकिंग फण्ड				
8223- अकाल राहत निधि	853.50	00	931.51	-78.01
101—अकाल राहत निधि	931.51	00	931.51	0.00
102—अकाल राहत निधि—निवेश लेखा	-78.01	00	00	-78.01
8225- सड़कें एवं सेतु निधि	2,15,744.65	2,80,000.00	5,27,918.38	-32,173.73
101—राज्य सड़क तथा सेतु निधि	2,15,744.65	2,80,000.00	5,27,918.38	-32,173.73
8226- मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधि	5,931.77	00	1,901.80	4,029.97
102—सरकारी वाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि	5,931.77	00	1,901.80	4,029.97
8229- विकास एवं कल्याण निधि	1,09,361.95	2,00,565.15	2,65,934.33	43,992.77
101—शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि	4,327.38	2,00,565.14	20,102.35	1,84,790.17
102—विकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिये विकास निधि	1,088.84	00	00	1,088.84
105—चीनी विकास निधि	1,000.00	00	00	1,000.00
106—औद्योगिक विकास निधि	3,022.38	00	00	3,022.38
109—सहकारी विकास निधि	4.77	0.01	00	4.78
200—अन्य विकास तथा कल्याण निधि	99,918.58	00	2,45,831.98	-1,45,913.40
8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	28,745.91	68,603.79	66,709.73	30,639.97
101—सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियाँ	498.54	586.52	735.56	349.50
102—जर्मीदारी उन्मूलन निधि	707.78	00	00	707.78
103—धार्मिक तथा पूर्त न्यास निधि	33.79	00	00	33.79
105—सामान्य बीमा निधि	27.78	00	00	27.78
111—राज्य आपदा अनुक्रिया निधि	19,089.44	65,590.58	65,123.45	19,556.57
200—अन्य निधियाँ	8,388.58	2,426.69	850.72	9,964.55
योग	43,85,908.71	9,99,168.94	12,62,176.35	41,22,901.30
महायोग	43,87,883.94	9,99,168.94	12,68,593.15	41,18,459.73

2015-16				
आरक्षित निधियाँ				
ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ				
8115-मूल्यद्वास /नवीकरण आरक्षित निधि	(-) 4,441.57	00	00	(-) 4,441.57
103—मूल्यद्वास /आरक्षित निधि—सरकारी वाणिज्यिक विभाग तथा उपक्रम	00	00	00	00
105—मूल्यद्वास आरक्षित निधि—निवेश खाता	(-) 4,441.57	00	00	(-) 4,441.57
8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	00	00	00	00
102—कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि	(-) 6.19	00	00	(-) 6.19
111—आकस्मिकता आरक्षित निधि—विद्युत	(-) 6.19	00	00	(-) 6.19
योग	(-) 4,441.57	00	00	(-) 4,441.57
ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ				
8222- सिंकिंग फण्ड	40,76,490.33	6,96,678.20	4,69,904.00	43,03,264.53
01—ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन	40,76,490.33	6,96,678.20	4,69,904.00	43,03,264.53
101—सिंकिंग फण्ड				
8223- अकाल राहत निधि	(-) 78.01	00	00	(-) 78.01
101—अकाल राहत निधि	00	00	00	00
102—अकाल राहत निधि—निवेश लेखा	(-) 78.01	00	00	(-) 78.01
8225- सङ्कें एवं सेतु निधि	(-) 32,173.73	2,50,000	2,49,972.76	(-) 32,146.49
101—राज्य सङ्क तथा सेतु निधि	(-) 32,173.73	2,50,000	2,49,972.76	(-) 32,146.49
8226- मूल्यद्वास /नवीकरण आरक्षित निधि	4,029.97	2,000.00	9,829.00	(-) 799.03
102—सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यद्वास आरक्षित निधि	4,029.97	2,000.00	9,829.00	(-) 799.03
8229- विकास एवं कल्याण निधि	43,992.77	2,00,003.47	1,76,389.06	67,607.18
101—शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि	1,84,790.17	(-) 2,00,557.11	(-) 20,102.35	4,335.41
102—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिये विकास निधि	1,088.84	00	1,088.84	00
105—चीनी विकास निधि	1,000.00	560.58	00	1,560.58
106—औद्योगिक विकास निधि	3,022.38	00	1,800.00	1,222.38
109—सहकारी विकास निधि	4.78	00	4.77	0.01
200—अन्य विकास तथा कल्याण निधि	(-) 1,45,913.40	4,00,000.00	1,93,597.80	60,488.80
8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	30,639.97	4,11,206.30	4,00,740.29	41,105.98
101—सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियाँ	349.50	292.41	(-) 735.56	1,377.47
102—जर्मीदारी उन्मूलन निधि	707.78	0.00	707.78	0.00
103—धार्मिक तथा पूर्त न्यास निधि	33.79	-	-	33.79
105—सामान्य बीमा निधि	27.78	00	00	27.78
111—राज्य आपदा अनुक्रिया निधि	19,556.57	4,06,725.51	3,99,841.60	26,440.48
200—अन्य निधियाँ	9,964.55	4,187.86	898.69	13,253.72
योग	41,22,901.30	15,59,887.97	13,03,835.11	43,78,954.16
महायोग	41,18,459.73	15,59,887.97	13,03,835.11	43,74,512.59

परिशिष्ट 2.1	अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जहाँ प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत व्यय ₹ दस करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था <i>(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.1; पृष्ठ. 53)</i>
-------------------------------	--

(₹ करोड़ में)					
क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विभाग का नाम	कुल अनुदान	कुल व्यय	अधिक व्यय की प्रतिशतता
राजस्व – दत्तमत					
1.	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	93.16	101.51	09
2.	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु)	19.00	20.87	10
3.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	4,027.73	4,308.97	07
		योग	4,139.89	4,431.35	07
राजस्व – भारित					
4.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	0.15	1.13	653
5.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	0.02	0.06	200
6.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	0.19	1.03	442
7.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	31.51	32.72	04
		योग	31.87	34.94	10
पूंजीगत – दत्तमत					
8.	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	81.31	110.50	36
9.	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु)	1,380.56	1,519.15	10
10.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	8,358.88	10,569.90	26
		योग	9,820.75	12,199.55	24
		महायोग	13,992.51	16,665.84	19

परिशिष्ट 2.2	अनुदानों / विनियोगों का विवरण, जहां प्रत्येक अनुदान / विनियोग में बचत ₹ दस करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी (सन्दर्भ : प्रस्तर 2.3.4 पृष्ठ 55)
-------------------------	--

(₹ करोड़ में)						
क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विभाग का नाम	कुल प्रावधान	व्यय	बचत	प्रतिशतता
राजस्व – दर्रमत						
1.	06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	319.13	202.63	116.50	37
2.	07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	213.38	147.19	66.19	31
3.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	338.55	250.79	87.76	26
4.	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	508.19	330.10	178.09	35
5.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	104.36	60.31	44.05	42
6.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	300.67	240.03	60.64	20
7.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	183.32	143.66	39.66	22
8.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	699.47	551.46	148.01	21
9.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	4,946.59	3,542.47	1,404.12	28
10.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	620.24	375.74	244.50	39
11.	37	नगर विकास विभाग	5,273.58	3,882.86	1,390.72	26
12.	40	नियोजन विभाग	284.11	199.50	84.61	30
13.	42	न्याय विभाग	1,534.00	1,204.87	329.13	21
14.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1,821.74	968.93	852.81	47
15.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	5,266.34	4,207.46	1,058.88	20
16.	51	राजस्व विभाग (देवीय आपदा के संबंध में राहत)	6,592.78	5,274.17	1,318.61	20
17.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	1,974.61	590.58	1,384.03	70
18.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	267.45	171.95	95.50	36
19.	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	451.54	269.75	181.79	40
20.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	127.47	96.19	31.28	25
21.	86	सूचना विभाग	330.49	188.06	142.43	43
22.	90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन एवं बाजी कर)	56.93	37.29	19.64	35
23.	92	संस्कृति विभाग	68.41	45.99	22.42	33
24.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	2,768.60	2002.26	766.34	28
25.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	3,663.60	2,729.63	933.97	25
निवल योग			38,715.55	27,713.87	11,001.68	28

पूंजीगत – दत्तमत						
26.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	902.29	368.62	533.67	59
27.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	621.38	482.17	139.21	22
28.	26	गृह विभाग (पुलिस)	1,306.77	1,024.33	282.44	22
29.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	10.74	0.06	10.68	99
30.	40	नियोजन विभाग	1,932.50	1,299.80	632.70	33
31.	42	न्याय विभाग	973.01	731.24	241.77	25
32.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1,007.33	371.89	635.44	63
33.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	186.87	110.90	75.97	41
34.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	22.50	5.35	17.15	76
35.	69	व्यवसायिक शिक्षा विभाग	220.05	176.17	43.88	20
36.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	551.73	8.19	543.54	99
37.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	779.78	163.22	616.56	79
38.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	379.37	64.53	314.84	83
39.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	16.74	2.07	14.67	88
40.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	44.36	29.28	15.08	34
41.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	162.11	113.21	48.90	30
42.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	52.34	30.95	21.39	41
43.	86	सूचना विभाग	24.00	0.00	24.00	100
44.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्यिक कर)	62.54	23.87	38.67	62
45.	92	संस्कृति विभाग	79.71	48.55	31.16	39
निवल योग			9,336.12	5,054.40	4,281.72	46
पूंजीगत – भारित						
46.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	20.00	5.00	15.00	75
निवल योग			20.00	5.00	15.00	75
महायोग			48,071.67	32,773.27	15,298.40	32

परिशिष्ट 2.3	₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचत वाले अनुदानों/विनियोगों का विवरण (सन्दर्भ : प्रस्तर 2.3.4 पृष्ठ 55)
-------------------------------	---

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	प्रावधान			वास्तविक व्यय	बचतें
			मूल अनुदान	अनुपूरक	कुल अनुदान		
राजस्व – दत्तमत							
1	6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	312.13	7.00	319.13	202.63	116.50
2	9	ऊर्जा विभाग	11,220.88	13,504.88	24,725.76	23,743.48	982.28
3	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	3,043.74	5.16	3,048.90	2,610.16	438.74
4	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	508.19	0.00	508.19	330.10	178.09
5	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1,826.86	15.04	1,841.90	1,633.29	208.61
6	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	7,052.96	1,103.86	8,156.82	5,039.13	3,117.69
7	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	860.56	8.67	869.23	718.63	150.60
8	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	1,106.32	1,529.00	2,635.32	2,364.24	271.08
9	26	गृह विभाग (पुलिस)	12,457.87	0.00	12,457.87	11,111.46	1,346.41
10	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	4,818.67	38.85	4,857.52	3,918.99	938.53
11	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	679.26	20.21	699.47	551.46	148.01
12	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	4,946.59	0.00	4,946.59	3,542.48	1,404.11
13	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	611.24	9.00	620.24	375.74	244.50
14	37	नगर विकास विभाग	4,631.34	642.24	5,273.58	3,882.86	1,390.72
15	42	न्याय विभाग	1,471.30	62.70	1,534.00	1,204.88	329.12
16	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1,768.24	53.50	1,821.74	968.93	852.81
17	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	5,264.46	1.88	5,266.34	4,207.46	1,058.88
18	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	765.18	0.50	765.68	651.94	113.74
19	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के संबंध में राहत)	479.10	6,113.68	6,592.78	5,274.17	1,318.61
20	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2,940.14	0.00	2,940.14	2,483.35	456.79
21	54	लोक निर्माण विभाग (अधिकारी)	1,974.61	0.00	1,974.61	590.58	1,384.03
22	60	वन विभाग	615.70	0.00	615.70	515.61	100.09
23	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	27,017.60	0.00	27,017.60	22,351.09	4,666.51
24	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	451.54	0.00	451.54	269.75	181.79
25	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	31,758.06	2,402.71	34,160.77	30,930.92	3,229.85
26	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	8,029.13	5.00	8,034.13	7,115.98	918.15
27	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,004.94	4.48	2,009.42	1,730.62	278.80

28	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	5,275.05	54.00	5,329.05	4,661.60	667.45
29	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	11,612.85	1,898.89	13,511.74	11,204.96	2,306.78
30	86	सूचना विभाग	175.49	155.00	330.49	188.06	142.43
31	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	2,743.59	25.00	2,768.59	2,002.26	766.33
32	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	3,443.60	220.00	3,663.60	2,729.63	933.97
योग			1,61,867.19	27,881.25	1,89,748.44	1,59,106.44	30,642.00
राजस्व – भारित							
33	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	28,324.31	528.83	28,853.14	28,056.31	796.83
योग			28,324.31	528.83	28,853.14	28,056.31	796.83
पूंजीगत – दत्तमत							
34	9	ऊर्जा विभाग	13,402.13	13,490.91	26,893.04	24,399.24	2,493.80
35	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	890.29	12.00	902.29	368.62	533.67
36	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	10,211.58	1.00	10,212.58	8,543.47	1,669.11
37	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	621.38	0.00	621.38	482.17	139.21
38	26	गृह विभाग (पुलिस)	1,206.77	100.00	1,306.77	1,024.33	282.44
39	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	703.38	19.40	722.78	618.30	104.48
40	37	नगर विकास विभाग	1,520.00	21.92	1,541.92	1,366.96	174.96
41	40	नियोजन विभाग	1,882.50	50.00	1,932.50	1,299.80	632.70
42	42	न्याय विभाग	697.71	275.30	973.01	731.24	241.77
43	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1,007.33	0.00	1,007.33	371.89	635.44
44	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	551.73	0.00	551.73	8.19	543.54
45	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	734.78	45.00	779.78	163.22	616.56
46	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	370.00	9.37	379.37	64.53	314.84
47	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	7,493.56	146.04	7,639.60	6,281.90	1,357.70
योग			41,293.14	14,170.94	55,464.08	45,723.86	9,740.22
पूंजीगत – भारित							
48	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	20,932.57	402.64	21,335.21	17,623.31	3,711.90
योग			20,932.57	402.64	21,335.21	17,623.31	3,711.90
महायोग			2,52,417.21	42,983.66	2,95,400.87	2,50,509.92	44,890.95

परिशिष्ट 2.4	प्रकरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए <i>(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.6; पृष्ठ 58)</i>
-------------------------	---

(₹ करोड़ में)

क्र० सं	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अनुपूरक प्रावधान	मूल प्रावधान के सापेक्ष बचत
राजस्व – दत्तमत						
1.	06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	312.13	202.63	7.00	109.50
2.	07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	202.25	147.19	11.13	55.06
3.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	311.54	250.79	27.01	60.75
4.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	3,043.74	2,610.16	5.16	433.58
5.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1,826.86	1,633.29	15.04	193.57
6.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	7,052.96	5,039.13	1,103.86	2,013.83
7.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	860.56	718.63	8.67	141.93
8.	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुर्घटशाला विकास)	82.80	75.04	3.48	7.76
9.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	102.33	60.31	2.04	42.02
10.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	1,387.19	1,381.92	15.16	5.27
11.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	4,818.67	3,918.99	38.85	899.68
12.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	679.26	551.46	20.21	127.80
13.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	611.24	375.74	9.00	235.50
14.	37	नगर विकास विभाग	4,631.34	3,882.86	642.24	748.48
15.	40	नियोजन विभाग	279.11	199.50	5.00	79.61
16.	42	न्याय विभाग	1,471.30	1,204.88	62.70	266.42
17.	43	परिवहन विभाग	179.70	168.81	2.98	10.89
18.	48	अत्यसंख्यक कल्याण विभाग	1,768.24	968.93	53.50	799.31
19.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	5,264.46	4,207.46	1.88	1,057.00
20.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	10,186.94	10,142.86	4.69	44.08
21.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	31,758.06	30,930.92	2,402.71	827.14
22.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	8,029.13	7,115.98	5.00	913.15
23.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,004.94	1,730.62	4.48	274.32
24.	74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	580.75	578.22	3.00	2.53
25.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	281.36	248.69	3.48	32.67
26.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	618.94	572.83	25.00	46.11
27.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	5,275.06	4,661.60	54.00	613.46

28.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	11,612.85	11,204.96	1,898.89	407.89
29.	92	संस्कृति विभाग	67.41	45.99	1.00	21.42
30.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	2,743.59	2,002.26	25.00	741.33
31.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	3,443.61	2,729.63	220.00	713.98
		योग	1,11,488.32	99,562.28	6,682.16	11,926.04
राजस्व – भारित						
32.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	28,324.31	28,056.31	528.83	268.00
		योग	28,324.31	28,056.31	528.83	268.00
पूंजीगत – दत्तमत						
33.	03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	67.00	66.80	1.64	0.20
34.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	890.29	368.62	12.00	521.67
35.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	10,211.58	8,543.47	1.00	1,668.11
36.	26	गृह विभाग (पुलिस)	1,206.77	1,024.33	100.00	182.44
37.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	703.38	618.30	19.40	85.08
38.	37	नगर विकास विभाग	1,520.00	1,366.96	21.92	153.04
39.	40	नियोजन विभाग	1,882.50	1,299.80	50.00	582.70
40.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	181.66	110.90	5.22	70.76
41.	60	वन विभाग	338.51	324.74	27.00	13.77
42.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	2,171.40	2,106.89	5.00	64.51
43.	69	व्यवसायिक शिक्षा विभाग	207.49	176.17	12.56	31.32
44.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	734.78	163.22	45.00	571.56
45.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	369.99	64.53	9.37	305.46
46.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	146.08	113.21	16.03	32.87
47.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	39.19	30.95	13.14	8.24
48.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	7,493.56	6,281.90	146.04	1,211.66
49.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	0.00	0.00	4.00	0.00
50.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्यिक कर)	59.09	23.87	3.46	35.22
51.	92	संस्कृति विभाग	65.62	48.55	14.10	17.07
		योग	28,288.89	22,733.21	506.88	5,555.68
पूंजीगत – भारित						
52.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	20,932.57	17,623.31	402.64	3,309.26
		योग	20,932.57	17,623.31	402.64	3,309.26
		महायोग	1,89,034.09	1,67,975.11	8,120.51	21,058.98

परिशिष्ट 2.5	निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग (सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.7 पृष्ठ 58)
-------------------------------	---

(₹ लाख में)

क्र0 स0	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोग	आधिक्य	बचत (-)
1.	01	आबकारी विभाग	2039-001-03	339.85	7.05	0.00
2.	03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	2852-80-001-03	108.00	0.00	119.69
3.	04	उद्योग विभाग (खाने एवं खनिज)	2853-02-001-03	44.92	65.96	0.00
4.	07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	2852-80-800-11	1,270.00	7,306.99	0.00
5.	08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	2058-103-03	48.00	0.00	3.32
6.			2058-103-04	31.00	3.50	0.00
7.			2058-001-03	400.00	0.18	0.00
8.	09	ऊर्जा विभाग	4801-05-190-08	33,200.69	1,162.95	0.00
9.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	2401-001-03	1.76	0.00	0.05
10.			2401-001-05	7.02	0.00	9.49
11.			2851-107-11	43.19	0.00	43.34
12.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2401-001-03	78.81	0.00	25.42
13.			2401-001-05	63.02	0.00	51.43
14.			2401-114-03	177.55	4.84	0.00
15.			2402-102-02	904.08	0.00	104.02
16.			2415-80-120-09	376.00	0.89	0.00
17.			2415-80-120-10	6.76	0.00	0.17
18.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2515-001-03	289.58	0.00	0.07
19.			2515-001-04	104.14	0.00	0.39
20.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	2070-800-06	2.41	0.00	48.30
21.			2070-800-03	149.41	1.67	0.00
22.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	2403-001-03	53.71	82.92	0.00
23.			2403-101-04	170.00	0.00	169.85
24.			2403-101-02	2,759.90	0.00	90.11
25.			2403-103-07	910.43	0.00	25.00
26.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	2408-01-001-03	5.99	0.00	372.22
27.			4408-01-101-03	11,000.00	0.00	586.58
28.	22	खेल विभाग	2204-001-03	64.50	0.00	100.03
29.			2204-104-10	11.59	0.00	0.01
30.			2204-104-18	174.05	0.00	45.93
31.	25	गृह विभाग (कारागार)	2056-001-03	38.28	0.00	114.40
32.			2056-101-03	2,185.00	0.00	5,045.57

33.			2056-102-03	158.75	0.21	0.00
34.			2056-800-03	17.48	14.09	0.00
35.			4070-800-09	100.70	0.00	100.70
36.			4070-800-16	594.77	0.00	52.82
37.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-001-03	87.92	0.00	300.14
38.			2055-003-04	14.00	0.00	1,708.20
39.			2055-101-03	27.39	0.00	3,504.79
40.			2055-101-04	8,279.85	0.00	9,165.98
41.			2055-104-03	2,653.02	0.00	25,814.06
42.			2055-104-06	6.00	0.00	627.86
43.			2055-108-03	17.35	0.00	341.49
44.			2055-109-03	8,256.45	0.00	69,789.98
45.			2055-109-05	1,000.00	0.00	1,371.64
46.			2055-111-03	52.20	0.00	1,951.79
47.			2055-114-03	10.10	0.00	3,945.57
48.			2055-116-03	26.18	0.00	148.17
49.			2055-800-13	1,814.29	0.00	311.39
50.			2070-108-03	255.35	0.00	3,757.68
51.			2251-090-03	5.00	0.00	179.50
52.			2055-109-04	7,681.65	0.00	937.46
53.			2055-109-07	831.63	0.00	59.93
54.			2055-800-05	2,858.57	0.00	1,054.16
55.			2235-60-200-03	2,300.00	0.00	110.10
56.			2235-60-800-04	21.66	0.00	3.52
57.			4055-207-06	1,000.00	0.00	1,003.82
58.			4055-211-07	5,969.50	0.00	0.01
59.			4055-211-11	613.04	419.50	0.00
60.			4055-800-01	2,403.31	0.00	0.01
61.	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	2070-106-03	0.30	0.00	61.30
62.			2070-106-05	5.12	0.00	246.65
63.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेशन तथा अन्य व्यय)	2235-800-03	1,270.65	0.00	1,292.68
64.			2251-200-03	10.50	0.00	27.47
65.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	2210-01-110-15	265.10	0.00	493.15
66.			2210-05-001-03	5.00	0.00	68.44
67.			2210-05-105-03	256.96	0.00	1,426.03
68.			4210-03-105-21	1,000.00	0.00	2.90
69.			4210-03-105-60	1,000.00	821.47	0.00
70.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	2210-01-110-04	2,475.89	0.00	29,931.23
71.			2210-03-110-10	900.00	0.00	40,508.54
72.			2210-80-800-08	10.00	0.00	11.87

73.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	2210-02-103-03	6.25	0.00	33.07
74.			2210-05-103-03	5.01	0.00	145.72
75.	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	2210-02-102-03	10.00	0.01	0.00
76.	37	नगर विकास विभाग	2217-04-051-03	18,000.00	0.00	5.30
77.			6215-02-192-04	462.00	0.00	535.96
78.			4215-01-800-03	19,000.00	19,308.00	0.00
79.	40	नियोजन विभाग	2575-06-104-03	35.01	0.00	35.01
80.			3454-02-800-04	7,394.02	0.00	1,030.71
81.			4575-02-800-04	2,123.93	0.00	34,810.19
82.			4575-06-800-13	369.66	0.00	141.50
83.			4575-06-800-14	124.02	0.00	124.02
84.			5054-04-337-03	6,454.50	0.00	458.34
85.	41	निर्वाचन विभाग	2015-103-03	150.00	0.00	0.35
86.			2015-103-05	68.65	4.54	0.00
87.			2015-105-03	449.90	18.97	0.00
88.			2015-106-03	59.40	0.11	0.00
89.			2015-106-04	33.60	0.00	2.17
90.			2015-106-05	158.00	0.00	2.38
91.			2015-106-06	3.05	0.00	0.01
92.	42	न्याय विभाग	2014-114-04	11.66	11.12	0.00
93.			2014-114-03	120.00	0.01	0.00
94.			2235-60-200-04	412.75	0.00	0.82
95.			2014-102-05	128.55	0.01	0.00
96.			2014-800-05	714.46	0.00	41.83
97.	43	परिवहन विभाग	3055-001-03	122.58	21.69	0.00
98.			3055-797-04	400.00	0.00	400.00
99.	44	पर्यटन विभाग	3452-80-001-03	8.00	0.00	1.10
100.			3452-80-800-03	500.00	0.82	0.00
101.			5452-80-104-14	669.31	575.11	0.00
102.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2202-01-800-03	100.00	0.00	32.21
103.			2225-80-800-03	2.03	0.00	2,354.38
104.			2202-01-800-02	1,047.81	12.91	0.00
105.			2235-02-800-01	1,206.78	15.30	0.00
106.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2235-02-103-02	82.00	0.00	502.36
107.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	2245-05-800-04	46,800.00	0.00	305.09
108.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2235-60-110-05	40,000.00	0.00	188.50
109.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	2059-80-001-03	280.00	0.00	102.32

110.			2059-80-001-04	750.00	0.00	975.60
111.	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सेतु)	5054-04-101-34	4,340.64	3,011.94	0.00
112.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सड़कें)	5054-03-337-03	799.74	4,569.22	0.00
113.			5054-03-337-13	36,055.93	4,127.48	0.00
114.			5054-04-337-05	1,833.05	5,162.91	0.00
115.			5054-04-337-13	47,899.97	18,895.75	0.00
116.			5054-04-337-83	7,000.00	4,146.27	0.00
117.			5054-04-337-86	5,000.00	1,034.64	0.00
118.			5054-04-337-88	130.93	2,623.04	0.00
119.			5054-04-337-89	418.98	1,386.24	0.00
120.			5054-04-337-84	300.62	0.00	300.62
121.	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	2013-800-03	458.15	100.00	0.00
122.			2059-60-053-03	64.06	0.00	35.00
123.			2059-60-053-04	55.27	0.00	0.63
124.			2059-60-053-05	25.00	0.25	0.00
125.			2216-01-700-09	27.33	35.00	0.00
126.	60	वन विभाग	4406-102-06	404.18	837.69	0.00
127.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	3604-193-03	30,529.87	0.00	30,431.67
128.			2049-01-123-04	105,484.21	0.00	0.01
129.			2049-01-200-03	1,788.70	0.00	1,510.70
130.	67	विधान परिषद सचिवालय	2011-02-103-03	4.50	0.00	577.50
131.			2011-02-102-03	186.10	0.00	93.73
132.	69	व्यवसायिक शिक्षा विभाग	2230-03-003-01	22.20	0.00	12.27
133.			2230-03-101-97	324.65	0.00	95.47
134.			4250-203-14	107.00	0.00	8.00
135.			4250-203-05	1,200.00	922.33	0.00
136.			4250-203-97	79.20	8.00	0.00
137.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	2202-01-102-31	1,802.74	0.00	0.32
138.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2202-02-001-03	74.70	2.09	0.00
139.			2202-02-101-03	367.00	7.05	0.00
140.			2071-01-109-03	26.20	0.00	9.51
141.			2202-02-108-03	2,200.00	0.00	50.81
142.			2202-05-103-04	1,800.00	0.00	90.12
143.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2202-03-001-03	15.00	0.00	103.89
144.			2202-03-001-04	34.80	0.00	33.70
145.			4202-01-203-05	100.00	0.00	2.22
146.	74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	2070-107-03	5.00	98.90	0.00
147.			2070-107-04	42.00	0.00	496.74

148.			2070-107-07	10,000.00	0.00	140.35
149.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	2202-80-003-11	42.36	0.00	38.50
150.			2202-80-800-01	58.00	2.78	0.00
151.			2202-80-003-10	202.34	0.00	48.86
152.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	2210-01-102-03	3.00	0.00	0.23
153.			2210-01-102-04	1.11	1.63	0.00
154.			2210-01-102-05	52.33	0.00	40.00
155.			2230-01-001-03	10.00	0.00	0.01
156.			2230-01-101-04	30.74	0.00	2.17
157.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	2052-090-03	195.00	0.00	4,892.03
158.			2052-090-07	76.72	0.00	76.16
159.			2013-102-03	90.00	0.00	6.83
160.			2013-104-03	100.00	0.00	7.67
161.			2052-090-11	130.00	0.00	4.94
162.			2220-60-800-03	70.00	0.00	0.70
163.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछळा वर्ग कल्याण)	2235-02-101-14	43.82	0.00	0.10
164.			2235-03-277-07	11,203.96	0.00	5.29
165.			2235-80-800-03	29.00	0.00	1.70
166.			2235-02-101-03	151.36	0.00	4.25
167.			2235-02-101-06	19.38	0.05	0.00
168.			2235-02-101-22	11.50	5.49	0.00
169.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	2235-60-796-05	94.98	0.00	7.08
170.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2217-04-789-04	5,000.00	6,998.89	0.00
171.			2235-60-789-09	4,292.25	3,848.25	0.00
172.			2235-60-789-11	1,039.00	448.22	0.00
173.			2403-01-789-04	277.30	2.12	0.00
174.			4202-03-789-01	42.20	0.00	42.20
175.			4217-60-789-01	12,808.00	7,604.73	0.00
176.			4225-01-789-10	361.28	2,346.16	0.00
177.			4700-36-789-10	2,881.57	0.00	0.03
178.			5054-04-789-16	1,168.49	0.00	256.78
179.	86	सूचना विभाग	2220-01-105-03	8.00	0.13	0.00
180.			2220-60-101-05	1,101.00	0.00	13,433.62
181.			2220-60-102-03	23.53	0.00	0.05
182.			2220-60-106-03	37.97	0.00	15.92
183.			2220-60-110-03	4,000.00	0.21	0.00
184.	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	2030-03-001-06	20.00	0.00	20.00

185.	92	संस्कृति विभाग	2205-104-01	13.00	0.00	12.08
186.			2205-101-16	12.38	0.00	7.55
187.	94	सिंचार्इ विभाग (निर्माण)	4700-04-051-10	1,049.59	0.00	44.84
188.			4700-09-051-10	481.44	0.00	920.17
189.			4700-97-051-10	2,650.37	0.00	830.45
190.			4702-102-03	450.00	0.00	878.20
191.			4700-04-051-12	1,627.80	21.39	0.00
192.			4701-05-051-10	200.00	155.44	0.00
193.			4701-27-051-10	12.50	0.00	0.44
194.			4701-29-051-10	578.40	0.89	0.00
195.			4711-01-103-06	5,349.13	1,433.43	0.00
196.			4711-01-103-08	3,283.99	345.18	0.00
197.			4711-01-103-09	1,947.43	391.61	0.00
198.			4711-01-103-23	2,583.91	0.00	294.51
			योग	5,84,462.10 अथवा 5,844.62 करोड़	1,00,436.22 अथवा 1,004.36 करोड़	3,05,381.98 अथवा 3,053.82 करोड़

परिशिष्ट 2.6	वर्ष 2015–16 में अत्यधिक धनराशियों का अभ्यर्पण (सन्दर्भ: प्रस्ताव 2.3.8; पृष्ठ 58)
-------------------------------	--

(₹ लाख में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखाशीर्ष)	प्रावधान	अभ्यर्पित धनराशि	अभ्यर्पित धनराशि (प्रतिशत में)	अभ्यर्पण का कारण
1.	1	आबकारी विभाग	2039-001-06 कम्प्यूटरीकरण और ऑनलाइन आबकारी प्रबंधन प्रणाली की स्थापना	18.00	16.05	89	अधीनस्थ कार्यालय से लघु अभ्यर्पण की प्राप्ति के कारण
2.			2039-001-04 जिला कार्यकारिणी अधिष्ठान	20.00	17.65	88	भुगतान के लिए गैर लंबित बिलों के कारण
3.			4059-01-051-05 जिला संत रविदास नगर में कार्यालय भवन एवं आबकारी गोदाम का निर्माण	17.49	17.49	100	राशि के खाते में लेने से इन्कार एवं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा मौजूदा अनुमान पर कार्य करने के कारण
4.			4059-01-051-08 जिला संत कबीर नगर में कार्यालय भवन का निर्माण	12.45	12.45	100	स्वीकृति न मिलने के कारण
5.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	2851-102-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	300.00	250.57	84	केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण
6.			2851-102-20 उद्यमिता विकास संस्थान को अनुदान	30.00	30.00	100	अध्यक्ष का नामांकन न होने के कारण
7.			2851-102-23 महिला उद्यमी प्रोत्साहन के तहत ब्याज उपादान	50.00	36.85	74	महिला उद्यमी की अपर्याप्त संख्या के कारण
8.	6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	2851-102-03 उत्तर प्रदेश कपड़ा उद्योग नीति 2014 के तहत मैगा परियोजना का कार्यान्वयन	1,000.00	1,000.00	100	योजना के दिशा-निर्देशों के न जारी करने के कारण
9.			2851-102-04 उत्तर प्रदेश कपड़ा उद्योग नीति 2014 हेतु उपादान ब्याज योजना	2,000.00	2,000.00	100	योजना के दिशा-निर्देशों के न जारी करने के कारण
10.			2851-103-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	6,590.44	3,814.38	58	योजना के अधीन केन्द्रांश की स्वीकृति न होने के कारण
11.			2851-108-03 गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत (सौर ऊर्जा) उत्तर प्रदेश के विद्युतकरघा बुनकरों के लिए ऑपरेशन योजना	4,395.50	4,395.50	100	केन्द्रांश की स्वीकृति न होने एवं योजना का दिशा-निर्देश न होने के कारण
12.			4851-103-03 जिला आजमगढ़ के मुबारकपुर में हथकरघा उद्योग के लिए विपणन केन्द्र की स्थापना	735.08	530.57	72	राशि के निर्गत न होने के कारण
13.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	2852-07-202-16 उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 का कार्यान्वयन	650.00	650.00	100	निर्गत धनराशि का प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण

14.			2852-07-202-19 मेगा कॉल सेन्टर की स्थापना के लिए सलाहकार संस्थान और सिस्टम इंटीग्रेटर के लिए भुगतान	896.07	831.29	93	मेगा कॉल सेन्टर के लिए इंटीग्रेटर प्रणाली के चयन न होने के कारण
15.			2852-80-800-04 निजी संगठन के सहयोग से एक्सप्रेस-वे परियोजनाएं	630.50	630.50	100	ई०पी०सी० प्रणाली के संचालन के लिए राशि के आहरण न होने के कारण
16.			2852-80-800-06 अदालतों में मुकदमों के अनुसरण	60.00	54.18	90	सभी व्यय के भुगतान के बाद बचत के कारण
17.			2852-80-800-08 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं तथा सार्वजनिक तथा सहकारी क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश व निजीकरण	655.00	623.34	95	सम्बन्धित विभागों से परिपक्व प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण
18.			2885-60-800-19 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन	1,750.00	1,344.07	77	नोडल एजेन्सी से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण
19.	9	ऊर्जा विभाग	4801-01-190-04 उत्तर प्रदेश हाइड्रो इलेक्ट्रिक उत्पादन निगम में शेयर पूँजी निवेश	80.00	80.00	100	उत्तर प्रदेश हाइड्रो इलेक्ट्रिक उत्पादन निगम को बजट प्रावधान की आवश्यकता न होने के कारण
20.			4801-80-190-03 टिहरी हाइड्रो विकास निगम में निवेश	2,180.00	2,180.00	100	टिहरी हाइड्रो विकास निगम से सूचना प्राप्त न होने के कारण
21.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	2401-108-07 उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति 2014 का कार्यान्वयन	34.00	29.19	86	व्यय न होने के कारण
22.			4406-02-112-03 लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क	90.20	60.87	67	व्यय न होने के कारण
23.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2401-114-01 केन्द्र प्रयोजित योजनाएं	355.11	177.56	50	गलत बजट प्रावधान के कारण
24.			2415-80-120-30 उत्तर प्रदेश कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार योजना	20.00	20.00	100	वैज्ञानिक का चयन न होने के कारण
25.			2401-001-03 कृषि निवेशालय की सामान्य स्थापना	15.00	11.95	80	वास्तविक मांग के आधार पर बचत होने के कारण
26.			4401-190-02 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1,500.00	1,500.00	100	परियोजनाओं के अनुमोदन न होने के कारण
27.			4401-800-02 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	35,800.00	33,473.71	94	परियोजनाओं के अनुमोदन न होने के कारण
28.			4402-102-01 केन्द्र प्रयोजित योजनाएं	1,263.00	1,145.60	91	भारत सरकार द्वारा कम राशि निर्धारित होने के कारण
29.			4402-102-03 जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम	50.00	50.00	100	निविदा प्रक्रिया का अनुपालन न होने के कारण

30.			4415-80-277-32 उत्तर प्रदेश के कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यालय भवन का निर्माण	500.00	250.00	50	धनराशि के उपयोग न होने के कारण
31.	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	2515-800-03 मण्डलीय विकास निगम, लखनऊ के छटनीशुदा कर्मचारियों के वेतन का भुगतान	52.98	52.98	100	वित्तीय स्वीकृति जारी न होने के कारण
32.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2515-102-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	606.50	606.50	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
33.			2515-102-15 ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के अन्तर्गत ग्राम विकास अधिकारियों को टैबलेट उपलब्ध कराना	500.00	500.00	100	बची हुई धनराशि के कारण
34.			2515-102-17 वाटर ऐटी०एम० की रसायनना	1,500.00	1,500.00	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
35.			2702-80-800-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	826.38	724.05	88	छात्रवृत्ति का वितरण न होने के कारण
36.			2515-001-03 विकास आयुक्त (मुख्यालय)	8.80	8.25	94	वास्तविक आवश्यकता के पश्चात् बचत होने के कारण
37.			2515-800-03 ग्रामीण अभियान्त्रिकी सेवाएं	7.50	6.96	93	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
38.			4702-102-10 जलस्रोतों का संवर्धन	1,313.67	788.20	60	धनराशि के निर्गत न होने के कारण
39.			4702-102-11 भू-जल रिचर्जिंग चेक डैम एवं हेडर का निर्माण (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित)	2,518.54	1,893.29	75	धनराशि के निर्गत न होने के कारण
40.			4702-102-12 द्रयबू-वेल का निर्माण	1,565.19	1,565.19	100	धनराशि के निर्गत न होने के कारण
41.			5054-04-337-02 प्रधानमंत्री ग्राम सङ्कर योजना (पी०एम०जी०एस०वाइ०)	1,03,058.00	64,806.33	63	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
42.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	2204-104-02 पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान	3,279.09	3,279.09	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
43.			2235-02-200-03 बी०पी०एल० परिवार की महिलाओं को साड़ी	100.00	100.00	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
44.			2235-02-200-04 बी०पी०एल० परिवार के वृद्ध जन को कम्बल	100.00	100.00	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
45.			2515-196-04 चौदहवाँ वित्त आयोग	76,350.60	66,640.40	87	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
46.			2515-197-04 चौदहवाँ वित्त आयोग	38,175.30	33,320.20	87	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
47.			2515-800-12 स्वच्छ एवं हरित मिशन उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत राज्य स्तरीय मिशन का संघटन	200.00	200.00	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया

48.			2575-02-192-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	14,787.20	14,787.20	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
49.			2575-02-196-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	11,829.76	11,829.76	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
50.			2575-02-197-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	5,914.88	5,914.88	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
51.			2575-02-198-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	41,404.16	41,404.16	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
52.			2575-02-800-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	3,402.00	3,402.00	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
53.			4202-03-800-02 पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान	5,042.56	5,042.56	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
54.			4515-101-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	4,065.56	4,065.56	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
55.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	2403-103-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	700.00	700.00	100	केन्द्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
56.			2403-104-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	39.66	39.66	100	वित्तीय स्वीकृति देर से प्राप्त होने के कारण
57.			2403-106-02 राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम	516.00	505.08	98	वित्तीय स्वीकृति के प्राप्त न होने, लघु बचत एवं केन्द्रांश के देर से प्राप्त होने के कारण
58.			2403-107-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	28.00	28.00	100	केन्द्रांश के देर से प्राप्त होने के कारण
59.			2403-107-02 राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम	483.60	275.56	57	वित्तीय स्वीकृति के प्राप्त न होने के कारण
60.			2403-001-03 निदेशालय	13.79	13.57	98	आवश्यकता न होने के कारण
61.			4403-102-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	25.00	25.00	100	वित्तीय स्वीकृति के प्राप्त न होने के कारण
62.			4403-106-02 राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम	10.00	10.00	100	वित्तीय स्वीकृति के प्राप्त न होने के कारण
63.			4403-107-02 राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम	7.40	7.40	100	वित्तीय स्वीकृति के प्राप्त न होने के कारण
64.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	2405-800-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	489.82	486.48	99	केन्द्रीय सहायता की राशि आवश्यकता से कम जारी होने के कारण
65.			2405-800-02 मछुआरों के कल्याण की राष्ट्रीय योजना	2,276.87	1,954.98	86	सोलर लाइट यूनिट की लागत में कमी, ऐच्छिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त न होने के कारण
66.	22	खेल विभाग	4202-03-800-74 पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुश्ती, कबड्डी, बेटलिपिटंग हाल, वालीबाल, बास्केट बाल एवं बाक्सिंग हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का विकास	200.01	200.01	100	स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण
67.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	2401-001-03 गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान	2.00	2.00	100	दावे की प्राप्ति न होने के कारण

68.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	2852-08-201-06 सहकारी समितियों को सहायता	44,200.00	25,464.95	58	चीनी मिलों से कमीशन का दावा प्राप्त न होने के कारण
69.			2852-08-201-08 चीनी उद्योग को जनरेशन एवं आस्वान प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत छूट /रियायतें	1,000.00	1,000.00	100	रियायत /छूट के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण
70.	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	2210-02-102-06 होम्योपैथिक औषधि निर्माणशाला /परीक्षणशाला	31.50	31.50	100	पदों का सृजन न होने के कारण
71.			4210-01-800-09 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल	1,241.09	714.69	58	वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने के कारण
72.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	4210-02-101-03 उपकेन्द्रों का भवन निर्माण	27.01	21.49	80	महानिदेशक, परिवार कल्याण द्वारा धनराशि निर्गत न किये जाने के कारण
73.			4210-02-101-04 डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना अन्तर्गत ग्रामों में परिवार कल्याण उपकेन्द्रों के भवन निर्माण	46.96	46.96	100	महानिदेशक, परिवार कल्याण द्वारा धनराशि निर्गत न किये जाने के कारण
74.			4210-02-800-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	1,000.00	1,000.00	100	महानिदेशक, परिवार कल्याण द्वारा धनराशि निर्गत न किये जाने के कारण
75.	37	नगर विकास विभाग	2070-800-03 राज्य सफाई कर्मचारी आयोग	43.67	26.21	60	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
76.			2070-800-05 पशु वधशालाओं के संचालन हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति	26.40	21.03	80	आर्थिक मितव्ययिता के कारण
77.			2215-02-106-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	7,500.00	6,399.04	85	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण
78.			2217-03-191-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	10,000.00	9,138.98	91	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण
79.			2217-03-193-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	10,000.00	9,875.51	99	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण
80.			2217-05-191-04 नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	2,500.00	2,500.00	100	भूमि की अनुपलब्धता के कारण परियोजना का कार्यान्वयन न होना
81.			2217-05-192-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	10,000.00	6,568.08	66	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण
82.			2217-05-192-04 नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	5,000.00	4,860.02	97	भूमि की अनुपलब्धता के कारण परियोजना का कार्यान्वयन न होना
83.			2217-05-800-07 नगरीय परिवहन निदेशालय	200.00	193.87	97	पद रिक्त रहने एवं आर्थिक मितव्ययिता के कारण
84.			2217-05-800-10 फिरोजाबाद में सड़क निर्माण के लिए प्रबन्ध	2,400.00	1,200.00	50	प्रस्ताव के अपरिपक्व होने के कारण

85.			2217-80-800-03 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर क्रियान्वित परियोजनाओं के अन्तर्गत परामर्शी सेवाएं	200.00	200.00	100	साधारण बचत के कारण
86.			2217-80-800-04 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (केन्द्र-100 प्रतिशत)	100.00	59.07	59	पद रिक्त रहने एवं आर्थिक मितव्ययिता के कारण
87.			2217-80-800-05 प्रोजेक्ट इम्लीमेन्टेशन यूनिट (केन्द्र-100 प्रतिशत)	100.00	68.30	68	पद रिक्त रहने एवं आर्थिक मितव्ययिता के कारण
88.			2217-80-800-06 आई0आर0एम0ए0 (इरमा) (केन्द्र-100 प्रतिशत)	20.00	20.00	100	आर्थिक मितव्ययिता के कारण
89.			2217-80-800-11 हारित उत्तर प्रदेश-स्वच्छ उत्तर प्रदेश मिशन	2,000.00	1,370.00	69	प्रस्ताव के अपरिपक्व होने के कारण
90.			4215-02-800-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	5,000.00	4,029.86	81	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण
91.	38	नागरिक उड़डयन विभाग	5053-80-800-04 हेलीकॉप्टर/वायुयान का विशेष रख-रखाव	200.00	141.82	71	आवश्यकतानुसार मरम्मत के कारण
92.	39	भाषा विभाग	2202-05-102-09 भोजपुरी अकादमी की स्थापना	20.00	11.00	55	भोजपुरी अकादमी के संचालित न होने एवं पद का सृजन न होने के कारण
93.	41	निर्वाचन विभाग	2015-105-04 उप- चुनाव	391.00	285.86	73	संसद के उपचुनाव न होने के कारण
94.	42	न्याय विभाग	2014-102-06 मननीय उच्च न्यायालय के पत्रावलियों का डिजिटाइजेशन	6,500.00	4,709.50	72	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
95.			2014-105-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	471.19	374.09	79	पद रिक्त रहने एवं आर्थिक मितव्ययिता एवं टोकन प्रावधान के कारण
96.			2014-105-09 पारिवारिक न्यायालय	4,679.38	2,790.82	60	पद रिक्त रहने एवं आर्थिक मितव्ययिता एवं टोकन प्रावधान के कारण
97.			2014-105-10 तौरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन	540.00	321.28	59	वास्तविक आवश्यकता के आधार पर
98.			2014-105-11 ग्राम न्यायालय	118.40	116.40	98	पद रिक्त रहने के कारण ¹ एवं आर्थिक मितव्ययिता के आधार पर
99.			2014-105-14 चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन	4,243.25	4,243.25	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
100.			2014-800-14 चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन	619.95	619.95	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
101.			2235-60-200-06 अधिवक्ता कल्याण निधि से सम्बन्धित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति का अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु न्यायी समिति को अन्तरण	600.00	598.70	100	वास्तविक आवश्यकता के आधार पर

102.			2235-60-200-10 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन	50.00	50.00	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
103.			2235-60-200-14 चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन	106.80	106.80	100	पदों का सृजन न होने के कारण
104.			2014-800-06 विभागीय आवासीय भवनों के रख—रखाव के लिए प्रावधान	15.00	15.00	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
105.			4059-60-051-10 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन	450.00	352.29	78	वास्तविक आवश्यकता के आधार पर
106.			4059-60-051-14 चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन	30.00	30.00	100	वास्तविक आवश्यकता के आधार पर
107.			4216-01-700-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	10,000.00	5,363.69	54	वास्तविक आवश्यकता के आधार पर
108.	43	परिवहन विभाग	3055-800-05 सड़क सुरक्षा निधि उत्तर प्रदेश से व्यय	1,153.89	656.46	57	पदों की स्वीकृति के अनुपलब्धता एवं आहरण न होने के कारण
109.			5055-800-05 सड़क सुरक्षा निधि उत्तर प्रदेश से व्यय	1,740.66	1,151.33	66	भूमि की अनुपलब्धता तथा क्रय प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण
110.	44	पर्यटन विभाग	3452-80-800-07 “डिस्कवर योर रुट्स” योजना	7.00	7.00	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
111.			5452-80-104-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	4,000.00	2,074.26	52	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
112.	45	पर्यावरण विभाग	3435-03-003-04 पर्यावरणीय शोध एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम	20.00	10.49	52	वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय
113.			3435-04-001-05 पर्यावरण निदेशालय में प्रयोगशाला की स्थापना	5.80	5.80	100	स्वीकृति पदों पर भर्ती न होने के कारण
114.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	2203-103-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	341.01	313.69	92	भारत सरकार से अवशेष धनराशि की स्वीकृति तथा टोकन धनराशि प्राप्त न होने के कारण
115.			2203-104-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	136.02	136.02	100	भारत सरकार से अवशेष धनराशि की स्वीकृति तथा टोकन धनराशि प्राप्त न होने के कारण
116.			2203-104-05 हण्डिया व्यावसायिक संस्थान, हण्डिया	11.92	10.67	90	वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय
117.			2203-104-06 चन्दौली बहुधन्धी संस्थान, चन्दौली	11.65	5.83	50	वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय
118.			2203-105-19 आई०टी० पॉलीटेक्निक	97.16	68.45	70	ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदन प्राप्त न होने तथा आवश्यकता न होने के कारण

119.			2203-112-21 इन्जीनियरिंग कॉलेज की स्थापना	800.01	600.01	75	वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय
120.			2203-112-97 विश्व बैंक सहायतित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	2,305.03	1,176.53	51	वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय
121.			2203-800-04 कौशल संस्थान की स्थापना	5.00	5.00	100	धनराशि का उपयोग न किये जाने के कारण
122.			4202-02-104-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	2,906.02	2,237.40	77	भारत सरकार से अवशेष धनराशि की स्थीकृति प्राप्त न होने के कारण
123.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2070-001-06 रजिस्ट्रार / निरीक्षक अरबी फारसी मदरसा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद	79.57	49.85	63	रिक्त पदों एवं वास्तविक व्यय के कारण
124.			2070-800-03 उत्तर प्रदेश न्यायिक वक्फ बोर्ड	413.20	290.56	70	रिक्त पदों एवं वास्तविक व्यय के कारण
125.			2225-80-800-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	64,311.32	62,891.41	98	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
126.			4202-01-800-05 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शैक्षणिक हब की स्थापना	7,000.00	4,822.19	69	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
127.			4235-02-800-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	69,939.86	55,208.52	79	भारत सरकार द्वारा राशि निर्गत न होने के कारण
128.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	2235-02-200-03 अन्य राज्य सरकारों को दैवी आपदा के समय सहायता	10.00	10.00	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
129.			2245-80-800-06 उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	250.00	200.00	80	राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण का संचालन न होने के कारण
130.			2245-80-800-07 जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	300.00	242.88	81	राज्य / जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण का संचालन न होने के कारण
131.			4070-800-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	250.00	250.00	100	भारत सरकार द्वारा राशि निर्गत न होने के कारण
132.			4250-101-05 स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय	250.00	250.00	100	राज्य / जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण का संचालन न होने के कारण
133.			4250-101-06 डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय	250.00	250.00	100	राज्य / जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण का संचालन न होने के कारण
134.			4250-101-07 उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	500.00	500.00	100	राज्य / जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण का संचालन न होने के कारण
135.			4070-800-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	790.42	589.87	75	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
136.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2070-800-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	60.00	31.50	53	आयुक्त द्वारा धनराशि उपयोग न किये जाने के कारण
137.	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	2070-800-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं				

138.			2070-800-03 मौलाना आजाद मेमोरियल एकेडमी को अनुदान	15.00	7.50	50	भारत सरकार द्वारा धनराशि निर्गत न किये जाने के कारण
139.			2070-800-08 महान विभूतियों के जन्मादिन पर राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव कार्यक्रमों का आयोजन	26.25	15.62	60	जनपदों द्वारा धनराशि का उपयोग न किये जाने के कारण
140.			2070-800-09 जिला एकीकरण समितियों पर व्यय	15.00	8.49	57	जनपदों द्वारा धनराशि का उपयोग न किये जाने के कारण
141.			2070-800-13 अन्तर्धार्मिक विवाह हेतु प्रोत्साहन (नकद पुरस्कार) (राज्यांश 100 प्रतिशत)	10.00	5.00	50	आयुवता द्वारा धनराशि उपयोग न किये जाने के कारण
142.	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	4059-60-051-03 अनावासीय भवनों का उन्नयन सुदृढ़ीकरण के नये कार्य	50.00	26.84	54	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
143.			4059-80-800-10 राज्य के निरीक्षण भवन एवं सर्किट हाउस में जेनेरेटर की स्थापना	38.00	31.32	82	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
144.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सड़कें)	3054-80-800-04 न्यायालय की आज्ञियों का भुगतान	5.00	5.00	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
145.			5054-04-337-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	25,000.00	16,027.00	64	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
146.	60	वन विभाग	4406-01-102-16 राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (सी0सी0एल0 प्रणाली)	1,211.13	934.11	77	भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता निर्गत न किये जाने के कारण
147.			4406-02-110-07 दुधवा राष्ट्रीय पार्क के वन विश्रामालय और आन्तरिक सड़क का सुदृढ़ीकरण	50.00	45.65	91	वास्तविक व्यय के पश्चात बचत के कारण
148.			4406-02-111-07 कानपुर प्राणी उद्यान का आधुनिकीकरण तथा बाल रेल की स्थापना (सी0सी0एल0 प्रणाली)	10.70	10.70	100	स्वीकृति निर्गत न होने के कारण
149.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	2052-090-03 वित्त विभाग	666.80	500.94	75	आवश्यकता न होने के कारण
150.			2235-60-200-03 मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को सहायता	100.00	70.92	71	विभिन्न प्रशासनिक विभाग से परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण
151.			4070-800-03 परियोजनाओं के डी0पी0आर0 का व्यय	500.00	500.00	100	आवश्यकता न होने के कारण
152.			6075-800-03 सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों /स्वायत्तशासी संस्थाओं के वित्तीय पुनर्गठन के लिए ऋण सहायता	5,000.00	4,990.00	100	परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण

153.			7610-204-03 राज्य कर्मचारियों को व्यक्तिगत कम्प्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम	80.00	63.15	79	विभिन्न कार्यालयाध्यक्षों/सचिवालय से मांग पत्र प्राप्त न होने के कारण
154.			7610-201-03 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भवन क्रय, निर्माण / मरम्मत या विस्तार के लिए अग्रिम	60.00	49.90	83	प्रशासनिक विभाग से मांग पत्र प्राप्त न होने के कारण
155.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	4059-01-051-03 प्रदेश के विभिन्न कोषागारों/उपकोषागारों में विभिन्न निर्माण/नवीनीकरण कार्य	200.00	118.86	59	आर्थिक मितव्ययिता के कारण
156.	68	विधान सभा सचिवालय	2011-02-101-03 विधान सभा	124.89	71.09	57	आर्थिक मितव्ययिता, आवश्यकता न होना तथा माननीय सभापति का पद खाली रहने के कारण
157.	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	2230-03-003-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	2,015.60	2,000.00	99	वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय तथा मांग न होने के कारण
158.			2230-03-003-17 कौशल विकास मिशन के संचालन हेतु प्रशिक्षण व्यय की व्यवस्था	6,500.00	4,155.55	64	वास्तविक व्यय के आधार पर
159.			2230-03-101-04 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नये व्यवसायिक प्रशिक्षण	107.86	79.68	74	वास्तविक व्यय के आधार पर तथा मांग न होने के कारण
160.			2230-03-800-04 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ई-कनेक्टिविटी	100.00	89.66	90	वास्तविक व्यय के आधार पर
161.			4250-203-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	378.70	328.70	87	मांग न होने के कारण
162.			4250-203-16 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	2,500.00	2,030.80	81	मांग शून्य होने के कारण
163.	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	3425-60-200-04 विज्ञान केन्द्रों की स्थापना	600.00	600.00	100	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बोर्ड उत्तर प्रदेश के लिए भूमि उपलब्ध न होने के कारण
164.	71	2202-01-053-04 प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के भवनों के रख रखाव हेतु एकमुश्त प्रावधान	500.00	500.00	100	कारण सूचित नहीं किया गया	
165.		शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	2202-01-102-23 शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान (जिला योजना)	2,200.00	1,341.65	61	कारण सूचित नहीं किया गया
166.			2202-01-105-11 भारत साक्षरता मिशन-2012	257.69	181.55	70	कारण सूचित नहीं किया गया
167.			2202-01-800-03 गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की सामूहिक बीमा योजना के राज्य सरकार का अंशदान	72.49	36.37	50	कारण सूचित नहीं किया गया
168.			2202-01-800-08 चौदहवें वित्त आयोग हेतु अनुदान	1,40,000.00	1,40,000.00	100	कारण सूचित नहीं किया गया

169.			4202-01-201-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	34,224.00	34,224.00	100	कारण सूचित नहीं किया गया
170.			4202-01-201-03 जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय भवनों का निर्माण (जिला योजना)	259.00	129.54	50	कारण सूचित नहीं किया गया
171.			4202-201-05 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	20,000.00	20,000.00	100	कारण सूचित नहीं किया गया
172.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2202-02-107-11 ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक स्तर के प्रतिभाशाली छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां (कक्षा 9-10)	8.00	7.39	92	कारण सूचित नहीं किया गया
173.			2202-02-107-13 हाइस्कूल और इण्टर छात्रवृत्तियों की दरों में वृद्धि	42.50	41.95	99	कारण सूचित नहीं किया गया
174.			2202-02-109-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	34,670.00	22,875.54	66	कारण सूचित नहीं किया गया
175.			2202-02-110-05 सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का शैक्षिक भ्रमण	5.00	5.00	100	कारण सूचित नहीं किया गया
176.			2202-02-110-08 अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विषय विशेषकों को मानदेय के भुगतान हेतु व्यवस्था	50.00	25.74	51	कारण सूचित नहीं किया गया
177.			2202-02-800-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	1,588.41	1,588.41	100	कारण सूचित नहीं किया गया
178.			2202-02-800-04 पुस्तकालयों को अनुदान	10.00	10.00	100	कारण सूचित नहीं किया गया
179.			2202-02-800-05 भारत स्काउट्स और गाइड्स को अनुदान	25.00	12.50	50	कारण सूचित नहीं किया गया
180.			2202-05-103-05 राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन हेतु अनुदान	1,278.47	654.30	51	कारण सूचित नहीं किया गया
181.			2202-02-800-03 गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में सामूहिक बीमा योजना हेतु राज्य सरकार का अंशदान	23.80	23.80	100	कारण सूचित नहीं किया गया
182.			2202-02-800-15 राज्यमुक्त विद्यालय परिषद	20.00	20.00	100	कारण सूचित नहीं किया गया
183.			4202-01-202-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	55,000.00	55,000.00	100	कारण सूचित नहीं किया गया

184.			4202-01-202-03 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अधूरे निर्माण कार्य (नाबार्ड पोषित)	5,000.00	5,000.00	100	कारण सूचित नहीं किया गया
185.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	2202-80-003-17 गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को पेंशन/ग्रेच्युटी के लिए सहायक अनुदान	18.00	9.00	50	वास्तविक व्यय के पश्चात बचत के कारण
186.			4202-01-201-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	1,673.58	1,473.58	88	भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण
187.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	4210-01-102-04 चिकित्सालय	20.00	13.83	69	विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति को रद्द करने के कारण
188.	77	श्रम विभाग (सेवा योजना)	2230-02-001-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	45.00	26.75	59	भारत सरकार द्वारा धनराशि निर्गत न होने के कारण
189.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	2235-02-101-32 कुष्ठावस्था विकलांग भरण-पोषण अनुदान	1,500.00	1,223.10	82	लाभार्थियों को केवल अंतिम तिमाही पर भुगतान के कारण
190.			2235-02-107-03 विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों एवं संस्थाओं को सहायता	30.00	21.19	71	कारण सूचित नहीं किया गया
191.			4235-02-101-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	2,500.00	2,479.63	99	प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण
192.			4235-02-101-11 स्पर्श राजकीय दृष्टि बाधित बालिका इण्टर कालेज की स्थापना	400.01	200.01	50	कारण सूचित नहीं किया गया
193.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	2225-02-796-11 अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तक सहायता	300.03	199.49	66	आवश्यकता के आधार पर व्यय के पश्चात बचत के कारण
194.			2230-03-796-03 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना	75.00	75.00	100	कारण सूचित नहीं किया गया
195.			2401-796-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	149.66	82.11	55	भारत सरकार से अपेक्षित धनराशि प्राप्त न होने के कारण
196.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2202-80-789-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	3,606.73	2,041.65	57	भारत सरकार द्वारा धनराशि प्राप्त न होने से वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने के कारण
197.			2204-789-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	880.22	880.22	100	कारण सूचित नहीं किया गया
198.			2230-03-789-05 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अल्पकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण	112.93	112.93	100	मांग न होने के कारण
199.			2235-02-789-09 बी०पी०एल० परिवार की महिला हेतु साड़ी	100.00	100.00	100	कारण सूचित नहीं किया गया

200.		2235-02-789-10 बी०पी०एल० परिवार की वृद्धजन को कम्बल	100.00	100.00	100	कारण सूचित नहीं किया गया	
201.		2401-789-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	14,348.27	9,225.47	64	भारत सरकार द्वारा धनराशि निर्गत न किये जाने के कारण	
202.		2401-789-02 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (केन्द्र 100/राज्य 0-केन्द्र)	5,000.00	5,000.00	100	भारत सरकार द्वारा धनराशि निर्गत न किये जाने के कारण	
203.		2402-789-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	1,775.20	980.43	55	भारत सरकार द्वारा धनराशि निर्गत न किये जाने के कारण	
204.		2403-789-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	632.00	400.38	63	पर्याप्त केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण	
205.		2515-789-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	93,775.38	65,257.59	70	कारण सूचित नहीं किया गया	
206.		2515-789-08 समाजवादी शुद्ध पेयजल योजना के अन्तर्गत वाटर ए०टी०एम०	500.00	500.00	100	कारण सूचित नहीं किया गया	
207.		2810-01-789-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	59.00	59.00	100	कारण सूचित नहीं किया गया	
208.		2852-80-789-04 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	63.63	63.63	100	आगरा से लखनऊ कन्ट्रोल्ड एक्सप्रेस—वे परियोजना के कारण धनराशि का आहरण न होने के कारण	
209.		4202-02-789-08 जनपद मैनपुरी में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना	250.00	250.00	100	वास्तविक व्यय के आधार पर	
210.		4210-03-789-03 राजकीय होम्योपेथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना	1,249.27	624.63	50	वित्तीय स्वीकृति जारी न होने के कारण	
211.		4406-01-789-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	4.41	4.41	100	आवश्यकता न होने तथा भारत सरकार द्वारा धनराशि निर्गत न होने के कारण	
212.		4406-01-789-04 राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (सी०सी०एल० प्रणाली)	388.86	318.48	82	स्वीकृति जारी न होने के कारण/भारत सरकार द्वारा धनराशि निर्गत न होने के कारण	
213.		4515-789-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	1,094.44	1,094.44	100	कारण सूचित नहीं किया गया	
214.		4711-01-789-04 सीमांत बांध	231.26	180.83	78	धनराशि का उपयोग न किये जाने के कारण	
215.		4711-03-789-03 जल निकास की योजनायें	133.60	133.60	100	धनराशि का उपयोग न किये जाने के कारण	
216.		4801-06-789-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	30,000.00	30,000.00	100	आर०ई०सी० नई दिल्ली द्वारा बिजली वितरण निगम को धनराशि निर्गत न करने के कारण	
217.	86	सूचना विभाग	2220-60-103-04 टेलीप्रिन्टर योजना	17.65	16.29	92	रिक्त पर्वों पर नियुक्ति न होने, चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति के प्रकरणों पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सस्तुति प्राप्त न होने के कारण

218.			4059-01-051-03 सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के मुख्यालय भवन का निर्माण	2,400.00	2,400.00	100	सूचना मुख्यालय भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध न होने के कारण
219.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्यिक कर)	4059-01-051-06 जनपद कन्नौज में वाणिज्यिक कर कार्यालय भवन का निर्माण	266.99	139.79	52	स्वीकृति निर्गत न होने के कारण
220.			4059-60-051-03 जनपद गाजियाबाद, सहायता केन्द्र मोहन नगर परिसर में विभागीय ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण	2,500.00	2,300.00	92	स्वीकृति निर्गत न होने के कारण
221.	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	2030-01-001-03 अधिष्ठान	40.24	29.18	73	मांग न होने एवं वास्तविक मांग के आधार पर
222.			2030-02-800-04 वाटर पार्क पेपर के बिक्री पर व्यय	20.00	18.99	95	स्टाम्प की कम बिक्री के कारण
223.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	2700-80-800-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	2,868.20	2,868.20	100	कारण सूचित नहीं किया गया
224.			2700-80-800-05 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन	43,833.92	43,833.92	100	कारण सूचित नहीं किया गया
225.			2701-80-800-12 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन	21,004.58	21,004.58	100	कारण सूचित नहीं किया गया
226.			2702-80-800-05 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन	3,361.50	3,361.50	100	कारण सूचित नहीं किया गया
227.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	2701-02-001-04 कार्यकारी अधिष्ठान	50.00	29.13	58	मांग न होने के कारण
योग				10,07,636.65 अथवा 10,076.37 करोड़	9,24,581.98 अथवा 9,245.82 करोड़		

परिशिष्ट 2.7	वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण (₹ 50 लाख या अधिक) (सन्दर्भः प्रस्तर 2.3.9 पृष्ठ 58)
-------------------------------	--

(₹ करोड़ में)						
क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान / विभाग का नाम	कुल अनुदान	बचत	अभ्यर्पित धनराशि	अधिक अभ्यर्पित धनराशि
राजस्व — दत्तमत						
1.	01	आबकारी विभाग	156.70	8.54	9.27	0.73
2.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	869.23	150.60	151.20	0.60
3.	42	न्याय विभाग	1,534.00	329.13	445.12	115.99
4.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	8,034.13	918.15	921.38	3.23
5.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	226.20	9.52	15.95	6.43
6.	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	259.55	11.19	19.24	8.05
निवल योग			11,079.81	1,427.13	1,562.16	135.03
पूंजीगत — दत्तमत						
7.	06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	34.92	3.47	5.31	1.84
8.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	902.29	533.67	534.51	0.84
9.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	80.00	00	0.60	0.60
10.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	195.56	23.09	24.82	1.73
11.	60	वन विभाग	365.51	40.77	41.35	0.58
निवल योग			1,578.28	601.00	606.59	5.59
पूंजीगत — भारित						
12.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	21,335.20	3,711.90	3,769.43	57.53
निवल योग			21,335.20	3,711.90	3,769.43	57.53
महायोग			33,993.29	5,740.03	5,938.18	198.15

परिशिष्ट 2.8	अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जिनमें बचत हुई परन्तु उसका कोई भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया (सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.10 पृष्ठ 59)
-------------------------	---

₹ करोड़ में

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत	
			राजस्व	पूंजीगत
I – अनुदान				
1.	03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	-	1.84
2.	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुधशाला विकास)	11.23	7.18
3.	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	2.12	-
4.	20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	6.75	-
5.	22	खेल विभाग	2.21	-
6.	25	गृह विभाग (कारागार)	51.46	2.50
7.	26	गृह विभाग (पुलिस)	1,346.41	282.44
8.	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	6.59	1.82
9.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	33.33	0.30
10.	30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	0.37	-
11.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	20.43	29.39
12.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	938.53	104.48
13.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	148.01	3.86
14.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	244.50	5.94
15.	40	नियोजन विभाग	84.61	632.70
16.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	1,058.88	75.97
17.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	-	16.56
18.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	456.79	-
19.	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	-	7.46
20.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	4,666.51	13.21
21.	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	42.34	0.02
22.	67	विधान परिषद सचिवालय	6.72	0.04
23.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	278.80	314.84
24.	74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	5.54	8.88
25.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	71.10	15.08
26.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	667.45	-

27.	82	सतर्कता विभाग	2.10	-
28.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	1.11	4.00
29.	85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	0.63	-
30.	87	सैनिक कल्याण विभाग	7.07	-
31.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	1.46	0.14
32.	92	संस्कृति विभाग	22.43	31.16
33.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	-	69.70
			योग	10,185.48
				1,629.51

II – विनियोग

34.	20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	3.19	-
35.	25	गृह विभाग (कारागार)	0.05	-
36.	26	गृह विभाग (पुलिस)	0.09	-
37.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	0.20	-
38.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	0.02	-
39.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	0.10	-
40.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	-	0.06
41.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	0.02	-
42.	60	वन विभाग	0.03	-
43.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	796.83	-
44.	67	विधान परिषद सचिवालय	0.26	-
45.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	0.03	-
46.	82	सतर्कता विभाग	0.74	-
47.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	-	15.00
			योग	801.56
			महायोग	10,987.04
				1,644.57
			राजस्व और पूँजीगत का योग	12,631.61

परिशिष्ट 2.9	अभ्यर्पित न की गयी ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचतों का विवरण <i>(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.10; पृष्ठ 59)</i>
-------------------------------	--

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचते, जिन्हें अभ्यर्पित नहीं किया गया
राजस्व – दत्तमत					
1.	03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	32.38	29.30	3.08
2.	06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	116.50	113.89	2.61
3.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	87.76	71.47	16.29
4.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	438.74	418.64	20.10
5.	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	178.09	162.43	15.66
6.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	208.61	185.96	22.65
7.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	3,117.69	3,112.12	5.57
8.	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुर्घटाला विकास)	11.23	00	11.23
9.	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	2.12	00	2.12
10.	20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	6.75	00	6.75
11.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	60.64	8.75	51.89
12.	22	खेल विभाग	2.21	00	2.21
13.	25	गृह विभाग (कारागार)	51.46	00	51.46
14.	26	गृह विभाग (पुलिस)	1,346.41	00	1,346.41
15.	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	6.59	00	6.59
16.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	33.33	00	33.33
17.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	20.43	00	20.43
18.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	938.53	00	938.53
19.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	148.01	00	148.01
20.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	244.50	00	244.50
21.	37	नगर विकास विभाग	1,390.72	750.25	640.47
22.	40	नियोजन विभाग	84.61	00	84.61
23.	43	परिवहन विभाग	13.87	9.98	3.89
24.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	852.81	829.93	22.88
25.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	1,058.88	00	1,058.88
26.	51	राजस्व विभाग (देवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	1,318.61	472.44	846.17
27.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	456.79	00	456.79
28.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	1,384.03	247.24	1,136.79
29.	60	वन विभाग	100.09	0.79	99.30

30.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	48.77	40.06	8.71
31.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	4,666.51	00	4,666.51
32.	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	42.34	00	42.34
33.	67	विधान परिषद सचिवालय	6.72	00	6.72
34.	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	12.21	8.17	4.04
35.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	3,229.85	3,209.47	20.38
36.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	278.80	00	278.80
37.	74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	5.54	00	5.54
38.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	71.10	00	71.10
39.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	27.41	21.08	6.33
40.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	667.45	00	667.45
41.	82	सतर्कता विभाग	2.10	00	2.10
42.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2306.79	899.24	1407.55
43.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	1.11	00	1.11
44.	86	सूचना विभाग	142.43	8.10	134.33
45.	87	सैनिक कल्याण विभाग	7.07	00	7.07
46.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	1.46	00	1.46
47.	92	संस्कृति विभाग	22.43	00	22.43
48.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	766.34	710.68	55.66
49.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	933.97	875.32	58.65
योग			26,952.79	12,185.31	14,767.48

पूंजीगत – दत्तमत

50.	03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	1.84	00	1.84
51.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1,669.11	1,217.27	451.84
52.	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुर्घटाला विकास)	7.18	00	7.18
53.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	11.71	5.33	6.38
54.	25	गृह विभाग (कारागार)	2.50	00	2.50
55.	26	गृह विभाग (पुलिस)	282.44	00	282.44
56.	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	1.82	00	1.82
57.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	29.39	00	29.39
58.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	104.48	00	104.48
59.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	3.86	00	3.86
60.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	5.94	00	5.94
61.	37	नगर विकास विभाग	174.96	41.97	132.99
62.	40	नियोजन विभाग	632.70	00	632.70

63.	42	न्याय विभाग	241.77	238.61	3.16
64.	43	परिवहन विभाग	15.29	14.23	1.06
65.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	635.43	633.85	1.58
66.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	75.97	00	75.97
67.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	16.56	00	16.56
68.	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	7.46	00	7.46
69.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	13.21	00	13.21
70.	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	2.00	0.45	1.55
71.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	616.56	614.45	2.11
72.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	314.84	00	314.84
73.	74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	8.88	00	8.88
74.	78	संविवालय प्रशासन विभाग	15.08	00	15.08
75.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	48.90	36.80	12.10
76.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	21.39	6.70	14.69
77.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	1,357.71	613.56	744.15
78.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	4.00	00	4.00
79.	92	संस्कृति विभाग	31.16	00	31.16
80.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	69.70	00	69.70
योग			6,423.84	3,423.22	3,000.62
राजस्व – भारित					
81.	20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	3.19	00	3.19
82.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	796.83	00	796.83
योग			800.02	00	800.02
पूंजीगत – भारित					
83.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	15.00	00	15.00
योग			15.00	00	15.00
महायोग			34,191.65	15,608.53	18,583.12

परिशिष्ट 2.10	व्यय का अतिरेक (संदर्भ: प्रस्तर 2.3.14; पृष्ठ 60)
--------------------------------	---

मुख्य शीर्ष	व्यय की प्रकृति	कुल बजट	मार्च में कुल व्यय (सकल)	(₹ करोड़ में) प्रतिशतता
				राजस्व
2801	ऊर्जा	22,895.18	13,845.35	60.47
2202	सामान्य शिक्षा	49,450.19	10,493.53	21.22
2048	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	7,568.25	6,966.78	92.05
2245	प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत	6,592.18	3,491.44	52.96
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	10,181.34	3,089.71	30.35
2049	ब्याज भुगतान	21,645.80	3,016.82	13.94
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	6,370.23	2,307.04	36.22
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	13,427.40	1,751.66	13.05
2055	पुलिस	12,083.81	1,605.53	13.29
2211	परिवार कल्याण	5,878.85	1,447.09	24.62
2217	नगर विकास	3,919.80	1,400.88	35.74
3054	सड़क तथा सेतु	4,123.45	1,251.52	30.35
2210	चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	8,063.29	1,060.19	13.15
2401	फसल कृषि—कर्म	2,814.95	638.41	22.68
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	603.22	331.33	54.93
2215	जलापूर्ति एवं सफाई	1,268.62	305.81	24.11
2702	लघु सिंचाई	1,275.98	298.91	23.43
2851	ग्राम एवं लघु उद्योग	688.38	249.57	36.25
2014	न्याय प्रशासन	1,839.99	215.56	11.72
2402	मृदा एवं जल संरक्षण	728.37	153.41	21.06
2403	पशुपालन	909.19	139.04	15.29
2070	अन्य प्रशासनिक सेवायें	1,137.04	127.69	11.23
2425	सहकारिता	493.10	117.47	23.82
2053	जिला प्रशासन	783.02	104.69	13.37
2056	कारागार	679.76	101.63	14.95
2501	ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	386.16	99.82	25.85
2040	बिक्री एवं व्यापार इत्यादि पर कर	568.90	83.18	14.62
2705	कमांड क्षेत्र विकास	310.54	73.22	23.58
2406	वानिकी एवं वन्य जीवन	639.11	72.89	11.40
3454	जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	126.49	67.10	53.05

2015	चुनाव	168.59	65.12	38.63
2030	स्टाम्प और पंजीकरण	257.05	64.82	25.22
2203	तकनीकी शिक्षा	316.00	61.43	19.44
2810	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	312.24	50.75	16.25
2220	सूचना एवं प्रचार	332.09	39.32	11.84
2204	खेलकूद तथा युवा सेवायें	205.83	28.24	13.72
3055	सड़क परिवहन	185.29	26.67	14.39
2216	आवास	82.67	25.34	30.65
2404	दुर्घटशाला विकास	101.01	23.51	23.27
2415	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	173.97	18.52	10.65
2039	राज्य आबकारी	156.55	16.76	10.71
2205	कला तथा संस्कृति	80.12	15.62	19.50
2711	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	99.00	14.50	14.65
2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	88.47	13.90	15.71
3452	पर्यटन	46.96	8.58	18.27
2075	विविध सामान्य सेवायें	39.89	7.57	18.98
2407	बागान	5.91	5.26	89.00
2885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य व्यय	21.58	4.09	18.95
3435	पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण	10.76	1.18	10.97
2041	वाहन कर	0.80	0.13	16.25
योग		2,46,696.68	58,354.12	23.65

पूंजीगत

4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	21,411.04	8,572.88	40.04
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	17,655.53	4,299.71	24.35
4700	वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	3,639.26	1,356.37	37.27
4210	चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	2,491.88	920.39	36.94
4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	1,277.60	813.60	63.68
4215	जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	2,754.36	566.81	20.58
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,104.36	531.69	48.14
4217	नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय	1,142.50	527.30	46.15
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	2,981.20	486.97	16.33
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	712.21	469.20	65.88
4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	1,550.30	383.49	24.74
4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	1,296.77	375.78	28.98
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	1,348.91	369.55	27.40
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	900.60	359.00	39.86
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	817.70	336.56	41.16
4575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	1,194.38	225.85	18.91

4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	575.13	134.41	23.37
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	163.41	131.71	80.60
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	317.87	110.62	34.80
4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	790.91	81.33	10.28
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	225.55	75.61	33.52
4810	ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोतों पर पूंजीगत परिव्यय	166.38	66.58	40.02
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	158.97	57.18	35.97
4406	वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय	378.95	55.32	14.60
4415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	98.90	43.11	43.59
4403	पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय	67.67	19.11	28.24
4859	दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	21.51	10.87	50.53
4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	7.09	2.89	40.76
योग		84,841.06	22,628.94	26.67

परिशिष्ट 3.1	विभागीय वाणिज्यिक एवं अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं का अंतिमीकरण और निवेशों का विवरण (संदर्भः प्रस्तर 3.3; पृष्ठ 74)
-------------------------------	--

क्र0 सं0	उपक्रम का नाम	लेखाओं के अंतिमीकरण का वर्ष	विगत अन्तिम लेखे के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)
सिंचाई विभाग			
1	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, कानपुर	2015-16	0.48
2	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, झाँसी	2015-16	0.44
3	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, बरेली	2015-16	2.62
4	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, मेरठ	2015-16	0.48
5	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर	2015-16	1.68
6	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, इलाहाबाद	2015-16	0.48
खाद्य एवं रसद विभाग			
7	खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना	2011-12	2,617.93
पशुपालन विभाग			
8	राजकीय पशुधन सह कृषि फार्म	2010-11	24.85
स्वास्थ्य विभाग			
9	स्टेट फार्मसी आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन	1990-91	उपलब्ध नहीं
		योग	2,648.96

परिशिष्ट 3.2	विभागवार/अवधिवार लम्बित प्रकरणों का विवरण (जिनमें अंतिम कार्यवाही मार्च 2016 तक लम्बित थी) (संदर्भः प्रस्तर 3.4; पृष्ठ 75)
-------------------------------	---

(कोष्ठक में आँकड़े ₹ लाख में प्रदर्शित हैं।)

क्र0 सं0	विभाग का नाम	5 वर्ष तक	5 से 10 वर्ष तक	10 से 15 वर्ष तक	15 से 20 वर्ष तक	20 से 25 वर्ष तक	25 वर्ष से अधिक	प्रकरणों का योग
1	कृषि विभाग	-	-	2 (7.44)	1 (0.18)	-	-	3 (7.62)
2	पशुपालन विभाग	-	-	-	4 (3.99)	6 (0.72)	6 (1.84)	16 (6.55)
3	सहकारिता विभाग	-	-	-	1(1.28)	1(1.07)	-	2(1.45)
4	शिक्षा विभाग	1 (1.60)	4(111.34)	-	1 (5.00)	-	-	6 (117.94)
5	मत्स्य विभाग	1 (1.01)	-	-	-	2 (1.60)	-	3 (2.61)
6	खाद्य एवं रसद विभाग	-	-	1 (3.06)	-	-	8 (25.72)	9 (28.78)
7	सिंचाई विभाग	3 (53.12)	4 (57.89)	10 (0.52)	7 (3.67)	17(5.83)	-	41 (121.03)
8	न्याय विभाग	-	1 (4.44)	-	-	-	-	1 (4.44)
9	भूमि अध्याप्ति विभाग	-	-	-	-	-	3 (331.78)	3 (331.78)
10	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	-	-	-	-	3 (5.32)	8 (10.57)	11 (15.89)
11	पुलिस विभाग	1 (0.00)	1(4.00)	-	-	1 (1.21)	3 (2.89)	6 (8.10)
12	पी.ए.सी.	-	-	-	1 (47.48)-	-	1 (0.51)	2 (47.99)
13	लोक निर्माण विभाग	-	6 (126.81)	4 (21.56)	-	-	-	10 (148.37)
14	राजस्व विभाग	1 (6.68)	-	-	1 (1.72)	-	3 (6.09)	5(14.49)
15	ग्राम्य विकास विभाग	-	-	-	-	2(1.21)	7 (2.07)	9 (3.28)
16	समाज कल्याण विभाग	1 (4.44)	-	-	1 (0.25)	-	2 (0.70)	4 (5.39)
17	प्राविधिक शिक्षा विभाग	-	-	1 (11.59)	-	-	-	1 (11.59)
18	बाट एवं माप विभाग	-	-	-	-	-	1 (1.01)	1 (1.01)
19	उद्यान विभाग	-	1 (3.59)	-	-	-	-	1 (3.59)
20	वित्त विभाग	-	-	-	-	-	1 (0.67)	1 (0.67)
योग		8(66.85)	17(308.07)	18(44.17)	17(63.57)	32(16.06)	43(383.85)	135(882.57)

परिशिष्ट 3.3	चोरी, दुर्विनियोग, शासकीय सामग्रियों की हानि एवं गबन के कारण राज्य सरकार को हुई क्षति के प्रकरणों का विभागवार/श्रेणीवार विवरण (संदर्भः प्रस्तर 3.4; पृष्ठ 75)
-------------------------	--

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोग के प्रकरण		शासकीय सामग्रियों की हानि के प्रकरण		गबन के प्रकरण		योग	
	प्रकरण की संख्या	धनराशि	प्रकरण की संख्या	धनराशि	प्रकरण की संख्या		प्रकरण की संख्या	धनराशि	प्रकरण की संख्या	धनराशि
कृषि विभाग	-	-	1	5.45	2	2.17	-	-	3	7.62
पशुपालन विभाग	11	1.78	-	-	3	1.55	2	3.22	16	6.55
सहकारिता विभाग	1	1.28	-	-	-	-	1	0.17	2	1.45
शिक्षा विभाग	2	6.60	1	6.19	-	-	3	105.15	6	117.94
मत्स्य विभाग	-	-	-	-	1	1.23	2	1.38	3	2.61
खाद्य एवं रसद विभाग	-	-	-	-	4	10.15	5	18.63	9	28.78
सिंचाई विभाग	33	15.84	3	29.72	3	5.28	2	70.19	41	121.03
न्याय विभाग	-	-	-	-	-	-	1	4.44	1	4.44
भूमि अध्याप्ति विभाग	-	-	2	5.78	-	-	1	326.00	3	331.78
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	8	11.91	-	-	-	-	3	3.98	11	15.89
पुलिस विभाग	-	-	-	-	2	4.01	4	4.09	6	8.10
पी.ए.सी.	-	-	-	-	-	-	2	47.99	2	47.99
लोक निर्माण विभाग	3	1.63	-	-	7	146.74	-	-	10	148.37
राजस्व विभाग	-	-	-	-	-	-	5	14.49	5	14.49
ग्राम्य विकास विभाग	4	0.94	-	-	1	0.14	4	2.20	9	3.28
समाज कल्याण विभाग	-	-	-	-	-	-	4	5.39	4	5.39
प्राविधिक शिक्षा विभाग	-	-	1	11.59	-	-	-	-	1	11.59
बाट एवं माप विभाग	1	1.01	-	-	-	-	-	-	1	1.01
उद्यान विभाग	-	-	-	-	-	-	1	3.59	1	3.59
वित्त विभाग	-	-	-	-	-	-	1	0.67	1	0.67
योग	63	40.99	8	58.73	23	171.27	41	611.58	135	882.57

परिशिष्ट 3.4	वर्ष 2015–16 में विभागवार निस्तारित / अपलेखित किए गए प्रकरणों का विवरण (संदर्भः प्रस्तर 3.4; पृष्ठ 75)
-------------------------	---

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	विभाग का नाम	प्राधिकारी	संक्षिप्त विवरण	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
1	कृषि विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	जिला कृषि सुरक्षा यूनिट, कूड़ाघाट, गोरखपुर में चौकीदार की हत्या के बाद रसायनों की चोरी	01	1.47
2	ग्राम्य विकास विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	खण्ड विकास अधिकारी, तहबरपुर, आजमगढ़ के कार्यालय में ग्राम विकास अधिकारी, श्री दबन सिंह द्वारा गबन	01	0.04
3	ग्राम्य विकास विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	रायपुरा ब्लाक, बदायूँ में स्टोरकीपर श्री रामेन्द्र पाल गुप्ता द्वारा गबन	01	0.08
4	ग्राम्य विकास विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	अलीगंज ब्लाक, एटा में कैश चेस्ट तोड़कर कैश की चोरी	01	0.44
योग				04	2.03

परिशिष्ट 3.5	वर्ष 2015–16 के दौरान खोले गये नये शीर्षों की सूची (संदर्भ: प्रस्तर 3.5; पृष्ठ 76)
-------------------------------	--

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	आयोजनागत / आयोजनेत्तर
1	1	4059-01-051-07-00-24	आयोजनेत्तर
2		4059-01-051-08-00-24	आयोजनेत्तर
3		4059-01-051-09-00-24	आयोजनेत्तर
4		4059-01-051-10-00-24	आयोजनेत्तर
5		4059-01-051-11-00-24	आयोजनेत्तर
6	3	2851-00-102-10-00-20	आयोजनागत
7		2851-00-102-11-00-42	आयोजनागत
8	5	2851-00-105-12-00-20	आयोजनागत
9		2851-00-105-13-00-27	आयोजनागत
10		2851-00-105-22-00-27	आयोजनागत
11		6851-00-105-03-00-30	आयोजनागत
12	6	2851-00-102-03-00-35	आयोजनागत
13		2851-00-102-04-00-20	आयोजनागत
14		2851-00-108-03-00-20	आयोजनागत
15		4801-05-190-03-00-30	आयोजनागत
16		2851-00-108-04-00-27	आयोजनेत्तर
17		6860-01-190-03-00-30	आयोजनेत्तर
18		6860-01-190-04-00-30	आयोजनेत्तर
19	7	2852-07-202-04-00-20	आयोजनागत
20		4859-02-800-06-00-26	आयोजनागत
21	9	4801-02-190-14-06-30	आयोजनागत
22		4801-02-190-14-10-30	आयोजनागत
23		4801-02-190-14-11-30	आयोजनागत
24		4801-02-190-14-12-30	आयोजनागत
25		4801-05-190-04-00-30	आयोजनागत
26		4801-05-190-06-00-30	आयोजनागत
27		4801-06-190-06-00-30	आयोजनागत
28	10	4401-00-119-03-03-24	आयोजनेत्तर
29		4401-00-119-03-04-24	आयोजनेत्तर
30		4401-00-119-03-05-24	आयोजनेत्तर
31		4401-00-119-03-06-24	आयोजनेत्तर
32		4401-00-119-03-07-24	आयोजनेत्तर
33		4401-00-119-03-08-24	आयोजनेत्तर
34		4401-00-119-03-09-24	आयोजनेत्तर
35		4401-00-119-03-10-24	आयोजनेत्तर
36		4401-00-119-03-11-24	आयोजनेत्तर
37	11	2401-00-109-09-00-27,42	आयोजनागत
38		2401-00-114-01-01-27	आयोजनागत
39		2401-00-800-02-14-20,35	आयोजनागत

40		2401-00-800-02-15-20,35	आयोजनागत
41		2401-00-800-02-16-20,35	आयोजनागत
42		2415-80-120-28-00-20,31	आयोजनागत
43		2415-80-120-29-00-20,31	आयोजनागत
44		4401-00-800-02-05-24,26	आयोजनागत
45		4415-80-277-27-04-24	आयोजनागत
46		4415-80-277-29-09-24	आयोजनागत
47		4415-80-277-29-10-24	आयोजनागत
48		4415-80-277-29-11-24	आयोजनागत
49		4415-80-277-31-06-24	आयोजनागत
50		4415-80-277-32-00-24	आयोजनागत
51		2415-80-120-30-00-20	आयोजनेत्तर
52	13	2515-00-102-15-00-46	आयोजनागत
53		2515-00-800-06-00-42	आयोजनागत
54		2515-00-800-07-00-20	आयोजनागत
55		4702-00-102-09-00-24	आयोजनागत
56		4702-00-102-10-00-24	आयोजनागत
57		4702-00-102-11-00-24	आयोजनागत
58		4702-00-102-12-00-24	आयोजनागत
59	14	2070-00-800-04-00-42	आयोजनागत
60		2515-00-101-15-00-46	आयोजनागत
61		2515-00-101-16-00-20	आयोजनागत
62		2515-00-800-12-00-42	आयोजनागत
63		4070-00-800-03-00-24	आयोजनागत
64		4515-00-101-08-00-24	आयोजनागत
65	15	2403-00-101-02-08-02,15,39,43	आयोजनागत
66		2403-00-101-02-09-04,07,11,15,18,19,29, 39,42,43,46,47	आयोजनागत
67		2403-00-107-05-00-42,43	आयोजनागत
68	16	6404-00-190-05-00-30	आयोजनेत्तर
69	17	2405-00-101-04-08,02,09,39,42,43	आयोजनागत
70		2425-00-800-12-00-42	आयोजनागत
71	18	6425-00-800-05-00-30	आयोजनेत्तर
72	21	2408-01-001-04-01-20,31	आयोजनेत्तर
73		2408-01-001-04-02-01 to 51	आयोजनेत्तर
74		2408-01-001-04-03-02 to 47	आयोजनेत्तर
75		2408-01-001-04-04-07 to 19	आयोजनेत्तर
76		2408-01-001-04-05-27	आयोजनेत्तर
77		2408-01-001-04-06-07	आयोजनेत्तर
78	22	4202-03-800-61-01-24	आयोजनागत
79		4202-03-800-61-02-24	आयोजनागत
80		4202-03-800-63-00-26	आयोजनागत
81		4202-03-800-75-01-24	आयोजनागत
82		4202-03-800-75-02-24	आयोजनागत

83		4202-03-800-75-03-24	आयोजनागत
84		4202-03-800-88-00-24	आयोजनागत
85		4202-03-800-89-00-24	आयोजनागत
86		4202-03-800-90-00-24	आयोजनागत
87		4202-03-800-91-00-24	आयोजनागत
88		4202-03-800-92-00-24	आयोजनागत
89		4202-03-800-93-00-24	आयोजनागत
90	23	5054-04-337-04-00-24	आयोजनागत
91	24	2852-08-201-08-00-20	आयोजनागत
92		6860-04-101-08-00-30	आयोजनागत
93	26	2055-00-001-04-00-16	आयोजनेत्तर
94		4055-00-207-97-01-14,26	आयोजनेत्तर
95		4055-00-207-14-00-14,26,46	आयोजनेत्तर
96		4055-00-190-03-00-30	आयोजनेत्तर
97		4055-00-207-15-00-26,46	आयोजनेत्तर
98		4055-00-207-16-00-26,46	आयोजनेत्तर
99		4055-00-211-04-00-24	आयोजनेत्तर
100		4055-00-211-12-00-24	आयोजनेत्तर
101	31	4210-03-105-67-00-24	आयोजनागत
102	32	2210-80-800-08-00-42	आयोजनागत
103		4210-01-110-79-00-24	आयोजनागत
104		2210-01-110-05-00-14	आयोजनेत्तर
105	33	2210-80-800-01-01-20	आयोजनागत
106	37	2217-80-800-11-00-20	आयोजनागत
107	40	3451-00-101-03-00-08, 26	आयोजनागत
108	42	2235-60-200-13-00-20	आयोजनेत्तर
109	44	5452-01-800-05-00-24	आयोजनागत
110		5452-01-800-06-00-24	आयोजनागत
111	47	4202-02-105-01-04-24	आयोजनागत
112		4202-02-105-15-00-24	आयोजनागत
113	48	2202-01-800-11-00-31	आयोजनागत
114	49	2235-02-102-01-26-07,12,42	आयोजनागत
115		2235-02-102-16-00-20	आयोजनागत
116		2235-02-102-17-00-42	आयोजनागत
117		4235-02-103-03-00-42	आयोजनागत
118	50	4059-01-051-52-00-24	आयोजनागत
119	51	4070-00-800-01-01-42	आयोजनागत
120	52	2029-00-103-06-00-46	आयोजनागत
121		4059-01-800-16-00-26	आयोजनागत
122		4059-01-800-17-00-24	आयोजनागत
123	55	4059-80-051-25-00-24	आयोजनागत
124		4059-80-051-27-00-24	आयोजनागत
125	58	5054-04-337-08-00-24	आयोजनागत
126		5054-04-337-09-00-24	आयोजनागत

127		5054-04-337-10-00-24	आयोजनागत
128		5054-04-337-13-42-24	आयोजनागत
129		5054-04-337-13-43-24	आयोजनागत
130		5054-04-337-91-00-24	आयोजनागत
131		5054-04-337-92-00-24	आयोजनागत
132	60	4059-01-051-04-00-24 to 26,42	आयोजनेत्तर
133	68	4059-80-800-03-00-42	आयोजनेत्तर
134		4059-80-800-04-00-42	आयोजनेत्तर
135	74	4070-00-800-08-00-24	आयोजनेत्तर
136	78	4059-01-051-03-00-24	आयोजनेत्तर
137		4216-01-700-03-00-24	आयोजनेत्तर
138	87	2075-00-800-05-00-35	आयोजनेत्तर
139		2235-60-200-06-00-20	आयोजनेत्तर
140	89	4059-01-051-13-16-24	आयोजनेत्तर
141		4059-01-051-13-17-24	आयोजनेत्तर
142		4059-01-051-13-18-24	आयोजनेत्तर
143		4059-01-051-13-19-24	आयोजनेत्तर
144	94	2700-17-101-03-01-29	आयोजनेत्तर
145		2700-17-101-03-02-29	आयोजनेत्तर
146		2700-17-101-03-03-29	आयोजनेत्तर

परिशिष्ट 3.6	लघु शीर्ष ‘800—अन्य प्राप्तियाँ’ के अंतर्गत पुस्तांकित मुख्य शीर्षवार प्राप्तियों का विवरण <i>(संदर्भः प्रस्तर 3.6; पृष्ठ 76)</i>
-------------------------------	---

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	कुल प्राप्ति	लघु शीर्ष ‘800—अन्य प्राप्तियाँ’ के अंतर्गत प्राप्तियाँ	प्रतिशतता
0217	नगर विकास	25.98	26.08	100.38
0801	ऊर्जा	1,322.17	1,322.17	100.00
0023	होटल प्राप्ति कर	50.27	50.27	100.00
0506	भूमि सुधार	17.44	17.44	100.00
0852	उद्योग	9.13	9.13	100.00
1456	नागरिक आपूर्ति	3.35	3.35	100.00
0810	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	3.34	3.34	100.00
1053	नागरिक उद्डयन	0.18	0.18	100.00
0220	सूचना तथा प्रचार	0.15	0.15	100.00
0415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	0.12	0.12	100.00
0875	अन्य उद्योग	0.10	0.10	100.00
0215	जलापूर्ति एवं सफाई व्यवस्था	0.10	0.10	100.00
0575	अन्य विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.06	0.06	100.00
0047	अन्य राजकोषीय सेवाएँ	0.04	0.04	100.00
0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	108.32	107.92	99.63
0406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	629.79	622.59	98.86
0851	ग्राम तथा लघु उद्योग	51.90	50.95	98.17
0075	विविध सामान्य सेवाएं	4,949.22	4,822.56	97.44
0425	सहकारिता	167.50	162.29	96.89
0230	श्रम तथा रोजगार	166.56	155.75	93.51
0071	पेशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के संबंध में अंशदान	67.97	61.02	89.77
0029	भू—राजस्व	505.31	454.23	89.89
1055	सङ्क परिवहन	6.57	5.82	88.58
0211	परिवार कल्याण	0.50	0.44	88.00
0056	कारागार	3.41	2.99	87.68
1452	पर्यटन	2.58	2.22	86.05
1054	सङ्क तथा सेतु	652.48	518.95	79.54
1601	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	31,861.34	23,914.17	75.06
0403	पशुपालन	36.19	26.40	72.95
0401	फसल कृषि कर्म	98.74	65.21	66.04
0059	लोक निर्माण	92.25	55.95	60.65
0700	मुख्य सिंचाई	7.61	4.37	57.42
0853	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	1,222.17	653.56	53.48
0515	अन्य ग्राम्य विकास	129.75	66.00	50.87

परिशिष्ट 3.7	लघु शीर्ष '800—अन्य व्यय' के अंतर्गत पुस्तांकित मुख्य शीर्षवार व्यय का विवरण (संदर्भः प्रस्तर 3.6; पृष्ठ 76)
-------------------------------	---

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	कुल व्यय	लघु शीर्ष '800—अन्य व्यय' के अंतर्गत व्यय	प्रतिशतता
2801	ऊर्जा	21,913.90	21,913.90	100.00
2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	541.04	541.04	100.00
5053	नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय	257.32	257.32	100.00
2705	कमांड क्षेत्र विकास	225.52	225.52	100.00
4859	दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	16.37	16.37	100.00
2407	बागान	14.84	14.84	100.00
2885	उद्योगों एवं खनिजों पर अन्य परिव्यय	8.14	8.14	100.00
4853	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	6.87	6.87	100.00
5425	अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	2.00	2.00	100.00
2041	वाहनों पर कर	0.72	0.72	100.00
4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.10	0.10	100.00
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	598.37	545.87	91.23
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	950.83	800.83	84.22
4575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	554.42	404.81	73.02
4235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	662.18	447.69	67.61
2405	मत्स्य पालन	60.36	39.73	65.82
2575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	11.68	7.29	62.41
3452	पर्यटन	40.76	24.65	60.48
4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	40.21	21.21	52.75
4202	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	1,130.44	590.96	52.28
4217	नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय	1,334.21	672.47	50.40

**परिशिष्ट
3.8**

**उपकर जो सावधि जमा के रूप में बैंक खातों में रखे गये
(संदर्भः प्रस्तर 3.7.4; पृष्ठ 78)**

क्र० सं०	बैंक का नाम	सवधि जमा संख्या	निवेश की तिथि	निवेश की गयी धनराशि (₹)	परिपक्वता की तिथि	परिपक्वता की धनराशि (₹)
1.	इलाहाबाद बैंक	50154528501	11-05-15	97,74,58,621.06	11-05-16	97,84,31,531.06
2.		50157923030	11-06-15	9,47,22,618.00	11-06-16	9,48,84,627.00
3.		50161752477	11-07-15	35,54,05,401.00	11-07-16	38,50,79,534.00
4.		50174589492	11-10-15	31,55,61,007.00	11-10-16	34,07,36,962.00
5.		50178199260	11-11-15	5,42,50,688.49	11-11-16	5,85,78,894.00
6.		50187501647	13-01-16	26,25,748.00	13-01-17	28,28,868.00
7.		50200071302	11-04-15	53,29,34,555.00	11-04-16	53,31,96,704.00
8.		50276374912	11-04-15	2,62,149.00	11-04-16	2,85,851.00
9.		50203439648	11-05-15	61,24,32,166.00	11-05-16	66,61,71,840.00
10.		50212285733	11-07-16	29,52,76,842.00	11-07-16	31,99,30,615.00
11.		50216796628	11-08-15	21,73,22,283.00	11-08-16	23,52,36,627.00
12.		50239206907	11-10-15	45,93,19,531.00	11-10-16	57,86,25,563.00
13.		50244385875	03-11-15	53,58,72,787.00	03-12-16	49,77,81,756.00
14.		50250257617	05-12-15	46,31,41,323.00	07-01-18	2,25,559.00
15.		50257587015	07-01-15	1,73,975.00	07-04-16	62,15,35,520.00
16.		50274810523	07-04-15	57,00,00,000.00	07-04-16	62,15,35,520.00
17.		50278220187	04-05-15	84,00,00,000.00	04-05-16	91,37,08,288.00
18.		50279169592	11-05-15	9,72,910.00	11-05-16	10,58,281.00
19.		50282676314	04-06-15	72,00,00,000.00	04-06-16	78,31,78,532.00
20.		50282910390	06-06-15	6,09,583.00	06-06-16	6,63,073.00
21.		50287243818	02-07-15	1,69,00,00,000.00	02-07-16	1,83,11,04,451.00
22.		50287434187	04-07-15	1,62,009.00	04-07-16	1,88,927.00
23.		50292020826	04-08-15	57,00,00,000.00	04-08-16	61,75,91,442.00
24.		50297303990	04-09-15	9,92,26,383.00	04-09-16	10,74,05,828.00
25.		50301904446	04-10-15	1,54,00,00,000.00	04-10-16	1,66,69,45,526.00
26.		50305833093	04-11-15	53,00,00,000.00	04-11-16	57,22,84,236.00
27.		50309868001	04-12-15	55,00,00,000.00	04-12-16	59,38,79,868.00
28.		50315201518	04-01-16	29,00,00,000.00	04-01-17	31,23,69,401.00
29.		50320547297	04-02-16	68,23,38,799.00	04-02-17	73,49,71,594.00
30.		50325422285	04-03-16	10,00,00,000.00	04-03-17	10,77,13,587.00
31.		50215236714	01-08-15	1,12,313.00	01-08-16	1,21,690.00

32.		50277182720	24-04-15	10,52,891.00	24-04-16	11,48,086.00
33.		50289838665	19-07-15	1,05,75,256.00	19-07-16	1,14,57,009.00
34.		50289839817	21-07-15	1,05,75,292.00	21-07-16	1,14,54,545.00
35.		50290093727	23-07-15	1,12,21,289.00	23-07-16	1,20,48,833.00
36.		50290661158	25-07-15	1,12,22,405.00	25-07-16	1,51,52,804.00
37.		50291750809	01-08-15	1,12,25,944.00	01-08-16	1,21,51,323.00
38.		50291753243	01-08-15	1,12,25,944.00	01-08-16	1,21,51,323.00
		योग		13,16,72,80,712.55		
39.	केनरा बँक	2534441000006/1	25-02-16	50,18,24,925.00	25-02-17	54,06,39,751.00
40.		2534441000003/1	29-02-16	2,63,31,11,419.00	03-01-17	2,85,04,47,545.00
41.		2534441000007/1	14-03-16	1,28,53,53,814.00	14-03-17	1,39,22,63,371.00
		योग		4,42,02,90,158.00		
42.	पंजाब नेशनल बँक	पी.यू. 00026334-26927	07-10-15	54,00,00,000.00	07-10-16	58,30,82,040.00
43.		पी.यू. 00026954	07-10-15	65,41,660.00	07-10-16	70,63,564.00
44.		पी.यू. 00023319-23887	25-07-15	55,10,00,000.00	25-07-16	59,70,05,078.00
45.		पी.यू. 00023896	25-07-15	54,47,056.00	25-07-16	59,01,851.00
		महायोग		1,10,29,88,716.00		
		बचत खाते में धनराशि		18,69,05,59,586.55		
		अन्तिम अवशेष		4,64,11,36,034.00		
		महायोग		23,33,16,95,620.55*		

*क्षेत्रीय /जिला स्तरीय कार्यालयों द्वारा चेक न भुनाये जाने के कारण सारणी 3.6 में दर्शायी गयी धनराशि से ₹ 73.69 करोड़ (2,333.17 करोड़ - 2,259.48 करोड़) का अन्तर है।

परिशिष्ट 4	शब्दावली (अतिरिक्त आँकड़े)
-----------------------------	-----------------------------------

गणना का आधार

पद	गणना का आधार
प्राचल की उत्प्लावनता	प्राचल की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर
प्राचल (एक्स) की उत्प्लावनता अन्य प्राचल (वाई) के संदर्भ में	प्राचल (एक्स) की वृद्धि दर/प्राचल (वाई) की वृद्धि दर
वृद्धि दर (आर.ओ.जी.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की धनराशि} / \text{विगत वर्ष की धनराशि}) - 1] \times 100$
विकास पर व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	ब्याज भुगतान / [(विगत वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं) / 2] $\times 100$
बकाया ऋण से ब्याज प्राप्ति का प्रतिशत	प्राप्ति ब्याज $[(\text{प्राथमिक अवशेष} + \text{ऋण एवं अग्रिम का अन्तिम अवशेष}) / 2] \times 100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां – राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम – राजस्व प्राप्तियां – विविध पूँजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी. सी. आर.)	राजस्व प्राप्तियां – लेखाशीर्ष “2048 – ऋण घटाने अथवा परिहार हेतु विनियोग” के अन्तर्गत व्यय को छोड़कर समस्त आयोजनागत अनुदान तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय

पदों की व्याख्या

in	0; k[; k
उत्प्लावनता अनुपात	उत्प्लावनता अनुपात राजकोषीय चर की, आधार चर में दिये गये परिवर्तन के सापेक्ष प्रतिक्रियाशीलता/लचीलापन की मात्रा को इंगित करता है। उदाहरणार्थ वर्ष 2012–13 के लिए राजस्व उत्प्लावनता का मान 0.8 का अर्थ है कि जी.एस.डी.पी. में एक प्रतिशत वृद्धि होने पर राजस्व प्राप्ति में 0.8 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
कोर पब्लिक गुड्स एवं मेरिट गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स ऐसी सामग्रियाँ जिनका उपभोग सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति करता है एवं किसी व्यक्ति द्वारा उस सामग्री के प्रयोग से दूसरे व्यक्ति को उस सामग्री के उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जैसे कानून एवं व्यवस्था का आरोहण, हमारे अधिकारों की संरक्षा एवं सुरक्षा, प्रदूषण मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय सामग्रियाँ तथा सड़क अवसंरचना इत्यादि। मेरिट गुड्स ऐसी सामग्रियाँ हैं जिसे सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा मुफ्त या सहायतित दरों पर इसलिए उपलब्ध कराये जाते हैं, क्योंकि लोगों अथवा संस्थाओं को उन वस्तुओं की आवश्यकता है तथा जिसके भुगतान के लिए उनके पास न ही क्षमता है और न ही इच्छाशक्ति। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र उन वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देती है। उदाहरणार्थ गरीबों को पोषण प्रदान करने हेतु सहायतित या मुफ्त भोजन को उपलब्ध कराना, मृत्यु दर को घटाने एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना, सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, पेयजल एवं स्वच्छता इत्यादि।
विकास व्यय	व्ययों के आँकड़ों का विश्लेषण विकास एवं गैर विकास के कार्यों पर हुए व्यय में विभाजित किया गया है। राजस्व लेखा पूँजीगत परिव्यय एवं ऋण तथा अग्रिमों से संबंधित व्यय को सामाजिक सेवा, आर्थिक सेवा एवं सामान्य सेवाओं में विभाजित किया गया है। वृहद् रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किया गया व्यय विकास व्यय होता है जबकि सामान्य सेवाओं पर किया गया व्यय गैर विकास व्यय है।
ऋण संवहनीयता	राज्य द्वारा ऋण—सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात को स्थिर रखने की क्षमता को ऋण संवहनीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है, यह ऋण वापसी की क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। तरल संपत्तियों की पर्याप्तता, चालू या वचनबद्ध बाध्यताओं को पूरा करने तथा अतिरिक्त उधारी की लागत तथा उधारी के प्रतिफल में संतुलन बनाये रखने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ यह है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का ऋण वापसी की क्षमता से सुमेल होना चाहिए।
ऋण स्थिरता	यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, ब्याज की लागत दर या सार्वजनिक उधारी से अधिक है तो ऋण—सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात संभवतः स्थिर होगा। बशर्ते प्राथमिक अवशेष या तो शून्य या धनात्मक या मामूली ऋणात्मक हो। आगणित दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर—ब्याज दर) एवं प्रमात्रा विस्तार (ऋण* दर विस्तार), के आधार पर यदि प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य है तो ऋण—सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर होगा या अंततोगत्वा ऋण में स्थिरता होगी। दूसरी स्थिति में, यदि प्रमात्रा विस्तार के साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक हो जाय तो ऋण—सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि होगी एवं यदि किसी स्थिति में यह धनात्मक हो तो ऋण—सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अंततः गिरेगा।
गैर—ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता	वृद्धिमान ब्याज देयताओं एवं वृद्धिमान प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के आधार पर राज्य की वृद्धिमान गैर—ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता सुनिश्चित होती है। यदि वृद्धिमान गैर—ऋण प्राप्तियाँ वृद्धिमान ब्याज भार एवं वृद्धिमान प्राथमिक व्यय को वहन कर लेती हैं तो ऋण की संवहनीयता में पर्याप्त मात्रा में मदद मिल सकेगी।
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	उधार निधियों की निवल उपलब्धता, ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) एवं कुल ऋण प्राप्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित है तथा उधार निधियों की निवल उपलब्धता प्रदर्शित करती है कि ऋण प्राप्तियों का किस सीमा तक ऋण विमोचन हेतु प्रयोग किया गया है।

विनियोग लेखे	विधान सभा द्वारा प्रत्येक दत्तमत अनुदानों एवं भारित विनियोगों के अन्तर्गत बजट अनुदान में प्राधिकृत कुल निधियों (मूल एवं अनुपूरक) की धनराशि की तुलना में प्रत्येक के विरुद्ध व्यय धनराशि एवं प्रत्येक अनुदान या विनियोग के अन्तर्गत बचत या आधिक्य का विवरण विनियोग लेखे में होता है। अनुदान से अधिक किसी भी व्यय का विधायिका द्वारा विनियमन अपेक्षित होता है।
स्वायत्त निकाय	जब कभी सरकारी व्यवस्था से अलग कुछ सीमा तक स्वतंत्रता एवं सरकारी कार्य प्रणाली के दिन-प्रतिदिन के हस्तक्षेप के बगैर, लचीलेपन के साथ कुछ क्रियाओं को संपादित करने की आवश्यकता महसूस होती है तब स्वायत्त निकायों (प्रायः पंजीकृत समितियां या सांविधिक निगमों) की स्थापना की जाती है।
वर्चनबद्ध व्यय	राजस्व लेखों पर मुख्यतः व्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी, जिस पर वर्तमान कार्यकारिणी का सीमित नियंत्रण होता है, राज्य सरकार के वर्चनबद्ध व्यय होते हैं।
राज्य क्रियान्वयन अभिकरण	राज्य सरकार द्वारा जिन संगठन/संस्थानों, अशासकीय संगठनों को राज्य में विशेष कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है वे राज्य क्रियान्वयन अभिकरण होते हैं। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु उ.प्र. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण इत्यादि।
आकस्मिक देयतायें	किसी के द्वारा भविष्य में घटने वाली घटनाओं के परिणामस्वरूप आकस्मिक देयताओं का सृजन किया/ नहीं किया जा सकता है जैसे न्यायालयी प्रकरण।
सिकिंग फण्ड (शोधन निधि)	सरकार द्वारा एक निधि की स्थापना अपने ऋणों से मुक्ति हेतु की जाती है जिसमें समयान्तर्गत धन आरक्षित किया जाता है।
प्रत्याभूति विमोचन निधि	राज्य के समेकित निधि पर ऋणी, जिसके लिए प्रत्याभूति विस्तारित की गयी, ऋणी द्वारा ऋण वापस न करने की स्थिति में उत्पन्न आकस्मिक प्रत्याभूति देयतायें होती हैं। प्रत्याभूति विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बकाया प्रत्याभूतियों के प्राप्त न हुए एवं वर्तमान वर्ष में वृद्धिमान प्रत्याभूतियों के प्राप्त न होने वाली धनराशि की स्थिति में उसके कम से कम पांचवें हिस्से के योगदान निधि में होना चाहिए।
आन्तरिक ऋण	भारत में लोगों द्वारा प्राप्त नियमित ऋणों को आंतरिक ऋण कहते हैं। जिसे "भारत में एकत्र ऋण" भी कहा जाता है। यह समेकित निधि को क्रेडिट किये जाने वाले ऋण तक सीमित होता है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	राजस्व व्यय से व्याज भुगतान घटाने पर प्राथमिक राजस्व व्यय आता है।
पुनर्विनियोग	मूल विनियोग के इकाई से अन्य उसी प्रकार की इकाई को धनराशि का हस्तांतरण।
लोक लेखा समिति	विधान सभा द्वारा गठित समिति जो भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के, राज्य के विनियोग लेखों, राज्य के वार्षिक वित्तीय लेखों या इस प्रकार के अन्य लेखों या वित्तीय मामलों, जिसकी जाँच करना यह समिति आवश्यक समझे, की जाँच करें।

प्रथमाक्षरी

प्रथमाक्षरी	पूर्ण विस्तार
ए सी बिल	संक्षिप्त आकस्मिक बिल
ए ई	कुल व्यय
बी ई	बजट अनुमान
सी ए जी	भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
सी ई	पूँजीगत व्यय
डी सी सी बिल	विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल
डी सी आर एफ	ऋण संकलन एवं राहत सुविधा
डी ई	विकास व्यय
एफ सी पी	राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पथ
जी ओ आई	भारत सरकार
जी एस डी पी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एफ आर बी एम	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन
आई पी	ब्याज भुगतान
एम टी एफ आर पी एस	मध्यकालिक राजकोषीय पुर्नसंरचना नीति विवरण
एन पी आर ई	आयोजनेत्तर राजस्व व्यय
ओ एण्ड एम	संचालन एवं रख—रखाव
पी ए सी	लोक लेखा समिति
आर ई	राजस्व व्यय
आर आर	राजस्व प्राप्तियाँ
एस एण्ड डब्ल्यू	वेतन एवं मजदूरी
एस ए आर	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
एस एस ई	सामाजिक सेवा व्यय
टी ई	कुल व्यय
टी एफ सी	तेरहवां वित्त आयोग
यू सी	उपभोग प्रमाण—पत्र